वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

आंतरिक सुरक्षा, राज्य, गृह, जम्मू और कश्मीर
तथा सीमा प्रबंधन विभाग

विषय सूची

अध्याय-I गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	**1-5**
अध्याय-II आन्तरिक सुरक्षा	**6-43**
अध्याय-III सीमा प्रबंधन	**44-77**
अध्याय-IV केन्द्र–राज्य संबंध	**78-81**
अध्याय-V देश में अपराध परिदृश्य	**82-98**
अध्याय-VI मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता	**99-116**
अध्याय-VII संघ राज्य क्षेत्र	**117-158**
अध्याय-VIII पुलिस बल	**159-200**
अध्याय- IX अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं	**201-226**
अध्याय- X आपदा प्रबंधन	**227-250**
अध्याय-XI अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	**251-266**
अध्याय-XII महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं	**267-284**
अध्याय-XIII विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	**285-302**
अध्याय-XIV भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	**303-321**
अध्याय-XV विविध विषय	**322-341**
अनुलग्नक	**343-368**

अध्याय – I

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन, विदेशी विषयक अधिनियम और सम्बद्ध मामलों का संचालन, जनगणना तथा मानवाधिकार प्रमुख हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II-"राज्य सूची" की प्रविष्टि सं. 1 और 2 के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन, संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है, उपयुक्त सलाह जारी करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित संघटक विभाग हैं:–

- **आंतरिक सुरक्षा विभाग,** भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था, विद्रोह, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, प्रतिकूल विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों, आतंकवादियों के वित्तपोषण, पुनर्वास, वीजा प्रदान करने और अन्य आप्रवासन संबंधी मामले और सुरक्षागत स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी कार्य देखता है;

- **राज्य विभाग,** केंद्र–राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, मानवाधिकार, कारागार सुधार, पुलिस सुधार आदि संबंधी मामले देखता है;

- **गृह विभाग,** राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों की नियुक्ति/त्यागपत्र संबंधी अधिसूचना, राज्य सभा/लोक सभा में नामांकन, आबादी की जनगणना और जन्म–मृत्यु पंजीकरण आदि का कार्य देखता है;

- **जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग,** जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित सांविधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है;

- **सीमा प्रबंधन विभाग**, तटवर्ती सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा चौकसी बल और तंत्र को सुदृढ़ करने और संबंधित आधारभूत ढांचे का सृजन करने, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास आदि का कार्य देखता है;

- **राजभाषा विभाग,** राजभाषा से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है।

1.3 आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग तथा सीमा प्रबंधन विभाग, पृथक–पृथक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये सभी विभाग, केंद्रीय गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। राजभाषा विभाग में पृथक रूप से एक सचिव हैं और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में इस विभाग के कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया जाता है।

1.4 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग और न्याय विभाग को छोड़कर) में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना **अनुलग्नक-I** में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

1.5 गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.6 इस प्रभाग का दायित्व मंत्रालय के सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना, मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य का आबंटन करना और अग्रता सारणी, पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक और सचिवालय सुरक्षा संगठन के मामलों को भी देखना है। यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन प्रभाग

1.7 यह प्रभाग तटीय सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, विधिक, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किए जाने संबंधी मामलों और सीमा प्रबंधन के लिए सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों, सीमा चौकियों (बी ओ पी), सड़कों का निर्माण करने/बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी मामलों को देखता है।

समन्वय प्रभाग

1.8 यह प्रभाग मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामले, लोक शिकायत, रिकार्ड प्रतिधारण समय–सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर–वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, आंतरिक कार्य अध्ययन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदि को प्रस्तुत किए जाने संबंधी कार्य करता है।

केंद्र–राज्य प्रभाग

1.9 यह प्रभाग केन्द्र–राज्य संबंधों का कार्य देखता है जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले सांविधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर निगरानी रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

आपदा प्रबंधन प्रभाग

1.10 इस प्रभाग का दायित्व विधायन, नीति और क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन के लिए प्रशासनिक उपाय करना और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए तैयारी करना तथा आपदा के आने पर कार्रवाई, राहत और पुनर्वास का समन्वय करना है।

वित्त प्रभाग

1.11 इस प्रभाग का दायित्व एकीकृत वित्त स्कीम के अन्तर्गत मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण और अनुवीक्षण किए जाने तथा वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों संबंधी कार्य करता है।

विदेशी प्रभाग

1.12 यह प्रभाग वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित नीति और विनियमों से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग

1.13 यह प्रभाग स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

मानवाधिकार प्रभाग

1.14 यह प्रभाग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना और अयोध्या से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा प्रभाग

1.15 आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग विभिन्न गुटों/उग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था, आतंकवादियों के वित्त पोषण, आतंकवाद से संबंधित नीति और परिचालनात्मक मुद्दों, सुरक्षा स्वीकृति, आई एस आई की गतिविधियों के अनुवीक्षण, आतंकवाद–रोधी नीति एवं ढांचे आदि संबंधी मामलों को देखता है।

1.16 आन्तरिक सुरक्षा-II प्रभाग हथियारों और विस्फोटकों, प्रत्यर्पण, स्वापक और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, विभिन्न देशों के साथ परस्पर विधिक सहायता करार और उनके कार्यान्वयन, इंटरपोल आदि से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू और कश्मीर प्रभाग

1.17 यह प्रभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित सांविधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

न्यायिक प्रभाग

1.18 यह प्रभाग भारतीय दंड संहिता (आई पी सी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों, संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के भूतपूर्व शासकों को राजनयिक पेंशन देने और संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका से संबंधित मामलों को भी देखता है।

नक्सल प्रबंधन प्रभाग

1.19 इस प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोणों से नक्सली खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 19 अक्तूबर, 2006 को किया गया था। यह नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्यों में सुधार करना है। यह प्रभाग, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर प्रभाग

1.20 यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखता है जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस प्रभाग

1.21 पुलिस-I प्रभाग भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के संबंध में संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, अनुकरणीय/विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

1.22 पुलिस-II प्रभाग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग

1.23 यह प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था/प्रापण, पुलिस सुधार आदि से संबंधित कार्य करता है।

नीति नियोजन प्रभाग

1.24 यह प्रभाग आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, द्विपक्षीय सहायता संधियों के बारे में नीति निर्धारण और सम्बन्धित कार्यमदों के संबंध में देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मध्यस्थता और अति विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित कार्य देखता है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग

1.25 यह प्रभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस)/भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के अरूणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्रों (ए जी एम यू टी) और दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स)/ दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण का कार्य भी देखता है।

--*

आन्तरिक सुरक्षा

सिंहावलोकन

2.1 विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011 में देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार के विशिष्ट लक्षण दिखाई दिए हैं। सीमा पार से घुसपैठ के स्तर और इसके परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी में आतंकवादी क्रियाकलापों में काफी गिरावट आई है। आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में गिरावट आई है जो वर्ष 2008 में 708, 2009 में 499 और 2010 में 488 थी तथा वर्ष 2011 में कम हो कर 340 रह गई। मारे गए सुरक्षा बल के कार्मिकों की संख्या में भी कमी आई है जो वर्ष 2008 में 75, 2009 में 79 और 2010 में 69 थी तथा वर्ष 2011 में कम हो कर 33 रह गई। मारे गए सिविलियनों की संख्या में भी कमी आई है जो वर्ष 2008 में 91, 2009 में 71 और 2010 में 47 थी तथा वर्ष 2011 में कम हो कर 31 रह गई। मारे गए आतंकवादियों की संख्या में भी गिरारवट आई है जो 2009 में 239 और 2010 में 232 थी तथा वर्ष 2011 में कम हो कर 100 रह गई जिससे नियंत्रण रेखा पर बेहतर निगरानी का प्रभाव दिखाई देता है और इसके परिणामस्वरूप घुसपैठ भी कम हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है जो वर्ष 2009 में 1297 से कम हो कर 2011 में 627 रह गईं। मारे गए सिविलियनों की संख्या भी वर्ष 2009 की 264 संख्या से कम हो कर 2011 में 70 रह गई। इन दोनों ही क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी उभर रही है और आर्थिक स्थिति में सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

2.2 जुलाई, 2011 में मुम्बई में हुए क्रमिक बम विस्फोटों और सितम्बर, 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हुए बम विस्फोट को छोड़कर मुख्य भू–भाग में आतंकवाद की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही। वर्ष 2009 से 2011 के दौरान कुल 60 आतंकवादी माड्यूल निष्क्रिय किए गए। जनवरी, 2012 में भारतीय मुजाहिद्दीन का एक मुख्य माड्यूल निष्क्रिय किया गया।

2.3 वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अभियान जारी रहे। शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके/उनके तत्वों को निष्क्रिय करके सुरक्षा बलों को कुछ उल्लेखनीय सफलता मिली है। तथापि, यह लड़ाई लम्बी चलने वाली है और इसे सशस्त्र तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाने के साथ–साथ एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास, दोनों के संदर्भ में देखे जाने की जरुरत है।

2.4 दो या तीन स्थानों पर कुछ छिट–पुट घटनाओं के बावजूद सांप्रदायिक स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही।

2.5 वर्ष 2011–12 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए गत वर्ष की गई पहलों को और सुदृढ़ बनाया और वैश्विक आतंकवाद द्वारा दी गई गंभीर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई पहलें भी शुरु कीं।

2.6 देश के विभिन्न भागों में उल्लिखित स्थिति और आतंकवादियों द्वारा आंतरिक सुरक्षा के लिए दी गई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर

सुरक्षा की स्थिति

2.7.1 जम्मू और कश्मीर राज्य (जे एंड के) सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से लगभग दो दशकों से प्रभावित रहा है। जम्मू और कश्मीर के मुख्य भू–भाग में आतंकवादी हिंसा और मुठभेड़ें, निश्चित तौर पर सीमा पार से हो रही सफल घुसपैठ के स्तरों से जुड़ी हैं। जे एंड के में उग्रवाद शुरु होने से लेकर अब तक 13,846 सिविलियन और 4,807 सुरक्षा बलों के कार्मिक मारे गए हैं (दिनांक 31.12.2011 तक)। वर्ष 2005 से आगे के आंकड़े नीचे की सारणी में दर्शाये गए हैं:

जे एंड के में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2005	1990	189	557	917
2006	1667	151	389	591
2007	1092	110	158	472
2008	708	75	91	339
2009	499	79	71	239
2010	488	69	47	232
2011	340	33	31	100

2.7.2 वर्ष 2011 में विगत वर्ष की तुलना में आतंकवादी घटनाओं और हताहत हुए सिविलियनों तथा एस एफ कार्मिकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 30% की गिरावट और हताहत हुए सिविलियनों तथा एस एफ कार्मिकों में क्रमशः 34% और 52% की गिरावट आई है। वर्ष 2011 के दौरान एक सौ आतंकवादी भी निष्क्रिय किए गए। वर्ष के दौरान कश्मीर घाटी वर्ष 2010 के ग्रीष्मकालीन प्राकृतिक दृश्य की तुलना में किसी बड़ी कानून और व्यवस्था/सिविल अशांति से अपेक्षाकृत रूप से मुक्त रही।

2.7.3 जनवरी से दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान वर्ष 2010 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में गिरावट दर्ज हुई है। रिपोर्टों के अनुसार दिसम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान घुसपैठ के प्रयासों की संख्या 247 है जबकि वर्ष 2010 की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 489 थी जिससे 49.5% की गिरावट का पता चलता है। वर्ष 2004 से जे एंड के में किए गए घुसपैठ के प्रयासों की संख्या नीचे की सारणी में दी गई है:

वर्ष	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
कुल	537	597	573	535	342	485	489	247

2.7.4 सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिल कर सीमा पार की घुसपैठ रोकने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट के साथ–साथ सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और बहुस्तरीय तथा बहु–मॉडल की तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, एस एफ के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय; और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।

2.7.5 राज्य की शांति में बाधा डालने के लिए उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने आतंकवादियों के विरुद्ध विभिन्न रणनीतियां अपनाई हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया है और उग्रवाद में शामिल होने से स्थानीय युवाओं को हतोत्साहित किया है।

2.7.6 जे एंड के की सुरक्षा की स्थिति पर जे एंड के के मुख्य मंत्री द्वारा एकीकृत मुख्यालय/कमान में राज्य सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निगरानी रखी जाती है और समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की निकट से और लगातार मानीटरिंग करता है।

जम्मू और कश्मीर में गश्त लगाते हुए सी आर पी एफ के जवान

2.7.7 सरकार का निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास रहा है:

(i) सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कम करने के लिए सभी एस एफ द्वारा तुरंत उचित उपाय करना; और उन आतंकवादियों की पहचान करना, पता लगाना और गिरफ्तार करना जो सीमा पार करें; और उनके स्थानीय साथियों के विरुद्ध भी यही कार्रवाई करें;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में उग्रवाद के प्रभावों के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक–आर्थिक समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए; और

(iii) स्थाई शांति सुनिश्चित की जाए और राज्य में सभी वर्गों के उन लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना जो हिंसा त्यागना चाहते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करना।

2.7.8 राज्य सरकार की पहलों में उसकी सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार यथा आवश्यक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने तथा अनेक प्रकार के सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करने में सहायता कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ सिपाहियों को लाने–ले–जाने में हो रहे व्यय, सामग्री की आपूर्ति, आवास का किराया, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम, एअर–लिफ्ट प्रभार, इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित करने की लागत, परिवहन, ठहरने और खान–पान का व्यय, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि शामिल है। सुरक्षा से संबंधित व्यय (पुलिस) {एस आर ई (पी)} के तहत प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि (वर्ष 1989 से दिनांक 31.03.2011 तक) 3,583.305 करोड़ रूपए है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जे एंड के सरकार को दिसम्बर, 2011 तक एस आर ई (पी) के तहत 200 करोड़ रूपए की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

आठ सूत्री योजना पर की गई कार्रवाई

2.7.9 विभिन्न राजनीतिक दलों के 34 सदस्यीय एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल (ए पी डी) ने केन्द्रीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के साथ दिनांक 20.09.2010 और 21.09.2010 तक जे एंड के का दौरा किया और विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सिविल सोसाइटी के विभिन्न इच्छुक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ श्रीनगर और जम्मू में चर्चा की। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य में शांति लाने के लिए सरकार ने अक्तूबर, 2010 में आठ सूत्री योजना का अनुमोदन किया। इसमें सतत् वार्ता के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति करना; पत्थरबाजी में गिरफ्तार किए गए विद्यार्थियों और युवाओं को रिहा करना; लोक सुरक्षा अधिनियम (पी एस ए)

के नजरबंदों के सभी मामलों की समीक्षा करना; कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा करना; दिनांक 11.06.2010 से सिविल अशांति में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 5 लाख रूपए प्रति व्यक्ति अनुग्रह राहत प्रदान करना; जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की विकासात्मक जरूरतों की जांच करने के लिए विशेष कार्यबलों की नियुक्ति करना; सभी स्कूलों, कालेजों को पुनः खोलना और स्कूलों तथा कालेजों की क्षतिग्रस्त अवसंरचना को बहाल करने के लिए राज्य सरकार को 100 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रावधान करना शामिल है। आठ सूत्री योजना कार्यान्वित कर दी गई है। चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) **जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य बल:** अवसंरचना की कमियों के विशेष संदर्भ में जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की विकास संबंधी जरुरतों की जांच करने और उचित सिफारिशें करने के उद्देश्य से जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः डा. अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग और डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में दो विशेष कार्य बलों (एस टी एफ) का गठन किया गया है। इन दोनों एस टी एफ ने जे एंड के का दौरा किया और मुख्य मंत्री तथा अन्य संबंधितों के साथ बैठकें की और अपनी–अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। 24 माह की समय सीमा के अंदर जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः 497 करोड़ रूपए और 416 करोड़ रूपए की कुल लागत से तुरंत कार्यान्वयन के लिए अल्पावधिक परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। संस्तुत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान विशेष योजना सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः 100 करोड़ रूपए और 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

(ii) इन परियोजनाओं के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने अग्रिम कार्रवाई की और जम्मू की परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रूपए और लेह तथा कार्गिल की परियोजनाओं के लिए दिनांक 29.06.2011 को प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रूपए जारी किए। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग ने निधियां जारी किए जाने की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 06.09.2011 को राज्य सरकार को 250 करोड़ रूपए मंजूर किए।

प्रधान मंत्री के पैकेज के तहत उग्रवाद के पीड़ितों के लिए राहत उपाय

उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए सिविलियनों के निकट संबंधियों को एस आर ओ–3 के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले 5 लाख रूपए का एक बारगी नकद मुआवजा

2.7.10 उग्रवाद से संबंधित हिंसा में मारे गए सिविलियनों के निकट संबंधियों को 5 लाख रूपए

का नकद मुआवजा प्रदान करके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने से उग्रवाद से संबंधित 2,000 लंबित मामलों को निपटाने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 17.10.2008, 23.03.2009 और 15.10.2009 के आदेशों के तहत तीन किस्तों में बजट शीर्ष, सुरक्षा से संबंधित व्यय (राहत और पुनर्वास) {एस आरई (आर एंड आर)} से राज्य सरकार को 100 करोड़ रूपए की राशि जारी की। लंबित मामलों के पिछले बकाया को कवर करने के लिए यह एक बारगी प्रतिपूर्ति है और भविष्य के सभी मामलों का वित्तपोषण राज्य बजट से किया जाना था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2,643 मामलों को निपटाने के लिए 100 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

2.7.11 जे एंड के सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने दिनांक 11.03.2011 के आदेश के तहत 27.24 करोड़ रूपए के अनुमानित व्यय से 681 मामलों के एक अन्य पिछले बकाये को कवर करने के लिए (सिविलियनों के निकट संबंधियों के 391 मामले और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के निकट संबंधियों के 290 मामले) एस आर ई (आर एंड आर) के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए 'सिविलियनों' के साथ–साथ 'आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों' के निकट संबंधियों को प्रति व्यक्ति 4 लाख रूपए (एक लाख रूपए के अनुग्रह अनुदान को छोड़कर) की दर से नकद मुआवजे के भुगतान के लिए योजना के विस्तार का अनुमोदन कर दिया है। राज्य सरकार को पिछले बकाये के इन मामलों को निपटाना था और एस आर ई (आर एंड आर) के तहत प्रतिपूर्ति के लिए दावे अग्रेषित करने थे।

प्रधानमंत्री के पैकेज का कार्यान्वयन – (i) सिविलियनों की विधवा को बढ़ी हुई पेंशन और (ii) बिना भेदभाव के सभी अनाथों को छात्रवृत्ति और (iii) वृद्ध व्यक्तियों और विकलांगों को बढ़ी हुई पेंशन

2.7.12 राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3,481 विधवाओं, 1,740 अनाथों, 2,272 वृद्ध व्यक्तियों और 968 विकलांगों को वर्ष 2011–12 के दौरान जे एंड के पुनर्वास परिषद योजनाओं में शामिल किया गया है।

आर्थिक विकास

जम्मू और कश्मीर को केन्द्रीय सहायता

2.7.13 केन्द्र सरकार, चहुंमुखी विकास करने के राज्य सरकार के प्रयासों और लोगों को लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार का निरंतर रूप से समर्थन और सहायता करती रही है जिसमें नियोजित और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। भौतिक, आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करने को प्राथमिकता दी जाती है जिसके द्वारा राज्य के लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के अलावा संभावित उत्पादकता से सुधार किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना

2.7.14 उक्त दिशा में विशेष पहल के रूप में प्रधानमंत्री ने 17.11.2004 और 18.11.2004 के जम्मू और कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, लगभग

24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से जम्मू और कश्मीर के लिए एक ऐसी पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की जिसमें मोटे तौर पर वे परियोजनाएं/स्कीमें शामिल हैं जिनका उद्देश्य रोजगार और आय सृजन के कार्यकलापों पर जोर देते हुए आर्थिक आधारभूत संरचना का विस्तार करना और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना तथा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से प्रभावित विभिन्न ग्रुपों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में शामिल सभी स्कीमों की वर्तमान अनुमानित लागत 28,004 करोड़ रुपए है। कुल 12,698.63 करोड़ रुपए की लागत से केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर 8,731.63 करोड़ रुपए और राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं पर 3,967 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

2.7.15 पुनर्निर्माण योजना, 2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है। इस योजना, जिसमें अर्थव्यवस्था के 11 क्षेत्रों को कवर करने वाली 67 परियोजनाएं/स्कीमें हैं, के कार्यान्वयन की प्रगति को गृह मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है। उक्त 67 परियोजनाओं/स्कीमों में से 31 परियोजनाओं/स्कीमों के संबंध में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शेष 36 परियोजनाओं/स्कीमों में से 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और बाकी 03 परियोजनाएं तैयारी की अवस्था में हैं।

निमू बजोग बांध

2.7.16 कुछ प्रमुख परियोजनाएं और उनकी प्रगति की उनकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है।

चुटक बैराज

(क) चुटक और उरी–2 नामक दो परियोजनायें पूरी होने वाली हैं। 'पूरे राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण' नामक परियोजना के तहत नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (एन एच पी सी) ने 2,290 गांवों का विद्युतीकरण किया और गरीबी की रेखा से नीचे के 42,133 परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 'पॉवर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग वर्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर

उरी–2 पावर हाउस

रीजन' की परियोजना के तहत 73 स्कीमों में से 14 ग्रिड स्टेशन और 16 ट्रांसमिशन लाइनें पूरी हो गई हैं। पकल डल, बुरसर और किशनगंगा नामक अन्य परियोजनायें कार्यान्वयन के अपने शुरुआती चरणों में हैं।

(ख) डोमेल–कटरा और नरवल–तंगमार्ग नामक दो सड़क परियोजनायें लगभग पूरी हो गई हैं। मुगल सड़क के मार्च, 2013 तक पूरी होने की संभावना है। दो लेन वाली बटोट–किश्तवाड़ सड़क (एन एच–18), दो लेन वाली कार्गिल से होकर श्रीनगर–लेह सड़क (एन एच–1 डी) और श्रीनगर–उरी–एल ओ सी सड़क के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

(ग) 'कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो कमरे वाले मकान' नामक परियोजना अपने अंतिम चरण में है।

जे एंड के के लिए विशेष उद्योग की पहलें (एस आई आई जे एंड के)

2.7.17 डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा गठित विशेष दल की सिफारिश के आधार पर आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 07.07.2011 को 'जेएंडके के लिए विशेष उद्योग पहल' नामक योजना का अनुमोदन किया। एस आई आई जे एंड के योजना, कौशल प्रदान करेगी और मुख्य उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों में पांच वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष जम्मू और कश्मीर से 8,000 युवाओं को

रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। कार्यक्रम का लक्ष्य सुप्रशिक्षित मानव शक्ति को अच्छा भुगतान करने वाले रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का कार्यान्वयन पी पी पी मोड में राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एन एस डी सी) और कार्पोरेट सेक्टर द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में स्नातकों, स्नातकोत्तरों और व्यावसायिक डिग्री धारकों को शामिल किया जाएगा।

2.7.18 अनुमोदन समिति द्वारा अब तक निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया हैः–

(i) खुदरा/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 1,150 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्यूचर ह्यूमन डेवेलपमेंट लिमिटेड का प्रस्ताव

(ii) प्रबंधकीय और उद्यमवृत्ति कौशल में 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए सी आई आई का प्रस्ताव

(iii) पांच वर्ष की अवधि में आई टी और बी पी ओ सैक्टर में 850 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए टी सी एस का प्रस्ताव।

2.7.19 इसके अलावा यस बैंक, एच सी एल आदि के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय गृह सचिव ने एफ आई सी सी आई, ऐसोचैम और सी आई आई और 30 कंपनियों/कार्पोरेटों को लिखा जिसमें उन्हें योजना के मुख्य पहलुओं के बारे में सूचना दी गई और उनका सहयोग मांगा गया तथा उनसे मिलने और योजना पर चर्चा करने का अनुरोध किया गया। योजना में भाग लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रेरित करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 02.12.2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/अध्यक्षों को पत्र लिखा।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

2.7.20 जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हिंसा/उग्रवाद ने, विशेषकर इसके पहले दौर ने कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर प्रवास के लिए मजबूर कर दिया। वित्तीय सहायता/राहत तथा अन्य प्रयासों के माध्यम से विगत वर्षों से कई उपाय किए गए हैं जिससे कि एक वृहत् नीतिगत ढ़ांचे के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को सहायता एवं मदद दी जा सके जिससे जो लोग प्रवास कर गए हैं, वे आखिरकार घाटी में लौट जाएं।

2.7.21 कुल 58,697 कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं जिसमें से 38,119 परिवार जम्मू में, 19,338 परिवार दिल्ली में और 1,240 परिवार अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैं। जम्मू व कश्मीर सरकार, जम्मू क्षेत्र में रह रहे 16,686 पात्र परिवारों को अधिकतम 5,000 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1,250 रुपए की नगद राहत और सूखा राशन प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी 3,624 पात्र परिवारों को 5,000 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1,250 रुपए

की नगद राहत दे रही है। अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को उनके द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुरूप प्रवासियों को राहत प्रदान कर रहे हैं।

2.7.22 प्रधान मंत्री की घोषणा और अंतर–मंत्रालयी टीम (आई एम टी) की सिफारिशों के अनुसरण में जम्मू में एक कमरे वाले मकान में शिविरों में इस समय रह रहे सभी प्रवासी परिवारों को खपाने के लिए 385 करोड़ रूपए के व्यय पर दो कमरे वाले 5,242 मकानों का निर्माण शुरु किया गया था। पहले चरण में नगरोटा, पुर्खू और मुथी में 1,024 मकानों का निर्माण पूरा हो गया है और उन्हें आवंटित कर दिया गया है। दूसरे चरण में नवम्बर, 2011 तक 4,218 फ्लैटों में से 3,654 फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं और इन पर कब्जा भी कर लिया गया है। प्रधान मंत्री ने दिनांक 04.03.2011 को नवनिर्मित 2,112 फ्लैटों का उद्घाटन किया। बाकी फ्लैटों का निर्माण शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

2.7.23 इसके अलावा, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी को सुकर बनाने के लिए, केन्द्र सरकार ने 22.90 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगात्मक आधार पर बडगाम जिले में शेखपुरा में 200 फ्लैटों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। 180 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा चुका है। 20 फ्लैटों का निर्माण प्रगति पर है और इनके शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है। मट्टन में 18 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें आवंटित कर दिया गया है।

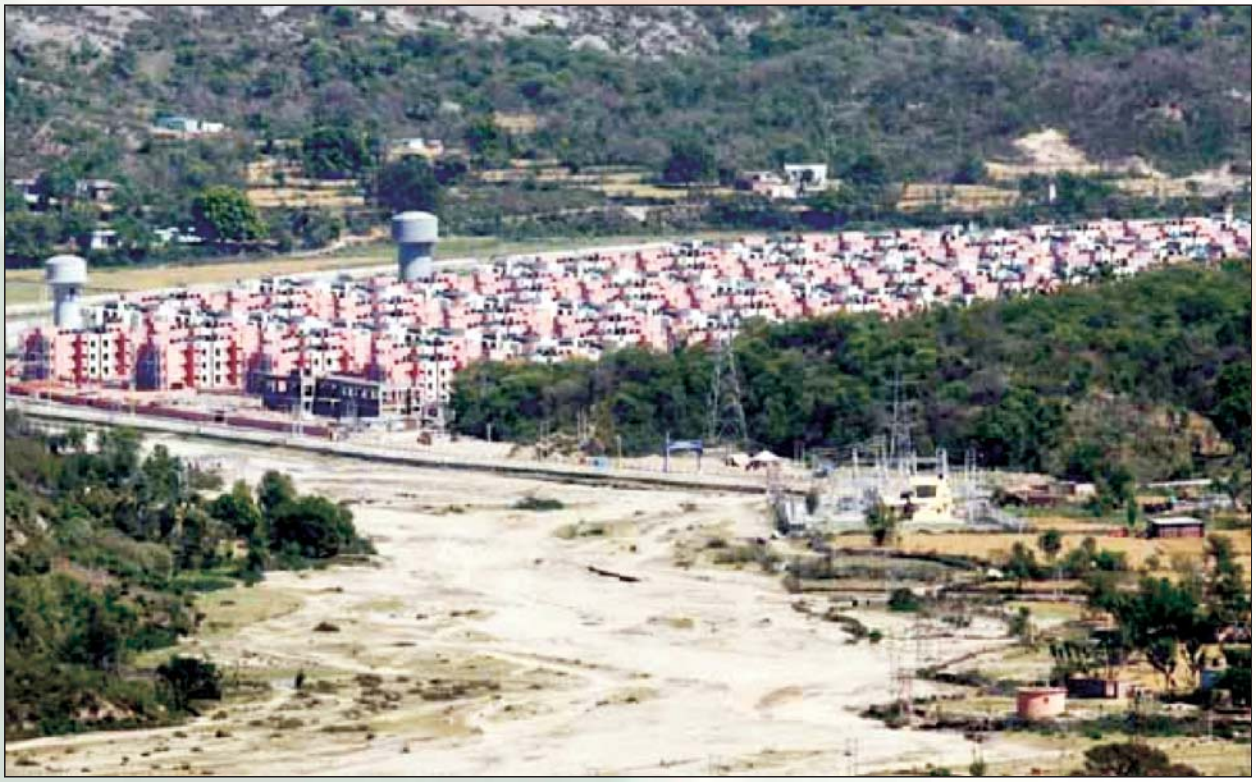

जगती, जम्मू में कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो कमरे के मकानों की टाउनशिप

2.7.24 उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ने दिनांक 25.04.2008 को जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, अन्य तथ्यों के साथ–साथ, घाटी में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी एवं पुनर्वास के लिए 1,618.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में आवास, अस्थाई निवास, नगद राहत की निरन्तरता, छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, रोजगार, कृषकों/बागवानी करने वालों को सहायता तथा ऋणों पर ब्याज की माफी के लिए सहायता का प्रावधान शामिल है।

कश्मीर घाटी में कश्मीरी प्रवासियों के लिए अस्थाई आवास

2.7.25 राज्य सरकार ने पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए जम्मू व कश्मीर के राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में सितम्बर, 2009 में एक शीर्ष सलाहकार समिति का गठन किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कश्मीर प्रवासी बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। भर्ती नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। भर्ती एजेंसी ने चयन को अन्तिम रूप दे दिया है और अब तक 1,441 उम्मीदवारों ने घाटी में पदों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कुलगाम, बारामुला, पुलवामा और कुपवाड़ा में 495 ट्रांसिट आवासों में से दिसम्बर, 2011 तक 335 यूनिटें पूरी हो गई हैं और बाकी यूनिटों का निर्माण प्रगति पर है।

नियंत्रण रेखा पार के लोगों का एक–दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना

2.7.26 भारत सरकार ने नियंत्रण रेखा पार यात्रा करने और जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच नियंत्रण रेखा पार व्यापार करने सहित नियंत्रण रेखा पार के लोगों को एक–दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय शुरु किए हैं। इन दो पहलों की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

नियंत्रण रेखा पार यात्रा

2.7.27 एक–दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किए जाने को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 07.04.2005 से श्रीनगर–मुजफ्फराबाद पाक्षिक बस सेवा शुरु की गई थी और इसके बाद दिनांक 20.06.2006 से पुंछ–रावलकोट मार्ग पर शुरु की गई थी। विश्वास निर्माण के इस उपाय पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण रेखा के दोनों ओर श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्ग की पाक्षिक बस सेवा को क्रमशः दिनांक 11.09.2008 और 08.09.2008 से साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था। दिनांक 31.12.2011 तक जिन यात्रियों ने श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर इन सेवाओं का लाभ उठाया उनकी संख्या क्रमशः 7,194 और 9,811 है।

2.7.28 भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की दिनांक 27.07.2011 को हुई बैठक के दौरान बृहस्पतिवार से सोमवार बस सेवा के दिनों में परिवर्तन करने, पर्यटन और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने सहित नियंत्रण रेखा के दोनों ओर नियंत्रण रेखा के पार यात्रा का विस्तार करने, नामित प्राधिकारियों द्वारा छः माह में अनेक बार नियंत्रण रेखा के आर–पार यात्रा की प्रविष्टि की अनुमति देने आदि सहित नियंत्रण रेखा के दोनों ओर यात्रा को और सरल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। जैसा कि इन बैठकों में निर्णय लिया गया, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच नियंत्रण रेखा के आर–पार की बस सेवा के दिनों को दिनांक 31.10.2011 से बृहस्पतिवार से बदलकर सोमवार कर दिया गया। इसके अलावा अन्य सहमत उपायों के संबंध में क्रिया–पद्धति को तैयार किया जा रहा है।

जे. एंड के. के बीच नियंत्रण रेखा पार व्यापार

2.7.29 दिनांक 23.09.2008 को 63वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के समय भारत के प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दिनांक 21.10.2008 से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरु किया जाए। तदनुसार, श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर 21 अनुमोदित मदों पर शुल्क मुक्त व्यापार दिनांक 21.10.2008 से शुरु हुआ। दिनांक 31.12..2011 तक 8,037 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर गए और 7,241 ट्रक सीमा पार कर हमारे यहां आए। पुंछ–रावलकोट मार्ग पर भी नियंत्रण रेखा पार से व्यापार दिनांक 21.10.2008 से शुरु हुआ। दिनांक 31.12.2011 तक 4,216 ट्रकों ने सीमा पार कर पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश किया और 4,273 ट्रकों ने नियंत्रण रेखा पार कर हमारी ओर प्रवेश किया।

2.7.30 भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की दिनांक 27.07.2011 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दोनों मार्गों पर व्यापार के दिनों की संख्या दिनांक 15.11.2011 से प्रति सप्ताह 2 दिनों से बढ़ा कर चार कर दी गई। नियंत्रण रेखा के आर–पार व्यापार के संबंध में लिए गए अन्य निर्णय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अमरनाथ यात्रा

2.7.31 दिनांक 29.06.2011 को शुरु हुई अमरनाथ यात्रा–2011 दिनांक 13.08.2011 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस वर्ष 6.35 लाख यात्रियों ने दर्शन किए जबकि वर्ष 2010 में 4.58 लाख और वर्ष 2009 में 3.92 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे।

अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर सीआरपीएफ के जवान

जम्मू और कश्मीर की अद्यतन स्थिति

2.7.32 राज्य में हो रहे विकास कार्यों को दर्शाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अनोखी पहल की है जिसमें अक्तूबर, 2009 से जम्मू और कश्मीर की अद्यतन स्थिति नामक एक मासिक समाचार पत्रिका शुरु की है। पत्रिका में राज्य के सभी तीन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें लोगों की उपलब्धियों पर जोर दिया गया है। पत्रिका की साफ्ट प्रति गृह मंत्रालय की वेब साइट (http://mha.gov.in) पर और www.jammuandkashmirupdate.com पर भी उपलब्ध है।

2.7.33 पत्रिका को भागीदारी स्वरूप की बनाने के लिए यह अब खेल–कूद, जोखिम वाले खेलों, अध्ययनों, व्यवसाय, कला, संस्कृति, सकारात्मक कल्याण पहल, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक सद्भावना, शिक्षा आदि क्षेत्रों में फोटोग्राफ सहित सफल कहानियां/विशिष्ट उपलब्धियां आमंत्रित कर रही है। चुनी हुई कहानियों/लेखों को पत्रिका के वेब रूपांतर में प्रकाशित किया जाएगा और उनमें से बेहतरीन सामग्री को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।

2.7.34 जम्मू व कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, श्रीनगर गृह मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करके वर्ष 2008–09 से जम्मू व कश्मीर संबंधी विभिन्न कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

(क) राज्य में कला, संस्कृति एवं भाषा को बढ़ावा देना।

(ख) स्कूल/कालेज जाने वाले बच्चों में रंगमंच, नृत्य, संगीत एवं दृश्य कलाओं से संबंधित कौशल को विकसित करना; और

(ग) जम्मू व कश्मीर की कला एवं संस्कृति को विश्व के समक्ष प्रदर्शित करना।

2.7.35 जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं को प्रदर्शित करने तथा भारत के अन्य भागों के लोगों के साथ जम्मू व कश्मीर के लोगों का भावनात्मक लगाव विकसित करने में सहायता प्रदान करने और एकाकीपन को कम करने में मदद करने के उद्देश्य से, जिसका सृजन उग्रवाद/आतंकवाद के कारण हुआ था, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010–11 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर की सम्मिश्रित मंडली लेने और पूरे देश के सात शहरों में लोक त्योहारों का आयोजन करने के लिए अकादमी को 49.32 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

स्थानीय निकायों के चुनाव और इसका प्रभाव

2.7.36 सत्रह चरण वाला पंचायत चुनाव दिनांक 13.04.2011 को शुरु हुआ और दिनांक 27.06.2011 को संपन्न हुआ। कुल मिलाकर ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। 76.87% के औसत मतदान की सूचना दी गई। चरण–वार मतदान की स्थिति **अनुलग्नक–III** में दी गई है। चूंकि ये चुनाव लगभग दो दशकों बाद हुए, इसलिए ये चुनाव मील के पत्थर थे। ग्रामीण

विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 28.08.2011 को हलका पंचायतों की शक्तियों और कार्यों को सौंपने/निष्पादन के संबंध में आदेश जारी किया।

हताहतों की संख्या को देखते हुए वर्ष 2011 में सुधार देखने में आया है। विगत पांच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा का प्रोफाइल नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2007 से 2011 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति				
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	मारे गए नागरिक
2007	1489	2875	79	498
2008	1561	4318	46	466
2009	1297	3842	42	264
2010	773	3306	20	94
2011	627	3377	32	70

पूर्वोत्तर

2.8.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं, अलग–अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक–आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। कुछेक पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति, जो विभिन्न आतंकवादी गुटों द्वारा की जा रही भिन्न–भिन्न तरह की मांगों के कारण कुछ समय से जटिल बनी रही है, में विगत वर्षों की अवधि की तदनुरूपी तुलना में हिंसा की घटनाओं और सिविलियनों और सुरक्षा बलों के

2.8.2 मिजोरम और सिक्किम शान्तिपूर्ण बने रहे। मेघालय और त्रिपुरा के कुछ भागों में हल्की–फुल्की हिंसा हुई थी। त्रिपुरा, असम, नागालैण्ड और मणिपुर में सुरक्षा स्थिति में वर्ष 2011 में विगत वर्षों की तुलना में हुई हिंसा की घटनाओं और नागरिकों एवं सुरक्षा बल कार्मिकों के हताहत होने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी के साथ सुधार हुआ है। वर्ष 2011 में अरुणाचल प्रदेश राज्य, इसके कुछेक हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होने के बावजूद काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। तथापि, असम और मणिपुर राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हिंसा की अनेकों घटनाओं के क्षेत्र बने रहे। वर्ष 2011 में मेघालय में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। विगत पांच वर्षों (वर्ष 2007 से 2011 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा का राज्य–वार प्रोफाइल का ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

2.8.3 गृह मंत्रालय द्वारा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अन्तर्गत संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम के कुछेक भाग "संरक्षित क्षेत्र" थे। सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों को विदेशियों विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशियों विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अनुसार, केन्द्र सरकार अथवा इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के तहत और इसके अनुसार, को छोड़कर, कोई भी विदेशी ऐसे किसी संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसमें नहीं ठहरेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा समय–समय पर पी ए पी/आर ए पी प्रणाली की छूट के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

2.8.4 मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों में संरक्षित क्षेत्र प्रणाली की अब समीक्षा की गई है और मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों के समग्र क्षेत्र को विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र प्रणाली से कतिपय शर्तों के साथ बाहर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य, विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत संरक्षित क्षेत्र बना रहेगा। इसके अतिरिक्त, सिक्किम के कुछ भाग विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशियों विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के प्रावधानों के तहत बने रहेंगे।

असम

2.8.5 असम में विद्रोही गुटों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं में कमी आने के कारण इस राज्य में वर्ष 2010 के शुरु से सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) (वार्ता–विरोधी), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) (वार्ता–विरोधी), के पी एल टी और अन्य यू जी द्वारा वर्ष 2011 में की गई हिंसा की 145 घटनाओं में सुरक्षा बलों के 14 कार्मिकों सहित कुल 31 व्यक्ति मारे गए जबकि गत वर्ष इसकी तुलना में 251 घटनाओं में सुरक्षा बलों के 12 कार्मिकों सहित 65 व्यक्ति मारे गए थे। यद्यपि युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडेरिटी (यू पी डी एस), दीमा हलम दाओगाह (डी एच डी), डी एच डी/जे, कार्बी लोंगरी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), एन डी एफ बी/पी और उल्फा (वार्ता समर्थक) ने शांति प्रक्रिया के प्रति सार्थक रवैया अपनाया है लेकिन उल्फा से अलग हुए गुट, परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा/ए टी नामक गुट शांति वार्ता के प्रति उदासीन बने रहे। वर्ष के दौरान असम के कार्बी में युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडेरिटी (यू पी डी एस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और संगठन ने स्वयं ही इसे भंग कर दिया। दिनांक 24.01.2012 को असम में सक्रिय विभिन्न नौ गुटों के 681 संवर्गों

ने अपने कमांडरों/महत्वपूर्ण संवर्गों तथा 203 हथियारों के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्य मंत्री के समक्ष असम के कामरूप जिले में आत्मसमर्पण किया। जिन संवर्गों ने आत्मसमर्पण किया उनका ब्यौरा निम्नवत हैः

i. कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) – 62 संवर्ग

ii. हमार पीपुल कनवेंशन (एच पी सी) (डी) – 56 संवर्ग

iii. आदिवासी पीपुल्स आर्मी (ए पी ए)– 55 संवर्ग

iv. संथाल टाइगर फोर्स (एस टी एफ)– 70 संवर्ग

v. आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम (ए सी एम ए) – 120 संवर्ग

vi. बिरसा कमांडो फोर्स (वी सी एफ)– 73 संवर्ग

vii. कुकी लिबरेशन आर्मी (के एल ए)– 70 संवर्ग

viii. आल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (ए ए एन एल ए) – 60 संवर्ग

ix. युनाइटेड कुकीगांव डिफेंस आर्मी (यू के डी ए) – 115 संवर्ग

2.8.6 जिन समूहों ने हिंसा त्यागने के प्रति इच्छा जताई है और जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं उन विभिन्न समूहों के साथ कार्रवाई स्थगन (एस ओ आ) करार पर हस्ताक्षर किए गए। जिन समूहों ने कार्रवाई स्थगन करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वे हैं दीमा हलम दाओगाह

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम और असम के मुख्यमंत्री श्री तरूण गोगोई, यू पी डी एस के साथ समझौता ज्ञापन पर हो रहे हस्ताक्षर को देखते हुए

(डी एच डी)/जे, (डी एच डी)/एन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)/पी, युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), कार्बी लोंगरी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी), कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन (के एन ओ) और युनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यू पी एफ)। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के सभी गुटों के साथ संघर्ष विराम जारी है।

उल्फा के नेता श्री अरविंद राजखोबा केन्द्रीय गृह सचिव श्री आर के सिंह से मुलाकात करते हुए

2.8.7 जो ग्रुप/गुट हिंसा त्यागने और हथियार डालने के लिए तैयार हैं, सरकार उस ग्रुप/गुट के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। असम में डी एच डी, डी एच डी(जे), एन डी एफ बी/पी, के एन एल एफ/उल्फा के साथ और मेघालय में ए एन वी सी के साथ शांति वार्ता जारी है। के एल एन एल एफ, डी एच डी/जे और डी एच डी/एन के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता पूरी हो गई है। इन गुटों के साथ समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होंगे। एन डी एफ बी/पी टी के साथ शांति वार्ता जारी है। उल्फा ने दिनांक 05. 08.2011 को केन्द्रीय गृह मंत्री को अपना विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया है और भारत सरकार के प्रतिनिधि (श्री पी.सी. हलदर) को उल्फा की मांगों पर उनके साथ वार्ता शुरु करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। केन्द्रीय गृह सचिव ने उनकी मांगों के संबंध में दिनांक 25.10.2011 को नई दिल्ली में उल्फा नेताओं के साथ बैठक की।

मणिपुर

2.8.8 मणिपुर अभी भी बड़ी संख्या में आतंकवादी/बागी गुटों की गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। ये समूह प्रतिस्पर्धी मांगों के साथ वंशीय आधारों पर बंटे हुए हैं। मेतेई समूह मुख्य रूप से हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। विगत वर्ष में हुई 406 हिंसात्मक घटनाओं और नागरिकों/सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या की तुलना में वर्ष 2011 में यह घटकर 334 हो गई है। निरन्तर उग्रवाद–रोधी कार्रवाइयों से वर्ष 2011 में 1,677 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, मार गिराया गया और आत्मसमर्पण कराया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, उखरूल, मणिपुर में कार्यालय परिसर का उद्‌घाटन करतें हुए

2.8.9 मणिपुर की छह स्वायत्त जिला परिषदों के चुनाव मई/जून, 2010 में दो चरणों में कराए गए थे जो लगभग 20 वर्षों से नहीं कराए गए थे।

नागालैण्ड

2.8.10 नागालैण्ड में हिंसा मुख्य रुप से विभिन्न दलों के बीच अन्तर–गुटीय झड़पों के रूप में होती रही है। प्रमुख बागी दलों यथा नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक मुइवाह) (एन एस सी एन/आई एम) और नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) (एन एस सी एन) (के) के बीच अन्तर–गुटीय हिंसा की घटना में वर्ष 2011 के दौरान मामूली कमी आई है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011 के दौरान गिरफ्तार किए गए, मारे गए और आत्मसमर्पण कराए गए उग्रवादियों की संख्या भी लगभग समान ही रही है। ऐसा सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाइयों के बेहतर समन्वय और नागा समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा विद्राही समूहों को हिंसा को समाप्त करने एवं शांति कायम करने के लिए आगे आने के लिए सहमत करने के प्रयासों के कारण हुआ। दिसम्बर 2011 माह के दौरान एन एस सी एन (खापलांग) और एन एन सी एन (खोले–किटोवी) गुटों के बीच कई झड़पें हुई जिनमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई। सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की।

2.8.11 छह नागा जनजातियों के एक शीर्ष निकाय, ईस्टर्न नागा पीपुल्स आर्गनाइजेशन (ई एन पी ओ) ने नागालैण्ड के चार पूर्वी जिलों (मों, त्वेनसैंग, किफिरे और लांगलेंग) को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाए जाने और भारत संघ के अंदर विशेष दर्जा देने की मांग उठायी है। नागालैण्ड राज्य सरकार और एन एस सी एन (आई एम) ने ई एन पी ओ की इस मांग का विरोध किया है।

2.8.12 श्री आर.एस. पाण्डे, जिन्हें नागा शान्ति वार्ता हेतु भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, एन एस सी एन (आई/एम) के साथ बातचीत करते रहे हैं।

2.8.13 पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी/बागी गुटों को **अनुलग्नक-V** में दर्शाया गया है।

परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.8.14 अलग–अलग वंशीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता के लिए तैयार है जो चरणबद्ध तरीके से हिंसा को छोड़ने और हथियार डालने के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरुप, जिन दलों ने हिंसा त्यागने की मंशा व्यक्त की और भारत के संविधान की रूपरेखा के तहत अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल चाहा, उन कई ग्रुपों के साथ कार्रवाई स्थगन (एस ओ ओ) करार किए गए।

2.8.15 दीमा हलम दावोगाह (डी एच डी), नुनिसा ग्रुप, जो असम का एक उग्रवादी गुट है, आगे आया और उसने हिंसा त्यागने की इच्छा जताई और इसने भारत के संविधान के ढांचे के अंदर अपनी समस्याओं का शांतिपूर्वक हल ढूंढने का अनुरोध किया। सुरक्षा बलों और डी एच डी (नुनिसा ग्रुप) के बीच कार्रवाई स्थगन (एस ओ ओ) पर सहमति हो गई थी और यह 01.01.2003 से प्रभावी है। डी एच डी के साथ हस्ताक्षिरत कार्रवाई स्थगन समझौता के सहमत मूल नियमों में सख्त शर्तों के साथ संशोधन किया गया है और यह 30.06.2012 तक वैध है।

2.8.16 भारत सरकार और असम सरकार और एन डी एफ बी के बीच कार्रवाई स्थगन (एस ओ ओ) करार पर हस्ताक्षर दिनांक 24.05.2005 को किए गऐ थे और यह 01.06.2005 से प्रभावी है। कार्रवाई स्थगन करार को समय–समय पर बढ़ाया गया है। एन.डी.एफ.बी. के साथ हस्ताक्षरित कार्रवाई स्थगन करार के सहमत मूल नियमों में सख्त शर्तों के साथ संशोधन किया गया है और यह 31.06.2012 तक वैध है।

2.8.17 सरकार ने दिनांक 23.07.2004 से मेघालय में अचिक नेशनल वॉलन्टियर कौंसिल (ए एन वी सी) के साथ कार्रवाई स्थगन करार पर हस्ताक्षर किया है। इस संगठन के साथ यह एस ओ ओ करार 30.09.2012 तक वैध है।

2.8.18 श्री पी.सी. हलदर, जिन्हें डी एच डी (नुनिसा), डी एच डी (जोवेल), एन डी एफ बी और ए एन बी सी के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, ने इन संगठनों के साथ शान्तिवार्ता जारी रखी।

2.8.19 मणिपुर में कुकी संगठनों के साथ कार्रवाई स्थगन करार (एस ओ ओ) हस्ताक्षरित किया गया है जो 23.08.2008 से प्रभावी है और 21.08.2012 तक वैध है।

2.8.20 इन संगठनों के संबंध में सहमत मूल नियमों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा, भारत सरकार, राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों वाले एक संयुक्त निगरानी दल द्वारा की जाती है।

2.8.21 सम्पूर्ण मणिपुर राज्य (इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर), नागालैण्ड एवं असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिले और अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय राज्यों में 20 किमी. की पट्टी असम के साथ साझा सीमा है, जिसे 1972 में यथा संशोधित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है। त्रिपुरा सरकार ने 34 पुलिस थानों के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को और 6 पुलिस थानों के अन्तर्गत, कुछ क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिया है।

2.8.22 केन्द्र सरकार ने उग्रवाद दमन कार्रवाई करने और सुभेद्य स्थापनाओं एवं संस्थानों में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य पाधिकारियों की मदद हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती की है। केन्द्र सरकार ने सतत आधार पर आसूचना का आदान–प्रदान भी किया, पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के तहत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी और सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के जरिए सुरक्षा उपकरणों एवं उग्रवाद दमन कार्रवाईयों के विविध पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की । इण्डिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करने के लिए भी राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

इंडिया रिजर्व (आई आर) बटालियनों का गठन

2.8.23 भारत सरकार, विद्रोह/उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों को संवर्धित और उन्नत बनाने के लिए उनकी मदद करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 51 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें शामिल हैं; असम, त्रिपुरा और मणिपुर में प्रत्येक के लिए 9, नागालैण्ड के लिए 7, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में प्रत्येक के लिए पाँच–पाँच, मेघालय के लिए 4 तथा सिक्किम के लिए 3 बटालियनें। मंजूर की गईं 51 बटालियनों में से 48 इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कर दिया गया है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति

2.8.24 केन्द्र सरकार उग्रवाद/विद्रोह द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र

के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सी ए पी एफ को प्रदान किए गए संभार तंत्र, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अदायगी एवं सहानुभूति राहत, अभियानों में पी ओ एल (पैट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकेन्ट) पर किए गए खर्च का 75% तथा सुरक्षा उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किए गए मानदेय, ऐसे उग्रवादी गुटों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर खर्च किए गए व्यय जैसी विभिन्न मदों पर उनके द्वारा खर्च किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

2.8.25 विगत दस वर्षों के दौरान एस आर ई स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी सहायता के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक-VI** में दिए गए हैं।

2.8.26 सुरक्षा से संबंधित व्यय (एस आर आई) की प्रतिपूर्ति योजना के तहत ग्राम रक्षा दलों (वी डी पी)/ग्राम गार्डों (वी जी)/विशेष पुलिस अधिकारियों (एस पी ओ) पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी संबंधित राज्य सरकारों को की जा रही है। उग्रवाद से प्रभावित प्रत्येक राज्य में एस आर ई योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र वी डी पी/वी जी/एसपीओ की संख्या, प्रतिपूर्ति किए जाने से पहले गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जानी होती है। वी डी पी/वी जी/एसपीओ की तैनाती असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में की गई है। वी डी पी/वी जी/एसपीओ के कर्तव्यों में परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ आसूचना एकत्र करने में राज्य पुलिस की सहायता करना शामिल है। राज्य सरकारें विभिन्न दरों पर वी डी पी/वी जी/एसपीओ को मानदेय का भुगतान कर रही हैं। तथापि, एस आर ई योजना के तहत प्रतिपूर्ति किए जाने के प्रयोजनार्थ वी डी पी/वी जी/एसपीओ को 500 रूपए प्रतिमाह की दर से दिया जा रहा मानदेय दिनांक 08.12.2010 से बढ़ा कर 1,500 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास संबंधी योजना में संशोधन

2.8.27 गृह मंत्रालय, दिनांक 01.04.1998 से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास संबंधी एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को अब संशोधित कर दिया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार :

(i) प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता को 1.5 लाख रुपए का तत्काल अनुदान दिया जाएगा जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पणकर्ता के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय कोलैटरल सिक्यूरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

(ii) दिनांक 01.12.2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता के वजीफे को 2,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रतिमाह करना। राज्य सरकारें, यदि लाभार्थियों को एक वर्ष के बाद समर्थन देना अपेक्षित समझती हैं; तो गृह मंत्रालय से परामर्श कर सकती हैं; और

(iii) आत्मसमर्पणकर्ताओं को स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान करना।

2.8.28 वर्ष 2005 से 2011 तक जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया उनकी संख्या नीचे दी गई है:–

वर्ष	उग्रवादियों की संख्या
2005	555
2006	1430
2007	524
2008	1112
2009	1109
2010	846
2011	1122

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एम पी एफ)

2.8.29 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ, निगरानी, संचार, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि हेतु आधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति, हथियार, वाहनों, कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण आधारभूत संरचना तथा पुलिस आधारभूत संरचना जैसे कि आवास/पुलिस स्टेशन/बाह्य चौकियों/बैरक आदि के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। एम पी एफ योजना के अन्तर्गत सभी पूर्वोत्तर राज्य, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए अपनी अनुमोदित वार्षिक योजना हेतु 100% केन्द्रीय सहायता पाने के हकदार हैं। वर्ष 2000–01 से लेकर अब तक राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अन्तर्गत नगद/वस्तु रूप में निर्गत की गई निधि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है।

ब्रू प्रवासियों की त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी

2.8.30 अक्तूबर, 1997 में मिजोरम के पश्चिम भाग में नृजातीय हिंसा होने के कारण 30,000 से अधिक अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) जनजातीय लोग, जो अधिकांशतः पश्चिम मिजोरम के हैं, वर्ष 1997–98 से उत्तरी त्रिपुरा में पलायन कर गए हैं। इन्हें त्रिपुरा के छः राहत शिविरों अर्थात् नैसिंगपारा, असोपारा, खाक्वांगपारा, हजचेरा, कोइस्काऊ और हम्सपारा में आश्रय दिया गया है। वर्ष 2005 एवं 2006 में बी एन एल एफ के 195 कैडरों तथा बी एल एफ एम के 857 कैडरों ने मिजोरम सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्हें तब से गृह मंत्रालय द्वारा मिजोरम सरकार को अनुदान सहायता प्रदान कर मिजोरम में पुनर्वासित किया गया है।

2.8.31 विभिन्न बैठकों के माध्यम से निरंतर प्रयास/अनुरोधों के परिणामस्वरूप मिजोरम राज्य सरकार इस बात पर सहमत हुई कि पहले चरण में उन ब्रू प्रवासियों को वापस मिजोरम भेजा जाएगा जिनके नाम मिजोरम की निर्वाचन सूची में हैं। पहले चरण में ब्रू प्रवासियों को त्रिपुरा से मिजोरम वापस भेजने का कार्य नवम्बर, 2009 में शुरु किया जाना था लेकिन शरारती तत्वों द्वारा मिजोरम की पश्चिम पट्टी में कुछ ब्रू हटमेंट्स जलाए जाने के बाद दिनांक 13.11.2009 को संदिग्ध ब्रू उग्रवादियों द्वारा मिजो युवाओं की हत्या कर दिए जाने के कारण यह कार्य वर्ष 2009 में शुरु नहीं किया जा सका। इस घटना के परिणामस्वरूप नवम्बर, 2009 में 462 ब्रू त्रिपुरा भाग गए। गृह मंत्रालय और मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण जो ब्रू नवम्बर, 2009 में त्रिपुरा भाग गए थे वे अब मिजोरम वापस आ रहे हैं। अब तक लगभग 785 ब्रू परिवार (लगभग 4,000 लोग) मिजोरम वापस भेज दिए गए हैं। यह मिजोरम और त्रिपुरा से नवम्बर, 2009 की नई हिंसा के कारण विस्थापित लगभग 462 ब्रू परिवारों को वापस भेजने के अलावा है। ब्रू लोगों को वापस भेजने के दूसरे चरण के लिए मिजोरम सरकार रोड–मैप तैयार कर रही है।

2.8.32 गृह मंत्रालय, प्रवासियों के भरण–पोषण के लिए त्रिपुरा सरकार को अनुदान सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष 2011–12 में त्रिपुरा के विभिन्न राहत शिविरों में रखे गए ब्रू लोगों के भरण–पोषण के लिए अगस्त, 2011 में 12.50 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा, मिजोरम में ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान मिजोरम सरकार को 9.97 करोड़ रूपए जारी किए गए थे।

पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकाप्टर सेवा

2.8.33 शेष भारत के साथ दूर–दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और इन क्षेत्रों को हवाई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की सब्सिडी से योजनेतर स्कीम के तहत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में हेलीकाप्टर सेवायें प्रदान की जा रही हैं। सब्सिडी का भाग, यात्रियों से प्राप्त की गई राशि का समायोजन करने के बाद परिचालनात्मक लागत के 75% तक सीमित है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक हेलीकाप्टर के उड़ने के घंटों की सीमा निश्चित की गई है।

2.8.34 पांच राज्यों में हेलीकाप्टर सेवायें चलाने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है:

राज्य सरकारों द्वारा पट्टे पर लिए गये हेलीकाप्टर	हेलीकाप्टर की किस्म	प्रति वर्ष मंजूर किए गए उड़ने के घटों की संख्या
त्रिपुरा	बैल –406 एक इंजन	480
अरुणाचल पदेश	प्रथम एम आई–172	960
	द्वितीय एम आई–172	1200
	बैल–412 दो इंजन	1300
सिक्किम	बैल–405 एक इंजन/दो इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बैल दो इंजन	480

2.8.35 सब्सिडी सीमित करने के प्रयोजनार्थ ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में चल रही हेलीकाप्टर सेवा के उड़ने के घंटों की वार्षिक सीमा निश्चित की गई है। तथापि, राज्य सरकारों को उड़ने के घंटों की अधिकतम सीमा से अधिक हेलीकाप्टर सेवा परिचालित करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इन राज्यों में चल रही प्रत्येक प्रकार की हेलीकाप्टर सेवा के लिए निश्चित की गई उड़ने की सीमा पर सब्सिडी की सीमा लागू रहेगी। गृह मंत्रालय की सब्सिडी का समायोजन करने के बाद हेलीकाप्टर सेवायें चलाने के लिए शेष राशि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। वर्ष 2011–12 के लिए 40 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान की तुलना में 33 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं और आर ई 2011–12 में 20 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।

2.8.36 उपर्युक्त हेलीकाप्टर सेवाओं के अलावा गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए गुवाहाटी स्थित दो इंजन वाले हेलीकाप्टर चलाती है।

वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई)

सिंहावलोकन

2.9.1 देश के कतिपय भागों में विगत कुछ दशकों से अनेक वामपंथी उग्रवादी ग्रुप सक्रिय हैं। वर्ष 2004 में हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में, आन्ध्र प्रदेश में तब सक्रिय पीपुल्स वार ग्रुप (पी डब्ल्यू जी) और बिहार और उससे सटे क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एम सी सी आई) का विलय सी पी आई (माओवादी) के रूप में हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) विभिन्न वामपंथी उग्रवादी समूहों में सर्वाधिक प्रभुत्वशाली और हिंसक समूह रहा जो कुल वामपंथी उग्रवादी घटनाओं के 90% से अधिक तथा परिणामी हत्याओं के 95% के लिए जिम्मेदार है। वामपंथी उग्रवदी हिंसा का राज्य–वार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है:

वर्ष 2008 से 2011 के दौरान वामपंथी उग्रवादी हिंसा का राज्य–वार ब्यौरा								
राज्य	2008		2009		2010		2011	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आन्ध्र प्रदेश	92	46	66	18	100	24	54	09
बिहार	164	73	232	72	307	97	314	62
छत्तीसगढ़	620	242	529	290	625	343	465	204
झारखंड	484	207	742	208	501	157	517	182
मध्य प्रदेश	07	0	1	0	7	1	08	00
महाराष्ट्र	68	22	154	93	94	45	109	54
ओडिशा	103	101	266	67	218	79	192	53
उत्तर प्रदेश	04	0	8	2	6	1	01	00
पश्चिम बंगाल	35	26	255	158	350	258	90	41
अन्य	14	4	5	0	5	0	05	01
कुल	**1591**	**721**	**2258**	**908**	**2213**	**1005**	**1755**	**606**

सी पी आई (माओवादी) पर प्रतिबंध

2.9.2 सी पी आई (माओवादी), जो वामपंथी उग्रवादी हिंसा की सर्वाधिक घटनाओं/हत्याओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को वर्तमान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इसके सभी गुटों और संगठनों के साथ आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

सरकार की नीति

2.9.3 सरकार की नीति सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार, प्रशासन और लोक अवबोधन में सुधार के क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से समग्र तरीके से निपटने की है। दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने में, विभिन्न उच्च स्तरीय विचार–विमर्शों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्कों के बाद, यह उपयुक्त समझा गया है कि तुलनात्मक रूप से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए अभिप्रेत एक एकीकृत नीति से ही परिणाम हासिल होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवादी हिंसा के संबंध में विस्तार और प्रवृत्तियों का एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है तथा नौ राज्यों में 83 प्रभावित जिलों को सुरक्षा की स्थिति और विकास योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए विशेष ध्यान दिए जाने हेतु अभिनिर्धारित किया गया है।

2.9.4 सरकार का दृष्टिकोण एवं नीति यह है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक पूर्णतया पुलिस एवं

सुरक्षा उन्मुखी नीति पर्याप्त नहीं है। यद्यपि राज्य सरकारों के लिए उग्रवादियों के विरुद्ध सक्रिय (प्रो–एक्टिव) एवं सतत अभियान चलाना जरुरी है और इसके लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए, साथ ही विकास एवं सुशासन मुद्दों, खासकर बुनियादी स्तर पर, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं जैसे कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आश्रम स्कूल, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना और सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का विशेष महत्व है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा निकट से नजर रखी जाती है। चुने हुए 78 जिलों में एकीकृत कार्य योजना के कार्यान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

समीक्षा एवं अनुवीक्षण तंत्र

2.9.5 वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) की स्थिति के विभिन्न पहलुओं और उनसे निपटने के उपायों के संदर्भ में अनेक समीक्षा और अनुवीक्षण तंत्र भी स्थापित किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) राजनीतिक, सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर वामपंथी उग्रवादी समस्या से निपटने के लिए समन्वित नीति और विशिष्ट उपायों का आकलन करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति।

(ii) कई प्रकार के विकास एवं सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव के तहत एक समीक्षा समूह (पूर्व कथित कार्य बल)।

(iii) जिन राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों द्वारा किया गया, वहाँ राज्य सरकारों के प्रयासों की समीक्षा एवं उनका समन्वय करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र की स्थापना करना।

(iv) एल डब्ल्यू ई–रोधी प्रयासों की निगरानी और समन्वय करने के लिए आसूचना एजेंसियों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यबल का गठन करना।

(v) तेजी से विकास करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जरुरतों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों और प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान निर्देशों को हटाने या उनमें संशोधन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा क्षमता निर्माण

2.9.6 वामपंथी उग्रवाद की स्थिति से निपटने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें समन्वित प्रयास करने होते हैं। पूर्व उल्लिखित विभिन्न समीक्षाओं एवं चर्चाओं में राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया गया हैः–

(i) राज्य पुलिस बल (पुलिस–आबादी अनुपात के संदर्भ में) का संवर्धन करने के लिए समय–बद्ध कार्रवाई और खासकर वामपंथी उग्रवादी हिंसा से प्रभावित पुलिस स्टेशनों/क्षेत्रों में मौजूदा रिक्तियों को भरना।

(ii) इन क्षेत्रों में तैनात पदाधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन विकसित करना और इन क्षेत्रों में तैनात पदाधिकारियों के लिए रोटेशन नीति तैयार करना।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करना कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस थानों और बाह्य चौकियों को सुरक्षित पुलिस थाना भवन (परिधि सुरक्षायुक्त), बैरकों, आर्मरी और मैस सुविधाओं के रूप में जरुरी अवस्थापना सुविधाएं मुहैया करवाना।

(iv) राज्य पुलिस के एक समुचित संघटक को विशेष कमांडो/जंगल युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देना जिसके लिए राज्य के अंदर ही प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएं और अंतरिम समय में सेना, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और यथा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर रहे अन्य राज्यों के साथ गठबंधन करना।

(v) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिये जाने के साथ राज्य में आसूचना एकत्र करने की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।

(vi) विभिन्न प्रकार के पुलिस और सुरक्षा बल अभियानों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं अपनाना ताकि संभावित हमलों के पूर्व प्रयासों को टाला जा सके और हताहतों की संख्या को कम से कम किया जा सके।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, राजस्व और अन्य विकास विभागों जैसे मुख्य विभागों के क्षेत्रगत एवं मध्यवर्ती स्तर के कार्यकर्ता जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकें और जनता की उन तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसमें न केवल पदों/रिक्तियों का भरा जाना शामिल होगा वरन् उनकी तैनाती के क्षेत्र में उनके ठहरने संबंधी व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएंगी।

(viii) प्रभावित क्षेत्रों में संवदेनशील अवस्थापना एवं विकास परियोजनाओं तथा संवदेनशील अवस्थापना अंतरालों खासकर संयोजकता के क्षेत्र में, की पहचान करना और इन परियोजनाओं का समय से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कार्य योजनाएं बनाना।

(ix) जनता का स्थानीय प्रशासन तंत्र में विश्वास सृजित करने और समग्र सकारात्मक माहौल बनाने के लिए लोक शिकायत निवारण, व्यापक जन–संपर्क एवं जन–जागरुकता के लिए तंत्र बनाना।

(x) सुविचारित रणनीति के तहत एक प्रचार एवं दुष्प्रचार–रोधी अभियान चलाया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपाय

2.9.7 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' चूंकि राज्य के विषय हैं, अतः कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना प्राथमिकतः उन्हीं संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है, जो राज्यों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मामलों से निपटती हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और कई तरीके से उनके प्रयासों में समन्वय और सहायता प्रदान करती है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) तथा कमाण्डो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) को मुहैया कराया जाना; इण्डिया रिजर्व (आई आर) बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना, विद्रोह–रोधी एवं आतंकवाद–विरोधी (सी आई ए टी) विद्यालयों की स्थापना करना; राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ स्कीम) के अन्तर्गत राज्य पुलिस एवं उनके आसूचना तंत्र को आधुनिक बनाना तथा उन्नत करना; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना के अन्तर्गत मुख्य अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना; रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना; आसूचना का आदान–प्रदान करना; अन्तर–राज्यीय समन्वय की सुविधा प्रदान करना; विशेष अन्तरा–राज्यीय एवं अन्तर–राज्यीय समन्वित संयुक्त कार्रवाइयों में सहायता करना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एवं नागरिक कार्रवाइयों में सहायता देना तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की श्रृंखलाबद्ध योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना शामिल है।

भारत सरकार के हस्तक्षेप

क) सुरक्षा से संबंधित

(i) राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण

2.9.8 राज्यों को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत आधुनिक हथियार, नवीनतम संचार

उपकरण, आवाजाही तथा अन्य अवसंरचना के मामले में अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए निधि प्रदान की जाती है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को भी कहा गया है कि वे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में संवेदनशील पुलिस थानों तथा चौकियों का अभिनिर्धारण करें और इस योजना के अन्तर्गत उनकी किलेबंदी करें। हालांकि, इस योजना के अन्तर्गत कुछ राज्यों को निधि की उपयोगिता के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है।

(ii) सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना

2.9.9 सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत, सुरक्षा बलों का बीमा, प्रशिक्षण तथा संचालनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित आवर्ती व्यय के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुरुप आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों द्वारा सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्री के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010–11 में इस योजना के तहत 315.17 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे। योजना के तहत वर्ष 2011–12 में 250 करोड़ रूपए के बजट अनुमान का प्रावधान किया गया है।

(iii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती

2.9.10 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए इस समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 74 बटालियनें और कोबरा टीमें तैनात हैं।

(iv) इंडिया रिजर्व बटालियनें

2.9.11 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को राज्य के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए इंडिया रिजर्व (आई आर) बटालियनें मंजूर की गई हैं। नक्सल प्रभावित 9 राज्यों को 37 इंडिया रिजर्व (आई आर) बटालियनें मंजूर की गई थीं जिनमें से 34 का गठन हो चुका है। जिन आई आर बटालियनों का अभी गठन नहीं हुआ है उनमें आन्ध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के लिए एक–एक बटालियन है जिन्हें विशेषज्ञ इंडिया रिजर्व बटालियन (एस आई आर बी) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने बिहार (2), छत्तीसगढ़ (2), झारखंड (1), मध्य प्रदेश (1), ओडिशा (3) और पश्चिम बंगाल (1) के एल डब्ल्यू ई राज्यों में 10 नई एस आई आर बी गठित किए जाने का अनुमोदन किया है जिन्हें वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान गठित किया जाना है।

(v) कोबरा बटालियन

2.9.12 वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) के एक भाग के रूप में कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) नामक विशेषज्ञ बल की दस बटालियनों का गठन विद्रोह–रोधी और जंगल युद्ध कार्रवाइयों के लिए किया गया है। इन कोबरा बटालियनों की तैनाती एल डब्ल्यू ई प्रभावित राज्यों में की गई है।

(vi) सी आई ए टी विद्यालय

2.9.13 11वीं योजना अवधि के दौरान एल डब्ल्यू ई प्रभावित राज्यों में विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सी आई ए टी) 20 विद्यालय स्थापित किए जाने के लिए एक योजना का अनुमोदन किया गया था जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और असम राज्य के लिए प्रत्येक के लिए चार–चार विद्यालय थे। इन विद्यालयों में पुलिस कार्मिकों को आतंकवाद/नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। गृह मंत्रालय, प्रत्येक विद्यालय के लिए अस्थाई अवसरंचना का विकास करने के लिए 1.5 करोड़ रूपए की राशि प्रदान कर रहा है, गृह मंत्रालय, प्रशिक्षकों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय के संबंध में किए जा रहे आवर्ती व्यय को भी वहन कर रहा है; और सी आई ए टी विद्यालय चलाने के लिए प्रशासनिक सहायता और हथियार, गोलीबारुद, सहायक मानवशक्ति आदि जैसे आवश्यक प्रशिक्षण उपस्कर भी प्रदान करेगा।

2.9.14 राज्यों को मंजूर किए गए सी आई ए टी विद्यालयों की संख्या के संबंध में वर्तमान स्थिति निम्नवत है:

राज्य का नाम	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन
असम	4	3
बिहार	4	3
छत्तीसगढ़	4	4
झारखंड	4	4
ओडिशा	4	3
पश्चिम बंगाल	–	1
मणिपुर	–	1
त्रिपुरा	–	1
नागालैंड	–	1
कुल	**20**	**21**

(vii) विशेष अवसंरचना संबंधी योजना

2.9.15 ऐसे महत्वपूर्ण अवसंरचना अन्तराल, जिन्हें विद्यमान योजनाओं के तहत कवर नहीं किया जा सका, को पाटने के लिए 500 करोड़ रुपए के आबंटन से ग्यारहवीं योजनावधि में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना अनुमोदित की गई थी। ये अन्तराल अगम क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों/रास्तों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों की आवाजाही की अपेक्षा, दूर–दराज एवं बीहड़ क्षेत्र में सामरिक स्थानों में सुरक्षित कैम्पिंग स्थल और हेलीपैड उपलब्ध कराने, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों/चौकियों की सुरक्षा को बढ़ाने आदि से संबंधित हो सकते हैं। इस योजना के तहत राज्यों को अब तक 374.52 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं (वर्ष 2008–09 में 100 करोड़ रुपए, वर्ष 2009–10 में 30 करोड़ रुपए, वर्ष 2010–11 में 130 करोड़ रुपए और वर्ष 2011–12 में 114.52 करोड़ रूपए)।

(viii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) में भर्ती

2.9.16 कर्मठ युवाओं को आतंकवाद या वामपंथी उग्रवाद की राहों से निकाल कर बाहर लाने के क्रम में, भर्ती संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया गया है जिससे कि सी ए पी एफ में 40% भर्ती सीमा क्षेत्रों तथा आतंकवाद या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से की जा सके।

(ix) सुरक्षित पुलिस स्टेशन

2.9.17 केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के पुलिस स्टेशनों को इस समय के

आवंटनों के कमोबेस 80:20 के आधार पर प्रत्येक पुलिस स्टेशन को 2 करोड़ रूपए की दर से 400 पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित बनाने के लिए निर्माण/उनके सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने की एक नई योजना शुरु की है। इस योजना के तहत वर्ष 2010–11 के दौरान 10 करोड़ रूपए जारी किए गए थे और चालू वर्ष के दौरान अब तक 110 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।

ख) विकास संबंधी

2.9.18(i) **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी**: योजना आयोग, प्रबंधन सूचना पणाली (एम आई एस) (http://pcserver.nic.in/we) के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ध्यानाकर्षित जिलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है और वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करता रहा है:

क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई);

ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम);

ग) आश्रम विद्यालय;

घ) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा);

ङ) सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए);

च) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी);

छ) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी ई)

ज) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस)

झ) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

ञ) अनुसूचित जन जातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन–अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 ।

(ii) योजना आयोग तेजी से विकास करने के लिए चुने हुए 60 जिलों में एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य, एल डब्ल्यू ई प्रभावित/आस–पास के 60 जिलों में लोक अवसरंचना और सेवा प्रदान करना है। इस योजना को 18 और एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों तक बढ़ा दिया गया है जिससे इनकी कुल संख्या 78 हो गई है। वर्ष 2010–11 के दौरान संबंधित जिलों को 1,500 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2011–12 के दौरान अब तक 1,090 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एल डब्ल्यू ई क्षेत्रों के लिए 7,300 करोड़ रूपए की सड़क आवश्यकता योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत इन क्षेत्रों में जो

सड़कें संपर्क स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें शुरु किया गया है। 10,700 करोड़ रूपए की लागत पर सड़क आवश्यकता योजना के चरण–।। की सिफारिश गृह मंत्रालय द्वारा की गई है।

(iv) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के तहत एल डब्ल्यू ई प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुलों की अधिकतम लम्बाई के मानदंडों में छूट दे कर उसे 50 मीटर से बढ़ा कर 75 मीटर और पी एम जी एस वाई के तहत रिहायशी कवरेज के जनसंख्या मानदंडों में 500 की जनसंख्या को 250 कर दिया गया है। इसके अलावा पी एम जी एस वाई के तहत निविदा पैकेज की न्यूनतम राशि भी घटा कर 50 लाख रूपए कर दी गई है।

(v) अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों तथा जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के लिए हास्टल स्थापित करने हेतु 100% अनुदान आधार पर निधियों का प्रावधान किया गया है (एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों के लिए 50:50 के अनुपात की तुलना में अनुमोदित किया गया है)।

(vi) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने स्कूल, डिस्पेंसरी/अस्पताल, विद्युत और दूर संचार लाइनों, पेय जल, जल/वर्षा के जल को एकत्र करने के ढांचे, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब–स्टेशन, ग्रामीण सड़क, संचार पोस्ट जैसे क्रियाकलापों; और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/सीमावर्ती चौकी/निगरानी चौकी आदि जैसी पुलिस स्थापनाओं और आप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन लाइन तथा पेयजल आपूर्ति लाइनें बिछाने के लिए एल डब्ल्यू ई प्रभावित क्षेत्रों में 1.00 हेक्टेयर से 5.00 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन किया है।

(vii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि 60 आई ए पी जिलों के लिए उक्त सामान्य अनुमोदन के अनुसरण में जिस वन भूमि का निपटान किया गया है उसके बदले कोई वृक्षारोपण मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

(viii) इकॉनामिक स्टिमुलस पैकेज के एक भाग के रूप में इंदिरा आवास योजना के तहत सामान्य आवंटन के अतिरिक्त एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों को वर्ष 2008–09 में 412.91 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2009–10 में 412.90 करोड़ रूपए की दूसरी खेप जारी की गई थी। चालू वर्ष के दौरान अब तक 462.04 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।

(ix) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों के लिए आई ए वाई मकान की प्रति यूनिट लागत की अधिकतम सीमा 45,000 रूपए

से बढ़ा कर 48,000 रूपए कर दी गई है।

(x) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी ई एस ए) और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बार–बार कहा जाता रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी), लघु वन उत्पाद (एम एफ पी) के मूल्य संवर्धन और विपणन के पहलुओं की जांच करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

(xi) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के तहत और निधियां जारी किए जाने के लिए निधियों के 80% उपयोग की सीमा में संशोधन करके उसे 60% उपयोग कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन किया गया है कि बी आर जी एफ के तहत राज्य से स्थानीय निकायों को तेजी से निधियां जारी की जा सकें। इसके अलावा जिला आयोजना समिति को बी आर जी एफ के तहत जिला योजनायें अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) निगरानी समिति के रूप में कार्य करेगी और विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी।

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.9.19 इस योजना के तहत एल डब्ल्यू ई प्रभावित राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम शुरु करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) को वित्तीय अनुदान मंजूर किया जाता है। यह एक सफल योजना है जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध स्थापित करना है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई है जिसमें से अब तक सी ए पी एफ को 14.20 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी गई है।

आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति

2.9.20 वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–एवं–पुनर्वास संबंधी दिशानिर्देशों को तैयार कर लिया गया है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ–साथ तीन वर्षों के लिए 2,000 रुपए का वजीफा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, 1.5 लाख रुपए का तत्काल अनुदान और हथियारों को सौंपने पर प्रोत्साहन शामिल हैं।

आतंकवादी और साम्प्रदायिक हिंसा से पीड़ित नागरिकों/पीड़ितों के परिवार को सहायता देने के लिए केन्द्रीय योजना

2.9.21 इस योजना का व्यापक उद्देश्य आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं नक्सली हिंसा से पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत किसी घटना विशेष में किसी परिवार के मृतकों की संख्या चाहे कुछ भी हो, प्रभावित परिवार को 3 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती हैं। तथापि, यदि किसी परिवार का आजीविका

अर्जित करने वाला व्यक्ति और परिवार का मुखिया अलग–अलग घटनाओं/अवसरों पर मारा जाता है/स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है तो उसका परिवार प्रत्येक अवसर पर सहायता पाने का हकदार होगा। इस योजना के अंतर्गत नक्सली हिंसा के लाभार्थियों को दी गई सहायता, सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत प्रदत्त 1 लाख रूपए के अनुग्रह भुगतान के अतिरिक्त है।

निष्कर्ष

2.9.22 भारत सरकार का यह विश्वास है कि विकास, सुरक्षा और वन अधिकार संबंधी हस्तक्षेपों को मिलाकर एल डब्ल्यू ई से संबंधित समस्या को सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि माओवादी यह नहीं चाहते हैं कि अल्पविकास जैसे मूल कारणों को अर्थपूर्ण ढंग से दूर किया जाए क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेलवे, पुलों, स्वास्थ्य अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को अपना निशाना बनाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र के लोग उपेक्षित रहें ताकि वे अपनी पुरानी आदर्शवादिता को उन पर जबरन लाद सकें। इसके परिणामस्वरूप एल डब्ल्यू ई प्रभावित देश के विभिन्न भागों में दशकों से विकास कार्य पिछड़ गया है। माओवादियों पर दबाव बनाने के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया के लिए यह मानना आवश्यक है ताकि वे हिंसा छोड़ दें, मुख्य धारा में शामिल हों और इस तथ्य को मानें कि सामाजिक–आर्थिक और राजनीति विकास तथा 21वीं सदी के भारत की आशायें, माओवादियों की विचार–धारा से कहीं अलग हैं।

आन्तरिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु किए गए उपाय

2.10.1 चल रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में केन्द्र एवं राज्य स्तर दोनों पर आसूचना एवं सुरक्षा एजेन्सियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाने और उन्नत करने के साथ–साथ केंद्रीय एजेन्सियों एवं राज्य सरकारों के बीच सूचना के आदान–प्रदान एवं संचालनात्मक समन्वय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में मल्टी एजेंसी सेंटर और राज्य विशेष शाखाओं के बीच सुरक्षा संबंधों का विस्तार शामिल है (223 स्थानों को जोड़ा गया है)।

नेटग्रिड (राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड) की स्थापना

2.10.2 गृह मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में अपैल, 2010 में नेटग्रिड (राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड) की स्थापना की गई है। नेटग्रिड, आतंकवाद और आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना तैयार करने के लिए डाटा–बेसों का संयोजन करेगा। इसलिए, नेटग्रिड की स्थापना एक ऐसी सुविधा का सृजन करने के लिए की गयी है जो आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता को समुन्नत करे।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2.10.3 आंतरिक सुरक्षा के संबंध में दिनांक 01.02.2011 को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इससे पहले हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उभर कर सामने आए कार्य बिन्दुओं की समीक्षा की गई और देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए और कार्य बिंदुओं की पहचान की गई।

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम, आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वागत भाषण देते हुए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए)

2.10.4 राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम को दिनांक 31.12.2008 को अधिनियमित और अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन दिनांक 31.12.2008 को किया गया था। विभिन्न स्तरों पर सृजित कुल 388 पदों के साथ एन आई ए, महानिदेशक के अधीन कार्य कर रहा है। इन 388 पदों में से 278 पद नई दिल्ली स्थित एन आई ए के मुख्यालय के लिए हैं और 110 पद हैदराबाद स्थित एन आई ए के शाखा कार्यालय के लिए हैं। मुख्यालय से 17 पदों को स्थानांतरित करके एक नया शाखा कार्यालय गुवाहाटी में कार्य कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35 विशेष अदालतें अधिसूचित की गई हैं। जाँच–पड़ताल के लिए एन आई ए को 35 मामले सौंपे गए हैं। इन मामलों में से 21 मामलों में चार्ज शीट दायर कर दी गई है। चार्ज–शीट किए गए 21 मामलों में से अदालत ने दो मामलों में निर्णय सुना दिया है जिनमें दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया गया है। आतंकवादियों को धनराशि मुहैया कराने के सिलसिले में 18 खातों को बंद कर दिया गया है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ ए टी एफ)

2.10.5 काले धन को वैध करने और आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने से रोकने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ ए टी एफ) ने कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों मे विशेष परिस्थितियों और विभिन्न देशों के संवैधानिक ढांचे के अनुसार कार्रवाई करने और इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इन सिफारिशों को विधायन और अन्य विधिक उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाना अभिप्रेत है। सभी देशों के आतंकवादी

क्रियाकलापों और काले धन को वैध करने से संबंधित विधायी ढांचे की एफ ए टी एफ द्वारा निरंतर रूप से समीक्षा की जा रही है।

2.10.6 चुनौतियों का सामना करने के लिए एफ ए टी एफ की प्रतिबद्धताओं और अंतर–मंत्रालयी समूह (आई एम जी) की सिफारिशों को पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया जाए और संशोधित विधेयक को दिनांक 29.12.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाए। इसे समिति को भेज दिया गया है।

सुरक्षा

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी आई पी) की सुरक्षा

2.11.1 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी सार्वजनिक हैसियत की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है जिससे राष्ट्रीय शासन प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना की गंभीर चिन्ता रहती है। आतंकवादी/उग्रवादी समूहों से समय के साथ–साथ खतरा बढ़ता रहा है जिसके फलस्वरूप अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अति विशिष्ट हस्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो रहा है। चूंकि वी आई पी की सुरक्षा को खतरा एक हमेशा बढ़ते रहने वाला कारक है, अतः गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों/योजनाओं को प्रभावकारी रूप से विफल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है ताकि देश में लोक व्यवस्था और शान्ति कायम रखी जा सके।

2.11.2 राज्य सरकारों को भी सतत रूप से वी आई पी सुरक्षा और उनके आवागमन से संबंधित सुरक्षा मुद्दों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा आगाह किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवधिक रूप से यथावश्यक सलाहें जारी की जाती हैं। वी आई पी सुरक्षा संबंधी मुद्दों की वजह से उत्पन्न होने वाली किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए संकट प्रबंधन योजनाएं भी तैयार की जाती हैं ताकि किसी आपातकालीन आकस्मिकता, जो उत्पन्न हो सकती है, को समुचित रूप से संभाला जा सके। वी आई पी सुरक्षा ड्यूटियों के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सी आई एस एफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो संबंधी विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.11.3 मई, 2001 में मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) ने यह सिफारिश की थी कि वी आई पी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में एक विशिष्ट ड्यूटी ग्रुप (एस डी जी) का सृजन किया जाए। तदनुसार, सी आई एस एफ अपने कार्मिकों को अत्यधिक खतरा वाले विशिष्ट हस्तियों/व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को बचाकर निकालने तथा सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्थानिक

एवं सचल सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस संबंध में सी आई एस एफ में पहले ही एक विशिष्ट ड्यूटी ग्रुप (एस डी जी) का सृजन कर दिया गया है।

विमानपत्तन सुरक्षा/मेट्रो सुरक्षा

2.11.4 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) में 11 सितम्बर, 2001 को हुए हमले के पश्चात, वर्तमान में विमानन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इसलिए, किसी प्रकार की अनहोनी घटना को रोकने के लिए अधुनातन सुरक्षा उपकरणों के अधिप्रापण और हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती की संख्या को बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

2.11.5 नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, सी आई एस एफ आदि के साथ परामर्श करके किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता उपायों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। इनके अतिरिक्त, मौजूदा खतरा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में सभी नागर विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था को अधिकाधिक सुदृढ़ करने के बारे में समय–समय पर सलाहें भी जारी की जा रही हैं।

2.11.6 कोलकाता मेट्रो को सुरक्षा, कोलकाता पुलिस के साथ रेलवे पुलिस बल द्वारा प्रदान की जाती है। दिल्ली मेट्रो के लिए सी आई एस एफ द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर ड्यूटी पर तैनात सी आर पी एफ का जवान

महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा

2.11.7 देश में महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, मूल रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों की चिन्ता और जिम्मेदारी है। तथापि, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थापनाओं की सुरक्षा अपेक्षाओं के बारे में समय–समय पर सलाह देता है। महत्वपूर्ण स्थापनाओं के बारे में केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खतरे संबंधी सूचनाओं का तत्काल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ भी आदान–प्रदान किया जा रहा है और उनके सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपेक्षित सलाहें जारी की जाती हैं।

2.11.8 खतरे की संभावनाओं और संवदेनशीलता के आधार पर केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां, ऐसे संयंत्रों/स्थापनाओं को पर्याप्त सुरक्षोपाय मुहैया कराने हेतु, उन्हें महत्वपूर्ण स्थापनाओं की क, ख और ग श्रेणियों में वर्गीकृत भी करती हैं। सुरक्षा पहलुओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इन स्थापनाओं की आवधिक सुरक्षा समीक्षा भी की जाती है।

धार्मिक शक्तिपीठों/स्थलों की सुरक्षा

2.11.9 देश की धार्मिक शक्तिपीठों/स्थलों की सुरक्षा करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि, गृह मंत्रालय को जब कभी भी इनके संबंध में विशिष्ट खतरे की सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो वह संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसी शक्तिपीठों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के बारे में आवश्यक सलाहें जारी करता है।

--*

सीमा प्रबंधन

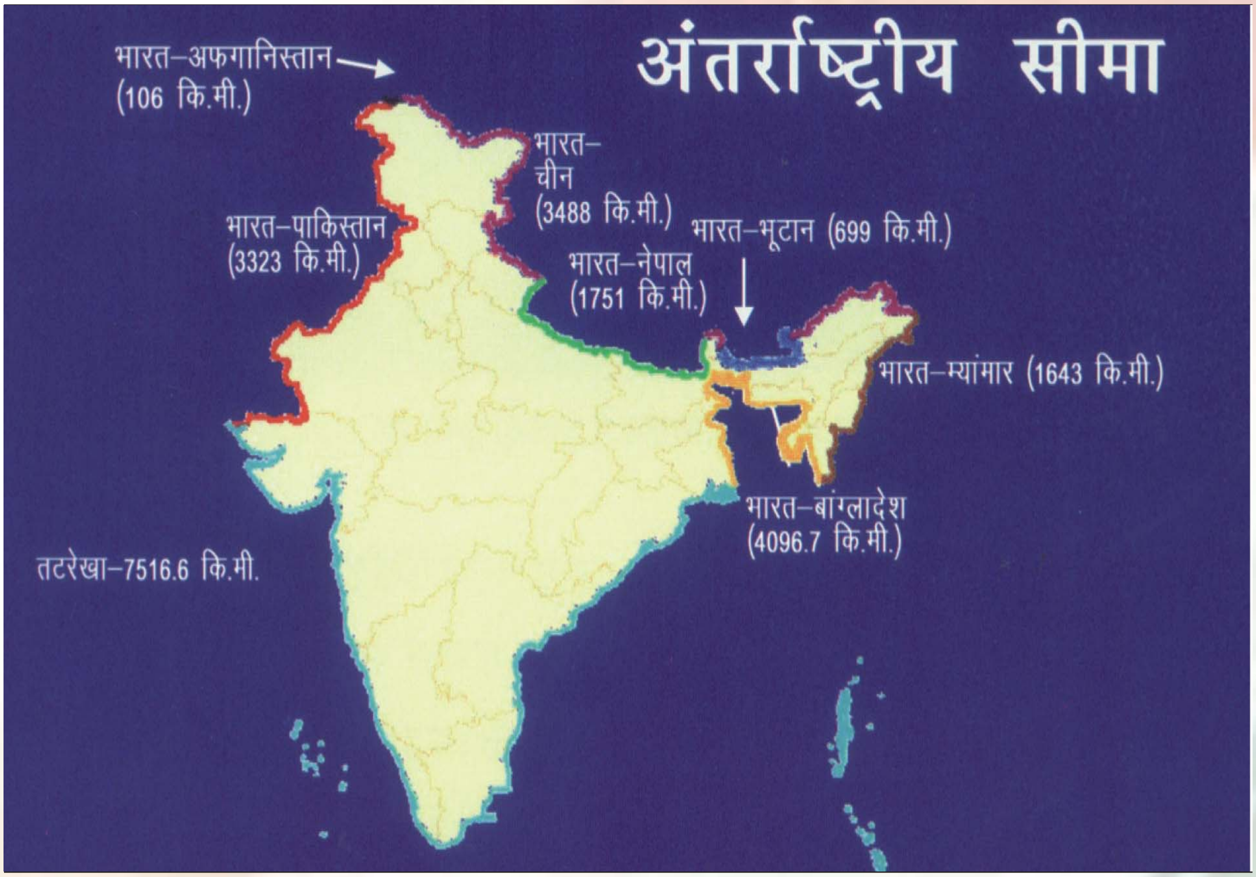

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ हमारी भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है:–

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	**15,106.7**

3.2 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से है जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सीमाओं का प्रबंधन कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने और इनके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और सुनियोजित कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.3 अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसे आधारभूत कार्य करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

3.4 सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में सीमा प्रबंधन विभाग ने कई पहलें की हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़कों का तेजी से निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों का विकास करना, भारत–चीन सीमा पर सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग ने बी ए डी पी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य शुरु किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सतर्कता

सीमा पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना

3.5 सीमाओं पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखने के महत्वपूर्ण संघटक हैं। भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इन सीमाओं पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है।

भारत–बांग्लादेश सीमा (आई बी बी)

3.6 भारत की तरफ से भारत–बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र

शिलांग फ्रंटियर में भारत–बांग्लादेश सीमा पर निर्मित सीमावर्ती बाड़

में काफी जनसंख्या है और सीमा तक खेती की जाती है।

3.7 भारत–बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। मुख्य समस्या बांग्लादेश से भारत में हो रही अवैध घुसपैठ की है। सीमापार से अवैध आप्रवासन और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर सड़कों का निर्माण करने और बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा पर कुल 3,436.59 किमी. लंबे क्षेत्र में बाड़ लगाई जानी है। इसमें से अब तक 2,735.12 किमी. बाड़ लगाई जा चुकी है। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि–अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्यायें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

3.8 इसके अतिरिक्त, 4,426.11 किमी. की मंजूरशुदा लंबाई में से 3,605.20 किमी. की सीमावर्ती गश्त सड़कों का निर्माण कार्य भी किया जा चुका है। बाड़ और सड़कों की चरण–वार प्रगति निम्नानुसार हैः–

बाड़ लगाना

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण-II		कुल (चरण-I + चरण-I)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
पश्चिम बंगाल	507.00	507.00	1021.00	715.00	1528.00	1222.00
असम	152.31	149.29	77.72	72.27	230.03	221.56
मेघालय	198.06	198.06	272.17	182.00	470.23	380.06
त्रिपुरा	–	–	856.00	730.50	856.00	730.50
मिजोरम	–	–	352.33	206.00	352.33	206.00
कुल	**857.37**	**854.35**	**2579.22**	**1905.77**	**3436.59**	**2760.73**

सीमावर्ती सड़कें

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण-II		कुल (चरण-I + चरण-I)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
पश्चिम बंगाल	1770.00	1616.57	0.00	0.00	1770.00	1616.57
असम	186.33	176.50	102.42	85.42	288.75	261.92
मेघालय	211.29	211.29	328.00	210.85	539.29	422.14
त्रिपुरा	545.37	480.51	665.00	466.00	1190.37	946.51
मिजोरम	153.40	153.06	484.30	205.00	637.70	358.06
कुल	**2866.39**	**2637.93**	**1559.72**	**967.27**	**4426.11**	**3605.20**

तेज रोशनी की व्यवस्था

नदीतटीय क्षेत्र में की गई तेज रोशनी की व्यवस्था, जहां बाड़ नहीं है (होप्तियागच में महानंदा नदी)

3.9 पायलट परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल में 277 किमी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने 1,327 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ–साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 2,840 किमी. की लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (ई पी आई एल) और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) को सौंपा गया है।

3.10 नए सीमावर्ती क्षेत्रों में 775 किमी. (पश्चिम बंगाल–345 किमी. एवं त्रिपुरा 430 किमी.) की लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से 750 किमी. में रोशनी हो गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 600 किलोमीटर में खम्भे लगाने, केबल डालने और सम्बन्धित साज–सज्जा का कार्य प्रगति पर है।

चरण–।।।–चरण–। में निर्मित बाड़ बदलना

3.11 पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में चरण–। के तहत निर्मित अधिकांश बाड़ प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, बार–बार जलमग्न आदि होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। भारत सरकार ने चरण–। में निर्मित संपूर्ण बाड़ के स्थान पर 884 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 861 किमी. पर बाड़ लगाने के लिए चरण–।।। नामक एक परियोजना को मंजूरी दी है।

3.12 यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी सी सी) और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) को सौंपा गया है। अब तक 790 किमी. की बाड़ बदल दी गई है।

पश्चिम बंगाल में भारत–बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

भारत–पाकिस्तान सीमा पर निर्मित बाड़

भारत–पाकिस्तान सीमा

3.13 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. (जम्मू और कश्मीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) सहित) भू–सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील हिस्सा होने के कारण इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

3.14 दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार इस सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के कार्य में हुई प्रगति की स्थिति नीचे दर्शाई गई हैः

बाड़ लगाना

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ की कुल लम्बाई	सीमा पर अब तक लगाई गई बाड़ की लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित बाड़ की शेष लम्बाई
पंजाब	553.00	461.00	462.45*	–
राजस्थान	1037.00	1056.63	1048.27*	–
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210.00	186.00	186.00	–
गुजरात	508.00	340.00	244	96.00
कुल	**2308.00**	**2043.63**	**1940.72**	**96.00**

* भौगोलिक कारकों/बाड़ को सुव्यवस्थित करने के कारण लम्बाई अधिक है।

तेज रोशनी की व्यवस्था करना

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की कुल लम्बाई	सीमा पर अब तक की गई तेज रोशनी की व्यवस्था की लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली प्रस्तावित तेज रोशनी की व्यवस्था की शेष लम्बाई
पंजाब	553.00	460.72	460.72	–
राजस्थान	1037.00	1022.80	1022.80	–
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210.00	186.00	176.40	9.60
गुजरात	508.00	340.00	219.00	121.00
कुल	**2308.00**	**2009.52**	**1878.92**	**130.60**

3.15 मुख्य रूप से भारत–पाकिस्तान सीमा के गुजरात क्षेत्र में कुछ कार्यों को छोड़कर समस्त भारत–पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो गया है।

3.16 अप्रत्याशित परिस्थितियों और वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप, वर्ष 2003 और 2006 में हुई अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरुप आई बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लग गया है। कीमतें बढ़ने, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने, सड़कों और बिजली आदि के कार्यों के लिए विनिर्देशनों का उन्नयन होने के कारण परियोजना की लागत में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006 की बाढ़ के बाद केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आई) की सिफारिशों के अनुसार उन्नयन कार्यों के लिए 224 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

3.17 सरकार ने बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी परियोजना को पूरा

भारत पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

राजस्थान में सीमा चौकी (बी ओ पी) मोहन

करने की समयावधि को बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया है और इसकी 380 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृत राशि को संशोधित करके 1,201 करोड़ रुपए कर दिया है।

भारत–बांग्लादेश और भारत–पाकिस्तान सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियों (बी ओ पी) का निर्माण

3.18 भारत–बांग्लादेश सीमा पर 802 बी ओ पी और भारत–पाकिस्तान सीमा पर 609 बी ओ पी पहले ही मौजूद हैं ताकि इन सीमाओं पर कारगर निगरानी रखी जा सके। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए बी ओ पी के बीच की परस्पर दूरी कम करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 16.02.2009 को 1,832.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 509 अतिरिक्त बी ओ पी (भारत–बांग्लादेश सीमा पर 383 और भारत–पाकिस्तान सीमा पर 126) का निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन अतिरिक्त बी ओ पी का निर्माण किए जाने से भारत–बांग्लादेश और भारत–पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात बी एस एफ की टुकड़ियों को आवास, संभार–तंत्रीय सहायता और रोकथाम करने संबंधी कार्यों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत ढांचा मिलेगा। इस परियोजना को वर्ष 2013–14 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

3.19 सभी 509 बी ओ पी के निर्माण का कार्य तीन निर्माण एजेन्सियों यथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (66), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (188) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (255) को दिया गया है। 14 बी ओ पी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अन्य 107 बीओपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

230 बी ओ पी के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और भूमि के अधिग्रहण का कार्य पूरा होने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

3.20 इसके अतिरिक्त, भारत–पाक सीमा के गुजरात क्षेत्र के लिए संयुक्त योजना के अन्तर्गत 70 बी ओ पी की स्वीकृति प्रदान की गई थी। के. लो. नि. वि. (सी पी डब्ल्यू डी) और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी बी सी) को क्रमशः 46 और 24 बी ओ पी का निर्माण कार्य सौंपा गया है। 41 बीओपी का निर्माण पहले ही हो चुका है। 19 बी ओ पी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

एकीकृत जांच चौकियों का विकास

3.21 भारत की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण अच्छा सीमा–प्रबन्धन करना अनिवार्य है, अतः यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाएं जिनसे इन समस्याओं का सामना करने के साथ–साथ व्यापार और वाणिज्य की भी सुविधा हो सके। देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ऐसे विभिन्न नियत प्रवेश और निकासी स्थल हैं जहां से लोगों, सामान और यातायात की सीमा पार आवाजाही होती है। इन स्थलों पर विभिन्न राजकीय समारोहों के लिए मौजूदा अवसंरचनाएं न तो पर्याप्त, न ही एकीकृत और न ही समन्वित हैं। कोई एक एजेन्सी इन स्थलों पर विभिन्न सरकारी समारोहों के समन्वयन और सेवाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। इन समारोहों में सुरक्षा, आप्रवासन, सीमा शुल्क, मानव, वनस्पति और पशु संगरोध आदि के साथ–साथ सरकारी कर्मचारियों और वेयरहाउसिंग, पार्किंग आदि दोनों के लिए सहायता सुविधाएं भी शामिल हैं।

भारत–पाकिस्तान सीमा पर अटारी, वाघा में एकीकृत जांच चौकी (आई सी पी)

3.22 हमारी भू–सीमाओं पर इन स्थलों पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास इस समय उपलब्ध आधारभूत ढांचा सामान्य रूप से अपर्याप्त है। वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक, होटल, आदि जैसी सहायक सुविधायें या तो अपर्याप्त हैं या हैं ही नहीं। एक ही परिसर में सभी विनियामक और सहायक कार्य सामान्य रूप से अपर्याप्त हैं और सामान्यतया उपलब्ध नहीं हैं। बिल्कुल निकट स्थित होने पर भी विभिन्न सरकारी प्राधिकारणों/सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए कोई एक एजेंसी जिम्मेदार नहीं है।

3.23 इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकार की जाती है। जिन उपायों के बारे में सहमति व्यक्त की गई थी, उनमें से एक उपाय हमारी भू–सीमाओं पर प्रमुख प्रवेश स्थलों पर एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना करना है। इन एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) में आप्रवासन, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा जैसी सभी विनियामक एजेंसियों के साथ–साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक ही परिसर में पार्किंग, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, होटल आदि जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

3.24 तदनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजनागत स्कीम के रूप में 635 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से भारत–पाकिस्तान, भारत–नेपाल, भारत–बांग्लादेश और भारत–म्यांमार सीमाओं पर 13 स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 13 एकीकृत जांच चौकियों की सूची और उनकी अनुमानित परियोजना लागत निम्नानुसार हैः

चरण - I

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्थान	राज्य	सीमा	अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत
1.	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत–बांग्लादेश	172	172
2.	मोरेह	मणिपुर	भारत–म्यांमार	136	अभी निर्धारित किया जाना है
3	रक्सौल	बिहार	भारत–नेपाल	120	120
4.	अटारी (वाघा)	पंजाब	भारत–पाकिस्तान	150	150
5.	दवकी	मेघालय	भारत–बांग्लादेश	50	अभी निर्धारित किया जाना है
6.	अखौरा	त्रिपुरा	भारत–बांग्लादेश	60	73.50
7.	जोगबनी	बिहार	भारत–नेपाल	34	82.49
चरण - II					
8.	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत–बांग्लादेश	78	अभी निर्धारित किया जाना है
9.	चंद्रबंघा	पश्चिम बंगाल	भारत–बांग्लादेश	64	अभी निर्धारित किया जाना है
10.	सूतारखंडी	असम	भारत–बांग्लादेश	16	अभी निर्धारित किया जाना है
11.	कवरपुचिया	मिजोरम	भारत–बांग्लादेश	27	अभी निर्धारित किया जाना है
12.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत–नेपाल	34	अभी निर्धारित किया जाना है
13.	रूपैडिहा	उत्तर प्रदेश	भारत–नेपाल	29	अभी निर्धारित किया जाना है

3.25 आई सी पी के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की निगरानी एवं विनियमन करने के लिए 'भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई)' नामक सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि एल पी ए आई, गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। यह अपने कार्य में राज्य सरकारों और संबंधित सीमा रक्षक बलों को भी शामिल करेगा। एल पी ए आई की परिकल्पना एक लघु निरीक्षण निकाय के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य लोगों और सामान की सीमा पार आवाजाही के लिए बेहतर प्रशासन और संगत प्रबंधन उपलब्ध कराना है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जैसे समान निकायों की भांति शक्तियां प्राप्त होंगी।

3.26 इसी बीच, एल पी ए आई की स्थापना किए जाने तक, एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में सरकार के अधिदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग में एक शक्ति प्राप्त संचालन समिति (ई एस सी) गठित की गई है। ई एस सी की शक्तियां और कार्य, अन्य बातों के साथ–साथ, तकनीकी और वाणिज्यिक परामर्शदाताओं/परियोजना विकासकों की नियुक्ति करना, विभिन्न आई सी पी को कार्यरत बनाने/चलाने के लिए बिल्डरों/विकासकों की पहचान करना, निधियों की व्यवस्था करना, प्रारूप परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर)/विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्टों (डी ई आर) को अंतिम रूप प्रदान करना, परियोजनाओं की निगरानी करना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, 100 करोड़ रूपए तक के व्यय वाले प्रस्तावों के संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेना आदि है। अब तक, ई एस सी की 28 बैठकें हो चुकी हैं। आई सी पी से संबंधित मामलों में सभी महत्वपूर्ण निर्णय ई एस सी द्वारा लिए जाते हैं।

आई सी पी द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

3.27 यह परिकल्पना की गई है कि आई सी पी एकीकृत परिसर के तहत व्यक्तियों, वाहनों और सामान की सहज सीमा पर आवाजाही के लिए शासकीय और गैर–शासकीय कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। इनसे आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं में सुविधा होगी। इसमें सक्षम बनाने के लिए, आई सी पी द्वारा प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

- पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग
- इन्टरनेट की सुविधा
- कार्गो निरीक्षण शेड
- संगरोध प्रयोगशाला
- बैंक
- डी एफ एम डी/एच एच एम डी
- आइसोलेशन बे
- कैफेटेरिया
- करेंसी एक्सचेंज
- कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग
- वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज
- क्लीयरिंग एजेंट
- स्कैनर
- सी सी टी वी/पी ए सिस्टम
- पार्किंग
- अन्य सार्वजनिक उपयोगी वस्तुएं

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा अगरतला में आई सी पी के निर्माण के लिए आधारशिला का अनावरण

आई सी पी के विकास की प्रगति

3.28 विभिन्न आई सी पी की स्थापना के विकास की स्थिति नीचे दी गई हैः–

(क) अटारी, रक्सौल और जोगबनी में आई सी पी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अटारी में 97% कार्य पूरा हो चुका है। यात्री टर्मिनल भवन, वेयरहाऊस, सब–स्टेशन और सड़कों जैसे महत्वपूर्ण घटकों का कार्य पूरा हो गया है, नोमेन्ज लैन्ड और भवनों में लघु निर्माण कार्य किये जा रहे हैं और इनके फरवरी, 2012 तक चालू होने की आशा है। दिनांक 19.10.2011 को, ई एस सी ने भी अन्य पैकेजों को मंजूरी प्रदान की जो इन्हें चालू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(ख) रक्सौल में भवन के ढांचे और सड़क की आधार परतें पूरी हो गई हैं। पूर्व निर्मित (प्रीफैब) ढाचों की नीवें तैयार हैं। यद्यपि मौजूदा वित्तीय प्रगति 40% है, तथापि, आशा है कि आगामी कुछ महीनों में इसमें पर्याप्त प्रगति होगी क्योंकि इस अवधि में भवनों को पूरा करने, सड़क की आखिरी परत डालने और प्रीफैब ढांचे खड़े करने के काम में काफी बढ़ोतरी होगी। विलम्ब का मुख्य कारण स्थानीय उपद्रवों के कारण कार्य बन्द होना है। वास्तविक आधारभूत

संरचनाएं जून 2012 तक पूरी होने की आशा है।

(ग) जोगबनी में बार–बार बाढ़ के कारण शुरू में काम रूका रहा। अब बाढ़ की समस्या का समाधान हो गया है और कार्य में 25% प्रगति हुई है। इस बार काम के मौसम में निर्माण कार्य में काफी गति आएगी। वास्तविक आधारभूत संरचनाएं जून 2012 तक पूरी होने की आशा है।

(घ) अगरतला और पेट्रापोल में निर्माण कार्य प्रारम्भिक स्तर पर है, लोगों, सामान और मशीनरी के संघटन का कार्य प्रगति पर है। वास्तविक आधारभूत संरचनाएं क्रमशः जुलाई 2012 और जनवरी 2013 तक पूरी होने की आशा है।

(ड.) मोरेह में ई एस सी द्वारा आई सी पी के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट को अनापत्ति दे दी गई है और निर्माण प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की आशा है।

(च) योजना के चरण–II के लिए निर्धारित उत्तर प्रदेश में रूपैडिहा आईसीपी के मामले में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण–II में पश्चिम बंगाल में चन्द्रबंघा और मिजोरम में कवरपुचिया के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

(छ) योजना के चरण–II में अन्य आई सी पी के लिए भूमि के चयन/अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

(ज) सीमा पार यात्रा और व्यापार को सहज बनाने के लिए सीमा पर आधारभूत संरचना, भारत द्वारा पाकिस्तान की ओर अटारी/बाघा सीमा टर्मिनल पर एकीकृत जांच चौकी (आई सी पी) के निर्माण, दूसरे गेट के वास्तविक स्थान और दोनों ओर सड़क के प्रस्तावित संरेखण से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी और पांचवीं तकनीकी स्तर की बैठकें क्रमशः दिनांक 30.11.2011 और 22.12.2011 को आयोजित की गई थीं। दोनों पक्षों ने अपनी ओर हुए कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और यह आशा व्यक्त की कि ये सुविधाएं फरवरी, 2012 तक आरंभ हो जाएंगी।

भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई)

3.29 भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) की परिकल्पना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है, जो गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह आशा की जाती है कि एल पी ए आई भू–सीमाओं पर प्रवेश स्थलों/

भू–पत्तनों का बेहतर प्रशासन और सुसंगत प्रबंधन करेगा और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जैसे समान निकायों की भांति शक्तियां प्राप्त होंगी।

3.30 भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में इसके पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 को दिनांक 01.09.2010 को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। उच्च स्तर के पदों के लिए चयन किया जा रहा है।

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.31 भारत की तटरेखा 7516.6 किमी. है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। इस तटरेखा पर नौ राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह अवस्थित हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों सहित तटरेखा की लम्बाई नीचे तालिका में दी गई हैः–

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी. में)
1.	गुजरात	1214.70
2.	महाराष्ट्र	652.60
3.	गोवा	101.00
4.	कर्नाटक	208.00
5.	केरल	569.70
6.	तमिलनाडु	906.90
7.	आंध्र प्रद्रेश	973.70
8.	ओडिशा	476.70
9.	पश्चिम बंगाल	157.50
10.	दमन और दीव	42.50
11.	लक्षद्वीप	132.00
12.	पुडुचेरी	47.60
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

तटीय सुरक्षा की समस्याएं

3.32 भारत की लम्बी तटरेखा पर विभिन्न सुरक्षा समस्याएं हैं जिनमें एकाकी तटीय स्थलों पर शस्त्रों और विस्फोटकों को उतारना, राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ/भागना, समुद्र और अपतटीय द्वीपों का आपराधिक गतिविधियों के लिए पयोग करना, समुद्री मार्ग से उपभोक्ता और मध्यवर्ती वस्तुओं की तस्करी करना आदि शामिल हैं। तटों पर वास्तविक अवरोधों के न होने और तटों के निकट महत्वपूर्ण औद्योगिक और रक्षा संस्थापनाएं होने से भी सीमा के आर–पार गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति तटों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

मौजूदा तटीय सुरक्षा प्रणाली

3.33 देश की सुरक्षा और तटवर्ती सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है जिसमें भारतीय नौसेना, तटरक्षक और तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समुद्री पुलिस शामिल की गई है। खुले समुद्र (हाई सी) की निगरानी अनन्य आर्थिक जोन (ई ई जेड) की सीमाओं पर नौसेना और तटरक्षक द्वारा की जाती है। सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटरक्षक भारतीय हितों की रक्षा तटरक्षक जलयानों द्वारा तथा हवाई निगरानी तटरक्षक वायुयानों द्वारा करते हैं। तटवर्ती स्थानों के निकट गश्त राज्य तटवर्ती पुलिस द्वारा लगाई जाती है। उथले सीमांतर्गत जलक्षेत्र में राज्य का अधिकार क्षेत्र 12 नाविक मील (नॉटिकल माइल) तक होता है।

तटीय सुरक्षा स्कीम चरण–।

3.34 अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों के लिए तटों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तटीय सुरक्षा स्कीम चरण–। तैयार की गई थी। यह स्कीम वर्ष 2005–06 से 5 वर्ष में कार्यान्वित करने के लिए जनवरी 2005 में स्वीकृत की गई थी। स्कीम को दिनांक 31.03.2011 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तटीय सुरक्षा स्कीम चरण–। दिनांक 31.03.11 को पूरी हो चुकी है।

स्कीम के उद्देश्य

3.35 तटीय सुरक्षा स्कीम चरण –। का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों विशेषतया तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना था ताकि तट अथवा समुद्र में किसी भी गैर कानूनी आवाजाही और आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके और उनसे निपटा जा सके।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं

3.36 यह स्कीम सभी तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान के रूप में नीचे दिए गए कार्यों के लिए सहायता उपलब्ध कराती है:–

(क) तटीय पुलिस स्टेशन, जांच चौकियां, आउट पोस्ट स्थापित करना,

(ख) तटीय पुलिस स्टेशनों को समुद्री गतिविधियों में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना,

(ग) तटों और निकटवर्ती तटीय जलक्षेत्रों में आने–जाने के लिए वाहनों और नावों की खरीद करना,

(घ) प्रत्येक तटीय पुलिस स्टेशन को उपस्कर, कम्प्यूटर सिस्टम, फर्नीचर आदि के लिए एकमुश्त 10 लाख रूपए की सहायता प्रदान करना,

(ड.) पैट्रोल नावों की मरम्मत और रख–रखाव पर 6 वर्ष की अवधि के लिए होने वाले आवर्ती खर्च को पूरा करना,

(च) समुद्री पुलिस कार्मिकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करना,

(छ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जनशक्ति की व्यवस्था के लिए,

(ज) तटरक्षक और नौसेना सहित विभिन्न एजेंसियों

के बीच समन्वय और सूचना के आदान–प्रदान हेतु राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत प्रबन्ध करना।

3.38 तटीय सुरक्षा स्कीम चरण–। के अन्तर्गत प्रावधान किए गए घटकों के ब्यौरे नीचे विवरणी में दिए गए हैं–.

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन	जलयान	जीप	मोटर साइकिल	जांच चौकी	आउट पोस्ट	बैरक	रबर इन्फ्लेटेड बोट
1	गुजरात	10	30	20	101	25	46	–	–
2	महाराष्ट्र	12	28	25	57	32	–	24	–
3	गोवा	3	9	6	9	–	–	–	10
4	कर्नाटक	5	15	9	4	–	–	–	–
5	केरल	8	24	16	24	–	–	–	–
6	तमिलनाडु	12	24	12	36	40	12	–	–
7	आंध्र प्रदेश	6	18	12	18	–	–	–	–
8	ओडिशा	5	15	10	15	–	–	–	–
9	पश्चिम बंगाल	6	18	12	12	–	–	6	.
10	पुडुचेरी	1	3	2	3	–	–	–	–
11	लक्षद्वीप	4	6	8	8	–	–	–	–
12	दमन और दीव	1	4	3	5	–	–	–	–
13	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	10	18	20	–	–	–	–
	कुल	**73**	**204**	**153**	**312**	**97**	**58**	**30**	**10**

वित्तीय परिव्यय

3.37 स्कीम का कुल परिव्यय 646 करोड़ रूपए का था जिसमें 6 वर्ष के लिए नावों के लिए ईंधन, मरम्मत और रख–रखाव और समुद्री पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए गैर–आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 495 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए थे और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 151 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए थे।

3.39 प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए कम्प्यूटर और उपस्करों आदि के लिए 10 लाख रू. की एकमुश्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है।

3.40 नावों/जलयानों का प्रापण केन्द्रीय स्तर पर रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल), गोवा और मैसर्स गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स (जी आर एस ई) लिमिटेड, कोलकाता से नामांकन के आधार पर किया गया

है। इन विक्रेताओं ने सरकार के साथ मार्च 2008 में 110 (12 टन क्षमता वाली) और 84 (5 टन क्षमता वाली) नावों की आपूर्ति के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। नावों की सुपर्दगी के राज्य–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

3.41 तटीय सुरक्षा स्कीम की नावों के ईंधन की खपत के व्यय की प्रतिपूर्ति तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की गई है (प्रति 12 टन क्षमता वाली नाव के लिए प्रति माह अधिकतम 5 लाख रू0 और प्रति 5 टन क्षमता वाली नाव के लिए प्रति माह 4 लाख रूपए की दर से)।

क्रम सं.	राज्य का नाम	तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुमोदित कुल नावें			सुपुर्द की गई नावें			शिपयार्ड
		12 टन	5 टन	कुल	12 टन	5 टन	कुल	
1.	गुजरात	20	10	30	20	10	30	जीएसएल
2.	महाराष्ट्र	6	22	28	6	22	28	
3.	गोवा	6	3	9	6	3	9	
4.	कर्नाटक	10	5	15	10	5	15	
5.	केरल	16	8	24	16	8	24	
6.	लक्षद्वीप	2	4	6	2	4	6	
7.	दमन और दीव	2	2	4	2	2	4	
	कुल	**62**	**54**	**116**	**62**	**54**	**116**	
8.	तमिलनाडु	12	12	24	12	12	24	जीआरएसई
9.	आंध्र प्रदेश	12	6	18	12	6	18	
10.	ओडिशा	10	5	15	10	5	15	
11.	पश्चिम बंगाल	12	6	18	12	6	18	
12.	पुडुचेरी	2	1	3	2	1	3	
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	0	10	10	0	10	
	कुल	**58**	**30**	**88**	**58**	**30**	**88**	
	कुल जोड़	**120**	**84**	**204**	**120**	**84**	**204**	

3.42 इस स्कीम के अन्तर्गत, नावों के लिए तकनीकी चालकदल सहित समुद्री पुलिस कार्मिकों की व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। इन पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। समुद्री पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं तटरक्षक द्वारा तटरक्षक जिला मुख्यालयों में पूरी की जाती हैं। अब तक तटरक्षक द्वारा 2,346 से अधिक पुलिस कार्मिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

3.43 तटीय सुरक्षा स्कीम चरण–। के अन्तर्गत आपूर्ति की गई नावों के रखरखाव के लिए आरम्भ में चार वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक रख–रखाव संविदा (ए एम सी) पर तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत सरकार के उपक्रम शिपबिल्डिर्स (जी एस एल और जी आर एस ई) के साथ गृह मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। जी एस एल और जी आर एस ई ने नावों के रख–रखाव के लिए स्थानीय कार्मिक तैनात करके क्षेत्रीय रखरखाव यूनिटें स्थापित कर दी हैं।

गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर स्वान कार्रवाई (आपरेशन एसडब्ल्यूएएन) के अन्तर्गत संयुक्त तटीय गश्त को सुदृढ़ बनाना

3.44 गुजरात और महाराष्ट्र के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों की गहन गश्त और निगरानी सुनिश्चित करने हेतु तटरक्षक को अतिरिक्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005–06

केरल में तटीय पुलिस स्टेशन

से 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के अधीन तटरक्षक को 15 इन्टरसेप्टर नावों का प्रापण और महाराष्ट्र के धानू और मुरूद जंजीरा तथा गुजरात के वेरावल में 3 तटरक्षक स्टेशन स्थापित करना है। ये परिसम्पतियां इस परिचालन क्षेत्र में तटरक्षक के पास उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं के अतिरिक्त हैं।

3.45 इस योजना में गैर आवर्ती व्यय के लिए स्वीकृत परिव्यय 342.56 करोड़ रूपए है जिसे गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है। जन शक्ति सहित आवर्ती व्यय रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है।

3.46 मुरूद जंजीरा स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि के एक हिस्से के अतिरिक्त धानू, मुरूद जंजीरा और वेरावल तटरक्षक स्टेशनों के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। वेरावल और मुरूद जंजीरा स्टेशन किराए के भवन में कार्यशील हो चुके हैं।

3.47 इस योजना के अधीन इन्टरसेप्टर नावों के प्रापण का कार्य रक्षा मंत्रालय कर रहा है। रक्षा प्रापण प्रक्रिया के अनुसार रक्षा मंत्रालय का मैसर्स भारती शिपयार्ड लिमिटेड से तटरक्षक के लिए 15 इन्टरसेप्टर नावों के प्रापण हेतु कुल 28,123 लाख रूपए के व्यय के लिए सी सी एस की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन 15 इन्टरसेप्टर नावों की आपूर्ति मार्च 2014 में पूरी हो जाएगी।

3.48 सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन की अवधि 31.03.2014 तक बढ़ा दी गई है। मार्च 2011 में यह सम्पूर्ण योजना आगे कार्यान्वयन हेतु रक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दी गई है।

26/11 की मुम्बई घटना के पश्चात की गई पहलें

3.49 दिनांक 26/11 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात, भारत सरकार द्वारा देश के समग्र तटवर्ती सुरक्षा परिदृश्य की पूर्णरूपेण समीक्षा की गई है। देश के तटवर्ती सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने और इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नौवहन एवं मत्स्य आदि मंत्रालयों में अनेक उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जो नीचे दिए गए हैं:–

(I) तटीय सुरक्षा योजना (चरण–II) तैयार करना

क. तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया था कि वे तटरक्षक के साथ परामर्श करके उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुभेद्यता/खामियों का विश्लेषण करें ताकि तटीय सुरक्षा का चरण–II तैयार किया जा सके। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद तटीय सुरक्षा योजना (चरण–I) अनुमोदित की गई है।

ख. इस योजना का कार्यान्वयन 9 तटीय राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दिनांक 01.04.2011 से शुरू करके 5 वर्ष की अवधि में किया जा रहा है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 1,579.91 करोड़ रू0 (1,154.91 करोड़ रू0 गैर–आवर्ती व्यय और 425 करोड़ रू0 आवर्ती व्यय के लिए) का है।

ग. योजना के अंतर्गत स्वीकृत घटकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

घ. प्रत्येक तटीय पुलिस स्टेशन के लिए निगरानी उपस्कर, कम्प्यूटर सिस्टम और फर्नीचर के लिए 15 लाख रूपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

तटीय सुरक्षा योजना चरण–II के कार्यान्वयन की स्थिति

3.50 सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय पुलिस स्टेशनों और घाटों (जेटीज) को प्रचालनात्मक बनाने और उनका निर्माण करने के लिए भूमि के चयन और भूमि अधिग्रहण की

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन	नावें/जलयान		जेटियों की संख्या	चार पहिया वाहन	मोटर साइकिल
			12 टन	अन्य			
1	गुजरात	12	31		5	12	24
2	महाराष्ट्र	7	14		3	7	14
3	गोवा	4	4		2	4	8
4	कर्नाटक	4	12		2	4	8
5	केरल	10	20		4	10	20
6	तमिलनाडु	30	20		12	30	60
7	आंध्र प्रदेश	15	30		7	15	30
8	ओडिशा	13	26		5	13	26
9	पश्चिम बंगाल	8	7		4	8	16
10	दमन और दीव	2	4		2	2	4
11	लक्षद्वीप	3	6	12**	2	3	6
12	पुडुचेरी	3	6		2	3	6
13	अंडमान और निकोबार दीप समूह	20# ***10 एमओसी		10* 23**	10	20	20
	कुल	**131**	**180**		**60**	**131**	**242**

*एलवी–बड़े जलयान **आरआईबी–रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट***एमओसी–समुद्री प्रचालन केन्द्र #विद्यमान 20 तटीय पुलिस स्टेशनों का उन्नयन किया जायेगा।

प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

तटीय पुलिस स्टेशन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	चालू वर्ष 2011–12 में प्रचालनात्मक बनाये जाने वाले तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	भूमि/स्थल का चयन	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू	क्या जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है
गुजरात	12	–	10	10	10
महाराष्ट्र	7	–	3	3	–
गोवा	4	4	3	3	–
कर्नाटक	4	4	4	4	–
केरल	10	10	7	5	2
तमिलनाडु	30	–	29	29	–
आंध्र प्रदेश	15	–	13	12	1
ओडिशा	13	8	8	.	–
पश्चिम बंगाल	8	–	4	3	–
दमन और दीव	2	–	2	2	1
पुडुचेरी	3	3	3	3	–
लक्षद्वीप	3	3	3	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20*	20	20	उपलब्ध नहीं	20
कुल	**131**	**52**	**109**	**74**	**34**

*विद्यमान पुलिस स्टेशनों का तटीय पुलिस स्टेशनों में उन्नयन किया जायेगा।

जेटीज

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत जेटीज की संख्या	भूमि/स्थल का चयन	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू	क्या जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है
गुजरात	5	–	–	–
महाराष्ट्र	3	–	–	–
गोवा	2	1	–	–
कर्नाटक	2	2	2	–
केरल	4	4	2	–
तमिलनाडु	12	10	–	–
आंध्र प्रदेश	7	7	–	–
ओडिशा	5	–	–	–
पश्चिम बंगाल	4	–	–	–
दमन और दीव	2	2	2	–
पुडुचेरी	2	–	–	–
लक्षद्वीप	2	–	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	1	1	–
कुल	**60**	**27**	**6**	–

3.51 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्माण कार्य शुरू करने और वाहन आदि की खरीद के लिए 15.76 करोड़ रू0 जारी कर दिए गए हैं।

चरण–II के लिए नावों का प्रापण

3.52 तटीय सुरक्षा स्कीम के चरण–II में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए स्वीकृत 180 (12 टन क्षमता वाली) नावों और 10 बड़े जलयानों का प्रापण केन्द्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अधीन कुल 180 (12 टन क्षमता वाली) नावों में से, 12 टन क्षमता वाली 150 परिष्कृत नावों के विनिर्देशन को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा इन 150 (12 टन क्षमता वाली) नावों के प्रापण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

3.53 तमिलनाडु के लिए 19 मीटर लम्बाई वाली शेष 20 नावों, गुजरात के लिए 5 टन क्षमता वाली 10 परिष्कृत नावों और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 10 बड़े जलयानों के लिए भी विनिर्देशन को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए व्यापक सुरक्षा योजना

3.54 अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने तटरक्षक, नौसेना और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके अण्डमान और निकोबार के लिए एक व्यापक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की है जिसे 8 वर्ष की अवधि में 2012–15, 2015–17 और 2017–20 तक तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है। अण्डमान और निकोबार ने व्यापक योजना को दो भागों में बांटा है। भाग (क) के अंतर्गत उन मदों को रखा गया है जिन्हें तटीय सुरक्षा योजना के चरण–II में पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। भाग (ख) के अंतर्गत उन मदों को शामिल किया गया है जिन्हें अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों और निकोबार द्वीपसमूह की राज्य योजना में अलग से रखा जाएगा। अण्डमान और निकोबार की व्यापक सुरक्षा योजना स्वीकृत कर दी गई है।

नावों का पंजीकरण

3.55 भारतीय जल क्षेत्र में चलने वाली सभी मत्स्यन/गैर–मत्स्यन नावों की एक समरुप प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इस संबंध में नौवहन विभाग, नोडल विभाग है। दो अधिसूचनाओं में से एक अधिसूचना, पंजीकरण के लिए संशोधित फार्मेट के साथ एम एस (मत्स्यन पोतों का पंजीकरण) नियमों में संशोधन करने के लिए और दूसरी अधिसूचना पंजीयकों की सूची अधिसूचित करने के लिए नौवहन मंत्रालय द्वारा जून 2009 में जारी की गई है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। एन आई सी ने देशभर में एक आनलाइन यूनिफार्म पंजीकरण सिस्टम विकसित

किया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एन आई सी को 120 लाख रूपए और तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 581.86 लाख रूपए जारी किए गए हैं। नए फार्मेट के अन्तर्गत 20 मीटर से अधिक की नावों के पंजीकरण की प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही है जिसकी प्रगति की निगरानी महानिदेशक (नौवहन) द्वारा की जा रही है।

नावों पर ट्रांसपोंडर लगाना

3.56 पोतों की पहचान एवं पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए सभी प्रकार की नावों पर मार्गनिर्देशनात्मक एवं संचार उपकण लगाए जाएंगे/उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मामले के लिए भी नौवहन विभाग, नोडल विभाग है। डी जी (नौवहन) ने दो परिपत्र जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 मीटर से कम श्रेणी के मत्स्यन पोतों को छोड़कर, मत्स्यन पोतों सहित सभी प्रकार के पोतों पर पहचान और पता लगाने के प्रयोजनार्थ ए आई एस टाइप बी ट्रांसपोंडर लगा दिए गए हैं। तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन परिपत्रों के अनुपालन के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

3.57 20 मीटर से कम की लंबाई वाले पोतों के लिए डी जी, तटरक्षक की अध्यक्षता में एक समिति ने उपयुक्त प्रणालियों का 'कोई लागत नहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं (एन सी एन सी)' परीक्षण किया है जो (क) उपग्रह आधारित (ख) ए आई एस/वी एच एफ आधारित और (ग) वी एच एफ/जी पी एस आधारित हैं। यद्यपि सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी अथवा मिश्रित प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में अन्तिम विचार–विमर्श चल रहा है, तथापि यह सिफारिश की गई है कि सभी नावों पर रेडियो आवृत्ति पहचान प्रणाली (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टीफिकेशन डिवाइस) स्थापित की जानी चाहिए। इन तीनों प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता की जांच हेतु रक्षा मंत्रालय की देखरेख में मुम्बई और पोरबन्दर में दो 'प्रायोगिक परियोजनाएं' चलाने का निर्णय लिया गया है।

मछुआरों को पहचान पत्र जारी करना

3.58 सभी मछुआरों को पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं जो एकल केन्द्रीकृत डाटा–बेस से संबद्ध करने योग्य है। पशु पालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग (डी ए एच डी एण्ड एफ) नोडल एजेंसी के रूप में सभी संबंधितों के साथ परामर्श करके इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। कृषि मंत्रालय ने कुल 72 करोड़ की लागत से दिनांक 11.12.2009 को तटीय मछुआरों को बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी करना नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल) की अगुवाई में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संघ को आकड़ों का डिजिटीकरण करने, पहचान पत्र बनाने और जारी करने के काम के लिए चुना गया है।

3.59 डी ए एच डी एण्ड एफ ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8 करोड़ रू0 की राशि जारी की है। उपर्युक्त संघ के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 25 करोड़ रूपए की राशि भी जारी कर दी गई है।

3.60 बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी करने के लिए चयनित कुल 18,11,697 तटीय मुछआरों में से, 16,14,848 (89.13%) मछुआरों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूरा हो चुका है और शेष मछुआरों के आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।

3.61 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ ने डिजिटीकरण का कार्य शुरू कर दिया है और 16,04,492 मछुआरों के आकड़ों का डिजिटीकरण पूरा हो गया है। संघ ने बायोमैट्रिक नामाकंन भी शुरू कर दिया है और दिसम्बर, 2011 तक 11,52,184 मछुआरों का नामाकंन पूरा कर दिया है।

तटीय लोगों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र

3.62 भारत के महापंजीयक (आर जी आई), गृह मंत्रालय द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन पी आर) के सृजन की अपनी परियोजना के एक भाग के रूप में, तटवर्ती गांवों की आबादी को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम एन आई सी) और इन गावों के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सामान्य निवासियों को पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) जारी करने की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

चरण–। – तटरेखा पर स्थित 3,331 गांव (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी गांवों और कस्बों को चरण–। में कवर किया जाना है)।

चरण–।। – 2011 की जनगणना के साथ तटरेखा पर स्थित कस्बे/शहर और अन्य गांव।

3.63 इस परियोजना के लिए 216.31 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से मंत्रिमण्डल की स्वीकृति ले ली गई है। पहली बार परियोजना के लिए सीधे आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसे राज्य, जिला और गांव स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से केन्द्रीय पी एस यू अर्थात बी ई एल, ई सी आई एल और आई टी आई की सहायता से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब तक 120 लाख से अधिक लोगों के जीवन संबंधी ब्यौरे प्राप्त कर लिए गए हैं जबकि लगभग 70 लाख से अधिक लोगों का बायोमैट्रिक ब्यौरा प्राप्त कर लिया गया है।

3.64 पहचान पत्र बनाने, लोगों की व्यक्तिगत रूप से पहचान करने (पर्सनलाइजेशन) और पहचान पत्रों की सपुर्दगी के लिए 135.53 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति ले ली गई है। सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तटीय गांवों में सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (एल आर यू आर) के प्रिटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। एल आर यू आर को जन साधारण की आपत्तियों के लिए प्रदर्शित कर दिया गया है। आपत्तियां शामिल करने के पश्चात आकड़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे। पहचान पत्रों को बनाने और लोगों की व्यक्तिगत रूप से पहचान करने (पर्सनलाइजेशन) का कार्य तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ (बी ई एल, ई सी आई एल और आई टी आई) द्वारा अगस्त 2011 के प्रथम सप्ताह में शुरू किया गया है। दिनांक 31.12.2011 तक 50,000 कार्ड बना दिए गए हैं।

बन्दरगाह सुरक्षा

3.65 देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा की निगरानी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) द्वारा की जा रही है। इन प्रमुख बंदरगाहों की आवधिक सुरक्षा संबंधी जांच आसूचना ब्यूरो द्वारा भी की जाती है। तथापि, देश के 187 छोटे बन्दरगाहों की सुरक्षा के लिए अब तक कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। नौवहन मंत्रालय ने जुलाई 2009 में बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल को बंदरगाहों के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करने और एकसमान सुरक्षा मानक निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो नौवहन मंत्रालय के विचाराधीन है।

समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण संबंधी राष्ट्रीय समिति

3.66 मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त, 2009 में "समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण संबंधी राष्ट्रीय समिति" का गठन किया गया है। इस समिति में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल हैं।

3.67 राष्ट्रीय समिति की पांच बैठकें दिनांक 04.09.2009, 22.01.2010, 14.05.2010, 23.11.2010 और 29.07.2011 को हुई थीं जिसमें तटवर्ती सुरक्षा के संबंध में लिए गए सभी प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई थी।

3.68 इन बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

आसूचना के आदान–प्रदान के लिए संयुक्त प्रचालन केन्द्रों की स्थापना

3.69 रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न एजेन्सियों के बीच आसूचना के आदान–प्रदान हेतु संयुक्त प्रचालन केन्द्रों (जे ओ सी) का गठन किया है। इन केन्द्रों की स्थापना मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्टब्लेयर में तटीय सुरक्षा कमाण्डर–इन–चीफ के रूप में मौजूदा नौसेना कमाण्डर–इन–चीफ की देख–रेख में की गयी है। इन संयुक्त प्रचालन केन्द्रों में जनशक्ति और प्रचालन की व्यवस्था सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना (इनपुट) के आधार पर नौसेना और तटरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।

सागर प्रहरी बल का गठन

3.70 नौसेना ने बल के संरक्षण, नौसेना के आधार–स्थानों (बेस) और उनके निकटवर्ती संवदेनशील क्षेत्रों (वीए) और संवदेनशील स्थानों (वीपी) के संरक्षण के लिए सागर प्रहरी बल (एस पी बी) नामक एक विशेष बल (फोर्स) बनाया है जिसमें 1,000 कार्मिक हैं। रक्षा मंत्रालय ने सागर प्रहरी बल के लिए मानवशक्ति की स्वीकृति दे दी है। सागर प्रहरी बल सभी कमाण्डों को कवर करेगा। कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है और किराए की नावों से पैट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय में 80 फास्ट इन्टरसेप्टर जलयानों (एफ आई सी) के प्रापण की

कार्यवाही चल रही है। नौसेना को 15 फास्ट इन्टरसेप्टर जलयानों की सुपुर्दगी दिसम्बर 2011 तक कर दी जाएगी।

सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रकियाओं को अंतिम रूप प्रदान करना

3.71 सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे भारतीय तटरक्षक द्वारा जारी कर दिया गया है।

संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास

3.72 'सागर कवच' जैसे संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास बहुत लाभपद रहे हैं और इनसे संयुक्त प्रचालनों में सहक्रिया का एक नया युग शुरू हो गया है। प्रत्येक अभ्यास से सीखी गई बातों को सभी अन्य तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभ के लिए प्रचारित करने की प्रक्रियाएं तैयार कर ली गई हैं। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास छमाही आधार पर किए जाते हैं। अन्तराल को पूरा करने के लिए सीखी गई बातों की जानकारी सभी स्टेकहोल्डरों को दी जा रही है।

विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय

3.73 जहां तक समुद्री सुरक्षा के प्रति समन्वित दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, सुरक्षा से सम्बन्धित मंत्रिमण्डल समिति द्वारा अपनी दिनांक 16.02.2009 की बैठक में देश की समुद्री सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया गया था जिसे गृह मंत्रालय सहित सभी अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ विधिवत परामर्श करके तैयार किया गया था। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय नौसेना को तटीय सुरक्षा और अपतटीय सुरक्षा सहित समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में नामित किया जाएगा। देश की तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की सहायता तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस और अन्य केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा की जाएगी। भारतीय तटरक्षक को, सीमांतर्गत जलक्षेत्र, जिसमें तटीय पुलिस द्वारा पैट्रोलिंग का क्षेत्र भी शामिल है, की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। महानिदेशक, तटरक्षक को कोस्टल कमाण्ड के कमाण्डर के रूप में नामित किया गया है जो तटीय सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों में केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच समग्र समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेवार होगें। इन निर्णयों को रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत–चीन सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचालनात्मक महत्व की सड़कों का निर्माण

3.74 खराब सड़क संपर्क के कारण पैदा हुई स्थिति में सुधार करने के लिए, जिसके कारण भारत–चीन सीमा पर तैनात सीमा चौकसी बलों की परिचालन क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है, सरकार ने 1,937 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और

अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत–चीन सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 804 किमी. की 27 सड़कों का चरण–वार निर्माण करने का निर्णय लिया है और इसका निर्माण भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) द्वारा परिचालनात्मक उपयोग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना

3.75 27 आई टी बी पी सड़कों के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (2 सड़कें) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (2 सडकें) को सौंपा गया है। सभी 27 सड़कों के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/लागत अनुमान को गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

वन/वन्यजीव स्वीकृति की स्थिति

3.76 चूंकि अनुमोदित सड़कों का अधिकांश भाग वन क्षेत्रों से गुजरेगा, इसलिए निर्माण की गतिविधियां प्रारम्भ करने से पहले वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त, उन सड़कों, जिनकी सिधाई वन्य जीव क्षेत्रों/राष्ट्रीय उद्यानों से होकर गुजरती है, के लिए वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले वन्यजीव अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एन बी डब्ल्यू एल) और उच्चतम न्यायालय की सांविधिक पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

3.77 अब तक, 26 सड़कों के संबंध में वन एवं पर्यावरण संबंधी अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हिमाचल प्रदेश में चिटकुल–डुम्पटी सड़क के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और वन संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

3.78 22 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में सूगर प्वाइंट–लापचा सड़क का निर्माण कार्य बी आर ओ द्वारा पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हलके वाहनों की आवाजाही के लिए चप्पन–शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश), सूगर प्वाइंट–पांग–प्वाइंट 4840 (हिमाचल प्रदेश) और घस्तोली–रत्ताकोना (उत्तराखण्ड) सडकों को भी जोड़ दिया गया है।

3.79 अब तक 462 किमी. सड़कों के निर्माण और 158 किमी. सर्फेसिंग का कार्य पूरा हो गया है।

भारत–नेपाल सीमा प्रबंधन

3.80 भारत–नेपाल सीमा पर, जो खुली और सुभेद्य है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने और

इस सीमा पर सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से सीमा चौकसी बल के रूप में इस सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) की 25 बटालियनें तैनात की गई हैं। भारत–नेपाल सीमा पर सभी 450 सीमा चौकियां (बी ओ पी) स्थापित कर दी गई हैं।

3.81 गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के बीच सीमा जिला समन्वय समिति की बैठकों का तंत्र भी है। ये तंत्र, सीमा पार के अपराध, तस्करी, आतंकवादी क्रियाक्रलापों से उत्पन्न स्थिति आदि जैसे पारस्परिक चिंता वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं।

3.82 इस सीमा पर, सीमा चौकसी बल (एस एस बी) की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने 3,853 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से भारत–नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड, (173 किमी.), उत्तर प्रदेश (640 किमी.) और बिहार (564 किमी.) राज्यों में लगभग 1,377 किमी. सामरिक सड़क बनाने की योजना अनुमोदित की है।

3.83 एक उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति ने दिनांक 24.05.2011 को बिहार के सीतामढ़ी जिले में भारत–नेपाल सीमा पर बाहर गांव के साथ लालबकिया नदी के फुलबारिया घाट पर 70.56 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 24.05 किमी. सड़क के सुधार का सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। चूंकि लागत अधिक थी, इसलिए बिहार राज्य सरकार ने निर्देशानुसार तकनीकी समिति को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) प्रस्तुत की है। एच एल ई सी के अध्यक्ष ने अब इसे अनुमोदित कर दिया है।

3.84 इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति (एच एल ई सी) द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के 12.30 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से ककराली गेट–थुलीघाट तक 12 किमी. से अधिक लम्बी सड़क को दो लेन की करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।

3.85 जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया गया है।

भारत–भूटान सीमा प्रबंधन

3.86 इस सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए सीमा चौकसी बल (बी जी एफ) के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) की 13 बटालियनें इस सीमा पर तैनात की गई हैं। इस सीमा के लिए स्वीकृत कुल 132 बी ओ पी में से अब तक 131 बी ओ पी भारत–भूटान सीमा पर स्थापित कर दी गई हैं।

3.87 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में भारत–भूटान ग्रुप के रूप में सचिव स्तरीय एक द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है। इस खुली सीमा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ग्रुपों से दोनों देशों को संभावित खतरे का आकलन करने और

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3.88 भारत सरकार ने भारत–भूटान सीमा पर असम में 1,259 करोड़ रूपए की लागत से 313 किमी. लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी है जिसे दिनांक 01.04.2011 से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। असम सरकार ने भूमि अधिग्रहण, वैधानिक अनापत्तियों आदि से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। असम के लोक निर्माण विभाग ने 61 किमी. सड़क के निर्माण के लिए डी पी आर प्रस्तुत की है, जिसकी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

भारत म्यांमार सीमा का प्रबंधन

3.89 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है।

3.90 इस सीमा पर असम राइफल्स को विद्रोह के दमन और सीमा की सुरक्षा करने के कार्य के लिए तैनात किया गया है। स्वीकृत 46 बटालियनों में से 31 बटालियनें विद्रोह दमन कार्रवाई हेतु और 15 बटालियनें सीमा की सुरक्षा करने के कार्य के लिए हैं। वर्तमान में, सभी 15 सीमा सुरक्षा बटालियनों को भारत–म्यांमार सीमा पर कम्पनी आपरेटिंग बेस (सी ओ बी) दृष्टिकोण के आधार पर तैनात किया जाता है। इन कम्पनियों को प्रवेश/निर्गम के सभी रास्तों पर तैनात किया जाता है और ये घुसपैठ, हथियारों, गोला–बारुद, मादक पदार्थों, नकली करेंसी नोटों की तस्करी आदि को रोकते हैं।

मोरेह (मणिपुर) में बीपी संख्या 79 और 81 के बीच सीमा पर बाड़ लगाना

3.91 भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किमी. की बिना बाड़ वाली सीमा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश (520 किमी. नागालैण्ड (215 किमी.) और मिजोरम (518 किमी.) के साथ लगती है और सीमा के आर–पार 16 किमी. की दूरी तक मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति है। इससे यह अन्तरराष्ट्रीय सीमा अत्यधिक सुभेद्य हो गई है। इस सीमा पर पहाड़ी और कठिन मार्ग हैं जिस पर समग्र रूप से आधारभूत सुविधाओं की कमी है और इससे विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आई आई जी) की गतिविधियों को पर्याप्त आश्रय (कवर) प्राप्त होता है। भारत म्यांमार की बिना बाड़ वाली सीमा पर मुक्त आवाजाही की अनुमति का विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है।

3.92 भारत–म्यांमार सीमा क्षेत्र में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारत–म्यांमार सीमा पर बीपी संख्या 79 से 81 के बीच के क्षेत्र (लगभग 10 किमी.) पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा बाड़ लगाने के काम के लिए 30.96 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से

अनापत्ति ले ली गई है। मणिपुर सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 503.68 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। बाड़ लगाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का जीरो लाइन सर्वे अर्थात टोह सर्वेक्षण और ट्रेसकट (आर एस टी सी) का कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में बी.आर.ओ. को बाड़ लगाने के लिए 11.08 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 में बी.आर.ओ. को 4 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। बी. आर. ओ. से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 1.5 किमी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3.93 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और केन्द्रीय/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों की सुविधा और सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को समस्त आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराने और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और खुशहाली की भावना पैदा करने के लिए सीमा प्रबंधन के विस्तृत दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करता रहा है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 358 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। राज्यों को निधियां, अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं

बीएडीपी के अंतर्गत जिला पश्चिम कामेंग, अरुणाचल प्रदेश के खाजलांग, नाफरा ब्लाक में नदी पर निर्मित पुल

बी ए डी पी के अंतर्गत बोमडिला, जिला पश्चिम कामेंग, ब्लाक नाफरा में नदी पर निर्मित फुट सस्पेंशन ब्रिज

का कार्यान्वयन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में प्रदान की जाती हैं।

बी ए डी पी के दिशानिर्देश

3.94 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के तहत किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा जो निधियां वार्षिक आधार पर आबंटित की जाती हैं, उन्हें (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (किमी.); (ii) सीमावर्ती ब्लॉक की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती ब्लॉक के क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती राज्यों को पुनः आबंटित किया जाता है। उन राज्यों को कुल आबंटन के अतिरिक्त 15% का वेटेज दिया जाता है, जिनमें पहाड़ी/रेगिस्तानी/कच्छ क्षेत्र हैं। ये निधियां, सामान्य केन्द्रीय सहायता में जोड़ दी जाती हैं और इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए आबंटित किया जाता है। राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। पहली किस्त राज्य के कुल आबंटन का 90% होती है और दूसरी किस्त आबंटन की बाकी 10% धनराशि होती है।

3.95 इस कार्यक्रम की योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को भी बी ए डी पी के तहत लिया जा सकता है लेकिन ऐसी योजनाओं का व्यय, किसी वर्ष विशेष में कुल आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बी ए डी पी की

निधियों का उपयोग केवल पता लगाए गए सीमावर्ती ब्लॉकों की योजनाओं के लिए ही किया जाना चाहिए।

शक्ति प्राप्त समिति

3.96 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के क्षेत्रों, जिनमें योजनाओं को शुरु किया जाना है, राज्यों को निधियों का आबंटन और कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के तौर–तरीके का निर्धारण सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित शक्ति प्राप्त समिति द्वारा किया जा रहा है।

इंडस नदी प्रणाली की पूर्वोत्तर नदियों के जल का इष्टतम उपयोग

3.97 इंडस नदी प्रणाली की पूर्वोत्तर नदियों के जल का इष्टतम उपयोग किए जाने के महत्व को देखते हुए पंजाब (03 परियोजनाएं) और जम्मू और कश्मीर (06 परियोजनाएं) राज्यों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के तहत विशेष पहल के रूप में परियोजनायें शुरु की गई हैं। वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के दौरान 5,023.50 लाख रुपए {पंजाब को (1,994 लाख रुपए) और जम्मू और कश्मीर को (3,029.50 लाख रुपए)} जारी किए गए हैं। पंजाब में दो परियोजनाओं (माधोपुर और हुसैनीवाला

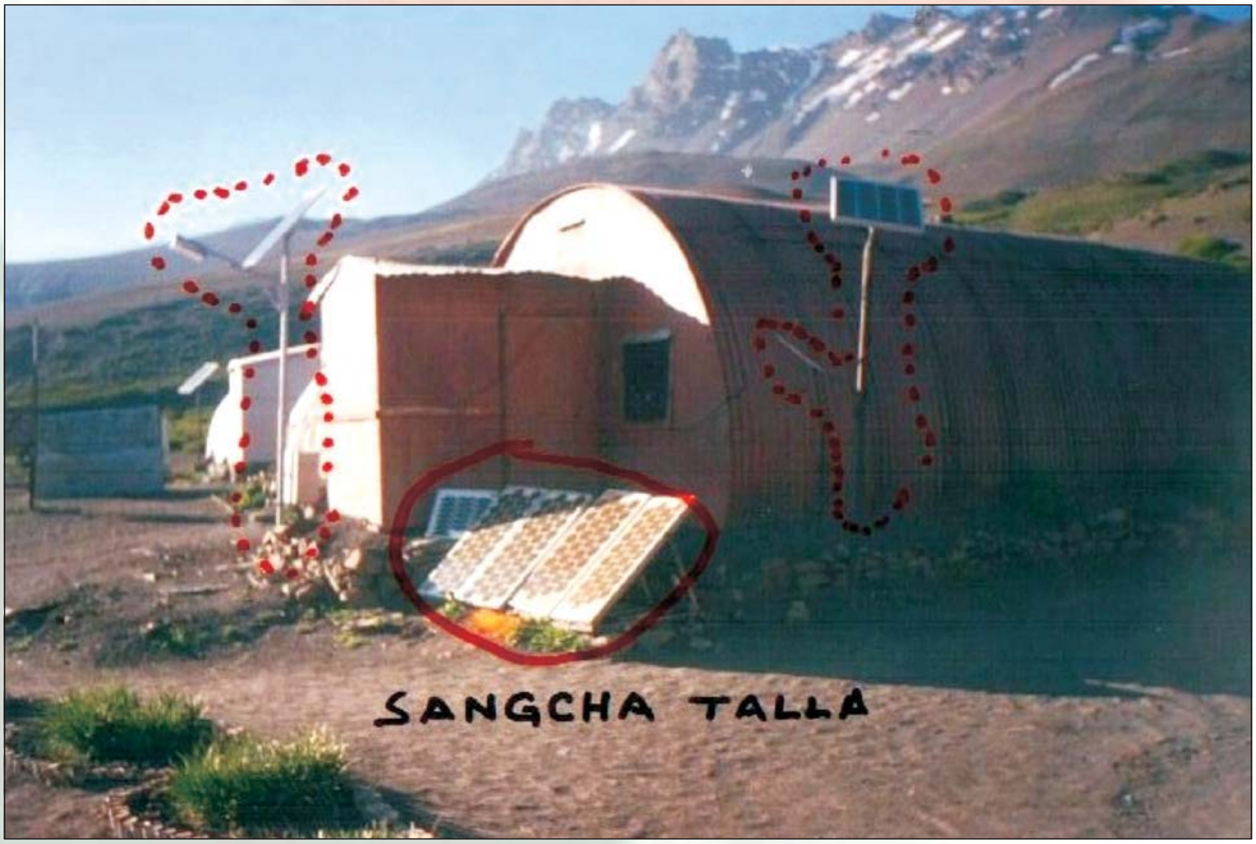

बी ए डी पी के अंतर्गत उत्तराखण्ड में भारत–चीन सीमा पर अधिक ऊंचाई पर आई टी बी पी चौकियों पर सोलर लाइट लगाना

बी ए डी पी के अन्तर्गत खटीमा, उत्तराखण्ड में हाई स्कूल में हैंड पम्प लगाना

हेडवर्क) का काम पूरा हो गया है और तीसरी परियोजना (हैरिके हेडवर्क) का कार्य प्रगति पर है, जबकि जम्मू और कश्मीर में परियोजनाओं का काम चल रहा है।

बी ए डी पी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.98 वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान 635 करोड़ रूपए और वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 691 करोड़ रूपए आबंटित किए गए थे जिसे पूर्णरूपेण जारी कर दिया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान बी ए डी पी के लिए 900 करोड़ रूपए का बजट आबंटित किया गया है। वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के दौरान बीएडीपी के अन्तर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(रू. लाख)

राज्य का नाम	2009–10		2010–11		2011–12 (31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)	
	आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन	जारी की गई राशि
अरूणाचल प्रदेश	6647.45	6647.45	5850ण00	5850.00	8573.00	7579.08
असम	2395.62	2395.62	4000.00	4000.00	3161.00	1661.79
बिहार	3660.00	3660.00	3715.00	3715.00	5577.00	4675.30
गुजरात	3269.00	3269.00	2800.00	2800.00	4164.00	2375.95
हिमाचल प्रदेश	1276.00	1276.00	1280.00	1280.00	2000.00	2000.00
जम्मू और कश्मीर	9877.74	9877.74	10000.00	10000.00	12500.00	12223.81
मणिपुर	2086.00	2086.00	1343.00	1343.00	2000.00	2000.00
मेघालय	1647.19	1647.19	1247.00	1247.00	2000.00	2000.00
मिजोरम	2494.42	2494.42	2506.00	2506.00	3702.00	3702.00
नागालैण्ड	1950.00	1950.00	2500.00	2500.00	1800.00	1620.00
पंजाब	2978.00	2978.00	2225.00	2225.00	3292.00	2517.00
राजस्थान	9296.00	9296.00	8696.00	8696.00	11409.00	8552.80
सिक्किम	1520.50	1520.50	2000.00	2000.00	1800.00	1126.17
त्रिपुरा	3005.89	3005.89	3579.00	3579.00	4126.00	4126.00
उत्तर प्रदेश	2995.23	2995.23	2905.00	2905.00	4546.00	4586.00
उत्तराखंड	2178.80	2178.80	2261.00	2261.00	3298.00	3296.87
पश्चिम बंगाल	6222.16	6222.16	10961.00	10961.00	14291.00	11818.27
कुल	**63500.00**	**63500.00**	**67868.00**	**67868.00**	**88239.00**	**75821.27**
आकस्मिकता आदि के लिए आरक्षित रखा गया				1761.00		
कुल जोड़					**90000.00**	

\-\-*

केन्द्र–राज्य संबंध

4.1 संघीय राजव्यवस्था में, घटक इकाइयों के बीच वृहत सामूहिक हित और आपसी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए नीतियों का समन्वयन और उनका कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण होता है। संविधान के अनुच्छेद 263 में नीतियों के समन्वयन और उनके कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

अंतर–राज्य परिषद (आई एस सी)

4.2 केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में अन्तर–राज्य परिषद (आई एस सी) का गठन दिनांक 28.5.1990 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत वर्ष 1990 में किया गया था ।

4.3 प्रधान मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित कैबिनेट स्तर के पाँच मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। अंतर–राज्य परिषद का पिछला पुनर्गठन 27.09.2011 को किया गया था।

4.4 अन्तर–राज्य परिषद एक अनुशंसात्मक निकाय है तथा इसको ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार–विमर्श करने तथा संस्तुतियां करने के कार्य सौंपे गए हैं जिनमें उस विषय से संबंधित नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वयन हेतु कुछ अथवा सभी राज्यों एवं केन्द्र तथा एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल होते हैं। यह परिषद के अध्यक्ष द्वारा इसके सामने लाए गए राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार–विमर्श करती है।

4.5 परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं तथा बैठक में परिषद के विचाराधीन सभी मुद्दों पर आम सहमति से निर्णय लिया जाता है तथा आम सहमति पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। परिषद को संविधान की धारा 263 के खंड (क) में उल्लिखित कार्य अर्थात् राज्यों के बीच पैदा हुए विवादों की जांच करने और सलाह देने का काम नहीं सौंपा गया है।

4.6 अन्तर–राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन वर्ष 1996 में किया गया था ताकि निरंतर परामर्श किया जा सके और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई की जा सके। केन्द्रीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और पांच कैबिनेट मंत्री तथा नौ मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 27.09.2011 को किया गया था। अब तक अन्तर राज्य परिषद की स्थायी समिति की 10 बैठकें हो चुकी हैं।

4.7 अब तक परिषद की 10 बैठकें को चुकी हैं। अपनी पहली 8 बैठकों में परिषद ने केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों पर ध्यान केन्द्रित किया और सभी सिफारिशों पर विचार किया है। इसकी 247 सिफारिशों में से, 180 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है, 65 सिफारिशों को अन्तर–राज्य परिषद/प्रशासनिक मंत्रालयों/संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा केवल 02 सिफारिशें स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अभी भी कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

4.8 परिषद ने अन्य आम नीतियों तथा अभिशासन के मुद्दों पर भी विचार किया है, जो कि ये हैं:

(क) संविदागत श्रम और संविदागत नियुक्ति;

(ख) सुशासन संबंधी कार्रवाई योजना की रूपरेखा;

(ग) आपदा प्रबंधन – आपदाओं से निपटने हेतु राज्यों की तैयारी;

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति।

4.9 परिषद का सचिवालय अन्तर–राज्य परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी करता है और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति/परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

4.10 परिषद के सचिवालय ने परिषद के विचारार्थ नए मुद्दों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अनेक कदम भी उठाए हैं। कुछ मुद्दे डाक विभाग, रेल मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी प्राप्त हुए हैं और परिषद के सचिवालय द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

4.11 भारत सरकार की ओर से अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय ने 50,000 अमरीकी डालर वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ वर्ष 2005 में फोरम आफ फेडरेशंस, ओटावा, कनाडा के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए एक ढांचागत करार किया था, जिसे बाद में वर्ष 2008 में अगले 3 वर्ष के लिए पुनः नवीकृत किया गया था।

इस ढांचागत करार को सितम्बर 2011 से आगे और 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नवीकृत किया गया है। इस करार का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय साझेदारी सृजित करना है जो संघवाद के व्यवहार, सिद्धांत और सम्भावनाओं के संबंध में बातचीत को बढ़ावा देकर फोरम और साझेदार सरकार को अभिशासन में सुधार करने तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेगा।

केन्द्र–राज्य संबंधों से संबंधित आयोग (सी सी एस आर)

4.12 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2010 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है। आयोग की रिपोर्ट सभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित सभी स्टेकहोल्डरों को आयोग की सिफारिशों पर उनके विचारित अभिमत हेतु परिचालित की गयी है और स्टेकहोल्डरों के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और कार्य

4.13 क्षेत्रीय परिषदों की संख्या पाँच है और ये सांविधिक निकाय हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर–राज्य तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साझा बैठक का आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। ये परिषदें उच्च स्तरीय निकाय हैं और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री इसके सदस्य हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के पद पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री होता है जो कि वार्षिक रूप से बदलता रहता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। ये स्थायी समितियाँ मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्रीय परिषदों की आगे की बैठकों के लिए आवश्यक आरम्भिक कार्य करने के उद्देश्य से समय–समय पर बैठकें आयोजित करती हैं। योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्कयता के आधार पर इन बैठकों से सम्बद्ध रहते हैं।

4.14 इन क्षेत्रीय परिषदों की इनके गठन के समय से लेकर अब तक 107 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी 41 बैठकें हो चुकी हैं।

4.15 क्षेत्रीय परिषदों/स्थायी समितियों के विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था, संबंधित राज्यों द्वारा अपराध और अपराधियों संबंधी सूचना का आदान–प्रदान, कारागार सुधार,

साम्प्रदायिक सद्भाव, एन.सी.आर. में मेट्रो चालू करना, एन.सी.आर. में सार्वजनिक यातायात वाहनों को सी एन जी में बदलना, पूरे एन सी आर में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए संबंधित राज्यों द्वारा परस्पर यातायात करार पर हस्ताक्षर करना और सामाजिक–आर्थिक समस्याओं जैसे कि महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के समाधान, आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी का सुदृढ़ीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी विधेयक के कार्यान्वयन और सुशासन इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं।

4.16 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.06.2011 को जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई थी। इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के मुख्य सचिवों और दिल्ली, चण्डीगढ़ और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

4.17 दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समितियों की बैठकें और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक यथाशीघ्र बुलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

--*

देश में अपराध परिदृश्य

अध्याय – V

5.1 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले अपराधों के निवारण, पंजीयन, पता लगाने एवं जांच करने और अपराधियों का अभियोजन करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों को हथियार, संचार, उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में सहायता करता है।

5.2 सूचित किए गए और पुलिस द्वारा जांच किए गए सभी संज्ञेय अपराधों को मोटे तौर पर भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत आने वाले या विशेष और स्थानीय कानून (एस एल एल) के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए अपराधों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया हैः–

वर्ष 2006–2010 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) और विशेष एवं स्थानीय कानून (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध की घटनाएं

वर्ष	अपराधों की संख्या			(अनुपात) (आईपीसीः एसएलएल)	दर (प्रति 1,00,000 की जनसंख्या पर)
	आई पी सी	एस एल एल	कुल		
2006	18,78,293	32,24,167	51,02,460	1:1.72	455.7
2007	19,89,673	37,43,734	57,33,407	1:1.88	504.5
2008	20,93,379	38,44,725	59,38,104	1:1.84	515.0
2009	21,21,345	45,53,872	66,75,217	1:2.15	570.8
2010	22,24,831	45,25,917	67,50,748	1:2.03	569.3

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.3 देश में वर्ष 2010 के दौरान वर्ष 2009 में हुए 21,21,345 आई पी सी अपराधों की तुलना में कुल 22,24,831 आई पी सी अपराध दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2010 में 4.9% की वृद्धि दर्शाता है। प्रतिशतता की दृष्टि से कुल संज्ञेय अपराधों की तुलना में आई पी सी अपराधों का हिस्सा वर्ष 2006 में

36.8% से घटकर वर्ष 2007 में 34.7% हो गया, यह वर्ष 2008 में बढ़कर पुनः 35.3% और वर्ष 2009 में घटकर 31.8% हो गया और वर्ष 2010 में पुनः बढ़कर 33.0% हो गया जो वर्ष 2006 – 2010 की पांच वर्ष की अवधि में एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है। देश में वर्ष 2010 के दौरान सूचित किए गए कुल आई पी सी अपराधों का लगभग 9.6% और 9.4% हिस्सा क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है।

अपराध दर

5.4 अपराध दर, जो प्रत्येक 1,00,000 की जनसंख्या पर घटित अपराधों की संख्या के रूप में परिभाषित की गई है, को सामान्यतः अपराध का वास्तविक सूचक माना जाता है क्योंकि इसका आकलन स्थान विशेष की जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्ष 2006–09 के दौरान देश में (आईपीसी + एसएलएल) कुल संज्ञेय अपराधों की दर में (वर्ष 2006 में 455.7 से बढ़कर वर्ष 2009 में 570.8) वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में अपराधों में 0.3% की दर से मामूली गिरावट आई। 187.6 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल (424.1) ने वर्ष 2010 के दौरान आईपीसी अपराधों की उच्चतम दर सूचित की है।

महिलाओं के प्रति अपराध

5.5 महिलाएं हत्या, लूट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे किसी भी आम अपराध की पीड़ित हो सकती हैं। केवल वे ही अपराध जो विशेष रूप से महिलाओं के प्रति किए जाते हैं महिलाओं के प्रति अपराध के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:–

(क) भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के तहत अपराध

(i) बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)

(ii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपहरण एवं व्यपहरण (भा.दं.सं. की धारा 363–369 और 371–373)

(iii) दहेज के लिए गैर इरादतन हत्या, दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास (भा.दं.सं. की धारा 302/304–ख)

(iv) उत्पीड़न–मानसिक और शारीरिक दोनों (भा.दं.सं. की धारा 498–क)

(v) छेड़छाड़ (भा.दं.सं. की धारा 354)

(vi) यौन शोषण (भा. दं. सं. की धारा 509)

(vii) लड़कियों का दुर्व्यापार (21 वर्ष की आयु तक) (भा.दं.सं. की धारा 366–ख)

(ख) विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध–लिंग सापेक्ष कानून, जिनके लिए अपराध के आंकड़े देश भर में दर्ज किए जाते हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

(ii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

(iii) महिला अभद्रता प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986

(iv) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987

वर्ष 2006–2010 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में प्रतिशत अंतर
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)	19,348	20,737	21,467	21,397	22,172	3.6
2.	अपहरण एवं व्यपहरण (भा.दं.सं. की धारा 363 से 373)	17,414	20,416	22,939	25,741	29,795	15.7
3.	दहेज हत्या (भा.दं.सं. की धारा 302/304)	7,618	8,093	8,172	8,383	8,391	0.1
4.	उत्पीड़न (भा.दं.सं. की धारा 498–ए)	63,128	75,930	81,344	89,546	94,041	5.0
5.	छेड़छाड़ (भा.दं.सं. की धारा 354)	36,617	38,734	40,413	38,711	40,613	4.9
6.	यौन शोषण (भा.दं.सं. की धारा 366)	9,966	10,950	12,214	11,009	9,961	-9.5
7.	लड़कियों का अवैध व्यापार (भा.दं.सं. की धारा 366–बी)	67	61	67	48	36	-25.0
8.	सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987	0	0	1	0	0	-
9.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956	4,541	3,568	2,659	2,474	2,499	1.0
10.	महिला अभद्रता प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम, 1986	1,562	1,200	1,025	845	895	5.9
11.	दहेज निषेध अधिनियम, 1961	4,504	5,623	5,555	5,650	5,182	-8.3
	कुल	**1,64,765**	**1,85,312**	**1,95,856**	**2,03,804**	**2,13,585**	**4.8**

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.6 वर्ष 2009 में सूचित की गई महिलाओं के प्रति अपराध की कुल 2,03,804 घटनाओं (आई पी सी और एस एल एल दोनों के अंतर्गत) की तुलना में देश में वर्ष 2010 के दौरान कुल 2,13,588 घटनाओं की सूचना दी गई थी, जिसमें वर्ष 2010 के दौरान 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इन अपराधों में वर्ष 2006–2010 के दौरान लगातार से वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 में 1,64,765 मामले, 2007 में 1,85,312 मामले, 2008 में 1,95,856 मामले, 2009 में 2,03,803 मामले और वर्ष 2010 में 2,13,585 मामले दर्ज किए गए थे । आंध्र प्रदेश नें, जहां देश की लगभग 7.1% जनसंख्या है महिलाओं के प्रति अपराध की कुल 27,244 घटनाएं सूचित की हैं जो ऐसी घटनाओं का 12.8% है । पश्चिम बंगाल की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 7.6% है, जहां वर्ष 2010 में देश में संदर्भाधीन महिलाओं के प्रति अपराध की कुल 12.2% घटनाएं हुईं अर्थात् कुल 26,125 मामले सूचित किए गए।

अपराध दर

5.7 वर्ष 2009 में अपराध की दर 17.4 से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2010 में 18.0 हो गई है। वर्ष 2010 के दौरान त्रिपुरा ने महिलाओं के प्रति अपराधों में 46.5 की उच्चतम दर सूचित की।

महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय

5.8 दिनांक 04.09.2009 को एक विस्तृत परामर्शी–पत्र सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश में महिलाओं के प्रति अपराधों को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावकारिता की विस्तृत समीक्षा करने का परामर्श दिया गया है। यह परामर्शी–पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है। परामर्शी–पत्र में सुझाए गए कुछ विशेष कदम निम्नानुसार हैं:

(i) विद्यमान विधायनों को सख्ती से लागू करना और कानून का उचित प्रवर्तन एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों की दोषसिद्धि सुनिश्चित करना;

(ii) प्रशासन और पुलिस को महिलाओं के प्रति अपराध का पता लगाने और उसकी जांच–पड़ताल करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं रिपोर्ट दर्ज न किए जाने का कोई मामला न हो;

(iii) पुलिस बलों में महिलाओं के समग्र प्रतिनिधित्व को बढ़ाना;

(iv) सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों के लिए और आपराधिक न्याय प्रणालियों से सम्बद्ध अन्य अधिकारियों के लिए सुगठित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों, बैठकों और सेमिनारों इत्यादि के आयोजन द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में कानून प्रवर्तन तंत्र को सुग्राही बनाना;

(v) महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

(vi) महिलाओं के प्रति अपराध सेल संबंधी हेल्पलाइन नम्बरों को अस्पतालों/विद्यालयों/कॉलेज परिसर में और अन्य उचित स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(vii) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशिष्ट रूप से महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध डेस्क और पुलिस स्टेशनों एवं सभी महिला पुलिस थानों में आवश्यकतानुसार विशेष महिला पुलिस कक्षों की स्थापना की जानी चाहिए।

(viii) सड़कों पर सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निम्नलिखित के संबंध में समुचित कदम उठाने चाहिए:–

(क) विशेष रूप से सुदूर और एकांत क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथ/कियोस्क की संख्या में बढ़ोतरी करना;

(ख) विशेष रूप से रात में गश्त को बढ़ाना,

(ग) मोबाइल पुलिस वैनों में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना;

(घ) पुलिस से सीधे एवं सुलभ सम्पर्क के लिए टेलीफोन बूथों की स्थापना करना;

(ङ) सभी सड़कों, एकांत क्षेत्रों और गलियों में लोगों के अनुकूल स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करना; और

(च) यह सुनिश्चित करना कि सभी सड़कों, एकांत क्षेत्रों और गलियों में स्ट्रीट लाइटें उचित रूप से और प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ix) कॉल सेन्टरों की रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।

(x) सभी पुलिस थानों को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त क्षेत्र विशेष के सुरक्षा अधिकारियों के नाम और अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करने की सलाह दी जाय।

5.9 गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है।

प्रतिष्ठा हत्या (ऑनर किलिंग)

5.10 गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.09.2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक विस्तृत परामर्शी–पत्र भेजा गया है। उक्त परामर्शी–पत्र के पैरा–33 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि प्रतिष्ठा हत्या के मामलों में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।

5.11 प्रतिष्ठा–हत्या और उससे संबंधित मामलों का पता लगाने/निपटान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने अथवा एक अलग विधेयक बनाने पर विचार करने हेतु केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल (जी ओ एम) का गठन भी किया गया है।

बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2006–2010 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में प्रतिशत अंतर
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	हत्या	1,324	1,377	1,296	1,488	1,408	.5.4
2.	शिशु हत्या	126	134	140	63	100	58.7
3.	बलात्कार	4,721	5,045	5,446	5,368	5,484	2.2
4.	अपहरण एवं व्यपहरण	5.102	6.377	7.650	8.945	10.670	19.3
5.	भ्रूण हत्या	125	96	73	123	111	-9.8
6.	आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण	45	26	29	46	56	21.7
7.	त्याग और परित्याग	909	923	864	857	725	-15.4
8.	अवयस्क बालिकाओं की खरीद	231	253	224	237	679	186.5
9.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद	35	40	30	32	78	143.8
10.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री	123	69	49	57	130	128.1
11.	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	99	96	104	3	-	-
12.	अन्य अपराध	6,127	5,974	6,595	6,982	7,253@	3.8
	कुल	**18,517**	**20,410**	**22,500**	**24,201**	**26,694**	**10.3**

@ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 सहित

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.12 देश में वर्ष 2009 में बच्चों के प्रति अपराध के 24,201 मामलों की तुलना में वर्ष 2010 में कुल 26,694 मामले सूचित किए गए जो 10.3% की वृद्धि दर्शाता है। आई पी सी अपराधों के अंतर्गत अवयस्क बालिकाओं की खरीद के मामले वर्ष 2009 में 237 से बढ़कर वर्ष 2010 में 679 हो गए जो वर्ष 2009 की तुलना में 186.5% की वृद्धि दर्शाते हैं। अपहरण और व्यपहरण की संख्या में वर्ष 2009 (857 मामलों) की तुलना में वर्ष 2010 (725 मामले) 15.4% की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश ने 4,912 मामलों के साथ, वर्ष 2010 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध की उच्चतम 18.4% घटनाओं की सूचना दी।

अपराध दर

5.13 बच्चों के प्रति अपराध की दर में मामूली वृद्धि हुई जो वर्ष 2009 में 2.1 से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2010 में 2.3 हो गई है।

बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय

5.14 दिनांक 14.07.2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत सलाह भेजी गई है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाले अपराधों का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी गयी है। यह सलाह गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है। सलाह में सुझाए गए कुल विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं–

i. बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित सभी विद्यमान विधानों अर्थात् बालश्रम निवारण (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, मानव दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2008 में यथा संशोधित) और भारतीय दण्ड संहिता की प्रासंगिक धाराओं को कड़ाई से लागू करना।

ii. विधि प्रवर्तन तंत्र अर्थात् पुलिस और दण्ड न्याय प्रणाली के अन्य पदाधिकारियों को सुसंगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में सुग्राही बनाना। किशोर न्याय (जे जे) और मानवाधिकार (एचआर) से संबंधित जानकारी सहित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कांस्टेबलों, उप–निरीक्षकों और उप–पुलिस अधीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित सभी स्तरों पर विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किए जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) और राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी सी डी) की सहायता ली जा सकती है।

iii. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अनन्य रूप से 'महिलाओं/बच्चों के प्रति अपराध' डेस्क स्थापित करना। बच्चों के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी में (एफ आई आर) दर्ज करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। प्राथमिकी में उल्लिखित सभी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके। प्रशासन और पुलिस को बच्चों के प्रति अपराध का पता लगाने एवं उसकी जाँच करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

iv. बच्चों के प्रति अपराध के मामलों की पूर्णरूपेण जाँच की जानी चाहिए और जाँच की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपराध होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप–पत्र दायर कर दिए जाने चाहिए। प्राथमिकी दर्ज किए जाने से लेकर मामले

के निपटान तक ऐसे मामलों का उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बलात्कार, हत्या आदि जैसे जघन्य अपराधों के संबंध में त्वरित जाँच की जानी चाहिए। बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच अविलम्ब की जानी चाहिए।

v. ऐसे अपराधों से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि अपराध के बाद होने वाले सदमें से सूझबूझ से निपटने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। पेशेवर परामर्शदाताओं का पैनल बनाकर पीड़ित एवं उसके परिवार को परामर्श दिया जाना चाहिए।

vi. विद्यालयों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बच्चों के पार्कों/खेल के मैदानों, रिहाइशी कालोनियों/सड़कों इत्यादि में सुरक्षा की स्थितियों में सुधार के लिए हर कदम उठाना। अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और विद्यार्थियों, विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिएः–

क. बीट कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि करना;

ख. विशेष रूप से दूरस्थ एवं एकांत क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या में वृद्धि करना;

ग. विशेषकर रात्रि के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना;

vii. बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित विधानों और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए स्थापित तंत्र के बारे में सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता हैः–

क. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करना;

ख. इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने और इसका प्रसार करने में बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करनाः

ग. बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने की संभावना का पता लगाना।

घ. बच्चों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित करना और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

viii. स्थानीय पुलिस को 'चाइल्डलाइन– 1098 सर्विस' (जो आपातिक स्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण देश में चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सी आई एफ) द्वारा संचालित की जा रही

आपातिक सेवा है) और गैर–सरकारी संगठनों के साथ, जब कभी और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, आपसी सहायता और मदद के लिए सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए।

ix. किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 में यथा–संशोधित) के तहत बनाए गए नियमों का उचित कार्यान्वयन करते हुए किशोर अपराधियों के संबंध में केवल कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इनमें कानून के विरुद्ध चलने वाले बच्चों और सुरक्षा और संरक्षण की आवश्कता वाले बच्चों के संबंध में कार्रवाई करने की विस्तृत प्रक्रियाएं और अपेक्षाएं सन्निहित हैं।

x. बाल श्रम और बच्चों के किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं। बालश्रम प्रतिषेध (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के मामलों में विधि प्रवर्तन एजेंसियों के राज्य श्रम विभाग को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिए।

xi. दुर्व्यवहार/बाल विवाह संबंधी अपराध से बच्चों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में यथा अपेक्षित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्हें बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 (सी पी सी आर अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी गठित करने चाहिए।

मानव दुर्व्यापार

वर्ष 2006–2010 के दौरान मानव दुर्व्यापार की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में प्रतिशत अन्तर
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	नाबालिग बालिकाओं का प्रापण	231	253	224	237	679	186.5
2.	बालिकाओं का आयात	67	61	67	48	36	.25.0
3.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री	123	69	49	57	130	128.1
4.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद	35	40	30	32	78	143.8
5.	मानव दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम	4,541	3,568	2,659	2,474	2,499	1.0
	कुल	**4,997**	**3,991**	**3029**	**2848**	**3,422**	**20.2**

5.15 मानव दुर्व्यापार के इन शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों में पिछले 5 वर्षों के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं :– तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल में क्रमशः 580, 427, 360 और 315 ऐसे मामले दर्ज किए गए।

वर्ष 2006–2010 के दौरान आईपीसी, एस.एल.एल और मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत दर्ज मामले

क्रम सं.	वर्ष	कुल आईपीसी अपराध	कुल एसएलएल अपराध	मानव दुर्व्यापार अपराध	मानव दुर्व्यापार अपराधों की दर
1.	2006	18,78,293	32,24,167	4,997	0.4
2.	2007	19,89,673	37,43,734	3,991	0.4
3.	2008	20,93,379	38,44,725	3,029	0.3
4.	2009	21,21,345	45,53,872	2,848	0.2
5.	2010	22,24,831	45,25,917	3,422	0.3

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.16 वर्ष 2010 को छोड़कर, वर्ष 2006 से 2009 तक मानव दुर्व्यापार के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। वर्ष 2009 में कुल 2848 मामलों की तुलना में वर्ष 2010 में मानव दुर्व्यापार के कुल 3422 मामले हुए जो वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में 20.2% की वृद्धि दर्शाते हैं। बालिकाओं के आयात शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2009 की तुलना वर्ष 2010 में 25.0% गिरावट दर्ज की गई। इसी अवधि में नाबालिग बालिकाओं के प्रापण में 186.5% की वृद्धि दिखाई दी। वर्ष 2010 में मानव दुर्व्यापार के कुल 3422 मामलों में से 633 मामले आंध्र पदेश में दर्ज किए गए। वर्ष 2010 में

अपराध दर

5.17 वर्ष 2006–07 में मानव दुर्व्यापार के अधीन अपराध दर 0.4, वर्ष 2008 में 0.3, वर्ष 2009 में 0.2 और वर्ष 2010 में 0.3 थी। अतः वर्ष 2006–10 के दौरान अपराध दर में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी।

मानव दुर्व्यापार–रोधी एकक

5.18 मानव दुर्व्यापार संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक नोडल सेल गठित किया गया है। यह सेल अन्य बातों के साथ–साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से मानव दुर्व्यापार संबंधी डाटा इकट्ठा और विश्लेषण करने, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके

स्रोत/पारगमन/लक्षित स्थानों का विश्लेषण करने, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों की मॉनिटरिंग करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2007 से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारियों के साथ 05.07.2007, 02.04.2008, 30.01.2009, 28.08.2009, 12.07.2010, 03.11.2010, 18.01.2011, 17.03.2011, 27.06.2011 और 30.09.2011 को 10 बैठकें हुई हैं। ये समीक्षा बैठकें निम्नतम स्तर पर मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराध के मामलों को प्राथमिकता देने और अंतर–राज्य समन्वय में प्रभावी होने के लिए महत्वपूर्ण रहीं।

प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के माध्यम से और मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां (इएचटीयू) स्थापित करके अवैध दुर्व्यापार के प्रति विधि प्रवर्तक अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण संबंधी व्यापक योजना

5.19 गृह मंत्रालय प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव दुर्व्यापार के विरूद्ध भारत में विधि प्रवर्तन अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण के संबंध में एक व्यापक योजना मंजूर की है, जिसमें तीन वर्षों में पूरे देश में 330 मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) संघटक के माध्यम से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने 115 मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों को पहली किस्त के रूप में 8.72 करोड़ रूपये की निधियां जारी की हैं। 101 मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां राज्यों में स्थापित की गई। 93 अतिरिक्त मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी निधियों से स्थापित की गईं। वर्ष 2011–12 के लिए 110 और मानव दुर्व्यापार रोधी इकाईयां स्थापित करने के लिए 8.38 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के लिए कार्यशाला

5.20 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला/प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 12.05.2011 से 14.05.2011 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

मानव दुर्व्यापार के संबंध में राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र

5.21 भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार के अपराध से निपटने की प्रभावकारिता में सुधार करने और विधि प्रवर्तन तंत्र की अनुक्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल करते हुए दिनांक 09.09.2009 को एक व्यापक और समेकित परामर्शी–पत्र जारी किया है। यह परामर्शी–पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है।

क्षेत्रीय कार्यदल की चौथी बैठक

5.22 दक्षिण एशिया में महिला एवं बाल दुर्व्यापार और बाल कल्याण के संवर्धन से

संबंधित सारक समझौते के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यदल की चौथी बैठक 25.11.2011 और 26.11.2011 को काबुल, अफगानिस्तान में हुई।

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध

वर्ष 2006–2010 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में प्रतिशत अंतर
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	हत्या	673	674	626	624	570	8.7
2.	बलात्कार	1.217	1.349	1.457	1.346	1.349	0.2
3.	अपहरण एवं व्यपहरण	280	332	482	512	511	-0.2
4.	डकैती	30	23	51	44	42	-4.5
5.	लूटपाट	90	86	85	70	75	7.1
6.	आगजनी	226	238	225	195	150	.23.1
7.	चोट पहुँचाना	3,760	3,814	4,216	4,410	4,376	-0.8
8.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	405	206	248	168	143	-14.9
9.	अनु.जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम	8,581	9,819	11,602	11,143	10,513	-5.7
10.	अन्य	11,808	13,490	14,623	15,082	14,983	-0.7
11.	**कुल**	**27,070**	**30,031**	**33,615**	**33,594**	**32,712**	**-2.6**

*** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आई पी सी और अन्य अधिनियमों के साथ–साथ क्रम संख्या 9 में दर्शाए गए मामलों को छोड़कर उपर्युक्त सभी मामलों में लागू है।**

की तुलना में वर्ष 2010 में बलात्कार के मामलों में 0.2% की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में अनुसूचित जाति के प्रति अपहरण और व्यपहरण, डकैती, आगजनी, चोट पहुंचाने और अन्य अपराधों में क्रमशः 0.2%, 4.5%, 23.1%,

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.23 वर्ष 2010 में अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों में 2.6% की कमी देखी गई क्योंकि वर्ष 2009 में सूचित किए गए 33,594 मामलों की तुलना में वर्ष 2010 में 32,712 मामले हुए। यह कमी बलात्कार और लूटपाट शीर्षों को छोड़कर अन्य सभी अपराधी शीर्षों में देखी गई। वर्ष 2009

0.8% और 0.7% की कमी आई। वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में 14.9% की गिरावट आई। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में 5.7% की कमी दिखाई दी। वर्ष 2010 के दौरान, देश में अनुसूचित जाति के प्रति अपराध की

घटनाओं में उत्तर प्रदेश ने 6,272 मामलों के साथ 19.2% घटनाओं की सूचना दी।

अपराध–दर

5.24 अनुसूचित जाति के प्रति अपराध की दर वर्ष 2010 में 2.8 थी जो वर्ष 2009 में 2.9 की तुलना में मामूली कम थी।

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध

गए जो वर्ष 2010 में हुए 5,885 मामलों की तुलना में 8.5% की वृद्धि दर्शाता है। केवल लूटपाट के मामलों और अन्य मामलों में कमी देखी गई। अन्य अपराध–शीर्षों में वृद्धि देखी गई है। देश में घटित कुल मामलों में से राजस्थान में 22.4%(1,319) के बाद मध्य प्रदेश में 23.5%(1,384) मामले सूचित किए गए। वर्ष 2010

वर्ष 2006–2010 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में प्रतिशत अंतर
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	हत्या	195	140	128	118	142	20.3
2.	बलात्कार	699	627	585	583	654	12.2
3.	अपहरण एवं व्यपहरण	88	89	93	82	84	2.4
4.	डकैती	12	9	14	3	7	133.3
5.	लूटपाट	29	21	18	24	5	-79.2
6.	आगजनी	46	54	49	29	39	34.5
7.	चोट पहुँचाना	838	855	873	787	941	19.6
8.	सिविलि अधिकार संरक्षण अधिनियम	49	5	6	2	5	150
9.	अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	1,232	1,104	1,022	944	1,169	23.8
10.	अन्य	2,603	2,628	2,794	2,853	2,839	-0.5
11.	**कुल**	**5.791**	**5.532**	**5.582**	**5.425**	**5.885**	**8.5**

*** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आई पी सी और अन्य अधिनियमों के साथ–साथ क्रम संख्या 9 में दर्शाए गए मामलों को छोड़कर उपर्युक्त सभी मामलों में लागू है।**

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.25 देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति वर्ष 2009 के दौरान कुल 5,425 मामले सूचित किए के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की सर्वाधिक घटनाओं की सूचना मध्य प्रदेश (1,384) ने दी है, जो पूरे देश में घटित कुल 5,885 अपराधों का 23.5% है।

अपराध दर

5.26 अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में 0.5 पर ही स्थिर रही।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध को रोकने के लिए किए गए उपाय

5.27 सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 01.04.2010 को एक विस्तृत सलाह भेजी गई है, जिसमें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाले अपराधों का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी गई है। यह सलाह गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.ni.in पर भी उपलब्ध है। सलाह में सुझाए गए कुछ विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:–

i. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध से संबंधित सांविधिक प्रावधानों और मौजूदा विधानों का जोरदार तरीके से और ईमानदारीपूर्वक प्रवर्तन।

ii. सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों में उचित विधि–प्रवर्तन और दोषसिद्धि सुनिश्चित करे। प्रवर्तन एजेन्सियों को साफ–साफ यह अनुदेश दिया जाना चाहिए कि कमजोर और संवदेनशील वर्गों के अधिकारों के प्रवर्तन को भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों और प्रतिकार के भय से कम नहीं आंका जाना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए।

iii. प्रशासन और पुलिस को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों का पता लगाने और उनकी जांच करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले समान रूप से दर्ज हों।

iv. दंड न्याय प्रणाली के अन्य पदाधिकारियों के साथ–साथ, सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों और अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के लिए सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के प्रति विधि प्रवर्तन तंत्र को सुविज्ञ बनाया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को सभी स्तरों पर विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों/अकादमियों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पुलिस कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

v. पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों के बयानों के अनुसार कानून की उपयुक्त धाराओं को लागू करने का निदेश दिया जाना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों को अंजाम देने वालों की सहायता करने संबंधी किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

vi. सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में, सामान्यतः प्रशासन तथा विशेषकर पुलिस कार्मियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और न केवल ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए बल्कि उनसे अति संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए।

vii. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग को, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

क) प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जागरूकता पैदा करना;

ख) हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषण के मामलों को रोकने के लिए एक सामुदायिक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित करना तथा इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

ग) इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने तथा इसका प्रसार करने में बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करना; और

घ) कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

viii. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उचित तंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ix. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करने संबंधी क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। समाज में इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा अनु. जातियों/अनु.जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों को प्रकाश में लाए जाने में सहायता करने और उनके खिलाफ अपराधों की जांच में पुलिस की सहायता करने के लिए भी नागरिक समूहों और गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

x. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए।

xi प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर सक्षम न्यायालय द्वारा मामले के निपटान तक अनु.जातियों/अनु. जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामलों का समुचित स्तर पर उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

xii. जांच को तेज करने तथा साक्ष्य को समय पर जुटाने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु जांच अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जांचाधीन अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों द्वारा दायर आपराधिक मामलों को शामिल करते हुए एक अलग समीक्षा की जानी चाहिए।

xiii. राज्य सरकारों में संबंधित प्राधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग सहित, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों की रिपोर्टों की उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें।

xiv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों के जीवन तथा सम्पत्ति को बचाने हेतु निवारक उपाय करने के लिए अत्याचार – प्रवण क्षेत्रों की पहचान की जाए। ऐसे संवदेनशील क्षेत्रों के पुलिस थानों में पुलिस व्यवस्था संबंधी अवसंरचना से पूर्णतया लैस समुचित संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाने चाहिए।

xv. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों में तैनाती करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुलिस कर्मियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय का विश्वास प्राप्त किया जा सके।

xvi. अनु.जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध के मामलों के विचारण में विलम्ब पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति/मासिक बैठकों में नियमित आधार पर चर्चा की जाय और इन बैठकों में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा जिले के लोक अभियोजक उपस्थित रहें।

xvii. जिला पुलिस अधीक्षकों को, जांच–अदालतों में ऐसे मामलों के शीघ्र विचारण के लिए पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी गवाहों समेत सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों की समय से उपस्थिति एवं संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

xviii. राज्य सरकार को अत्याचार पीड़ितों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। अत्याचार के मामले में मारे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के परिवार के लिए राहत की मात्रा को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर उन मामलों में, जहां मृतक परिवार का एक कमाऊ सदस्य रहा हो अथवा वह शारीरिक रूप से कमाने योग्य रहा हो। वे राज्य जिन्होंने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मौद्रिक राहत एवं पुनर्वास की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की है वे बिना किसी और विलंब के इसे निर्धारित करें।

xix. सिविल अधिकारों का संरक्षण (पी.सी.आर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन मामलों के शीघ्र निपटारे में पुलिस तथा न्यायपालिका के सामने आ रही समस्याओं के संदर्भ में इन अधिनियमों की कार्यशैली के मूल्यांकन हेतु नमूना सर्वेक्षण/अध्ययन करें और ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए समुचित उपाय करें।

xx. मानव प्रतिष्ठा के चरम उल्लंघन के मामले में पुलिस को शुरूआती स्तर पर ही त्वरित और कड़ी निवारक कार्रवाई करनी चाहिए। मानवाधिकारों के चरम उल्लंघन की ऐसी घटनाओं में संक्षिप्त विचारण के बाद दोषियों को निवारक दण्ड दिया जाना चाहिए।

5.28 इसके अनुपालन में, कई राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(ii) अत्याचार प्रवण/संवदेनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(iii) अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय नामोदिष्ट किए गए हैं;

(iv) जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं; और

(v) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ गठित की गई हैं।

शारीरिक अपराध

5.29 शारीरिक अपराध में हत्या, हत्या करने के प्रयास, सदोष मानववध जो हत्या न हो, व्यपहरण और अपहरण तथा चोट पहुंचाने, लापरवाही से हुई मौत संबंधी अपराध शामिल हैं, जो वर्ष 2010 में 5,00,343 रही जो वर्ष के दौरान हुए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले कुल अपराधों का 22.5 प्रतिशत है। शारीरिक अपराधों में वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 के दौरान 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

संपत्ति के प्रति अपराध

5.30 वर्ष 2010 के दौरान संपत्ति के प्रति कुल 4,50,857 अपराध दर्ज किए गए थे जिनमें डकैती, डकैती डालने के लिए एकत्र होना, लूट–पाट, सेंधमारी और चोरी शामिल है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2009 के दौरान 4,46,110 अपराध दर्ज किए गए थे, जो 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दंड संहिता के कुल अपराधों की तुलना में इन अपराधों का हिस्सा 20.3 प्रतिशत था।

लोक व्यवस्था के प्रति अपराध

5.31 वर्ष 2009 में लोक व्यवस्था के प्रति अपराध, जिनमें दंगे और आगजनी शामिल हैं, के कुल 71,678 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2010 में हुए 76,079 अपराधों के मामलों में 6.1% की वृद्धि को दर्शाता है।

विशेष और स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध

5.32 वर्ष 2010 के दौरान विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत कुल 45,25,917 अपराध सूचित किए गए जबकि वर्ष 2009 में 45,53,872 अपराध सूचित किए गए थे जो वर्ष 2010 में 0.6 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

--*

अध्याय – VI

मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता

मानवाधिकार

6.1 भारत के संविधान में लगभग सभी सिविल और राजनीतिक अधिकारों के सुरक्षोपायों के संबंध में उपबंध और उनकी गारंटी विद्यमान है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रोत्साहन और बचाव को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए समान और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। हमारे देश के सिविल और आपराधिक कानून भी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के स्थायी तंत्र हैं और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6.2 इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके और राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी)

6.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन किया गया था। इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एन एच आर सी का एक मुख्य कार्य शिकायत प्राप्त करना और सरकारी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के जरिये भूलचूक से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल शुरू करना और ऐसे उल्लंघनों की सूचना आयोग को मिलने के एक साल के अंदर मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है। वर्ष 2011–12 (दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि) के दौरान विचारार्थ 74,918 मामले दर्ज किए गए और आयोग ने 45,571 मामले निपटाए हैं, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रेनीत मामले भी शामिल हैं। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित) के अनुरूप राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा निपटान के लिए उन्हें 19,355 मामले अंतरित भी किए हैं। उक्त अवधि के दौरान, आयोग ने 420 मामलों में अंतरिम राहत के रूप में 1,029.09 लाख रुपये के भुगतान की सिफारिश की।

वैधानिक पूर्ण आयोग

6.4 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(3) के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन सी एम), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन सी एस सी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन सी एस टी) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) के अध्यक्षों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों को करने और इन कार्यों को करने के लिए उठाए गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आयोग का सदस्य माना जाएगा। ये कार्य वैधानिक पूर्ण आयोग को सौंपे गए थे जिनमें एन सी एम, एन सी एस सी, एन सी एस टी और एन सी डब्ल्यू के अध्यक्ष शामिल हैं।

6.5 वैधानिक पूर्ण आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं (i) एन सी एम का अध्यक्ष (ii) एन सी एस सी का अध्यक्ष (iii) एन सी एस टी का अध्यक्ष, (iv) एन सी डब्ल्यू का अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठकों में विशेष आमंत्रित व्यक्ति होता है। वैधानिक पूर्ण आयोग की अंतिम बैठक दिनांक 14.06.2011 को हुई थी।

मामलों की जांच–पड़ताल

6.6 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान जांच प्रभाग को निदेश दिया गया था कि वह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन के 48 मामलों की तत्काल जांच करे। ये मामले मुख्यतः हिरासत में मौतों, मुठभेड़ के मौतों, हिरासत में पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार और यौन उत्पीड़न, हिरासत में यातना, झूठे निहितार्थ, अवैध रूप से बंद करने, बंधुआ मजदूरी, अनुसूचित जातियों (अजा)/अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अन्य लाभवंचित समूहों के प्रति अत्याचार, चिकित्सीय लापरवाही और सरकारी अस्पतालों में उचित चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही के कारण मौत, सर पर मैला ढोने, पर्यावरणीय प्रदूषण और एंडोसल्फेन, सिलिकोसिस जैसे पर्यावरण संबंधी अन्य मुद्दों, और लोकटक केस, सम्मान के लिए हत्या, विद्यार्थियों की रैगिंग, जेलों, अस्पतालों, विद्यालयों और बालगृहों में अमानवीय स्थिति से संबंधित शिकायतों पर केन्द्रित थे।

6.7 वर्ष 2011–12 (दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक) के दौरान, एन एच आर सी के जांच–पड़ताल विभाग ने न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु के 1,331 मामलों और पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के 150 मामलों सहित हिरासत में हुई मृत्यु के कुल 1,481 मामलों में कार्रवाई की है। इस प्रभाग ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के 39 मामलों में भी कार्रवाई की है।

मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम

6.8 आयोग ने विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकार जागरूकता का प्रसार करने और मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न उपायों के प्रवर्तन का बेहतर आकलन सुकर बनाने के लिए भी अपने क्षेत्रगत

कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में एक–एक के हिसाब से देश में कुल 28 जिलों का चयन किया है। इस प्रयास में (i) खाद्य सुरक्षा, (ii) शिक्षा का अधिकार (iii) स्वास्थ्य, आरोग्यता और स्वच्छता का अधिकार (iv) हिरासत में न्याय (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मानवाधिकार के मुद्दे (vi) संस्कृति और सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण का अधिकार और (vii) जीवन और जीने की अवस्थाओं का अधिकार और सरकार और पंचायतों के दायित्वों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे आयोग को जमीनी स्तर पर स्थिति का प्राथमिक रूप में ही विचार करने का अवसर मिल जाता है और इससे इसे मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए भावी रणनीतियों की योजना बनाने में सहायता भी मिलती है। आयोग ने अभी तक 16 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

बंधुआ मजदूरी और बालश्रम

6.9 आयोग ने निर्णय लिया है कि वह चालू वर्ष अर्थात वर्ष 2011 के दौरान 'बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी' के मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इस वर्ष के दौरान बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर आयोग द्वारा क्रियाकलापों का निम्नलिखित चार्टर प्रस्तावित हैः–

क) बंधुआ मजदूरी पर एक कोर ग्रुप का गठन करना। (नवम्बर, 2011 में एन एच आर सी ने बंधुआ मजदूरी पर 09 सदस्यों वाले एक कोर ग्रुप का गठन किया है)।

ख) बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी आयोजित करना। (दिनांक 30.09.2011 को नई दिल्ली में एन एच आर सी द्वारा बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी)।

ग) बंधुआ मजदूरी प्रवण राज्यों में प्रत्येक जिले में कार्यशालाएँ आयोजित करना तत्पश्चात् राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करना। अहमदाबाद और बैंगलूरू में क्रमशः नवम्बर 2011 और दिसम्बर, 2011 में बंधुआ मजदूरी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

घ) एन एच आर सी की एक ऐसी टीम का गठन करना जो बंधुआ मजदूरी प्रवण क्षेत्रों में औचक दौरा कर सके।

ङ.) राज्यों के लिए एक अनुदेश मेनुअल विकसित करना जिसमें बंधुआ मजदूरी पर विस्तृत चेकलिस्ट हो। नवम्बर, 2011 में प्रारूप को अंतिम रूप देने को पश्चात् आयोग ने अपेक्षित सूचना भेजने के लिए इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया है।

च) जिलों में तथ्यात्मक स्थिति की निगरानी करने के लिए एक सरल प्रारूप तैयार करना।

छ) बंधुआ मजदूरी पर केन्द्र और राज्य सरकारों की विद्यमान योजनाओं की समीक्षा करना।

ज) राज्यों को सतर्कता समितियों (उप–संभाग और जिला) के सभी सदस्यों और श्रम विधि प्रवर्तन के फील्ड कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रवण

प्रत्येक जिले में अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सिफारिश करना।

झ) राज्यों को सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों को सदस्यों के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी और समन्वय समिति गठित करने के लिए सिफारिश करना।

6.10 बंधुआ मजदूरी अधिनियम, 1976 के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों को शामिल करते हुए किसी राज्य के उचित जिले में सुग्राही बनाने की कार्यशाला आयोजित किए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय को दिए गए वचन के अनुसरण में एनएचआरसी ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के सहयोग से राज्य सरकारों के जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और अन्य अधिकारियों के लिए सुग्राही बनाने की ऐसी 24 कार्यशालायें आयोजित कीं।

6.11 उक्त अवधि के दौरान, आयोग ने संबंधित राज्य सरकार के साथ समन्वय से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर निम्नलिखित दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैः–.

6.12 बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी से संबंधित मुद्दों पर राज्य, जिला, तालुक और पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के संबंधित डी एम, एस पी, एस डी एम, एन जी ओ और समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसमें आगे बढ़कर भाग लेने और अभिव्यक्ति मूलक ढंग से चर्चा की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य मुद्दों की निश्चयात्मकता और वैचारिकता के बारे में संदेह, आशंका, भ्रांतियों को दूर करना, उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून के उपबंधों की व्यवस्था, पहचान की क्रिया पद्धति, बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना, ईंटों और पत्थर की खुली खानों आदि में कार्य कर रहे प्रवासी बंधुआ मजदूरों की विशेष समस्याओं को हल करना है।

6.13 उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 30.09.2011 को बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय स्तर की एक विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस विचारगोष्ठी में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय आयोगों,

कार्यशाला स्थल	कार्यशाला की तारीख	भाग लेने वाले राज्य
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) (उत्तरी राज्यों के लिए)	08.04.2011	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली
शिलांग (मेघालय) (पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए)	14.10.2011	अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर

राज्य मानवाधिकार आयोगों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हिरासत में न्याय

संगोष्ठी/सम्मेलन

6.14 हिरासत में न्याय आयोग का इसकी स्थापना से ही एक प्रमुख विषय रहा है। आयोग कारागारों की दयनीय स्थिति और निरोध की अन्य सुविधाओं जैसे कि भयंकर भीड़, स्टाफ की कमी, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का अभाव, हिरासत में मौत सहित कैदियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, अवसंरचना का अभाव, ढुलमुल प्रशासन व्यवस्था और अपर्याप्त अन्तर–एजेंसी संचार, विचारण का इंतजार कर रहे कैदियों का लम्बे समय तक निरोध और परामर्शदाताओं, प्राधिकारियों और परिवार आदि के साथ मिलने–जुलने की अपर्याप्त अवसर जैसी बहुसंख्य समस्याओं से ग्रस्त है, से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

6.15 दिनांक 15.04.2011 को नई दिल्ली में एन एच आर सी द्वारा कारागार सुधारों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय आयोगों, राज्य मानवाधिकार आयोगों (एन एच आर सी), गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक/महानिरीक्षक (कारागार), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी), सुधारात्मक प्रशासन संबधी संस्थानों, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, लॉयरों के कोर ग्रुप के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, एन एच आर सी के विशेष रिपोर्टरों और इस क्षेत्र में कार्यरत कुछ गैर–सरकारी संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6.16 इस संगोष्ठी में जेलों में भीड़ कम करने, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रावधान, निष्पक्ष विचारण का अधिकार, कैदियों के परिवार के सदस्यों का मिलने आना, पारदर्शिता, जेलों में औद्योगिक क्रियाकलाप का सुदृढ़ीकरण करना, निजी सरकारी सहभागिता इत्यादि जैसे कई प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। देश में जेलों की दशा में सुधार करने के लिए संगोष्ठी में कई अभ्यावेदन दिए गए हैं।

कारागारों के दौरे

6.17 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ग) के तहत आयोग राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई जेल, अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई अन्य संस्थान, जहाँ कैदियों के उपचार सुधार अथवा उनकी रहने की दशाओं का अध्ययन करने और उन पर सिफारिश करने के प्रयोजन से व्यक्तियों का निषेध अथवा परिशोध किया जाता है, राज्य का दौरा कर सकता है। हिरासत में न्याय का मुद्दा इसके प्रारम्भ से ही आयोग की सतत चिंता का विषय रहा है। विशेष रिपोर्टरों, जो जेलों का दौरा करते हैं, की सूचनाओं के माध्यम से कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों आदि आयोग के ध्यान में लाए जाते हैं।

6.18 सदस्यों अथवा विशेष रिपोर्टरों द्वारा जेलों के दौरों पर विशेष रिपोर्टरों की रिपोर्टें समय–समय पर आयोग के समक्ष रखी जाती हैं और

उचित सिफारिशों के साथ संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाती हैं। इस अवधि के दौरान, एन एच आर सी के विशेष रिपोर्टरों ने दिनांक 19.06.2011 से 22.06.2011 तक डम डम केन्द्रीय सुधार गृह, कोलकाता का दौरा किया था।

वृद्ध व्यक्ति

6.19 आयोग की वृद्ध लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण और उन्नयन के प्रति गंभीर चिंता है। मूल मानवाधिकारों की बेहतर समझ प्राप्त करने तथा वृद्ध लोगों द्वारा इन अधिकारों को प्राप्त किए जाने के प्रयोजन से आयोग ने कुल 13 सदस्यों से वृद्ध व्यक्तियों के एक कोर ग्रुप का गठन किया था। इस समूह की पहली बैठक दिनांक 09.06.2011 को हुई थी।

पंचायती राज

6.20 आयोग ने अपने नागरिकों की गरिमा के संरक्षण के लिए किसी लोकतांत्रिक समाज के प्रति सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक न्याय बनाए रखने के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई प्रतिबद्धता में विश्वास व्यक्त किया है।

6.21 पंचायती राज संस्थानों के कार्यकर्ता मुख्य लक्ष्य समूह थे जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यान्वयन स्तर पर कुछ समस्याएं हैं क्योंकि पंचायती राज संस्थानों के कई प्रतिनिधियों में कार्यान्वयन कार्यक्रमों संबंधी विशेषज्ञता और ज्ञान की कमी है।

6.22 आयोग ने राज्य सरकार के सहयोग से दिनांक 21.10.2011 को हिमाचल पदेश के सोलन जिले की ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के साथ ऐसा जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। इस श्रृंखला में अगले कार्यक्रम बिहार और केरल में होने प्रस्तावित हैं।

मानसिक स्वास्थ्य

6.23 आयोग, आगरा, ग्वालियर और रांची स्थित मानसिक चिकित्सालयों के कार्यकरण पर निगरानी रख रहा है जिनके बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त हुए थे। इस संदर्भ में, एनएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्य विशेष सूचनादाता और वरिष्ठ अधिकारी मानसिक चिकित्सालयों में भर्ती मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की चिकित्सा और देखभाल की दशा का पता लगाने के लिए देशभर में मानसिक चिकित्सालयों का दौरा करते रहे हैं।

6.24 आयोग वर्ष 2007 में परिवर्तित अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अपनाए जाने के समय से ही देश में अशक्तता कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने की सिफारिश करता रहा है। आयोग ने मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का स्थान लेने वाले प्रस्तावित मसौदा मेन्टल हेल्थकेयर विधेयक, 2011 की समीक्षा की है और स्वास्थ्य और

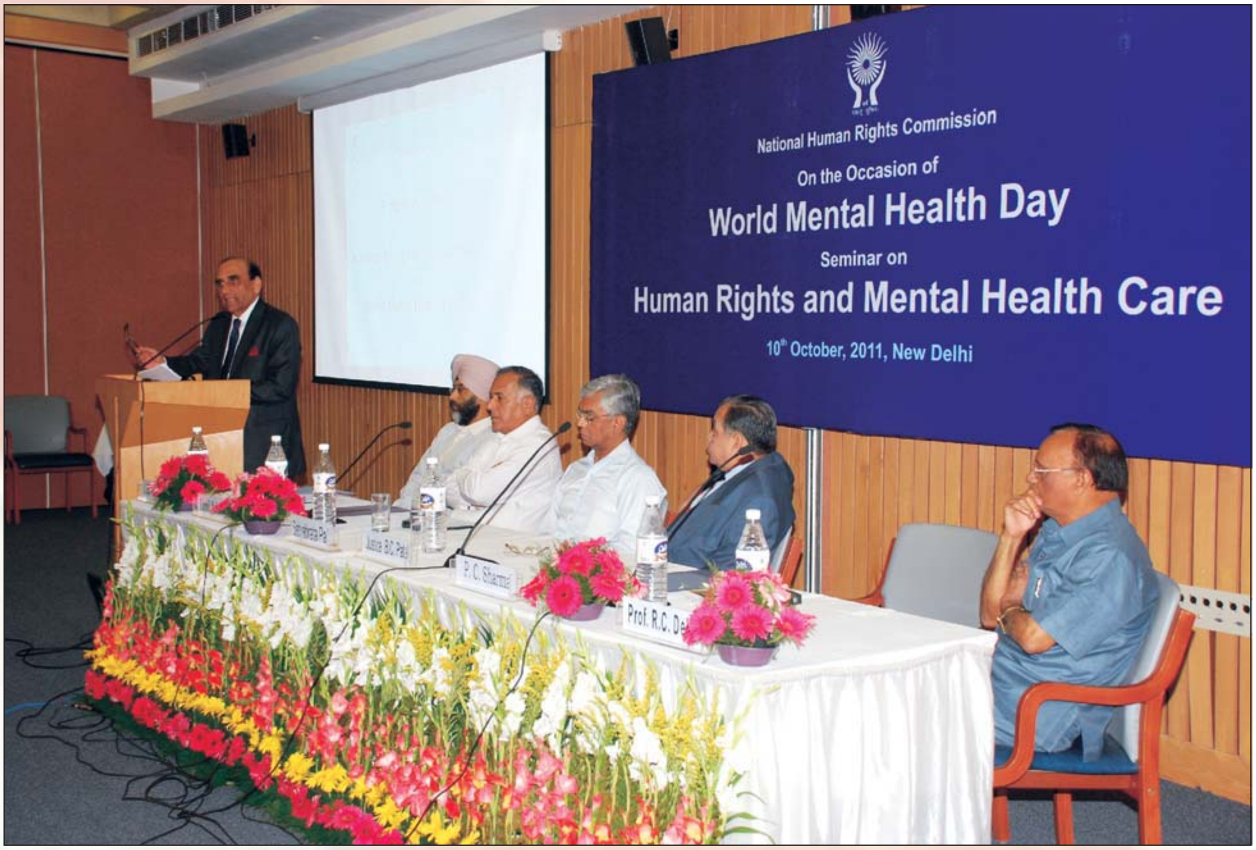

दिनांक 10.10.2011 को एन एच आर सी द्वारा मानवाधिकार और मेंटल हेल्थकेयर पर आयोजित संगोष्ठी

परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

6.25 मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ी चुनौतियों को उठाने और इस मुद्दे पर लोगों को सुग्राही बनाने के लिए, आयोग ने दिनांक 10.10.2011 (जिसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है) को 'मानवाधिकार और मेंटल हेल्थकेयर' पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की थी। इस संगोष्ठी में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषज्ञों, चिकित्सा और सामाजिक कार्य से जुड़े विद्यार्थियों, मेंटल हेल्थ केयर के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6.26 आयोग उचित देखभाल और उपचार के बिना सड़कों पर घूमते पाए जाने वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के बारे में भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आयोग का मानना है कि ऐसा विशेष रूप से कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की विद्यमानता और प्रावधानों के बारे में कार्यान्वयन और सीमित ज्ञान के कारण है। आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए पुलिस महानिदेशक और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है। आयोग ने, विशेष रूप से, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 23 के कार्यान्वयन की सिफारिश की, जो

कतिपय मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का उपबंध करता है। इस धारा के तहत पुलिस का यह दायित्व है कि वह किसी लावारिस अथवा उपेक्षित मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को सुरक्षात्मक अभिरक्षा प्रदान करे और उसके रिश्तेदार को सूचित करे और ऐसे व्यक्ति को एक निर्धारित समयावधि के अन्दर सत्कार आदेश जारी करने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे।

सिलिकोसिस

6.27 आयोग सिलिकोसिस के उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है और सिलिकोसिस प्रवण उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता रहा है। सिलिकोसिस स्वास्थ्य और मानवाधिकार दोनों का मुद्दा है क्योंकि इसका प्रभाव जीने का अधिकार और सम्मान के साथ रहने के अधिकार दोनों पर पड़ता है। यह बीमारी मुक्त क्रिस्टलिन सिलिका वाली धूल श्वास द्वारा अंदर जाने के कारण होती है। क्रिस्टलिन सिलिका और सिलिकेन डाइआक्साइड क्वाट्र्ज, सैंडस्टोन,फ्लिंट, स्लेट, कई खनिज अयस्कों और चूने की ईंटों, कंक्रीट, मोर्टार और टाइलों सहित आम भवन निर्माण सामग्री में पाई जाती है।

6.28 दिसम्बर 2010 में एन एच आर सी द्वारा संस्तुत निवारक, पुनर्वास संबंधी और सुधारक उपायों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से सिलिकोसिस पर दिनांक 01.03.2011 को नई दिल्ली में एक एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में सिलिकोसिस की समस्या से ग्रस्त कुछ राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैचों में पुनरीक्षा बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रयोजनार्थ, पाँच राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की दिनांक 01.06.2011 को आयोग में एक पुनरीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों ने उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर अभ्यावेदन दिया। आयोग का अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसी बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव है।

6.29 अपने परिवार के निकटजनों सहित सिलिकोसिस की बीमारी से ग्रस्त लोगों द्वारा झेली जा रही अमानवीय दशा की ओर सरकार और संसद सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने के प्रयोजन से आयोग ने सिलिकोसिस पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है और इसे भारत के संसद में प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय को अग्रेषित की है। मंत्रालय ने उपर्युक्त रिपोर्ट पर संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियां मंगाई हैं और ये टिप्पणियां अभी तक प्रतीक्षित हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.30 एन एच आर सी को मानवाधिकारों की संरक्षा करने और उनका संदर्भ न करने का अधिदेश दिया गया है। धारा 12(ज) में यह परिकल्पना की गई है कि एन एच आर सी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार संबंधी साक्षरता को बढ़ावा देगा और सरकार और

स्थानीय निकायों आदि में विभिन्न कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाकर अपने प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन मानवाधिकारों की रक्षा करेगा।

6.31 उपर्युक्त के मद्देनजर एन एच आर सी का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य मानवाधिकार आयोगों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों और विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के माध्यम से समाज में मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानवाधिकार–साक्षरता का प्रसार कर रहा है। इनके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों के कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, एक वर्ष में दो बार इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2011 से 30.10.2011 की अवधि के दौरान मानवाधिकारों पर 86 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और एक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

पुलिस कार्मिकों के लिए मानवाधिकारों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.32 प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रयोजन से, एन एच आर सी ने लोक सेवकों, विशेष तौर पर पुलिस कार्मिकों को मानवाधिकारों के मुद्दों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है।

6.33 तदनुसार, पुलिस कार्मिकों के लिए तीन ऑनलाइन पाठ्यक्रम अर्थात कांस्टेबलों/उपनिरीक्षकों के लिए आधारभूत कार्यक्रम, मध्य स्तरीय पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एन एच आर सी और इग्नू के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

6.34 दिनांक 01.02.2011 को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी जिसकी सभी ओर प्रशंसा हुई है। एन एच आर सी ने इसे देश के सभी राज्यों में फैलाने का निर्णय लिया है परन्तु ऐसा करने से पहले इसके लिए प्रशिक्षकों, जो परियोजना को चलाने तक समन्वय बनाए रखने में सहायक हो सकें, मास्टर प्रशिक्षकों की एक टीम तैयार करना सभीचीन समझा गया था, जो आगे और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। इसके लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सभी 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों से नामांकन माँगने के बाद 02 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया जो दिनांक 13.07.2011 से 15.07.2011 और 16.07.2011 से 18.07.2011 तक आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षार्थियों को सभी आवश्यक तकनीकी और परिचालन कौशल उपलब्ध कराया गया था। सभी राज्यों के महानिदेशकों (पुलिस) और महानिरीक्षकों (प्रशिक्षण) को एन एच आर सी की प्रतिबद्धता से अवगत कराया गया है और उनसे आयोग के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जिसका उद्देश्य पुलिस बल की योग्यता और क्षमता में अभिवृद्धि करना है।

भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.35 वर्ष 2006 से, एन एच आर सी ने विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान (एफ एस आई) के सहयोग से भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विभिन्न मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के प्रति सुग्राही बनाने के लिए ताकि जब वे अन्तर्राष्ट्रीय समनुदेशनों को सुलझाएं तब वे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के मामलों को उचित अग्रता प्रदान कर सकें। कुर्की के दौरान, उन्हें आयोग के कार्यकरण, इसके गठन और इसके समग्र अधिदेश से अवगत कराया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोग द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों से भी अवगत कराया जाता है। कुर्की के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा विशेषज्ञों के साथ मानवाधिकार संबंधी प्रासंगिकता वाले विभिन्न विषयगत मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं।

6.36 इस वर्ष लगभग 13 परिवीक्षाधीन अधिकारी ऐसी कुर्की का भाग थे जो 22.11.2011 को 23.11.2011 को आयोजित की की गई थी।

भारत के विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से दौरा करने वाले विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों के साथ बातचीत

6.37 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार, आयोग समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करने तथा प्रकाशनों, मीडिया, विचारगोष्ठियों और उपलब्ध अन्य साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अधिदेश दिया गया है। विभिन्न शैक्षिक संस्थान अर्थात कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि अपने विद्यार्थियों को एनएचआरसी का संगठनात्मक ढांचा और कार्यकरण की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने के लिए एन एच आर सी से सम्पर्क कर रहे हैं। आयोग ने विद्यार्थियों अर्थात युवाओं को हमेशा प्रमुख कार्यदल माना है। अतः अधिकतर अनुरोधों को अनुमति प्रदान कर दी गई। विद्यार्थियों को दौरों के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अवसर भी दिया गया। सामान्यतः पूरे भारत के विभिन्न संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से 1,000 से अधिक विद्यार्थी वर्ष भर में आयोग और इसके विभिन्न विभागों के कार्यक्रम की गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग का दौरा करते हैं।

6.38 अब तक, चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.12.2011 तक) के दौरान देश के विभिन्न भागों से लगभग 769 विद्यार्थियों ने एन एच आर सी का दौरा किया है, जो, यह आशा की जाती है, हर संभव तरीके से देश के विभिन्न भागों में एन एच आर सी के संदेश को पहुँचाएंगे।

अल्पावधि अंतःशिक्षुता (इन्टर्नशिप)

6.39 एन एच आर सी विशेष रूप से विधि के क्षेत्र से विभिन्न विधाओं के विद्यार्थियों को एक माह की अवधि तक अंतःशिक्षुताओं (इन्टर्नशिप) की अनुमति भी प्रदान करता है। सम्मेलन के दौरान, विद्यार्थियों को न केवल आयोग के विभिन्न विभागों

के कार्यक्रम के प्रति उन्मुख किया जाता है अपितु कार्यकरण की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में उनका आयोजन भी किया जाता है। एक बार जब इन अंतःशिक्षुओं को कार्यकरण और शिकायत निपटान प्रणाली की पूर्व जानकारी प्रदान कर दी जाती है तब इन्हें सूचना एवं सुविधा केन्द्रों में रख जाता है जहाँ वे देशभर के मानवाधिकारों के उल्लंघनों के पीड़ितों के साथ बातचीत का सीधा अनुभव प्राप्त करते हैं।

6.40 इन अंतःशिक्षुओं को मानवाधिकारों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर प्रोजेक्ट तैयार करना भी आवश्यक होता है। यदि संभव हो, और यदि संख्या पर्याप्त हो, तो इन अंतःशिक्षुओं को फील्ड के दौरों जैसे कि जिला जेलों, गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए भी ले जाया जाता है, जहाँ इन संस्थानों के अंदर की वास्तविक स्थिति और बंदियों की मानवीय दशाओं और उन्हें दिए जा रहे उपचार के सीधे सम्पर्क में आते हैं। ये अंतःशिक्षुक अप्रत्यक्ष रूप से देश के विभिन्न भागों, जहाँ से वे आते हैं, एन एच आर सी के अधिदेश का संदेश प्रसारित करते हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोगों में शिकायत निपटान प्रबंधन प्रणाली (सी एच एम एस)

6.41 राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) में शिकायत निपटान प्रबंधन प्रणाली (सी एच एम एस) का कार्यान्वयन मुख्यतः शिकायत निपटान प्रणाली को सरल और कारगार तथा शीघ्रता से निपटान और प्रभावकारी ट्रैकिंग के लिए तंत्र उपलब्ध कराना भी है । इस उद्देश्य से शुरू करते हुए, एन एच आर सी ने प्रथम चरण में असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के राज्य मानवाधिकार आयोगों को कवर किया। इन एस एच आर सी में उपलब्ध अवसंरचना का उचित आकलन करने के पश्चात इन्हें आवश्यक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के प्रापण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। एन एच आर सी/एन आई सी द्वारा इन एस एच आर सी को आवश्यक प्रशिक्षण और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत

6.42 अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन (ए आई एच आर सी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के हित वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 06.05.2011 को आयोग का दौरा किया था। इस समझौता–ज्ञापन पर एन एच आर सी, भारत, ए आई एच आर सी और यू एन डी पी अफगानिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं।

6.43 एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य और पाँच अवैतनिक सदस्यों वाले बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से मानवाधिकार संबंधी मुद्दों और एन एच आर सी, भारत की कार्य प्रणाली, भूमिका और क्रियाकलापों

पर विचारों के आदान–प्रदान के लिए चिंता के समान विषयों पर दिनांक 25.05.2011 से 27.05.2011 तक आयोग का दौरा किया।

6.44 बर्मी लोकतंत्र और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बर्मा में मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर संयुक्त राष्ट्र अधिकृत जाँच आयोग के गठन के प्रयोजन से समर्थन प्राप्त करने के लिए एशिया पैसिफिक देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकारों आयोगों की यात्रा के एक भाग के रूप में दिनांक 30.08.2011 को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दौरा किया।

6.45 इथोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जाँच कौशलों, निगरानी और शोध संबंधी मुद्दों को जानने के लिए दिनांक 22.09.2011 से 23.09.2011 तक एन एच आर सी, भारत का दौरा किया।

6.46 वकीलों, चीन की कानूनी फर्मों और अकादमिक संस्थान के विधि शोधकर्ताओं, डेनिश इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोपेनहेगन से दो वरिष्ठ कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ विश्वविद्यालयों के एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 22.10.2011 को एन एच आर सी का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष भारतीय विधिक सेवा राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी के बसु थे।

दक्षिण एशिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एन एच आर आई) के लिए राष्ट्रीय जाँचों पर उप–क्षेत्रीय कार्यशाला

6.47 एन एच आर सी ने तिरुवनंतपुरम केरल में दिनांक 14.11.2011 से 18.11.2011 तक दक्षिण एशिया में एन एच आर आई के लिए राष्ट्रीय जाँच पर उप–क्षेत्रीय कार्यशाला की मेजबानी की जिसका एशिया पेसिफिक फोरम ऑफ एन एच आर आई (ए पी एफ) और राउल वालवर्ग इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमेनीटेरियन ला (आर डब्ल्यू आई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था। यह कार्यशाला एपीएफ और आर डब्ल्यू आई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संगठित–अवबोध पाठ्यक्रम का एक भाग थी। आयोग के कुछ अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।

गैर–सरकारी संगठनों का कोर ग्रुप

6.48 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(झ) के अनुरूप, आयोग गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा देता रहा है। इस संबंध में, आयोग ने निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से सदस्यों के रूप में चुनिंदा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से एक कोर ग्रुप का गठन किया है। आयोग में एन जी ओ के कोर ग्रुप का 11 सदस्यों वाले एन जी ओ से दिनांक 16.09.2011 को पुनर्गठन किया गया है।

एन एच आर सी के प्रकाशन

6.49 लोगों को उनके मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता का सृजन करने के लिए आयोग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं:–

क) पुलिस अधिकारियों के लिए मानवाधिकारों पर अंग्रेजी में मैनुअल।

ख) हिंदी और अंग्रेजी में 2009–2010 की वार्षिक रिपोर्ट ।

ग) जानें अपने अधिकार, श्रृंखला की हिंदी और अंग्रेजी में पाँच पुस्तिकाएँ: बंधुआ मजदूरी, अशक्त व्यक्तियों के अधिकार, कार्य करने का अधिकार, मानवाधिकार और एच आईवी/एड्स और पर्याप्त आश्रय का अधिकार।

घ) एन एच आर सी के महत्वपूर्ण अनुदेश/दिशानिर्देश (द्वितीय संशोधन) (मूल्यांकित प्रकाशन)।

ड.) प्रारम्भकर्ताओं के लिए मानवाधिकार शिक्षा शीर्षक वाली पुस्तक का अंग्रेजी में पुनःप्रकाशन।

च) अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों के निवारण पर रिपोर्ट शीर्षक वाली पुस्तक का अंग्रेजी और हिंदी में पुनःप्रकाशन।

(छ) वर्ष 2011 का एन एच आर सी का अंग्रेजी जर्नल।

(ज) वर्ष 2011 की हिंदी में 'मानवाधिकार–नई दिशाएं।

मानवाधिकार भवन

6.50 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आवास संबंधी व्यवस्था के लिए के0लो0नि0 विभाग द्वारा आई एन ए क्षेत्र में कार्यालय संकुल परिसर के ब्लॉक –सी में मानवाधिकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। जबकि निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, अंतरिक्ष आयोजना फर्नीचर आदि सहित आंतरिक कार्य प्रगति पर है। शिफ्टिंग वर्ष 2012 के अंत तक होने की संभावना है।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

6.51 वर्ष 2011 (दिसम्बर तक) के दौरान देश में 580 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं जिनमें 91 व्यक्ति मारे गए और 1,899 व्यक्ति घायल हुए। वर्ष 2010 में इसी अवधि के दौरान देश में 701 साम्प्रदायिक घटनाएं सूचित की गईं जिनमें 116 व्यक्ति मारे गए और 2,138 व्यक्ति घायल हुए थे।

गुजरात में वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास

6.52 वर्ष 2007 और 2008 में मंत्रिमंडल के अनुमोदन का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने रिहायशी सम्पत्ति को क्षति के 1,381 अतिरिक्त मामलों में 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को अनुग्रह राहत के अनुदान के लिए गुजरात सरकार को दिनांक 03.06.2011 को 10.72 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अतः गुजरात दंगों के पीड़ितों को अब तक जारी धनराशि 429.46 करोड़ रुपये है।

साम्प्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 नामक विधायन का अधिनियमन

6.53 साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005, जो दिनांक 05.12.2005 को राज्य सभा में पेश किया गया था, पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए कई अवसरों पर नोटिस दिया गया था तथा पिछली बार नोटिस फरवरी 2010 में दिया गया था, किन्तु यह विधेयक उक्त अवसरों पर विचारण के लिए नहीं लिया जा सका।

6.54 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन ए सी) ने जुलाई 2010 में सूचित किया कि एन ए सी में एक कार्य दल इस विषय पर एक नया मसौदा विधेयक तैयार करेगा। दिनांक 25.07.2011 को एन ए सी ने इस मंत्रालय को 'साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा निवारण (न्याय और प्रतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2011' नामक एक मसौदा विधेयक भेजा है। इस मसौदा विधेयक की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्‌भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच)

6.55 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्‌भाव प्रतिष्ठान (एन एच सी एच), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है जो साम्प्रदायिक सद्‌भाव, भाई–चारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य, साम्प्रदायिक, जातीय, नृजातीय, आतंकवादी और हिंसा के अन्य रूप, जो सामाजिक सद्‌भाव में दरार डालते हैं, से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास में सहायता करने के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है। इसकी विभिन्न परियोजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को शिक्षा और/या व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करने और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्‌भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। एन एफ सी एच ने अपनी स्थापना से लेकर दिनांक 29.02.2012 तक साम्प्रदायिक, जातीय, नृजातीय या आतंकवादी हिंसा से पीड़ित 10,949 बच्चों के पुनर्वास के लिए 42.09 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। एन एफ सी एच, साम्प्रदायिक सद्‌भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शिक्षा संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता रहा है।

6.56 एन एफ सी एच, प्रत्येक वर्ष 19 से 25 नवम्बर तक कौमी एकता सप्ताह के साथ साम्प्रदायिक सद्‌भाव अभियान सप्ताह मनाता है। इस अवसर पर लोगों में साम्प्रदायिक सद्‌भाव और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने तक हिंसा, जो सामाजिक सद्‌भाव का अतिक्रमण करती है, के विरुद्ध मीडिया के माध्यम से उचित स्थिति प्रस्तुत करके और प्रतिष्ठान के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर धन दान करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के वास्ते दृढ़ और शास्वत अभियान चलाने हेतु भी आम जनता, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों शिक्षा संस्थानों आदि से अपील की जाती है। कुल मिलाकर वर्ष 2010–11 के

दौरान लगभग 75,000 यूनिटों को प्रचार सामग्री भेजी गई थी, और चालू वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह के लिए प्रचार सामग्री, लगभग 95,000 यूनिटों को भेजी गई है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार

6.57 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'व्यक्ति' और 'संगठन' की श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र के अलावा इसमें व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए की राशि और संगठन की श्रेणियों के लिए 5 लाख रुपए की राशि शामिल होती है।

6.58 वर्ष 2009 और 2010 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को दिनांक 29.07.2011 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। वर्ष 2011 के लिए पुरस्कारों की घोषणा दिनांक 26.01.2012 को कर दी गई है। वर्ष 2011 के राष्ट्रीय सांम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कारों के लिए मिजोरम के श्री खामलियाना और ओडिशा के श्री मोहम्मद अब्दुल बारी को व्यक्ति श्रेणी में संयुक्त रूप से चुना गया है।

डॉ. मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री (नई दिल्ली) व्यक्ति श्रेणी में राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2009 प्राप्त करते हुए

राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी)

6.59 राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी) की 15वीं बैठक दिनांक 10.09.2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विचार–विमर्श में साम्प्रदायिक सौहार्द–युवाओं की साम्प्रदायिकता और अतिवाद को नियंत्रित करने के लिए उपाय पर ध्यान केंद्रित किया गया। सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की गई है।

संकल्प दिवस और कौमी एकता सप्ताह

6.60 दिनांक 31.10.2011 को 'संकल्प दिवस' मनाने और 19.11.2011 से 25.11.2011 के दौरान 'कौमी एकता सप्ताह' मनाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

कट्टरतावादी धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप

6.61 देश की शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी कट्टरवादी धार्मिक संगठनों अथवा ग्रुपों के क्रियाकलापों पर कानून प्रवर्तनकारी एजेंसियों की सतत निगाह रहती है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां प्रतिबंध लगाए जाने सहित उनके खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

दिनांक 10.09.2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद की 15वीं बैठक

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम राष्ट्रीय एकता, की शपथ दिलाते हुए

6.62 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 03.02.2012 की अधिसूचना, का0आ0 224(ई) के तहत 2 वर्ष के लिए गैर–कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है।

राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद का मुद्दा

6.63 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ की विशेष पूर्ण खंडपीठ ने राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद के हक संबंधी वादों पर दिनांक 30.09.2010 को अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी तीन पक्षों अर्थात मुसलमान, हिन्दू और निर्मोही अखाड़े को विवादित संपत्ति/परिसरों का संयुक्त स्वत्व धारक घोषित किया गया है। तदनुसार विवादित संपत्ति/परिसरों को तीन भागों में विभाजित किया जाना है। लेकिन मुसलमानों का हिस्सा कुल विवादित संपत्ति/परिसरों का एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए।

6.64 जमीअत उलामा–ए–हिंद के श्री एम. सिद्दीक और कुछ अन्य पार्टियों ने आयोध्या में राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद के नाम से सामान्यतः जानी जाने वाली विवादित सम्पत्ति/परिसर के स्वामित्व संबंधी मामले में इलाहाबाद उच्च–न्यायालय की लखनऊ बेंच के दिनांक 30.09.2010 के प्रतिवादित निर्णय, आदेश, और डिक्री के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त अपीलों को दिनांक 09.05.2011 को सुना था और निदेश दिया

था कि अपीलों के लम्बित रहने के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पूर्व पीठ, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पास निर्णय और डिक्री का परिचालन स्थगित रहेगा और पार्टियाँ वाद भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगी जैसा कि वर्ष 1993 के अंतरण मामला (सी) संख्या 41, 43 और 45 : डा0 एम इस्माइल फारूकी आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.1994 के पूर्व के आदेश में निर्देश दिया गया था। भारत संघ किसी भी स्वत्ववाद में पार्टी नहीं था और अभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पूर्णपीठ लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के दिनांक 30.09.2011 के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर किसी भी सिविल अपील में पार्टी नहीं है। तथापि, अयोध्या की अधिगृहीत भूमि का कस्टडियन होने के नाते, केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार और फैजाबाद संभाग, फैजाबाद के प्राधिकृत पर्सन–कम–कमिश्नर के सहयोग से विवादित भूमि के संबंध में यथास्थित बनाए रखी है।

--*

संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

7.1.1 संघ राज्य क्षेत्र सात हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह; चंडीगढ; दादरा और नगर हवेली; दमण और दीव; लक्षद्वीप; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी हैं। सात संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधायिका, मंत्रिपरिषद और समेकित निधियां हैं। बाकी संघ राज्य क्षेत्रों की विधायिका नहीं हैं।

7.1.2 सात संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग कि.मी. और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,82,522 है। संघ राज्य क्षेत्र–वार जनसंख्या और क्षेत्रफल **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है। वर्ष 2010–11 में योजना और गैर–योजना बजट प्रावधान और उनका उपयोग तथा वर्ष 2011–12 के लिए प्रावधान, **अनुलग्नक-IX** में दिया गया है।

सांविधानिक स्थिति

7.2 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की अनुसूची-I के भाग-II में विनिर्दिष्ट हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन गृह मंत्रालय, विधायन, वित्त और बजट, उप–राज्यपालों और प्रशासकों की सेवाओं और नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में उप–राज्यपालों को प्रशासकों के रूप में पदनामित किया जाता है। पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में पदनामित किया गया है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्रों (ए जी एम यू टी) के संवर्ग के वरिष्ठ आई एस अधिकारियों को प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर–संपर्क (इंटरफेस)

7.3 विधान सभा रहित सभी पांचों संघ राज्य क्षेत्रों – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़,

दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एच एम ए सी) के रूप में एक मंच है जिसमें संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और सांसद के अलावा, स्थानीय निर्वाचित निकायों जैसे कि जिला पंचायत और नगरपालिका परिषद/समितियों के सदस्यों को उक्त मंच के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। एच एम ए सी की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली

7.4.1 शहर–राज्य और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली, देश के सभी भागों से और समाज के हर तबके से आए लोगों को आकर्षित करती है जो दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं और दिल्ली को अपना घर बना लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था बहुत समृद्धिशाली है क्योंकि इसका सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2009–10 के 2,17,851 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 2,58,808 करोड़ रूपए हो गया है और इस प्रकार इसमें 18.8% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अपने समर्पित प्रयासों से दिल्ली के लोगों आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों का संवर्धन करते हुए इसने विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई पहलें की हैं।

7.4.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों को रोकथाम एवं उपचारपरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही, यह दिल्ली में स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वर्तमान समय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन 194 एलोपैथिक, 39 प्राथमिक नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र (पी यू एच सी), 32 आयुर्वेदिक, 92 होम्योपैथिक और 15 यूनानी औषधालय कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 9 सचल वैन औषद्यालय भी दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

7.4.3 दिल्ली सरकार ने एक डायबटिक काउंसलिंग एण्ड स्क्रीनिंग परियोजना आरम्भ की है जिसमें पुर्नविस्थापित कालोनियों और जे.जे. समूहों में रह रहे लोगों को डायबटीज के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विद्यमान जननी सुरक्षा योजना के अनुपूरक के रूप में, "मातृ–शिशु सुरक्षा योजना" नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय 600/–रूपए की नकद सहायता और निःशुल्क दवाएं तथा आने–जाने का खर्च प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "चाचा नेहरू सेहत योजना" नामक एक नई योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 14 लाख विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया जाएगा। दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में लड़की–लड़का के जन्म का अनुपात वर्ष 2002 के 873 के अनुपात से बढ़कर मई, 2011 में 901 हो गया है।

7.4.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कैंसर के रोगियों, विशेषकर क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान का सृजन किया है। स्वास्थ्य विभाग ने हब के सभी अस्पतालों और स्पोक मॉडल के लिए उन्नत रेडियोलोजी डायग्नोस्टिक सर्विसेस एण्ड डायलिसिस सर्विसेज उपलब्ध करने हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी पी पी) परियोजनाएं आरम्भ की हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार असुरक्षित एवं अत्यधिक असुरक्षित आबादी के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना भी विकसित कर रही है। इसके लिए द्वारका, बुराडी, सिरसपुर, बापरोला, छत्तरपुर, मोलरबन्द, मादीपुर, ज्वालापुरी, अम्बेडकर नगर और विकासपुरी में अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है।

7.4.5 मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में एक अत्याधुनिक उन्नत वायरोलोजी लैब की स्थापना की गई है। यह प्रयोगशाला (लैब) चिकित्साधीन हैपेटाइटिस के रोगियों में वायरल लोड की निगरानी करने से संबंधित विशेषीकृत सेवाएं उपलब्ध कराती रही है। यह प्रयोगशाला पूर्णतः सुसज्जित है और डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसी महामारियों के फैलने की निगरानी और उनका पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिल्ली स्वास्थ्य राज्य मिशन के तहत आशा योजनाएं शुरु की गई है। 3,298 आशा कर्मियों का चयन किया गया है और दिल्ली के सभी जिलों को कवर करते हुए उन्हें संचालित किया गया है।

7.4.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रत्येक बच्चे को उसके घर के पास शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा निदेशालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर 947 विद्यालयों का संचालन किया जाता है जिनमें 377 सर्वोदय विद्यालय भी शामिल हैं। सरकारी विद्यालय में लगभग 14 लाख विद्यार्थियों का नामांकन है जबकि सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1.70 लाख विद्यार्थियों का नामांकन है। जो बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते हैं, उन्हें शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के माध्यम से लर्निंग सेंटर, मोबाइल स्कूल और रेजीडेन्सियल ब्रिज सेन्टर संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान, इस प्रयास के तौर पर पांच नए विद्यालय खोले गए हैं और 8 विद्यालयों का बालक एवं बालिका विद्यालय के रूप में विभाजन किया गया है। छह मिडिल विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों के रूप में उन्नयन किया गया है और 18 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करके उन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। 4 और सर्वोदय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाएं शुरु की गई हैं।

7.4.7 दसवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा से संबंधित सी बी एस ई के परिणाम में वर्ष 2005 में 48% की तुलना में वर्ष 2011 में 99% का महत्वपूर्ण सुधार आया है। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 76.4% से बढ़कर 87.5% हो गया है।

7.4.8 वर्ष 2011–12 से दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा IX-XII में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों और प्राइवेट में निःशुल्क कोटा के तहत भर्ती विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष पति बालक यूनीफार्म सबसिडी की दर को 700 रूपए से बढ़ाकर 900 रूपए किया है।

7.4.9 सरकारी विद्यालयों में कक्षा-I से VII तक के सभी विद्यार्थियों, सहायता प्राप्त विद्यालयों की बालिका छात्राओं और प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क कोटा के तहत दाखिला पाप्त विद्यार्थियों को किताबों का सेट दिया जाता है। इस योजना के तहत, कक्षा IX से X तक के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों के बदले 600 रूपए और कक्षा XI– XII के विद्यार्थियों को 800 रूपए की नकद राशि का भुगतान किया जाता है।

7.4.10 वर्ष 2011–12 से मेधावी छात्र योजना की लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति के तहत आने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दर को 400 रूपए, 600 रूपए और 1,550 रूपए से बढ़ाकर क्रमशः 1,000 रूपए, 1,500 रूपए और 2,000 रूपए कर दिया गया है।

7.4.11 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार टेक्निकल एजूकेशन कम्युनिटी आउटरीच स्कीम (टेकोज) नामक एक अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। टेकोज एक अग्रणी योजना है जिसका उद्देश्य स्लम/पुनर्वासित कालोनियों में रह रहे पद्दिलत लोगों और स्कूल–ड्राप–आउट इत्यादि जैसे गैर–संगठित क्षेत्रों के लोगों के आजीविका कौशल का उन्नयन करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तकनीकी तौर पर योग्यताप्राप्त संकाय/पोलिटेक्निक एवं आई टी आई के स्टाफ के परामर्श से उन्हें सोद्देश्यपरक एवं गुणात्मक औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

7.4.12 उद्योगों और विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट पोलिटेक्निक के अन्तिम वर्ष में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों, दोनों का एक–दूसरे के साथ परिसंवाद कराने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ऐनुअल जॉब फेयर आयोजित किया। यह जॉब फेयर, जिसे "अवसर–2011" का नाम दिया गया, को दिनांक 06.06.2011 से 10.06.2011 तक चार पालिटेक्निक संस्थानों में आयाजित किया गया। रा. रा. क्षेत्र दिल्ली द्वारा आयोजित यह पांचवां जॉब फेयर था। जॉब फेयर में कुल 32 औद्योगिक संगठनों/कम्पनियों ने भाग लिया। इन कम्पनियों ने भर्ती के लिए प्रजेन्टेशन और साक्षात्कार सम्पन्न कराए। इन्होंने मौके पर ही लगभग 206 विद्यार्थियों का चयन किया/उनकी भर्ती की।

7.4.13 मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) चरण । और ।। को पूरा कर लिया गया है और लगभग 190 कि.मी. मेट्रो लाइन को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ जोड़ते हुए चालू कर दिया गया है। आई एस बी टी, कश्मीरी गेट को बुनियादी पर्यटक सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आई एस बी टी परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डी टी टी डी सी) नामक एक नई कम्पनी की स्थापना की है। दिल्ली के यात्रियों के सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन के लिए डी टी सी में 1,262 ए.सी. बसों सहित 3,768 लो फ्लोर बसें शामिल की गई हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन के एक भाग के रूप में, दिल्ली परिवहन निगम (डी टी सी) ने मिस्ड ट्रिप्स को न्यूनतम करने, चालक दल द्वारा निर्धारित किलोमीटरों का पूरा न करने, समयसारिणी

का पालन करने की गहन निगरानी करने के लिए 3,000 से ज्यादा लो फ्लोर बसों में जी पी एस लगाया है। यात्रियों के विभिन्न वर्गों की आवागमन की जरुरतों को पूरा करने के लिए चयनित मार्गों पर पीक आवर्स के दौरान एक्सप्रेस सेवा और महिला यात्रियों के लिए पीक आवर्स के दौरान स्पेशल ट्रिप्स सेवा आरम्भ की है। दिल्ली परिवहन निगम (डी टी सी) ने हवाई यात्रियों के आवागमन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न बिन्दुओं से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ते हुए चौबीसों घण्टे एअर कण्डीशन बस सेवा युक्त एअरपोर्ट एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ की। दिल्ली की सड़कों से ब्लू लाइन बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की वजह से उत्पन्न संकट को उन मार्गों, जहां से ऐसी बसों को हटाया गया था, में डी टी सी परिचालनों का युक्तिसंगत निर्धारण करके सावधानीपूर्वक निपटाया गया, ब्ल्यू लाइन बसों में चलने वाले यात्रियों की आवागमन संबंधी जरूरतों का समुचित तरीके से समाधान किया गया और उन पर ध्यान भी दिया गया ताकि उनके हटाए जाने से यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो।

7.4.14 दिल्ली विधान सभा ने दिल्ली औद्यागिक विकास, प्रचालन एवं रख–रखाव अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है जिसके द्वारा डी एस आई आई डी सी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पत्तियों की सुव्यवस्थित स्थापना और उनका प्रबंधन, प्रचालन और रख–रखाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

7.4.15 पी पी पी पहलों के तहत, 4 सम्पत्तियों अर्थात ओखला, पटपड़गंज, बवाना और नरेला का चयन प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया था। इस मॉडल में, रियायतप्राप्तकर्ता को अपनी लागत से दो वर्ष के अंदर सम्पत्तियों को फिर से विकसित करना होगा और समग्र रियायत अवधि के दौरान उसका रख–रखाव करना होगा। रियायतप्राप्तकर्ता को अलग–अलग उद्योगों से प्रतिमाह 10 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रख–रखाव प्रभार एकत्र करने के साथ–साथ विकास कार्य के पूरा होने के पश्चात (दो वर्ष) डी एस आई आई डी सी से वार्षिक तौर पर मिलने वाली धनराशि (एन्युटी) लेने का हक होगा। नरेला और बवाना के लिए कार्य का आबंटन कर दिया गया है। जमीनी विकास कार्य दिसम्बर, 2011 माह में पहले से ही शुरु हो गया है। पटपडगंज और ओखला का विकास उसी मॉडल पर तब शुरू किया जाएगा जब ओखला औद्यागिक सम्पत्ति का अन्तरण दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) से हो जाएगा। आवासीय/अपुष्टिकृत क्षेत्रों में संचालित उद्योग समूहों की अन्यत्र स्थापना को न्यूनतम करने के लिए 70% औद्योगिक संकेन्द्रण वाले 22 अपुष्टिकृत औद्योगिक समूहों को दिल्ली मास्टर प्लान–2021 (एम पी डी – 2021) के अनुसार पुनः विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें अधिसूचित किया गया है। निगम ने औद्योगिक समूहों के पुर्नविकास के लिए संबंधित उद्योग एसोसिएशनों के साथ बातचीत आरम्भ की है। ऐसे एक एसोसिएशन के साथ प्रारम्भिक एवं तैयारीपरक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के अनुमोदित होने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर औद्योगिक समूह के पुनर्विकास का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

7.4.16 डी एस आई आई डी सी ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 13,820 निम्न लागत मकानों का निर्माण किया है। निगम को 27,180 और मकानों का निर्माण करने का अधिदेश दिया गया है जिसे अगले दो वर्षों के दौरान पूरा कर लिए जाने की आशा है।

7.4.17 डी एस आई आई डी सी, औद्योगिक नीति के अनुसार दिल्ली में स्वच्छ, हरित और अनुभव आधारित उद्योगों को विकसित, सुसंगठित और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त कार्यस्थल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.4.18 इस परियोजना से 1,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1,70,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है। यह परियोजना, सूचना प्रौद्योगिकी, आई टीज उद्योगों, मीडिया, अनुसंधान एवं विकास, रत्न एवं आभूषण तथा व्यवसाय सेवाओं की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करेगी।

7.4.19 डी एस आई आई डी सी ने आधुनिक प्रौद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए लगभग 1000 एकड भूमि का अधिग्रहण किया है। इस औद्योगिक क्षेत्र को उत्तरी–पश्चिमी जिले में कंझावला, सुल्तानपुर डबास, कराला और पूठ खुर्द गांवों से लगी भूमि को निकालकर विकसित किया जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में एम पी डी–2021 तथा दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति, 2010–21 में परिकल्पित नए हरित, उच्च प्रौद्योगिकी एवं अनुभव आधारित उद्योगों को समायोजित किया जाएगा।

7.4.20 राजधानी शहर की बिजली की निरन्तर बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें शुरु की गई हैं। बढ़ती हुई मांग के साथ कदम बढ़ाते हुए विद्युत विभाग ने लगभग 4,900 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करने के लिए कई परियोजनाएं शुरु की हैं। इसका लक्ष्य कोर–उत्पादन को कुल आवश्यकता के 70% स्तर तक लाना है। अब मांग करने पर नए कनेक्शन उपलब्ध हैं।

7.4.21 दिल्ली ने नए उत्पादन स्टेशनों अर्थात बवाना स्थित प्रगति-III विद्युत परियोजना (1,500 मेगावाट), झज्झर स्थित इंदिरा गाँधी सुपर पावर प्रोजेक्ट (1,500 मेगावाट), रिठाला पावर प्रोजेक्ट (180 मेगावाट) और बवाना स्थित दादरी पावर प्रोजेक्ट (2x490 मेगावाट) की स्थापना करके अतिरिक्त उत्पादन की योजना तैयार की है। जिनके इस वर्ष के अन्त तक व्यावसायिक तौर पर शुरु होने की आशा है। अब, कुल तकनीकी एवं व्यावसायिक (ए टी एण्ड सी) घाटा, जुलाई, 2002 में इसके निजीकरण किए जाने के समय हो रहे 50% घाटे से घटकर लगभग 20% हो गया है।

7.4.22 दिल्ली एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र बिन्दु रहा है। भारत आने वाले लगभग 40% पर्यटक इस शहर में आते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलियन पर्यटक दिल्ली आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक सूचना केन्द्र की स्थापना करके पर्यटक अवसंरचना का विकास करने, स्मारकों एवं विरासतीय इमारतों का रूपान्तरण करने तथा पर्यटकों के लिए सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए विभिन्न पहलें शुरु की हैं।

7.4.23 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्नलिखित परियोजनाएं पारम्भ की हैं:–

क) वजीराबाद में पर्यटन स्थल युक्त सिगनेचर ब्रिज;

ख) जनकपुरी में दिल्ली हाट;

ग) राजा गार्डन फ्लाई–ओवर के नीचे पड़ोस सांस्कृतिक केन्द्र (एन सी सी);

घ) सिंघू सीमा पर गुरूतेग बहादुर स्मारक

7.4.24 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए अप्राधिकृत कालोनियों का विकास करने हेतु उनकी जल–आपूर्ति, जल–मल निकास, सड़क और नाले, स्वच्छता, सड़क रोशनीकरण एवं विद्युतीकरण इत्यादि के प्रावधान संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए 2,800 करोड़ रूपए की लागत से एक विशेष निधि का सृजन किया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इन कालोनियों में नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए 697.50 करोड़ रूपए (लगभग) का प्रावधान किया गया है। डी एस आई आई डी सी, आई एण्ड एफ सी और एम सी डी द्वारा 1,033 अप्राधिकृत कालोनियों में सड़क एवं नालों के निर्माण का विकास कार्य पहले से ही किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 726 अप्राधिकृत कालोनियों में वाटर पाइप लाइनें पहले ही डाल दी हैं और 98 अप्राधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें बिछा दी गई हैं। डी आई एस सी ओ एम एस ने 1,250 अपाधिकृत कालोनियों में सड़क रोशनी (स्ट्रीटलाइटें) लगा दी हैं।

7.4.25 सामाजिक सुविधा संगम मिशन अभिगम के अन्तर्गत, शहरी गरीबी को दूर करने और गरीब तथा पद्दलित लोगों के सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर को सुधारने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह मिशन एन जी ओ की सहभागिता से बेघर लोगों के सामाजिक संरक्षण के लिए चार बेघर संसाधन केन्द्र चला रहा है। यह मिशन उनके लिए ठण्ड बचाव कार्यक्रम संचालित कर रहा है तथा इस हेतु 84 रात्रि विश्राम केन्द्र खोले गए। मिशन अभिगम में महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है और यह गरीब एवं पद्दिलत महिलाओं के लिए साक्षरता, कौशल विकास, आजीविका, विधिक जागरुकता, स्वास्थ्य तथा पोषाहार इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रम संचालित करता है। मिशन अभिगम प्रत्येक जिला में विशाल कैम्प आयोजित करता रहा है जो गरीब और जरुरतमंद लोगों को कैम्प में ही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करके उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाता है। ऐसे 27 कैम्प आयोजित किए गए हैं (वर्ष 2010–11 के दौरान 09 और वर्ष 2011–12 के दौरान 18)। यह मिशन अभिगम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भी है, जहां लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 30,000 रूपए तक का कवरेज प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

पुदुचेरी

7.5.1 संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की अपनी विधान सभा और अपनी समेकित निधि है। इसके चार क्षेत्र नामतः पुदुचेरी, कराइकल, माहे और यनम हैं

जो एक दूसरे से भौगोलिक रूप से अलग–अलग स्थित हैं।

7.5.2 पुदुचेरी सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में शुरु की गई प्रमुख विकास परक पहलें नीचे दी गई हैं:–

लोक निर्माण कार्य:

(i) अरियनकुप्पम, पुदुचेरी में 4–लेन वाले पुल का निर्माण कार्य मार्च, 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ii) सरकारी मातृत्व अस्पताल को राजीव गांधी राजकीय महिला एवं बाल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है जो कुल 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में 50 करोड़ रूपए की लागत से तैयार एक नया परिसर है।

(iii) कराइकल में इनडोर स्टेडियम के निर्माण का कार्य 6.56 करोड़ रूपए की लागत से पूरा किया जाएगा।

(iv) कराइकल में फिशिंग हार्बर की स्थापना का कार्य 34.065 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबर्ड) से 13.70 करोड़ रूपए की ऋण सहायता से आरम्भ किया गया है। कुल 47.76 करोड़ रूपए की लागत से यह परियोजना चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी कर ली जाएगी।

पर्यटन

(v) माहे में रीवर साइड और बीच डेवलपमेन्ट, दोनों कार्य तथा यनम में वाटर फ्रंट विकास से संबंधित सभी सिविल कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(vi) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने क्षतिग्रस्त रनवे में रिलेइंग का कार्य शुरु कर दिया है और इसके पश्चात व्यावसायिक उडानों के लिए विमानपत्तन को चालू कर दिया जाएगा।

(vii) पुदुचेरी में बीच विहार–स्थल के सुन्दरीकरण का कार्य 6.28 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।

(viii) यनम में बुद्धा झील में मनोरंजन पार्क और माहे नदी के साथ टहलने की पट्टी का कार्य पूरा कर लिया गया है और उसका उद्घाटन कर दिया गया है।

(ix) पर्यटन मंत्रालय ने मेगा "टूरिज्म सर्किट डेवलपमेन्ट" के तहत 45.11 करोड़ रूपए की 13 परियोजनाएं मंजूर की हैं और पहली किश्त के रूप में 22.55 करोड़ रूपए रिलीज किए गए हैं।

(x) चुन्नामबार में ओसियनेरियम तथा टहलने की पट्टी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

(xi) बहुप्रयोजनीय सांस्कृतिक परिसर एवं विज्ञान शहर (साइंस सिटी) के विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

नगरी एवं देहाती आयोजना

7.5.3 जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युवेबल मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अन्तर्गत,

8 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, इनमें से शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी प्रशमन मंत्रालय, दोनों की चार–चार परियोजनाएं 461.3965 करोड़ रुपए की लागत की हैं। चालू वर्ष के दौरान, पुदुचेरी सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यों को :–

(i) पूरा करने की संभावना है:

(क) लाभार्थियों को कुरूचिकुप्पम में 168 रिहायशी इकाइयां सुपुर्द करने;

(ख) जल आपूर्ति, नाली व्यवस्था और सडक का अवसंरचनात्मक कार्य; और

(ग) लैम्बर्ट सर्वानन नगर में 192 रिहायशी इकाइयों और कराइकल में 72 रिहायशी इकाइयों का निर्माण कार्य।

(ii) टी एन पलायम और अबिसेगापक्कम में 474 रिहायशी इकाइयों का निर्माण और कराइकल में 144 और रिहायशी इकाइयों का निर्माण करने का कार्य; अरियुर और पिचावीरानपेट में अवसंरचना कार्य की शुरुआत।

(iii) पुदुचेरी शहरी क्षेत्र के 7 मण्डलों में से चार मण्डलों में 60 कि.मी. लम्बी सीवर पाइप लाइन डालने का कार्य अनुषंगी कार्यों के साथ पूरा करना। तीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट में से दो के बुनियादी कार्य पूरे करना।

लासपेट में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (निर्माणाधीन)

बिछाई जा रही यनम पाइपलाइन

(iv) "यनम के लिए जल आपूर्ति योजना का संवर्धन" नामक परियोजना के तहत डावोलैश्वरम से यनम तक 65 कि.मी. लम्बी पाइप लाइन में से 40 कि.मी. लम्बी पाइप लाइन बिछाना।

(v) कुरूचिकुप्पम आवासीय परियोजना को सभी अवसंरचना संबंधी कार्यों के साथ पूरा करना।

(vi) अरियुर और पिचवीरानपेट में बन चुके मकानों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं पूरी करने के पश्चात लाभार्थियों को सुपुर्द करना।

(vii) लैम्बर्ट सर्वानन नगर में 304 रिहायशी इकाइयों और कराइकल में 72 रिहायशी इकाइयों का निर्माण पूरा करना।

(viii) 826 रिहाइशी इकाइयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है (लम्बर्ट सर्वानन नगर–208, टी एन पलायम एवं अबिसेगापक्कम–474 और कराइकल–144)

(ix) 365 मशीनीकृत बोटें, 93 एफ आर पी बोटें, 806 एफ आर पी कैट्टामारम 1,147 ओ बी एम युक्त वूडेन कैट्टामारम और 5,483 ओ बी एम युक्त कैट्टामारमों की मरम्मत कर दी गई है और उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे सुनामी प्रभावित मछुआरों को वापस किया गया है।

(x) राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2009–10 से प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के तहत कवर है। वर्ष 2010–11 तक 219.91 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 503 किसानों को योजना के विभिन्न घटकों के तहत उसके आरम्भ से ही कवर किया गया है। अन्य 350 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2011–12 में कवर किए जाने की आशा है। वर्ष 2010–11 के दौरान योजना के तहत पांच ग्रीन हाउसों की स्थापना की गई थी जिससे किसान वर्षपर्यन्त सब्जियां उगा सकेंगे। वर्ष 2011–12 के दौरान अन्य पांच ग्रीन हाउस स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। किसानों की बागवानी फसलों, उनकी खेती तथा भण्डारण सुविधा को सुधारने के लिए पुदुचेरी बाजार समिति के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज–कम–फ्रूट राइपनिंग यूनिट के निर्माण की कार्रवाई आरम्भ की गई है। प्रिसिजन फार्मिंग, जो संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2008–09 से कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं में से एक है, के तहत 285.07 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 276 किसानों को फायदा हुआ है। वर्ष 2011–12 के दौरान, 195 किसानों को कृषि कार्य संबंधी मशीनें/उपकरण वितरित करने और 46 किसानों के लिए माइक्रो इर्रीगेशन सिस्टम स्थापित करने की योजना बनायी गई है।

(xi) मुख्य मंत्री ने दिनांक 14.11.2011 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेट्टूपलायम में 1 से 3 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए पोषाहार अनुपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। कुल 500 बच्चों को 250 ग्राम का पैकेट मिला जिसमें 40% गेहूं, 5% रागी, 25% भुना चना और 30% गुड़ था। यह मिश्रण पोषण संबंधी एकीकृत बाल विकास योजना अपेक्षता के अनुरूप है। पुदुचेरी, कराइकल, माहे और यनम में इस योजना के तहत कुल 40,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है और इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 30 रूपए प्रति बालक की दर से केन्द्र सरकार के 12 लाख रूपए के अनुदान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(xii) नव निर्मित राजीव गाँधी राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय, पुदुचेरी के लिए ब्लड बैंक रेफिजरेटर सहित विभिन्न उपकरणों का प्रापण करके ब्लड बैंक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

(xiii) बी पी एल परिवारों के लिए कल्याण उपायों के एक भाग के रूप में, सरकार ने न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यह कराइकल में 29,000 बी पी एल परिवारों को विनिर्दिष्ट मध्यम एवं तृतीयक (सेकन्ड्री एवं टरटियरी) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

(xiv) नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने पी डी एस के कार्यकलापों का

आधुनिकीकरण करके फेयर प्राइस सॉप्स (एफपीएस) के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) वस्तुओं की डिलीवरी करने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को बायोमीट्रिक आधारित स्मार्ट गार्ड जारी करने की कार्यवाही कर रहा है। राशन कार्ड धारकों को सामान की आपूर्ति को एफ पी एस में होने वाले पाइन्ट आफ सेल (पी ओ एस) डिवासेज आपरेशन के माध्यम से अद्यतन किया जाएगा जिससे पी डी एस में होने वाले अनाचार पर रोक लगेगी। स्मार्ट कार्ड सिस्टम की प्रक्रिया अर्थात स्मार्ट कार्ड का मुद्रण तथा राशन कार्ड धारकों को उन्हें जारी करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। फेयर प्राइस शॉप्स में लगाई जा रही पाइंट आफ सेल (पी ओ एस) डिवाइसों का परीक्षण किया जा रहा है। प्रक्रिया के पूरा होने पर आधार बेस्ड बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा और सभी फेयर प्राइस शॉप्स (एफ पी एस) में जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस (जी पी आर एस) आधारित पी ओ एस लगा दिया जाएगा। अब तक लगभग आठ लाख सदस्यों का नामांकन कार्य पूरा हो गया है और इस प्रक्रिया के मार्च, 2012 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का कार्य 19.12.2011 से शुरू हो गया है और मार्च, 2012 के अंत तक इस कार्य के पूर्ण होने की संभावना है।

(xv) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पुदुचेरी राज्य मिशन प्राधिकरण, पुदुचेरी राज्य निगरानी समिति तथा अन्तर–विभागीय समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है।

(xi) भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार सितम्बर, 2011 में कराइकल में प्रायोगिक आधार पर किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए सबला नामक राजीव गाँधी योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना में दो घटकों अर्थात पोषाहार घटक और पोषाहार–रहित घटक का प्रावधान है। पोषाहार घटक के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को बढ़िया खाद्यान्न (फाइन ग्रेन) दिया जाएगा और पोषाहार–रहित घटक के तहत 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल शिक्षा, किशोरावस्था पुनरोत्पादक यौन स्वास्थ्य तथा लड़कियों को परामर्श देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस योजना के तहत, पोषाहार घटक के तहत 4,449 किशोरियों और पोषाहार–रहित घटक के तहत 8,827 किशोरियों की पहचान की गई है।

(xvii) महिलाओं को पाँच प्रमुख महत्वपूर्ण बिन्दुओं अर्थात आर्थिक भागीदारी, आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तीकरण, शिक्षा अर्जन तथा स्वास्थ्य एवं तंदुरस्ती के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने

हेतु पुदुचेरी संघ राज्य में महिला सशक्तीकरण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

7.6.1 संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 592 द्वीप समूह, चट्टानें और द्वीप हैं जिनमें से केवल 36 द्वीप समूहों में ही लोग रहते हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सुनामी के बाद कई विकास और पुनर्वास पहलें की हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया हैः—

(i) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टी आर पी) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सी पी डब्ल्यू डी/ए पी डब्ल्यू डी/एन जी ओ द्वारा 70 अलग—अलग स्थानों में 9,797 स्थायी आश्रयों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक हाल, बर्थ हाउस, मनोरंजन हाल, इत्यादि जैसी सामान्य सुविधाओं की 247 इकाइयों को पूर्णतः पुनर्निमित किया गया है और उनमें अतिरिक्त सुविधाएं भी लगाई गई हैं। इनमें 85 विद्यालय भवन और 34 स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल हैं। क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है और उनमें पर्याप्त अतिरिक्त क्षमताएं भी जोड़ी गई हैं अर्थात 52 जेट्टियों और अन्य पत्तन सुविधाओं का निर्माण/पुनर्निर्माण किया गया, 51.48 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को हासिल किया गया/जोडा गया, 7,108 विद्युत कनेक्शनों को बिजली दी गई, 347 कि.मी. सड़क का निर्माण किया गया।

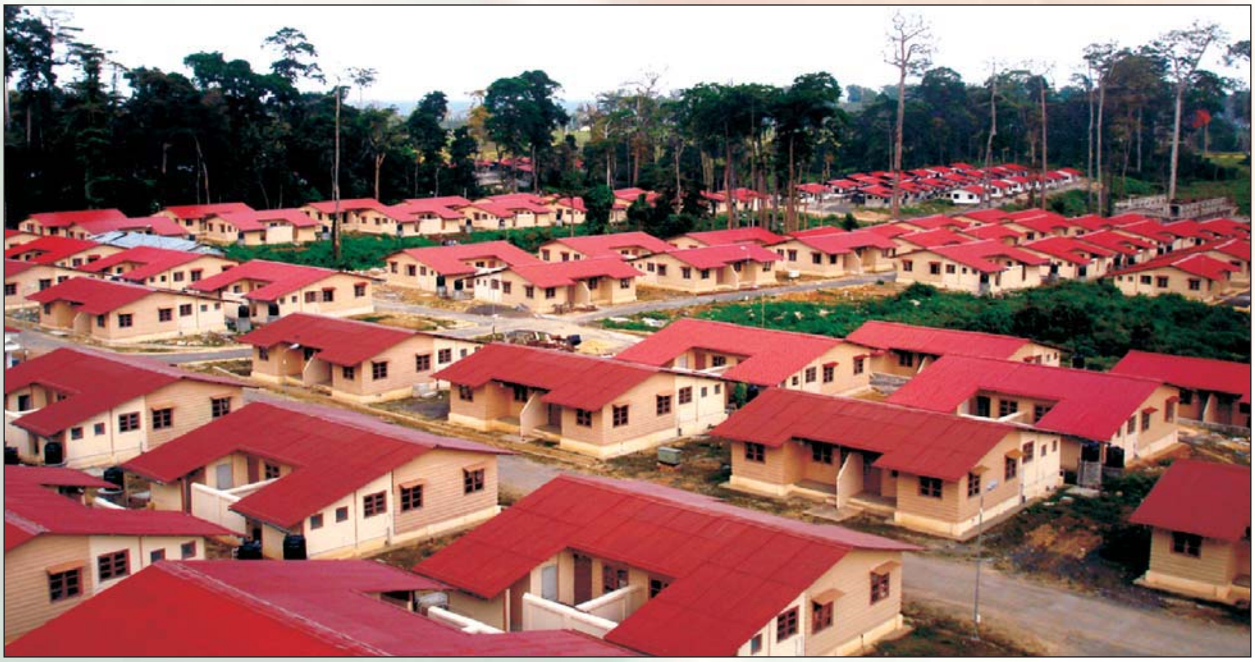

हट बे शेल्टर

(ii) 500 यात्रियों वाले दो जलयानों के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया, एम वी कैम्पबेल–बे नामक एक 500 यात्रियों के जलयान का निर्माण कर लिया गया है और यह पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुका है। जलयान के लिए पूर्ण कालिक 'ए' प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है। एक 400 यात्रियों वाले जलयान (एम वी सैमसुन) को किराए पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार–प्राप्त समिति ने किराए पर लेने के लिए तटाग्र और बन्दरगाह क्षेत्रों में पांच जलयानों की पहचान की गई है। बेड़े में उपर्युक्त जलयानों के शामिल होने से अन्तर–द्वीपीय सम्पर्कता में पर्याप्त सुधार होगा।

(iii) कमोरटा, चैमपिन, लॉंग द्वीप और हैवलॉक में मैरीन हार्ड्स का निर्माण होने से इन द्वीपों में वैकल्पिक लैण्डिंग सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। हड्डू हार्फ में 16 सी सी टी वी कैमरा लगाए जाने से पत्तन की सुरक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई है। कैम्पबेल–बे में पोर्ट कंट्रोल टॉवर के पुनर्निर्माण से ग्रेट–निकोबार के अतिदक्षिण स्थित द्वीप में स्थायी संचार स्टेशन उपलब्ध हो गया है।

(iv) दस नई मिनी बसें खरीदी गईं हैं और उन्हें सेवा में लगा दिया गया है। उत्तरी–एवं मध्यवर्ती अण्डमान जिले के रंगाट में एक नए बस टर्मिनस का निर्माण किया गया है।

एम वी कैम्पबेल बे

नया बस टर्मिनस, रंगाट

(v) प्रशासन द्वारा किराये में लिए गए 3 पवन हंस हेलीकॉप्टर अन्तर–द्वीप क्षेत्र में संचालित किए जा रहे हैं और ये निकोबार जिला के सुदूरवर्ती द्वीपों में भी सम्पर्क सुविधा उपलब्ध करा रहे है। उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी अण्डमान में स्थित द्वीपों के बीच समुद्री जहाज सेवाएं मुहैया करायी जा रही हैं। अन्तर–द्वीपीय मार्गों के लिए एक दोहरा इंजन, फिक्स विंग विमान को सकार्मिक पट्टे पर लेने का कार्य प्रक्रियाधीन है। चावडा, कटचल, रंगाट और पोर्टब्लेयर के अन्तरद्वीपीय टर्मिनल कम्प्लेक्स स्थित हेलीपैड में सुविधाओं के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

पवन हंस हेलीकॉप्टर

(vi) विद्युत क्षेत्र में, सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टी आर पी) के तहत चार स्थानों में नए डी जी सेट (12.75 मेगावाट) लगाए गए हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) द्वारा लगभग 765 कि.मी. लम्बी टी एण्ड डी लाइन का पुनर्निर्माण किया गया है। विभिन्न प्रकार की गैर–परम्परागत एवं नवकरणीय उर्जा पहलें शुरू की गईं हैं। इनमें हैवलॉक में 3 मेगावाट डी जी पावर हाउस की स्थापना, गराचारमा में 5 मेगावाट बायोमास बेस्ड पावर प्लांट और मस्ट रन प्राथमिकता के साथ दो 2 मेगावाट सौर्य पी वी उर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एन टी पी सी के साथ समझौता ज्ञापन (मार्च, 2011) शामिल हैं।

(vii) पुलिस आवास व्यवस्था के तहत विभिन्न टाइप के 84 क्वार्टरों का निर्माण किया गया है और 280 क्वार्टरों के निर्माण का कार्य चल रहा है। वर्ष, 2011 के दौरान, पुलिस स्टेशन नेली द्वीप समूह, पुलिस स्टेशन नॉनकावरी, पुलिस स्टेशन, टेरेसा, पुलिस स्टेशन पहाड़गांव, पुलिस स्टेशन कालीघाट और चौकी (ओ.पी.) राधानगर में भवनों का निर्माण कर लिया गया है। तटीय सुरक्षा योजना के तहत, पुलिस मैरीन फोर्स द्वारा 10 फास्ट इन्टरसेप्टर बोटें बेडे में शामिल की गई हैं और उन्हें गश्त करने और अनधिकार–प्रवेश–रोधी कार्यों में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, चार लार्ज डिंघीज और 7 रिजिड इनफ्लेटबल बोटें भी खरीदी गई हैं।

इन्टरसेप्टर नावें

(viii) कार–निकोबार में कोकोनट मिशन के सफलतापूर्वक शुरु होने के पश्चात, कृषि विभाग अब आर्गनिक कृषि पर ध्यान दे रहा है। अब तक दिनांक 31.10.2011 तक, 487 हेक्टेयर भूमि को आर्गनिक कृषि के अन्तर्गत लाया जा चुका है। विभिन्न द्वीपों में 32 कृमि अण्डज उत्पादनशालाएं (वर्मीकल्वर हैचरीज) स्थापित की गईं हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2,790 किसानों को सबसिडी के रूप में 165.7 लाख रूपए उपलब्ध कराए गए हैं।

(ix) 31.10.2011 तक 2 मत्स्य उतराई केन्द्रों (फिश लैण्डिग सेन्टरों) के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(x) मनरेगा के तहत 17,094 परिवारों को काम (जॉब) उपलब्ध कराया गया है, 1,665 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के तहत 343 मकानों का निर्माण किया गया है।

(xi) 18 पहचान की गई स्लम पॉकेटों के सुनियोजित विकास के लिए जे एन एन यू आर एम के तहत अक्तूबर, 2009 में एकीकृत आवासीय एवं स्लम विकास परियोजना आरम्भ की गई थी जो अब पूर्ण होने के कगार पर है।

(xii) हालांकि इस द्वीप समूह में पूर्णतः विकसित स्वास्थ्य अवसंरचना है तथापि सुविधाओं को और भी उन्नत किया जा रहा है और नई–नई पहलें आरम्भ की गई हैं। जी.बी. पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में पूर्णतः पुनरूद्धारित एवं पूर्णतः सुसज्जित कैजुअलिटी वार्ड, लेइजा माइक्रोस्कोप एण्ड फोटो स्लिट लैम्प युक्त आप्टिकल टोमोग्राफी, नया दस बिस्तरों वाला मनश्चिकित्सीय (साइकियाट्रिक) वार्ड और 100 कि.ग्रा/प्रति घण्टा क्षमता वाला पूर्णतः स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट इन्सिनरेटर जैसी नई–नई सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। किशोरीनगर में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी पी पी) मोड पर एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आरम्भ किया गया है, जबकि चौलदारी में शीघ्र ही इसी मोड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आरम्भ किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिगलीपुर में एक नया ओ पी डी ब्लॉक खोला गया है और बी जे आर अस्पताल, कार निकोबार में जनवरी, 2012 तक नया ओ पी डी ब्लॉक चालू हो जाएगा।

(xiii) चालू शैक्षिक सत्र में चार नए प्राथमिक विद्यालयों ने पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गाँधी नगर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, विजय नगर को क्रमशः गाँधीनगर ग्राम और जोगिन्दर नगर गांव में नव–निर्मित विद्यालय भवनों में शिफ्ट कर दिया गया है। द्वीप समूह में कुक्ड मिड डे मील की योजना भी सफलतापूर्वक चल रही है जिसमें कुल 31,590 छात्रों को स्व–सहायता–समूहों के माध्यम से इस

तरह का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 540 विद्यार्थियों को द्वीप स्थित संस्थाओं में विभिन्न तकनीकी और गैर–तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान भी किया गया है।

सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में कम्प्यूटरीकरण करने के लिए सत्रह सरकारी विभागों की पहचान कर ली गई है।

राजकीय मिडिल विद्यालय, चावरा द्वीप समूह

(xiv) प्रशासन राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना (एन ई जी पी) के कार्यान्वयन के माध्यम से ई–सेवाएं पदान करने के जोरदार कदम उठा रहा है। निर्णय लेने में पारदर्शिता रखने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, जनता को उनके मुहल्ले में त्वरित और विश्वसनीयता के साथ सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए दिनांक 12.12.2011 को कॉमन सर्विस सेन्टर (सी सी सी) की शुरुआत की गई है। आठ विभागों की 41 सेवाओं को प्रत्येक सेवा की सुपुर्दगी संबंधी उल्लिखित समय–सीमा के साथ

(xv) पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत, सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत समुद्री जहाज सेवा शुरु की गई है। यह सेवा पोर्ट ब्लेयर को हैवलॉक, डिगलीपुर और लिटिल अण्डमान से जोड़ती है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 'याच मैरिना' और 'कैनोपी गेटवे' की 50 इकाइयां भी विकसित कर रहा है। लालाजी बे, हैवलॉक और नील द्वीप समूह में विश्वस्तरीय बीच रिसार्ट विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित समूहों के साथ समझौता भी हस्ताक्षिरत किया गया है। राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में

अन्तर्राष्ट्रीय मानक के जलक्रीड़ा उपस्करों को चालू किया गया है।

लक्षद्वीप

7.7 लक्षद्वीप द्वीप समूह 36 द्वीपों का एक समूह है जिनमें से केवल 10 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। इसकी समग्र आबादी अनुसूचित जन जाति की है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। संघ राज्य क्षेत्र ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं:—

(i) भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) द्वारा एन्ड्रोथ द्वीप समूह में 2,500 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का पहला खाद्यान्न गोदाम का निर्माण किया गया है। यह द्वीपसमूह की भण्डारण अवसंरचना की शुरुआत है और इससे विभिन्न द्वीप समूहों को खाद्यान्न का संवितरण करने में सुविधा होगी।

(ii) द्वीपसमूहों में पेयजल उपलब्ध कराना एक शाश्वत समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मिनिकोय और अगत्ती द्वीप समूह में से प्रत्येक में एक लो थर्मल टेम्परेचर डिसैलिनेशन संयंत्र लगाया गया है जिनकी क्षमता प्रतिदिन एक लाख लीटर बढ़िया गुणवत्ता वाला पेयजल उत्पादन करने की है।

(iii) अगत्ती द्वीपसमूह में पहली बार पी पी पी आधार पर राजीव गांधी स्पेशलिटी अस्पताल को चालू किया गया है जिससे सभी प्रकार की विशेषज्ञतापूर्ण उपचार की आवश्यकताएं पूरी होगी और इससे रोगियों को मुख्यद्वीप ले जाने की जरुरत कम पड़ेगी जिसके फलस्वरुप लक्षद्वीप के गरीब निवासियों के उपचार की लागत में कमी आयेगी।

(iv) प्रशासन, जहाजरानी सेवाएं बढ़ाने के प्रयास कर रहा है और 400 यात्रियों वाले दो जलयानों (2 x 400) के लिए आदेश जारी किया गया है जो कोलम्बो डॉकयार्ड, श्रीलंका में निर्माणाधीन हैं।

(v) 2000 सिलिन्डरों की क्षमता वाले एक एल पी जी वाहक पोत के निर्माण के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इससे द्वीपसमूहों की ईंधन की आवश्यकता के रुप में कुकिंग गैस की नियमित तौर पर आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

(vi) पर्यटन के विकास के लिए, कवरत्ती द्वीप समूह में पर्यटन कॉटेजेज के निर्माण किए गए हैं। मिनिकॉय और कदमथ द्वीप में अतिरिक्त कॉटेजों का निर्माण कार्य चल रहा है। शिप क्रूज आपरेटर ने कोची से कदमथ द्वीप तक नियमित रूप से आना—जाना शुरु कर दिया हैं।

चंडीगढ़

7.8.1 एक संघ राज्य क्षेत्र और दो राज्यों—पंजाब

और हरियाणा का राजधानी शहर होने के कारण चंडीगढ़ शहर का विशिष्ट स्थान है। यह 114 वर्ग किमी0 क्षेत्र में फैला है। इसमें चंडीगढ़ शहर और 13 गांव शामिल हैं और यह पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच स्थित हैं।

7.8.2 चालू वर्ष के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शुरु की गई प्रमुख विकासपरक पहलें नीचे दी गई हैंः–

(i) वर्ष 2011–12 में तीन नए एकीकृत विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। राजकीय बालिका विद्यालय, सेक्टर–42 में एक नए सूचना प्रौद्योगिकी ब्लॉक का कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान, सेक्टर–50 में वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन कालेज के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(ii) मिड–डे–मील स्कीम के मीनू में सुधार लाकर और उसकी गुणवत्ता की निरन्तर निगरानी करके उसे और बढ़िया किया गया। 24 अलग–अलग विद्यालयों में 90 लाख रूपए की लागत से शौचालय और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए अभिनव वैकल्पिक शिक्षा योजना के तहत पिछले वर्ष के 4,000 बच्चों की तुलना में इस वर्ष के दौरान मलिन बस्तियों के 6,000 बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अलग–अलग सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पन्द्रह कम्प्यूटर लैबों की स्थापना की गई है। सभी सरकारी कालेजों और संस्थानों में ई–लर्निंग स्मार्ट क्लास रूम्स की शुरूआत की गई है।

(iii) मनीमाजरा अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड वाला अस्पताल बनाने के लिए 6.87 करोड़ रुपए की लागत से उसके उन्नयन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (जीएमसीएच) के ई ब्लॉक में कार्य चल रहा है और जीएमसीएच के जे ब्लॉक के कार्य को पूरा कर लिया गया है।

(iv) प्रमुख नालों पर 2 रेलवे अण्डर ब्रिजों और 4 पुलों का निर्माण करके पंचकुला और मोहाली की पड़ोसवर्ती टाउनशिप के साथ सड़क सम्पर्कता में सुधार किया जा रहा है। शहर में चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) के बेड़े को 160 से बढ़ाकर 294 करके और प्रमुख मार्गों पर इनकी फ्रिक्वेंसी को 30 मिनट से घटाकर 15 मिनट करके जे एन एन यू आर एम के तहत 134 नई बसों के बेडे को शुरु कर दिया गया है। शहर के अन्दर चल रही 100 बसों में और 50 बस क्यू सेल्टरों में ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली (जीपीएस)/जन सूचना प्रणाली (पी आई एस) लगायी गयी है। सेक्टर 43 स्थित बस टर्मिनल में 8 और बेज जोड़कर उसका उन्नयन किया गया है। शहर स्थित 192 बस क्यू

शेल्टरों के अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए 60 और बस क्यू शेल्टरों का निर्माण किया जा रहा है। बेहतर–रूट की योजना तैयार करने और मानव संसाधन का ईष्टतम उपयोग करने की वजह से सी टी यू की आय पिछले वर्ष की 8.86 लाख रुपए प्रतिदिन की आय से बढ़कर इस वर्ष लगभग 9.44 लाख रुपए प्रतिदिन हो गई है।

(v) प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा सिस्टमेटिक मोबालाइजेशन एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर लगभग 3000 डीजल चालित आटो के स्थान पर एलपीजी चलित आटो चलाए गए। सेक्टर 21 और सेक्टर 38 (पश्चिम) में और अधिक एलपीजी गैस स्टेशन खोले गए हैं।

(vi) सुखना झील, जो पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख स्थान है, से गाद निकालने का कार्य शुरु हो गया है। ड्रैगलाइन मशीनों, जे सी बी, डम्परों और टैक्ट्ररों की सहायता से सुखना की तलहटी से 1.08 करोड़ घनफुट गाद निकाली जा चुकी है। पैदल घूमने वालों के लिए दो किमी0 लम्बी पैदलपट्टी तथा सुखना प्लाजा, सुखना द्वीप और बैण्डस्टैण्ड के सुन्दरीकरण का कार्य 6 करोड़ रुपए की लागत से शुरु किया गया है। सुखना झील में पर्यटक सूचना केन्द्र और लि कोरबिजियर सोवनीर शॉप भी खोली गई है।

(vii) पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त 2.69 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से रोज गार्डन में दीप मालिकाएं लगाने, सुन्दरीकरण तथा

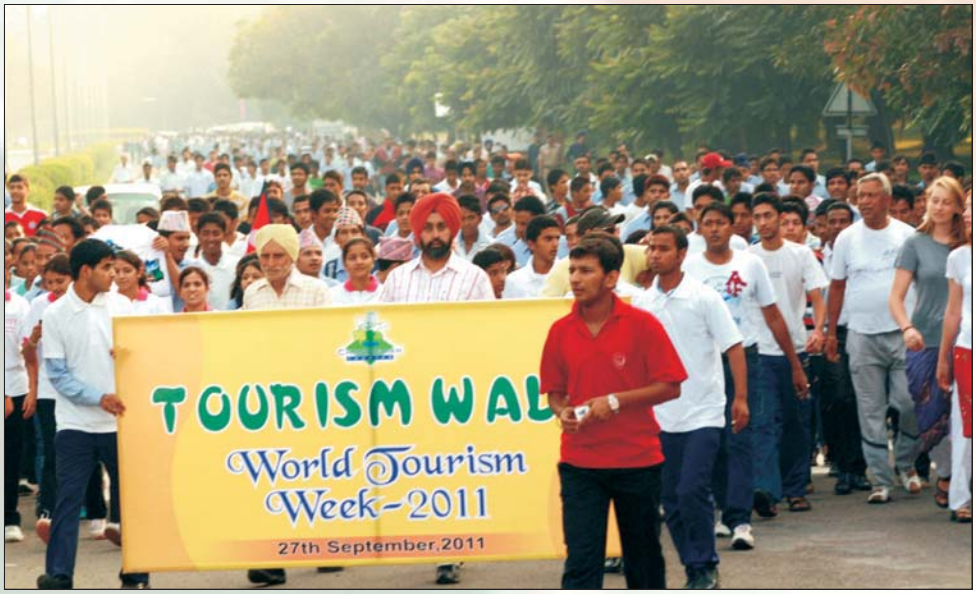

"विश्व पर्यटन सप्ताह के दौरान दिनांक 27.09.2011 को आयोजित पर्यटन पदयात्रा"

लैण्डस्केपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। वैली ऑफ ऐनीमल्स जो अलग–अलग जैवकीय मण्डलों के अलग–अलग स्थलाकृतियों में रहने वाले जानवरों का एक अनूठा स्थलाकृतिक पार्क है, का कार्य प्रारम्भ किया गया है। यहां दीपमालिकाएं, मेडिटेशन हट्स ट्री–टॉप हट्स तथा प्रकृति निरूपण केन्द्र का निर्माण कार्य 3.13 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।

(vii) दिनांक 08.10.2011 से 17.10.2011 तक कला ग्राम में तीसरा चण्डीगढ़ राष्ट्रीय शिल्पमेला का सफलतापूर्णक आयोजन किया गया।

(ix) चण्डीगढ़ पुलिस का अधुनातन उपकरणों, शस्त्रों और गोलाबारूद, प्रभावकारी संचार प्रणाली एवं गतिशीलता के साथ आधुनिकीकरण किया गया है। एक उच्च प्रौद्योगिकी पुलिस कन्ट्रोल रुम स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता से मिलने वाली कालों पर कम से कम समय में पुलिस कार्रवाई की जा सके। बैंकों और ज्वेलर्स दुकानों के सहयोग से आटो डायलर सुविधा स्थापित की गई है। सेक्टर 25 स्थित शूटिंग रेंज का विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ उन्नयन किया जा रहा है। चण्डीगढ़ में रह रहे नागरिकों को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के लिए दो सचल पुलिस स्टेशनें चालू की गई है।

(x) प्रत्येक कांस्टेबल को मोबाइल टेलीफोन उपलब्ध कराकर बीट प्रणाली का नवीकरण किया गया है। जीपीएस से सुसज्जित जिप्सियों और मोटर साइकिलों के नए बेडों की अतिरिक्त तैनाती करके पुलिस गश्त कार्य को तेज किया गया है।

उच्च प्रौद्योगिकी (हाई–टेक) पुलिस नियंत्रण कक्ष, चण्डीगढ़

(xi) गौरवपूर्ण ई– सम्पर्क और ग्राम सम्पर्क सेवा को सुदृढ़ बनाया गया है। वर्तमान में, 12 ई – सम्पर्क तथा 13 ग्राम सम्पर्क केन्द्रों के माध्यम से सरकार से नागरिकों तक 22 और व्यापारियों से नागरिकों तक 5 सेवाएं नागरिकों के घर तक, मुहैया करायी जा रही है।

(xii) एसपीआईसी, नगर निगम, चण्डीगढ़ में ई–गवर्नेन्स प्रणाली का कार्यान्वयन कर रहा है जो भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–शासन प्रणाली योजना (एनईजीपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को आन–लाइन समस्त सेवाएं प्रदान करना है। राजीव गांधी चण्डीगढ़ प्रौद्योगिकी पार्क से आई टी निर्यात बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए हो गया है।

(xiii) स्मार्ट कार्ड परियोजना को आरम्भ किया गया है। चालू वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 5,500 स्मार्ट कार्डों का संवितरण किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमाखोरों के विरुद्ध 66 निरीक्षण किए गए और पी डी एस कन्ट्रोल आर्डर का उल्लंघन करने के लिए फेयर प्राइस शॉप्स के विरुद्ध और अधिक चीनी भण्डारण करने वाले लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए।

(xiv) उच्च न्यायालय में 16 नए न्यायालय कक्षों का निर्माण कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से उच्च न्यायालय परिसर में एक बहु–तलीय पार्किंग (भूमिगत 3 तल और ऊपर 1 तल) जिसमें 600 कारें खडी हो सकती हैं, का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सेक्टर 43 स्थित नया न्यायिक परिसर भी पूर्णता के कगार पर है।

(xv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत लघु और मध्यम उद्यमों की 772 अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना की गई है। ये इकाइयां मुख्यतः गौण प्रकृति की हैं और लगभग 26,400 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।

(xvi) जे एन एन यू आर एम की मलिन बस्ती पुनर्वास योजना के तहत चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) द्वारा 2,112 छोटे फ्लैटों का निर्माण किया गया है और 1,505 मलिन बस्तियों के निवासियों को उनका कब्जा दे दिया गया है। चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए पट्टा आधार पर देने हेतु "स्व–वित्तपोषण आवासीय योजना–2008" के तहत निर्मित किए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के 3,900 फ्लैटों के लिए लॉट्स का ड्रा निकाला गया है। "जनरल हाउसिंग योजना" के तहत सेक्टर 63 में अलग–अलग श्रेणियों के 2,108 फ्लैटों का निर्माण शुरु किया गया है। "जनरल हाउसिंग योजना" के तहत सेक्टर 51–ए में श्रेणी–।। के 160 फ्लैटों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

(xvii) शक्तियों का बेहतर न्यागमन और प्रत्यायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के पास अभी तक रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों यथा–प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, समस्त वी–3 सड़कें और प्रमुख उद्यानों को नगर निगम को स्टाफ और निधियों के साथ हस्तांतरित कर दिया गया है। शहर में जल आपूर्ति का संवर्धन करने के लिए, शहर के विभिन्न क्षेत्रों/वार्डों में 42 ट्यूबवेल/बूस्टरों का रि–बोर किया गया है। मनिमाजरा, कझेरी, दादू माजरा और मलोया की जल–आपूर्ति लाइनों का संवर्धन किया गया है। मनिमाजरा को कैनाल वाटर की आपूर्ति करने के लिए एक पृथक लाइन भी चालू की गई है। डिग्गियान में मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर (एम बी बी आर) प्रौद्योगिकी पर आधारित एक 30 एम जी डी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाया गया है और उसे चालू भी कर दिया गया है।

(xviii) अनुसूचित जातियों (एस सी) और अन्य पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की एक योजना शुरु की गई है। डायबटीज वाले लोगों जिनकी अधिकतम आय सीमा 2,500 रुपये प्रतिमाह है, और जिनके पास अपने मोटरयुक्त वाहन है, को पेट्रोल/डीजल की खरीद पर होने वाले वास्तविक व्यय पर 50% की सबसिडी दी जा रही है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को कौशल विकास योजना के तहत ड्रेस डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग, कम्प्यूटर कोर्स, सौन्दर्य प्रसाधन कोर्स इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(xix) शारीरिक रूप से अपंग लोगों को अपने दैनिक कार्यों को निपटाने में उनकी आवाजाही को बढ़ाने के लिए सहायक उपकरण/उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

दमन और दीव

7.9.1 दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में दमन और दीव नाम के दो भू–खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक एक पृथक जिला और पृथक सामुदायिक विकास खंड है। दमन जिला, गुजरात राज्य की दक्षिण सीमा पर स्थित है और दीव जिला, जूनागढ़ के तट के किनारे एक द्वीप है और यह दमन से लगभग 763 कि.मी. दूर है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कई विकास पहलें की हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

(i) दमन नगर परिषद ने नानी दमन में मगनलाल दामोदर राणा डी एम सी वेजीटेबल मार्किट का निर्माण किया और दिनांक 25.07.2011 को श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन गृह राज्य मंत्री द्वारा उसका लोकार्पण किया गया है।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा नानी दमन में अत्याधुनिक सब्जी बाजार का उदघाटन

(ii) दमन नगर परिषद ने नानी दमन में दयानन्द बन्दोदकर प्ले ग्राउण्ड के समीप एक मॉडर्न स्कूल का निर्माण किया है।

(iii) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम–"राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पेडियाट्रिशियन, गायनाकोलोजिस्ट, सर्जन, अर्थो–सर्जन, रेडियोलोजिस्ट आदि की व्यवस्था के साथ उनका सुदृढ़ीकरण किया गया है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समुदाय की पसन्द के अनुसार आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों की व्यवस्था करके उनका सुदृढ़ीकरण किया गया है। सभी उपकेन्द्र स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।

(iv) दमन और दीव में आन–लाइन मातृ एवं शिशु ट्रैंकिग प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रणाली से माँ एवं नवजात शिशु के जन्म समय एवं स्थान के संबंध में मां और शिशु के बारे में गुणवत्तापूर्ण आंकड़े उपलब्ध होंगे।

(v) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया

जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पहुंचने वाली सभी गर्भवती महिलाएं सिजेरियन सेक्सन सहित पूर्णतः निःशुल्क प्रसव की पात्र हैं। इस हेतु सभी दवाइयां, उपभोग वस्तुएं, जांचें, अवश्यकता पड़ने पर खून उपलब्ध कराने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

(vi) मातृ समृद्धि योजना (एम एस वाई) और दिकरी विकास योजना (डीडीएस) से संघ राज्य क्षेत्र में मातृत्व मृत्युदर में कमी आयी है और बालिका शिशु अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। दिसम्बर, 2011 तक इस योजना के तहत 1,236 माताओं और 703 नवजात बालिका शिशुओं को लाभ मिला।

(vii) विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मिडिल स्तर तक के सभी विद्यार्थियों की उनकी स्वास्थ्य एवं दृष्टिदोष संबधी जांच की गई। कक्षा X से XII तक के छात्रों के तनाव दूर करने तथा ध्यान केन्द्रित करने से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श दिया गया।

(viii) राजकीय चिकित्सालय, मारवाड की नेत्र चिकित्सा (ऑप्थालमिक) यूनिट को अधुनातन ऑप्थालमिक उपकरणों से सुदृढ़ किया गया है। अस्पताल में स्कैन मशीन, एक्स–रे–मशीन, फ्लैश ऑटोक्लेव्स, सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं। राजकीय चिकित्सालय, मारवाड में चारदीवारी तथा मॉडर्न ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और यह लोकार्पण के लिए तैयार है।

राजकीय नेत्र चिकित्सा इकाई, मारवाड़, दमन

राजकीय अस्पताल, मारवाड़ का नया ओ पी डी ब्लॉक

(ix) स्वचालित बायोकेमिकल एनालाइजर का प्रापण किया गया है और सभी प्रकार की बायोकेमिकल जांचें राजकीय चिकित्सालय, दमन में की जाएंगी। अस्पताल के लिए खरीदे गए यूएसजी मशीन और ऑक्जीमीटर गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

राजकीय चिकित्सालय, मारवाड, दमन में लगाई गई पोर्टेबल मशीनें और आक्जीमीटर्स

(x) दमन और दीव दोनों जिलों में पल्स पोलियो खुराक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 वर्ष तक की आयु के कुल 49,208 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।

(xi) राजकीय चिकित्सालय, दीव को 83.50 लाख रुपए की लागत से आधुनातन आपरेशन थियेटर उपकरणों, डायगनोस्टिक उपकरणों–यथा–डेन्टल चेयर, फिजियोथिरैपी उपकरणों से सुसज्जित किया गया।

(xii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी) घोगला, दीव की प्रयोगशाला इकाई में सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर लगाकर उसका उन्नयन किया गया है।

राजकीय चिकित्सालय, मारवाड़ में पूर्णतः स्वचालित बायो–केमेस्ट्री इकाई

(xiii) एकीकृत बाल विकास योजना (आई सी डी एस) की सहायता से प्रत्येक बुधवार को ममता अभियान–ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस मनाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रसव पूर्व एवं पश्चात देखने वाला ममता कार्ड समाकलन, रेफरल सेवाएं, मातृत्व बाल स्वास्थ्य (एम सी एच) रिकार्ड, टीकाकरण समयसारिणी इत्यादि उपलब्ध करायी जाती हैं। लाभार्थियों को उनके संबंधित आंगनबाडी केन्द्रों में ही सभी लाभ मुहैया कराए जाते हैं।

(xiv) लम्बे समय तक चलने वाले कीटनाशक –ट्रीटेड नेट्स (एसएलआईएन) का वितरणः नवम्बर माह, 2011 के दौरान बीपीएल परिवारों को 258 नेट्स का वितरण किया गया और शेष बीपीएल परिवारों तथा गर्भवती महिलाओं को फरवरी के अन्त तक नेट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

7.9.2 वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्त तक निम्नलिखित परियोजनाओं के पूर्ण होने की सम्भावना हैः–

(i) भीमपोर में, 30 एमवीए की क्षमता वाले 66/11 केवी उप–स्टेशन की स्थापना।

(ii) झारी में 30 एम वी ए की क्षमता वाले 66/11 केबी उप स्टेशन की स्थापना।

(iii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मगरवाडा स्थित 66/11 केवी उप–स्टेशन में कक्षयुक्त 10 एम वी ए का बिजली ट्रांसफार्मर जोड़कर उसकी क्षमता को 20 एमबीए से बढ़ाकर 30 एमवीए करना।

(iv) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रिंगनवाडा स्थित 66/11 केवी उप–स्टेशन में कक्षयुक्त 20 एमवीए का बिजली ट्रांसफार्मर जोड़कर उसकी 20 एम बी ए क्षमता को 20 एम वी ए + 20 एमवीए करना।

(v) राजकीय महाविद्यालय, दमन में 13.40 लाख रुपए की लागत से बालिका कक्ष का निर्माण।

(vi) राजकीय पॉलिटेक्नीक, दमन में 1.72 करोड़ रुपए की लागत से सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण।

राजकीय पालिटेक्निक, दमन में सूचना प्रौद्योगिकी भवन

7.9.3 सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) तथा मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यकलाप चलाए गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बी पी एल के सभी विद्यार्थियों को दो जोड़ी यूनीफार्म, जूते/जुराबें, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी एस एस ए के तहत निःशुल्क उपलब्ध करायी गईं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से इतर विद्यार्थियों को भी एस एस ए के तहत निःशुल्क यूनीफार्म, जूते/जुराबें, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी प्रदान की गईं। दमन जिला के लगभग 170 सरकारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक दिन का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमन जिला के सभी 54 सरकारी विद्यालयों में विद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एस एस ए गुजरात की सहायता से एडवांसमेंट आफ एजूकेशनल परफारमेन्स थ्रू टीचर्स सपोर्ट (ए डी ई पी टी एस) तथा राइट टू टीचर्स एजूकेशन (आर टी ई) के लिए सितम्बर माह, 2011 में दमन जिला में 285 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 03 दिन का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था।

दमन जिला में शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन

7.9.4 मध्याह्न भोजन योजनाः मध्याह्न भोजन योजना के तहत दमन और दीव के पहली कक्षा से वीं कक्षा तक के 15,640 विद्यार्थियों को समुचित न्यूट्रिसन तथा कैलोरीयुक्त पकाए गए भोजन से लाभान्वित किया गया था।

7.9.5 माध्यमिक शिक्षाः लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिए सभी पात्र लड़कियों को राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन

योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र में माध्यमिक स्तर तक विकलांगों के लिए इन्क्लूसिव एजूकेशन (आई ई डी एस एस) मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को मीट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकों, यूनीफार्म, स्टेशनरी की आपूर्ति संबंधी योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7.9.6 जल आपूर्ति क्षेत्रः मोती वानकाड में 1,50,000 लीटर क्षमता तथा 3,00,000 लीटर क्षमता के कम्पोजिट आर सी सी ओवर–हेड टैंकों का निर्माण कार्य पूरा हो गया था।

तटीय सुरक्षा योजना (चरण– I)

7.9.7 पुलिस स्टेशनः चरण– I: तटीय पुलिस स्टेशन, मोती दमन को दमन वाडा स्थित नव निर्मित भवन से पहले ही संचालित कर दिया गया है। काचीगाम और मोती दमन नामक दो सीमा चौकियां भी तटीय पुलिस स्टेशन, मोती दमन के क्षेत्राधिकार के तहत कार्य कर रही है। घोघला, दीव में एक तटीय दल को चालू किया गया है।

दमन और दीव जिला के लिए इन्टरसेप्टर बोट

7.9.8 इन्सेप्टर बोट्सः चरण– I: गोवा शिपयार्ड से 12 टन क्षमता वाली 2 बोटें और 5 टन क्षमता वाली दो बोटें प्राप्त हो गई हैं। ये बोटें दमन और दीव में गश्त कार्य कर रही हैं।

7.9.9 वाहनः तटीय सुरक्षा योजना – चरण– I के तहत 3 जीपों और 5 मोटर साइकिलों का प्रापण किया गया है।

7.9.10 अन्य उपकरणः तटीय सुरक्षा योजना– चरण– I के तहत फर्नीचर, डिजिटल कैमरा, कॉपियर मशीन और सर्च लाइटों की पहले ही खरीद की जा चुकी है।

7.9.11 निर्माण कार्यः पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत आरम्भ किए गए कार्यों में 3.92 करोड़ रूपए की लागत से एअरपोर्ट रोड़, दलवाड़ा, दमन में निर्मित एक अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण शामिल है। इस भवन का उद्घाटन दिनांक 13.12.2010 को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा किया गया था।

अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय भवन, दमन

7.9.12 पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दीव का निर्माण कार्य (परियोजना लागत 2,76,69,718 रूपए) पूरा किया गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दीव

ओ आई डी सी की कारपोरेट सोसल रेस्पांसिविलिटी (सी एस आर) परियोजना

7.9.13 कारपोरेट अपने लाभांश से सृजित डेवलपमेन्ट रिजर्व का उपयोग करके दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली के लोगों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में कामयाब रहा है। ओमनी बस इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ओ आई डी सी) ने अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए टी डी सी) के साथ मिलकर अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (ए ई पी सी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रायोजन से दमन में सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किशोरियों (सबला) के सशक्तीकरण की राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत स्मार्ट (स्किल फॉर मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ अपैरल थ्रू रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

ए टी डी सी सेन्टर, दमन में सामाजिक कल्याण विभाग की सबला योजना के तहत ओ आई डी सी द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारम्भ

दादरा और नगर हवेली

7.10.1 संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में एक जिला और 72 गांवों तथा सिलवासा और अम्ली नामक दो कस्बों वाला एक तालुका शामिल है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कई विकास पहले की हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:–

विद्युत प्रणाली

7.10.2 संघ राज्य क्षेत्र की विद्युत प्रणाली नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने और उसकी ट्रांसमिशन और संवितरण क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरु की गई हैं:–

(i) 220 के वी खरादपाड़ा उप स्टेशन में चौथे 100 एम वी ए ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और इसका शीघ्र ही व्यावसायिक संचालन शुरू हो जाएगा।

(ii) वाघछिपा में 220/66 के.वी. उप स्टेशन तथा काला और वेलूगाम में 66/11 के वी उप स्टेशन की स्थापना का कार्य शुरु किया गया है और उसके लिए जमीन का आबंटन कर दिया गया है।

(iii) वाघधारा, दादरा और अथाल में 66/11 के वी उप स्टेशन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

(iv) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया (पी जी सी आई एल) लि. द्वारा डब्ल्यू आर पी सी की क्षेत्रीय योजना के तहत 400 के.वी. उप स्टेशन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इस उप–स्टेशन के पूर्ण हो जाने पर, संघ राज्य क्षेत्र सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ पूर्णतया जुड़ जाएगा और इस प्रकार, पी जी सी आई एल और पावर सिस्टम नेटवर्क का कार्य सुदृढ़ हो जाएगा और इससे संघ राज्य क्षेत्र की भावी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

(v) दिनांक 01.10.2010 को खदोली में 160 एम वी ए ट्रांसफार्मर के साथ एक 220/66 के.वी. उप–स्टेशन को पहले ही चालू कर दिया गया है।

खदोली में 220/66 के वी सब–स्टेशन

स्वास्थ्य

7.10.3 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्नलिखित नेटवर्क के माध्यम में उपलब्ध करायी जा रही हैं–

1.	जिला चिकित्सालय (सिलवासा स्थित 231 बिस्तरों वाला अस्पताल)	01
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीएचसी (खानवेल स्थित 50 बिस्तरों वाला केन्द्र)	01
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी (सभी 6 पी एच सी में चौबीसों घण्टे प्रतिदिन 01 चिकित्साधिकारी, 1 आयुष डॉक्टर, 3 स्टाफ नर्सें हैं)	06
4.	ग्रामीण औषधालय	03
5.	उप केन्द्र	50
6.	सचल चिकित्सा इकाई	01

टेलीमेडिसिन

7.10.4 टेलीमेडीसिन इस क्षेत्र में अपनी तरह की प्रथम पहल है और यह स्टैटिक आई पी कनेक्शन से जुड़ी है और डॉ. नानावती अस्पताल, मुम्बई के साथ संबंद्ध है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी इसे वी–सैट कनेक्शन उपलब्ध कराया है। इसके द्वारा सिलवासा से ही रोगियों को सुपर–स्पेशलिटी उपचार दिया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र ने अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ टेलीमेडिसिन सेन्टर का उन्नयन किया है और इसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी), खानवेल को भी टेली–कन्सल्टेशन देना शुरु कर दिया है। संघ राज्य क्षेत्र टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से चालू वर्ष में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) को जोड़ने की योजना बना रहा है।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

7.10.5 विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आया है और अनुपस्थित की दर कम हुई है। चालू वर्ष (2011–12) के दौरान, 74 विद्यालयों को कवर किया गया है और सितम्बर, 2011 तक 29,608 विद्यार्थियों की जांच की गई है।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों की जांच करते हुए

बालिका शिशु बचाओ योजना

7.10.6 बालिका बचाओ योजना के तहत, बालिका शिशु के नाम पर प्रोफिट प्लस प्रोफिट ऑफ लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन के अंतर्गत 18 वर्ष के लिए 40,000 रूपए जमा किए जाते हैं। उसके 18 वर्ष के हो जाने पर बालिका को 03.18 लाख रूपए का भुगतान किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2011 तक इस योजना के तहत 185 लाभार्थी कवर किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 931 बालिकाओं को कवर किया गया है।

एम्बुलेन्स और शव–वाहन सेवाएं

7.10.7 संघ राज्य क्षेत्र में जननी सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया है जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क भोजन एवं घर तक आना–जाना सहित बिल्कुल निःशुल्क प्रसव की पात्र हैं। अब तक, इस योजना के तहत 1,077 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

7.10.8 मातृ समृद्धि योजना आरम्भ की गई है जिसके तहत इस संघ राज्य क्षेत्र की प्रत्येक गर्भवती महिला को सरकारी संस्थाओं में संस्थागत प्रसव कराने पर दो जीवित बच्चों तक 5,000 रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी।

7.10.9 ग्रामीण जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी) को 100 बिस्तरों की क्षमता में उन्नयन करके इसके लिए नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पहले ही प्रगति पर है।

सड़क और पुल

7.10.10 वर्ष 2010–11 के दौरान, किल्वानी चौक से डेयरी फार्म काजवे तक किल्वानी सड़क के डामरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य शुरु किया गया है, जिसका 50% कार्य पहले ही पूरा हो गया है। शेष कार्य को चालू वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। मसत से खानवेल तक लगभग 15 कि.मी. लम्बी खानवेल सड़क की राइडिंग सरफेस को सुधारने का कार्य 6.70 करोड़ रूपए की लागत से पूरा कर लिया गया है। किल्वानी, ऊमरकुई और अथाल में छोटे पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

7.10.11 संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 52 लाख रूपए की लागत से सिलवासा नरोली रोड पर अथल पुल और दमनगंगा नदी पर सिलवासा–खानवेल रोड में रखोली पुल के निर्माण से संबंधित परामर्शी सेवाएं आरम्भ कर दी गई हैं। इन पुलों को डिपॉसिट वर्क के रूप में ओ आई डी सी और सी पी डब्ल्यू डी को सौंप दिया गया है। नरोली सड़क और रखोली सड़क पर 1 करोड़ रूपए की लागत से नाले का कार्य पूरा कर लिया गया है।

7.10.12 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से कृषि फार्म, रिंग रोड के निकट डोकमारडी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य पहले से द्रुतगति से प्रगति पर है।

सिंचाई

7.10.13 दमनगंगा परियोजना के अन्तर्गत कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट के तहत सुरंगी में कैनाल के निर्माण/मरम्मत का कार्य शुरु कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 35 कि.मी. की लम्बाई में कैनाल की मरम्मत/उसकी गाद निकालने (डिसिल्टिंग) का कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

7.10.14 लघु सिंचाई कार्य के तहत, वर्ष 2011–12 के दौरान 32 नए चेक डैमों का प्रस्ताव है जिसमें से 06 प्रमुख चेक डैम हैं। इन चेक डैमों के निर्माण से कुल मिलाकर 237 हेक्टेयर और जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा।

पर्यटन

7.10.15 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अनेक पर्यटन आकर्षणों को विकसित किया है जिनमें पर्यटकों के लाभार्थ उद्यान, रिसॉर्ट, लॉयन सफारी, एडवेन्चर स्पोर्ट्स कार्यकलाप और रास्तों में कैफेटेरिया इत्यादि के कार्य शामिल हैं।

7.10.16 होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पर्यटन मंत्रालय की सहायता से होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नॉलाजी संस्थान का विकास किया है। यह संस्थान मेहमाननवाजी प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा अन्य सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ–साथ तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

7.10.17 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं आरम्भ की हैं:–

(i) तलावी गांव में लगभग 125 एकड़ क्षेत्र में 18 होल गोल्फ कोर्स, और

(ii) दुधानी क्षेत्र के लिए एक सम्मिश्रित पर्यटन विकास परियोजना।

शिक्षा

7.10.18 270 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 12 सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट प्राथमिक विद्यालयों और 20 राजकीय माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। कक्षा XII तक सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निम्न आय वर्ग के सभी विद्यार्थियों को यूनीफार्म, जूते एवं जुराबें तथा पाठ्यपुस्तकें, कापियां, (नोट बुक्स), आलेखन सामग्री, कम्पास बॉक्स इत्यादि जैसी हर प्रकार की पढ़ने–लिखने की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

7.10.19 अधिक से अधिक नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मध्याह्न भोजन और निःशुल्क यूनीफार्म, कॉपियां और अन्य साहित्य की योजनाएं चल रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के तहत पर्याप्त प्रगति हुई है।

7.10.20 अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए अम्बोली, खेरडी, मन्डोनी और समरवर्नी में चार नए प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। चालू वर्ष के दौरान, एक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है, 73 विद्यालय भवनों का पुनरुद्धार किया गया है और अन्य 28 विद्यालय भवनों का पुनरुद्धार किया गया है। इसके अलावा, रखोली, कुदाचा, सिल्ली हल्दुनपाड़ा, दपाड़ा, टिनोडा और कारचगाम में से प्रत्येक में एक–एक के हिसाब से 06 नए प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा।

7.10.21 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के तहत गरीब और अनूसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा भ्रमण, निःशुल्क यूनीफार्म, पाठ्यपुस्तकें इत्यादि जैसी प्रोत्साहन योजनाएं पहले ही चलायी जा रही हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान, सिन्दोनी में हाई स्कूल आरम्भ किया गया है। दापाड़ा में अन्य नए हाइस्कूल भवन का उद्घाटन केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किया गया है। टोकरखाड़ा में मॉडल विद्यालय का कार्य शीघ्र की पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा राजकीय हाई स्कूल भवन का उद्‌घाटन

7.10.22 साक्षरता की दर वर्ष 2001 के 57.63% की तुलना में वर्ष 2011 में बढकर 77.65% हो गई है। दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 2001–2011 के बीच दस वर्षीय साक्षरता दर में उच्चतम वृद्धि के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया गया है।

7.10.23 आजादी के 57 वर्ष बाद पहला राजकीय महाविद्यालय खोला गया क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने राजकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खोल दिया है। इसका शैक्षणिक सत्र 18.07.2011 से प्रारम्भ हो गया है। प्रवक्ता और अन्य स्टाफ की भर्ती का कार्य पूरा हो गया है। वर्तमान में, 230 विद्यार्थी, जिनमें से अधिकांश जनजाति के हैं, अपने अण्डर ग्रेजुएट अध्ययन कार्य के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा दिनांक 25.07.2011 को नरोली में राजकीय महाविद्यालय का उद्‌घाटन

स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र

7.10.24 वर्तमान राजकीय पोलिटेक्नीक को सिलवासा इन्स्टीट्यूट फॉर टेक्नॉलोजी एण्ड इंजीनियरिंग के रूप में रूपान्तरित किया जा रहा है।

प्रशासन को जन–हितैषी और पारदर्शी बनानाः

7.10.25 दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने प्रशासन को जन–हितैषी एवं पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) संघ राज्य क्षेत्र की तीन नगर परिषदों और दो जिला पंचायतों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान शुरु किए गए सभी विकासात्मक कार्यों को एन आई सी की आफिसियल वेबसाइट में होस्ट किया गया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके वार्डों/गांवों में कौन–कौन से विकास कार्य किए गए हैं और उनमें कितनी धनराशि खर्च हुई है।

(ii) सरकारी प्रापणों में भ्रष्टाचार की शिकायतों का निराकरण करने के लिए सभी खरीदों और निर्माण कार्य के लिए ई–टेण्डरिंग को अनिवार्य किया गया है।

(iii) विकास कार्यों में यथेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2 करोड़ रुपए और इससे अधिक लागत वाले सभी कार्यों की तीसरी पार्टी द्वारा जांच और निगरानी को अनिवार्य किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना

7.11 भारत सरकार ने वर्ष 2006–07 से संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित की है। यह योजना गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर आरम्भ की गई है। इस योजना में अवसंरचनात्मक सुविधाओं, आवास व्यवस्था, पुलिस स्टेशनों के लिए भवनों, गतिशीलता और उपकरणों के उन्नयन पर विशेष बल दिया गया है। इस योजना के लिए 884 करोड़ रुपए का परिव्यय था जिसे आरम्भ में वर्ष 2006–07 से लेकर पांच वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाना था। तथापि, इस योजना को अब वर्ष 2011–12 से दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र/दिल्ली पुलिस को 143.06 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है (13.12.2011 की स्थिति)। वर्ष 2011–12 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली पुलिस सहित) को रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे **अनुलग्नक –X** में दिए गए हैं।

दिल्ली पुलिस

7.12.1 वर्ष 1951 में एक पुलिस महानिरीक्षक और आठ पुलिस अधीक्षकों के साथ दिल्ली पुलिस की कुल संख्या लगभग 8,000 थी। वर्ष 1956 में उप पुलिस महानिरीक्षक का एक पद जोड़ा गया। फिर, दिल्ली को तीन पुलिस जिलों नामतः नई दिल्ली, केन्द्रीय और उत्तरी जिला के रूप में विभाजित किया गया था। वर्तमान में,

इसके तीन रेंज, 11 जिले, 54 उप–संभाग और 184 पुलिस स्टेशन हैं। इसकी कुल संख्या 83,762 है।

7.12.2 दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताओं में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित जन–साधारण के बीच सुरक्षा की भावना बैठाते हुए अपराध की रोकथाम करना, यातायात प्रबंधन में सुधार लाना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना शामिल है।

7.12.3 कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध के नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। लोगों की भागीदारी के साथ संक्रिय पुलिस व्यवस्था के माध्यम से अपराध के नियंत्रण पर जोर दिया जाता है।

7.12.4 विगत 12 वर्षों के दौरान प्रति लाख आबादी में कुल आई पी सी अपराध में तीव्र गिरावट देखी गई है जो वर्ष 1998 में 505.71 होने की जगह पर वर्ष 2011 में नीचे गिरकर 320.52 हो गई है जैसा कि निम्नलिखित सारिणी में पदर्शित हैः–

कुल आईपीसी अपराध (प्रति लाख आबादी)

7.12.5 इसी प्रकार, वर्ष 1998 में दर्ज कुल जघन्य अपराध की संख्या 2,807 थी जो वर्ष 2010 में घटकर 2,085 हो गई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

कुल जघन्य अपराध

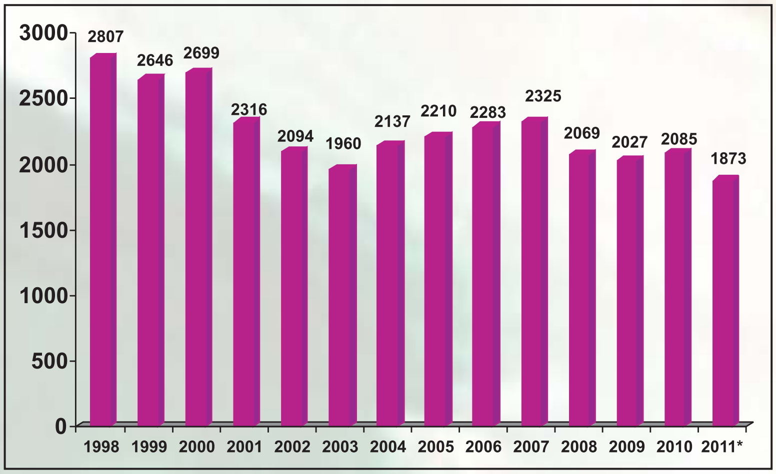

*अनुमानित

7.12.6 प्रति लाख आबादी में जघन्य अपराध का प्रतिशत वर्ष 1998 के 21.88 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 13.41 हो गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

कुल जघन्य अपराध (प्रति लाख आबादी)

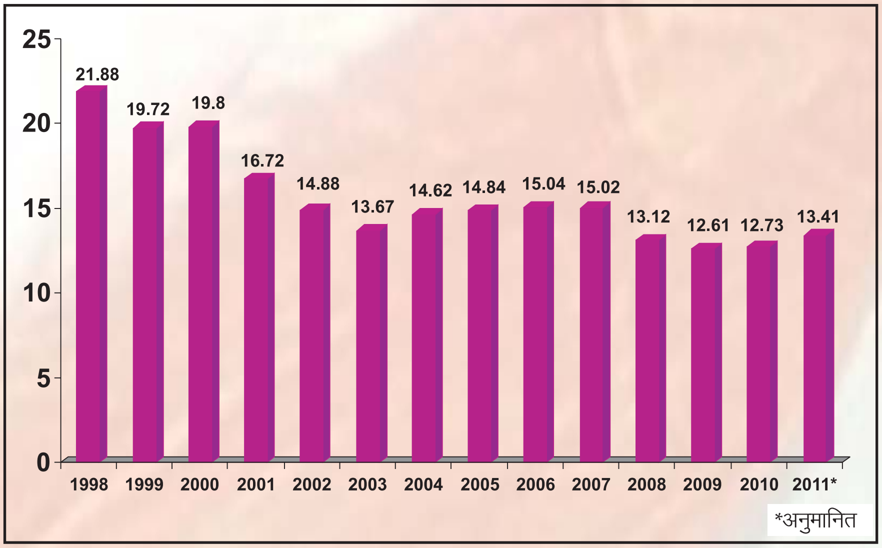

7.12.7 विगत वर्ष की सदृश अवधि के दौरान हुए अपराध के 443 मामलों की तुलना में इस वर्ष 475 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में प्रति लाख आबादी में बलात्कार की घटनाओं में तीव्र कमी देखी गई है। इस शीर्ष के तहत प्रति लाख आबादी में बलात्कार की घटनाएं वर्ष 1998 के 3.41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 3.40 प्रतिशित हो गई हैं।

7.12.8 महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों के तहत विगत वर्ष की सदृश अवधि के 517 मामलों की तुलना में इस वर्ष 577 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 91% मामलों को पहले ही सुलझा लिया गया है। प्रति लाख आबादी में इस अपराध में भी कुल मिलाकर कमी देखी गई है और यह वर्ष 1998 के 5.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 4.13 रह गया है।

महिलाओं के लिए शहर को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता

7.12.9 पूरे शहर में महिलाओं सहित जनता का आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, नॉर्थ कम्पस और साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकाधिक महिला स्टाफ वाली पुलिस स्टेशनों का सृजन करना, पैदल गश्त कार्य का चुस्त–दुरूस्त बनाना, महिला कालेजों के समीप पी सी आर वैनों और आपातकालीन कार्रवाई वाहनों (ई आर वी) की तैनाती करना शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए डी सी पी स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

साउथ कैम्पस में अधिकांशतः महिला अधिकारियों वाली पुलिस चौकी

7.12.10 दिल्ली पुलिस महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैः–

(क) महिलाओं की सुरक्षा के लिए बी पी ओ इत्यादि को आदेश

(ख) महिला हेल्प डेस्क का सृजन

(ग) बिना सवारी वाली महिलाओं की मदद के लिए पी सी आर वैनों को निर्देश

(घ) महिलाओं के प्रति अपराध बहुल क्षेत्रों में बीट्स और पी सी आर वनों की तैनाती।

(ङ) बसों, बाजारों, सिनेमाघरों, सड़क जंक्शनों, विश्वविद्यालयों/कालेजों/विद्यालयों इत्यादि में औचक जांच करना।

(च) पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति संवदेनशील बनाना

(छ) आत्म–रक्षा प्रशिक्षण देना

(ज) बलात्कार संकट माध्यस्थता केन्द्रों के साथ सम्पर्क

(झ) महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना

(ञ) सामूहिक बलात्कार के मामलों का त्वरित विचारण

(ट) महिला हेल्पलाइन

(ठ) पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए उपाय

(ड) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा।

पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क

दिल्ली पुलिस द्वारा लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम

7.12.11 पुलिस मुख्यालय में अपराध शाखा के तहत एक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो अकेले अथवा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ रह रहे हैं/रही हैं, और स्वयं को दिल्ली पुलिस के यहां पंजीकृत कराना चाहते हैं, की पुलिस स्टेशन के बीट/डिवीजन स्टाफ द्वारा पहचान की जाती है और उनके नाम पंजीकरण हेतु वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय को भेजे जाते हैं। स्थानीय पुलिस ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का रिकार्ड रखती है और बीट/डिवीजन स्टाफ नियमित रूप से उनका हाल–चाल पूछने जाता है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने का विशेष अभियान चलाया गया और इस वर्ष 4,431 नए वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार दिल्ली में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 12,788 (31.12.2011 तक) हो गई है।

7.12.12 वर्ष 2011 में (31 दिसम्बर तक) वरिष्ठ नागरिकों से कुल 152 संकटग्रस्त कॉलें और 778 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सभी मामलों में तत्काल सहायता प्रदान की गई अथवा उसकी व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय ने 6,326 वयोवृद्ध लोगों/वरिष्ठ नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से और 22,683 वयोवृद्ध लोगों/वरिष्ठ नागरिकों से टेलीफोन पर सम्पर्क किया।

पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा हेतु उपाय

7.12.13 दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों एवं अन्य निवासियों की समस्याओं का विशेषरूप से निराकरण करने के लिए 03 अधिकारियों अर्थात पुलिस उपायुक्त, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी जिला को नोडल अधिकारियों का पदनाम दिया गया है। ये नोडल अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों और निवासियों के साथ आवधिक बैठकें करते हैं और ऐसी बैठकों में उठाए गए मुद्दों का समाधान करते हैं।

7.12.14 दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की रक्षा और सुरक्षा के संबंध में कई अनुदेश जारी किए हैं, उनमें से कुछेक का उल्लेख नीचे किया गया हैः–

(क) जहां तक सामान्य रूप से महिलाओं के पति और विशेष रूप से दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के प्रति अपराध का संबंध है, ऐसे मामलों में जीरो टालरेन्स की नीति है।

(ख) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां कानून के तहत कार्रवाई अथवा सी आर पी सी के तहत निवारक कार्रवाई आरम्भ की जाए।

(ग) जब कभी ऐसे मामले सामने आते हैं तो उन्हें तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए और उनकी जांच दिन प्रति दिन आधार की जानी चाहिए और उन्हें इसी आधार पर निपटाना चाहिए।

(घ) पुलिस की त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़ित का बल्कि समुदाय का भी आत्म विश्वास जगता है और इससे अभियुक्त को यह स्पष्ट संकेत जाता है कि ऐसे व्यवहार को बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके आस–पास के पूर्वी पश्चिमी जिलों में, न केवल वहां के हॉस्टलों बल्कि ऐसी सामान्य आवासीय कालोनियों, जिनमें बडी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र रहते हैं, को कवर करते हुए नियमित गश्त कार्य को तेज करना।

(च) ऐसे क्षेत्रों में बीट अधिकारियों को इस समुदाय के नेताओं के साथ घनिष्ठ परिसंवाद स्थापित करने के लिए सुग्राही बनाया जाएगा ताकि वे पूर्वोत्तर राज्यों के निकासियों की समस्याओं से अवगत हो सकें।

(छ) स्टेशन हाउस आफीसर इस समुदाय के नेताओं के साथ तिमाही बैठकें करेगा।

(ज) उत्तरी जिला में गठित क्षेत्र सुरक्षा समिति नियमित तौर पर बैठकें करेगी और छात्रों सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ परिसम्वाद करेगी।

मॉडल पुलिस स्टेशन

7.12.15 प्रत्येक जिले में एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है जो लोगों को उच्च स्तर की सेवाएं देने के साथ–साथ पुलिस

मॉडल पुलिस स्टेशन

बल के लिए कार्य करने का अनुकूल वातावरण भी प्रदान करेगा। ऐसे पुलिस स्टेशन रोल–मॉडल के रूप में अपनी सेवा प्रदान करेंगे।

7.12.16 महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस प्रकोष्ठ, जिसे आरम्भ में महिलाओं के प्रति अपराध (सी ए डब्ल्यू) शाखा के रूप में शुरु किया गया था, की स्थापना दहेज हत्या, घरेलू हिंसा की शिकायतें इत्यादि सहित महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए की गई थी। तब यह भी महसूस किया गया था कि महिलाओं को न्यायिक सहायता की भी आवश्यकता है और कुछ वर्ष बाद महिलाओं के प्रति अपराध शाखा (सीएडब्ल्यू) अपनी विभिन्न गतिविधियों–यथा–वैवाहिक झगडों, घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी मुद्दों की शिकायतों में परामर्श देने और समझौता कराने, मध्यस्थता करने की वजह से महिला सशक्तीकरण का केन्द्र बन गया है। चौबीसों घण्टे महिला हेल्प लाइन कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, अपराध मध्यस्थता केन्द्रों के माध्यम से बलात्कार पीडितों को सहायता, गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई (एस पी यू डब्ल्यू सी) के माध्यम से छात्राओं एवं जनता इत्यादि को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और जिला में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाता है।

--*

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा

8.1.1 भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.), भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केन्द्र, दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप सेवा के सदस्यों को देश की एकता और अखंडता के समग्र परिपेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह भर्ती, प्रशिक्षण, संवर्ग संरचना, संवर्ग का आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, वेतन और भत्ते, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनाती, अनुशासनात्मक मामलों इत्यादि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों का काम देखता है।

8.1.2 यह सेवा 24 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की जाती है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व बनाया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष के बाद भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग के ढांचे की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। वर्ष 2011–12 में, आई पी एस के नागालैण्ड संवर्ग की संख्या और संघटन की समीक्षा गई है। मंत्रालय ने वर्ष 2010 में 23 संवर्गों की संवर्ग संख्या की समीक्षा की है और शेष एक की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई ।

8.1.3 दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

राज्य/संवर्ग	दिनांक 01.01.2011 के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या	दिनांक 31.12.2011 के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या
आंध्र प्रदेश	258	258
एजीएमयू	295	295
असम–मेघालय	188	188
बिहार	231	231
छत्तीसगढ़	103	103
गुजरात	195	195
हरियाणा	137	137
हिमाचल प्रदेश	89	89
जम्मू एवं कश्मीर	147	147
झारखंड	135	135
कर्नाटक	205	205
केरल	163	163
मध्य प्रदेश	291	291
महाराष्ट्र	302	302
मणिपुर–त्रिपुरा	156	156
नागालैण्ड	60	70
ओडिशा	188	188
पंजाब	172	172
राजस्थान	205	205
सिक्किम	32	32
तमिलनाडु	263	263
उत्तर प्रदेश	489	489
उत्तराखंड	69	69
पश्चिम बंगाल	347	347
कुल	**4720**	**4730**

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एस वी पी एन पी ए), हैदराबाद

8.2.1 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्वस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र बनने का कार्य सौंपा गया है।

श्री पी. चिदम्बरम, केन्द्रीय गृहमंत्री दिनांक 05.11.2011 को आयोजित दीक्षान्त परेड के अवसर पर 63वीं आर आर आई पी एस (ओ टी) को सम्बोधित करते हुए

8.2.2. वर्ष 2011 के दौरान इस अकादमी में 21 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों, मालदीव के 4 अधिकारियों, 3 नेपाल पुलिस अधिकारियों और रॉयल भूटान पुलिस के 4 अधिकारियों सहित (विदेशी अधिकारियों सहित 134 अधिकारी प्रशिक्षु) 123 नए भर्ती किए गए भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनडोर एवं आउटडोर घटक शामिल हैं। इनडोर कार्यक्रम में विधि, विधि विज्ञान, विधि मेडिसन, अपराधविज्ञान, लोक शांति एवं व्यवस्था का रख–रखाव, आधुनिक भारत में पुलिस आदि जैसे विषय शामिल हैं। आउटडोर प्रशिक्षण में शारीरिक स्वास्थ्य, हथियार प्रशिक्षण, ड्रिल, रणनीति एवं युक्तियाँ, निःशस्त्र लड़ाई आदि जैसे विषय शामिल हैं। सेमिनार, अनुभव के आदान–प्रदान, सामूहिक क्रियाकलाप, सिंडिकेट समूह, मामला अध्ययन, व्याख्यान और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण जैसी आधुनिक शिक्षण क्रिया पद्धतियों का उपयोग करके पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवादी संबंधी मॉड्यूल, पूर्वोत्तर मॉड्यूल, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध संबंधी मॉड्यूल्स, मीडिया आदि, चुनाव संपन्न कराने जैसे क्षेत्रगत कार्यों, संवर्ग से अवगत कराने के लिए एक साधन के रूप में चरण–। के दौरान जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण, गुजरात में रथ यात्रा, कुंभ मेला, राष्ट्रमंडल खेल जैसे महा आयोजनों में कार्य संबद्धता तथा सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ),

अर्ध सैनिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बी पी एस टी), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई)/विशेष पुलिस बल (एस पी जी) आसूचना ब्यूरो (आई बी), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए), रेलवे सुरक्षा बल (आर पी एफ) जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक संगठनों के साथ कार्य संबद्धताओं के माध्यम से अधिकारियों का प्रमुख चुनौतियों से सामना कराया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षार्थी) अंतिम परीक्षा नियमावली के संशोधित नियमों के अनुसार 63 आर आर (2010 बैच) के लिए वर्ष 2010 में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

8.2.3. राष्ट्र के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर और केंद्रीय गृह मंत्री के निदेशों के आधार पर अकादमी ने वर्ष 2009 में विशेष युक्ति विंग शुरु किया है। विशेष युक्ति विंग, राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को आतंकवाद विरोधी एवं विद्रोह रोधी युक्तियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब तक, अकादमी और अकादमी के बाहर अवस्थानों दोनों में 33 पाठ्यक्रमों में 1,278 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

विस्फोटकों पर प्रदर्शन देते हुए विशेष युक्ति स्कंध

8.2.4. यह अकादमी, वरिष्ठ सिविल अधिकारियों के लिए विशेष सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। वर्ष 2011 के दौरान 'भ्रष्टाचार रोधी कार्यनीतियों', 'साइबर अपराध', 'सूचना का अधिकार अधिनियम', 'राष्ट्रीय सुरक्षा', 'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था', 'घटना प्रबंधन', 'विधि विज्ञान', से संबंधित 'महत्वपूर्ण मामलों की जांच–पड़ताल', 'अन्तर क्षेत्रीय आपराधिक न्याय

जंगल प्रशिक्षण में आई पी एस (ओ टी) का 63वां आर आर

प्रणाली' और 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' पर महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम चलाए गए जिनमें 500 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में चार मध्य सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) आयोजित किए अर्थात 07–09 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए एक चरण–।।। एम सी टी पी, 14–16 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए दो चरण–IV एम सी टी पी और 24–26 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए एक चरण–V एम सी टी पी, जिनमें 382 आई पी एस अधिकारियों ने भाग लिया। यह अकादमी नए, 'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को लिंग (जेंडर), कमजोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करता है।

8.2.5 देश में पुलिस प्रशिक्षण के संबंध में बढ़ रही चुनौतियों एवं मांगों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने का कार्य शुरू किया है। इसके लिए अवसंरचना संबंधी अतिरिक्त सुविधाएँ एवं कार्मिक स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2011 में अकादमी के लिए 274 अतिरिक्त कार्मिक स्वीकृत किए हैं और 200.67 करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाएँ अनुमोदित की हैं। यह अकादमी हैदराबाद के बाहरी हिस्से में सेटेलाइट कैम्पस के लिए अतिरिक्त भूमि का भी अधिग्रहण कर रहा है।

भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए सेवा के मध्य अनिवार्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.2.6 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली में संशोधन के मद्देनजर, आई पी एस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सेवा के मध्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। सरकार ने सेवा मध्य प्रशिक्षण

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन की फैकल्टी और एम सी टी पी चरण–IV के प्रतिभागीगण संयुक्त सत्र में

कार्यक्रम–चरण–III, चरण–IV एवं चरण–V आयोजित करने के लिए ख्यातिप्राप्त भारतीय एवं विदेशी संस्थानों के साथ संविदा की थी। सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम–चरण III में अपराध की जाँच–पड़ताल, लोक शांति एवं व्यवस्था का रख रखाव, साइबर सुरक्षा आदि जैसे व्यावहारिक पुलिस व्यवस्था संबंधी विषयों को शामिल किया गया जबकि चरण IV में मध्य स्तरीय प्रबंधन से संगत विषयों अर्थात आतंकवाद का सामना करने, पुलिस की विधिसम्मतता बढ़ाने संबंधी रणनीतियों, भ्रष्टाचार–रोधी रणनीतियों आदि पर जोर दिया जाता हैं। चरण V के पाठ्‌यक्रम में उच्चतर प्रबंधन के मुद्दों अर्थात प्रमुख अन्वेषणों एवं विकास, बहु परिपक्ष्यों के प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, वार्ता प्रक्रिया, नेतृत्व परिवर्तन, विधिक वातावरण के नए आयाम आदि पर जोर दिया जाता है। आयोजित पाठ्‌यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

वर्ष	संगठन का नाम	एम सी टी पी चरण	प्रतिभागी अधिकारियों की कुल संख्या
अप्रैल–मई, 2010	इंडियन स्कूल आफ बिजनेस, हैदराबाद की भागीदारी से चार्ल्स स्टूअर्ट यूनिवर्सिटी	चरण–III	116
नवंबर–2010 – जनवरी, 2011	ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के जिंदल ग्लोबल स्कूल की भागीदारी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,	चरण–IV	97
जुलाई, 2010	लंदन स्कूल आफ बिजनेस, के सहयोग से भारतीय प्रबंधन संस्थान	चरण–V	121
फरवरी–अप्रैल, 2011	इंडियन स्कूल आफ बिजनेस, हैदराबाद की भागीदारी से चार्ल्स स्टूअर्ट यूनिवर्सिटी	चरण–III	114
मई–जुलाई, 2011 सितम्बर–अक्टूबर, 2011	ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के जिंदल ग्लोबल स्कूल की भागीदारी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,	चरण–IV चरण–IV	115 77
नवम्बर–दिसम्बर, 2011	लंदन स्कूल आफ बिजनेस, के सहयोग से भारतीय प्रबंधन संस्थान	चरण–V	76
	कुल		**716**

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, उम्सा, शिलांग

8.3.1 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा) की स्थापना शिलांग के पास बारापानी में 1978 में के रूप में पूर्वोत्तर के राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा) को अप्रैल 2007 से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, (डी ओ एन ई आर) से गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया। नीपा पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न स्तरों के पुलिस कार्मिकों के लिए सेवा में प्रवेश के समय और सेवाकाल के दौरान, दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करती है। यह पुलिस व्यवस्था से संबंधित विषयों पर अनेक कार्यशालाओं/सेमिनारों का भी आयोजन करती है।

8.3.2 अप्रैल, 2007 में इस मंत्रालय को अंतरण किए जाने के बाद से उनकी अवसंरचना को उन्नत किया जा रहा है ताकि पुलिस प्रशिक्षण में पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उनकी जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीपा (एन ई पी ए) को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से आउटडोर प्रशिक्षक संविदा/प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही, उनकी जनशक्ति संबंधी आवश्कयाताओं पूरा करने के लिए नीपा में 17 पद सृजित किए गए। संविदा आधार पर कार्मिक नियुक्त करने की शक्तियाँ निदेशक, नीपा को प्रत्यायोजित की गई।

8.3.3 जनवरी, 2011 में 82.13 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक संशोधित योजना अनुमोदित की गई। पूर्ण किए गए प्रमुख क्रियाकलापों में इलेक्ट्रानिक

निःशस्त्र लड़ाई प्रशिक्षण

निर्माणाधीन कैडेट्स मेस

फायरिंग सिस्टम, डी जी सेट, जल शोधन संयंत्र की स्थापना, लैपटॉप कंप्यूटरों की खरीद शामिल है। चल रहे कार्यों में 120 बिस्तर वाले एस आई मेस, कक्षा सहित नए प्रशिक्षण खंड, सभागार, स्विमिंग पूल, सिपाही के मेस, चाहारदीवारी, शॉपिंग कम्पलेक्स, अस्पताल के लिए नए भवन, फुटबाल मैदान, भवनों आदि का निर्माण शामिल है। इन कार्यों पर 32 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की संभावना है।

8.3.4 गृह मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से नीपा अब न केवल पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि शेष भारत की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करता है। नीपा ने अब पुलिस व्यवस्था संबंधी विषयों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सभी राज्यों से नामांकन आमंत्रित किया। दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान अकादमी ने पूर्वोत्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, कंप्यूटर अनुप्रयोग और सी आई पी ए साफ्टवेयर, आपदा प्रबंधन पर बोध पाठ्यक्रम, आर्मर पाठ्यक्रम, आसूचना एवं पूछताछ तकनीकों का संग्रहण, विस्फोटक एवं बम निपटान पाठ्यक्रम, मानव दुर्व्यापार, एच आईबी/एड्स पर सेमिनार, आतंकवादी घटना का प्रबंधन एवं जाँच–पड़ताल, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित आर्थिक अपराधों, महत्वपूर्ण सुरक्षा एवं प्रश्नगत दस्तावेज, युक्तियों संबंधी पाठ्यक्रम आदि जैसे कई सेवाकालीन पाठ्यक्रम एवं कार्यशाला आयोजित की। पूर्वोत्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम के साथ, उत्तरांखड के 72 उप–निरीक्षकों के लिए तीन महीने की अवधि का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया है।

बम निष्क्रियकरण पाठ्यक्रम

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

8.4 गृह मंत्रालय के अधीन छह केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) तथा एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सी पी एम एफ) अर्थात असम राइफल्स (ए आर) हैं। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल सीमा चौकसी बल हैं जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल लोक व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करता है और इसे आंतरिक सुरक्षा/विद्रोह रोधी कार्य में उनकी सहायता के लिए प्रशिक्षित और सज्जित किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल (आर.ए.एफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पी एस यू, हवाई अड्डों, औद्योगिक भवनों, संग्रहालयों तथा सरकारी भवनों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद आतंकवाद का मुकाबला और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए गठित एक विशेष बल है। इसे उच्च जोखिम वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है।

असम राइफल्स (ए.आर.)

8.5.1 "गार्जियन्स आफ डॉन" के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मित्र' के रूप में जानी जाने वाली असम राइफल्स का गठन सर्वप्रथम 1835 में 'कछार लेवी' के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्यालय शिलांग में है। इस बल की पूर्वोत्तर के राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा भारत–म्यामांर सीमा की चौकसी करने की दोहरी भूमिका है। यह बल पूर्णरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया जाता है और सेना के संलनात्मक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसके दो महानिरीक्षणालय मुख्यालय, नौ सेक्टर मुख्यालय, छियालीस बटालियन, एक प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल, तीन अनुरक्षण ग्रुप, तीन कार्यशालाएं, एक निर्माण तथा रख–रखाव कंपनी और कुछ सहायक यूनिटें है जिनकी कुल कार्मिक संख्या 66,411 हैं।

8.5.2 असम राइफल्स ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 के बीच 657 हथियारों को जब्त करने के अतिरिक्त 5 विद्रोहियों को मुठभेड़ में मार गिराया, 729 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और 305 उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करवाया। सीमापार से अपराधों को रोकने के अपने सतत प्रयासों में असम राइफल्स ने 8,611 कि.ग्रा. प्रतिबंधित गांजा, 07 कि.ग्रा. हेरोइन, 35 कि.ग्रा. अफीम, और 53,04,629 प्रतिबंधित मादक पदार्थ को जब्त किए।

8.5.3 असम राइफल का आकार एवं कार्य बढ़ रहा है। इस बल का अगामी वर्षों में विस्तार होना तय है। एक महानिरीक्षणालय मुख्यालय एवं तीन सेक्टर मुख्यालयों के गठन की प्रक्रिया चल रही

जब्त किये गये हथियारों और गोला–बारूद के साथ असम राइफल्स के जवान

है। असम राइफल में 160 कार्मिक से बनी एक गठित पुलिस यूनिट को भी वर्ष 2010 से हैती में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के लिए भेजा हुआ है।

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)

8.6.1 तत्कालीन पाकिस्तान (पूर्वी एवं पश्चिमी) के साथ–साथ लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करने के लिए कई राज्य पुलिस बलों के स्थान पर एक विशेष सीमा चौकसी बल प्रदान करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में किया गया था। शान्तिकाल में इनकी भूमिका सीमावर्ती लोगों के बीच धीरे धीरे सुरक्षा की भावना जगाना और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना है। युद्धकाल के दौरान यह सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रुप में कार्य करता है और युद्ध लड़ने में सेना की मदद करता है।

पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कार्य

8.6.2 25 बटालियनों की संख्या से आरम्भ हुए इस बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय, इसकी 165 बटालियनें 3 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) इकाइयां, 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केंद्र, और 3 छोटे प्रशिक्षण संस्थान हैं। बल का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी फील्ड रचना में 2 विशेष महानिदेशालय, 13 फ्रंटियर्स और 43 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग और एअर विंग हैं। इसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान एवं बंगलादेश के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 6,386.36 कि.मी. तक फैली हुई है। सीमा सुरक्षा बल को सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) पर भी तैनात किया जाता है।

8.6.3 सीमा सुरक्षा बल ने पिछले समय में सीमा प्रबंधन, विद्रोह–विरोधी अभियानों, आंतरिक सुरक्षा एवं नक्सल रोधी अभियानों जैसे विभिन्न कार्य करने के लिए कौशल विकसित किया हैं। सीमा सुरक्षा बल को, विगत में, अनेक यू एन मिशनों में तैनात किया गया है और वर्तमान में, हैती और कांगो स्थित यू एन मिशनों में विदेशों में इसकी तैनाती की गई है।

8.6.4 बल की कुल कार्मिक संख्या 2,40,532 है जिनमें से 1,478 महिलाएं हैं। वर्ष 2011 के दौरान आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में बी एस एफ ने 03 आतंकवादियों को मार गिराया और 207 उग्रवादियों के गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त, 21 आतंकवादियों ने बी एस एफ के सामने आत्म समर्पण किया और इस बल ने 754 हथियारों, विविध प्रकार

बंगाल के नदी घाटीय क्षेत्र में बोट से गश्त कार्य

के 6,437 गोला बारुदों, 28 ग्रेनेडों, 434.83 कि.ग्रा. विस्फोटकों और 54 आई ई डी की जब्ती कार्रवाई की। बी एस एफ ने सीमा पार अपराध के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 383.60 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियों को जब्त किया, 2,701 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया तथा 30 को मार गिराया।

सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

8.6.5 बदल रहे सुरक्षा सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार गृह मंत्रालय ने इस बल को सौंपे गए कार्य को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने और दुश्मनों का सामना करने की हमारी क्षमता बढाने के लिए इसका आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है। इस प्रयोजनार्थ अत्याधुनिक हथियार, विशेष उपकरण, निगरानी युक्तियों, ईंधन दक्ष वाहनों, आधुनिक जलयानों, विभिन्न बम खोजी एवं निष्क्रियकरण उपकरण, संपेषण एवं सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्राप्रण के लिए मंजूरियाँ दी गईं। सरकार ने 2,330.85 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पहली आधुनिकीकरण योजना (वर्ष 2002 से 31.03.2011 तक) अनुमोदित की जिनमें से 1,692.40 करोड़ रूपए 31.03.2011 तक खर्च कर दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त उपकरणों के प्रापण में 148.13 करोड़ रूपए खर्च हो गए हैं। इस प्रकार 31.10.2011 तक 1840.53 करोड़ रूपए बी.एस.एफ. की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत खर्च कर दिए गए हैं। इस योजना में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अभिप्राप्त किए गए उपकरण निम्नलिखित हैं:–

(रूपए करोड़ में)

क्रम सं.	उपकरण	राशि
1	शस्त्र, गोला–बारूद एवं विशेष उपकरण	1135.71
2	मोटर परिवहन	230.41
3	कपड़े/टेंटेज/स्टोर	39.00
4	जलयान	107.77
5	प्रशिक्षण उपकरण	6.70
6	संपेषण उपकरण	144.40
7	सूचना प्रौद्योगिकी	131.83
8	'जी' सेट अप	20.18
9	चिकित्सा उपकरण	24.53
	कुल	**1840.53**

गुजरात के क्रीक एरिया के लिए समस्त भूभागीय वाहन (आल टेरेन व्हीकल्स)

8.6.6 5,667.40 करोड़ रूपए के प्रस्तावित परिव्यय से आधुनिकीकरण योजना–II (2011–16) तैयार की गई है तथा गृह मंत्रालय में विचाराधीन हैं। आधुनिकीकरण योजना–II बनाते समय, तेजी से बदल रहे सुरक्षा परिदृश्य तथा सतत विकसित हो रही प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है ताकि इसे प्रयोक्ता हितैषी एवं 'जवान' केंद्रित बनाया जा सके।

8.6.7 आधुनिकीकरण योजना–II छह (06) मुख्य शीर्षों (i) शस्त्र एवं गोला–बारुद, (ii) मोटर परिवहन, (iii) कपड़े, टेंटेज एवं स्टोर, (vi) मशीनरी एवं उपकरण, (v) प्रशासन एवं संभार तंत्र तथा (vi) सौर ऊर्जा में विभाजित की गई है।

8.6.8 केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 05.01.2012 को बी एस एफ इन्ट्रानेट प्रहरी परियोजना, एक ई आर पी परियोजना, जिसमें 237 भौगोलिक स्थानों एवं ऑटोमेटिंग प्रमुख कार्यालय कार्यप्रणालियों अर्थात प्रचालन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त, माल सूची प्रबंधन एवं कार्यालय कार्य प्रवाह प्रबंधन शामिल हैं, का शुभारम्भ किया है। इस परियोजना की सहायता के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर एवं एक पृथक आपदा राहत केन्द्र है।

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा बी एस एफ इन्ट्रानेट प्रहरी परियोजना का शुभारम्भ

प्रशिक्षण

8.6.9 विविध भांति के कार्यों के लिए सीमा बलों को तैयार करने के लिए बी एस एफ ने पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ क्षमता संवर्धन कार्य किया है। बी एस एफ प्रशिक्षण संस्थान, अब 20,148 सेवाकालीन कार्मिकों की प्रशिक्षण क्षमता एवं 12,068 सीधे प्रवेश वाले कांस्टेबलों, उप निरीक्षकों, सहायक कमांन्डेंटों के बुनियादी प्रशिक्षण की क्षमता वाले 114 से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सज्जित हैं। बी एस एफ में पाँच उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्र (सी ओ ई) हैं जहाँ एसपीओ/सीपीओ तथा मित्र विदेशी राष्ट्रों के प्रशिक्षुओं को भी प्लाटून हथियार, कमांडो, मोटर परिवहन, डॉग हैडलिंग, बम निष्क्रिय करने आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

8.6.10 बी एस एफ ने अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरण एवं यंत्रों का उपयोग किया है। प्रशिक्षण को और अधिक सार्थक एवं सुग्राही बनाने के लिए, सार रुप पाठ्यक्रम विशिष्ट प्रशिक्षण साहित्य तथा पावर प्वाइन्ट पर प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए सी बी टी तैयार किए गए हैं। छोटे शस्त्र प्रशिक्षण सिमूलेटर, मोटर सिमूलेटर, इनफेंट्री वीपन्स इफेक्ट सिमूलेटर को प्रशिक्षण व्यवस्था में प्रभावकारी तरीके से सम्मिलित किया जा रहा है। मिश एवं हिट सिस्टम के बैफेल रेंजेज लोकेशन एवं इलेक्ट्रानिक रेंजेज को पारंपरिक फायरिंग रेंज के स्थान पर उपयोग में लाया जा रहा है।

8.6.11 बी एस एफ, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकियों (आई सी टी) का पूरा उपयोग कर रहा है।, दो छोटे शस्त्र प्रशिक्षण सिमूलेटर (एस ए टी), सी एस डब्ल्यू टी, बी एस एफ, इंदौर में प्रतिस्थापित किए गए हैं। कुल 9,500 एकड़ (जैसलमर जिला) क्षेत्र वाला किशनगढ फील्ड फायरिंग रेंज ने नवम्बर, 2011 से कार्य करना शुरु कर दिया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

8.7.1 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 58 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 308 इकाइयों को सुरक्षा कवर तथा 83 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अग्निशमन संरक्षण प्रदान कर रहा है। चार दशकों की अवधि में, बल की संख्या कई गुना हो गई है और दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार अब इसकी कार्मिक संख्या 1,30,155 हो गई है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सी आई एस एफ अब मात्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक सीमित सुरक्षा प्रदान करने वाला संगठन नहीं है, वरन् यह देश की एक प्रमुख बहु–कौशल सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रदेशों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सी आई एस एफ इस समय 308 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अन्तरिक्ष संस्थापनाएँ, रक्षा उत्पादन इकाईयाँ, खानें, आयल फील्ड और रिफाइनरी, पमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग स्टील संयत्र, उर्वरक इकाइयाँ, हवाई अड्डे,

रिलायन्स रिफाइनरी एवं पेट्रो केमिकल काम्प्लेक्स, जामनगर (गुजरात) के प्रवेश द्वार पर तैनात सी आई एस एफ कर्मी

जलविद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा ऐतिहासिक इमारतें (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और बड़ी–बड़ी निजी क्षेत्र की इकाइयाँ भी शामिल हैं। चालू वर्ष में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को इन्फोसिस टेकनोलॉजी लिमिटेड (निजी क्षेत्र), राजीव गाँधी निनैवेगम, श्रीपेरम्बदूर (तमिलनाडु), डिग्बोई रिफाइनरी प्लांट, असम, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, ओंकारेश्वर पावर स्टेशन खांडवा (मध्य प्रदेश), ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पालीमेर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ (असम) में तैनात किया गया है।

8.7.2 सी आई एस एफ देश में सबसे बड़ी अग्नि संरक्षण सेवा भी प्रदान करता है। यह 83 औद्योगिक उपक्रमों को अग्निशमन संरक्षण प्रदान करता है।

8.7.3 इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया था। बल ने देश के सभी मुख्य हवाई अड्डों की सुरक्षा का कार्य अपने हाथ में ले लिया है, जिनमें मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। सी आई एस एफ ने अक्टूबर, 2009 के महीने में उन समस्त हवाईअड्डों पर खोया–पाया सामग्रियों के लिए अपनी सरकारी वेबसाइट (www.cisfgov.in)पर एक यात्री उपयोगी सेवा शुरू की है, जिन हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ को तैनात किया गया है। इसके अलावा, इसने 29 सरकारी इमारतों की सुरक्षा का कार्य भी अपने हाथ में लिया है जिनमें दिल्ली में नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक का एक हिस्सा और सी.जी.ओ. काम्पलेक्स शामिल हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उपक्रमों, औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में ड्यूटी पर सी आई एस एफ जवान

8.7.4 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को वर्ष 2007 में दिल्ली मेट्रो सेवा निगम (डी एम आर सी) में सेवा में लगाया गया और 4,619 कार्मिक की सहायता से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 141 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। प्रतिदिन चलने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 16.8 लाख हैं। इसका तीसरा चरण शुरु करने की योजना गृह मंत्रालय एवं डी एम आर सी के परामर्श से तैयार की जा रही है।

8.7.5 सी आई एस एफ प्रतिपूर्ति लागत वाला बल है अर्थात राजकोष पर इसका कोई भार नहीं है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)

8.8.1 शुरु में "क्राऊन रिप्रजेन्टेटिव पुलिस" के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में जुलाई 1939 में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) कर दिया गया। तब से बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसकी क्षमता 222 बटालियनों की है जिसमें 191 कार्यकारी बटालियनें 2 आपदा प्रबंधन बटालियनें, 3 महिला बटालियनें, 10 आर ए एफ बटालियनें, 5 सिग्नल बटालियनें, 10 कोबरा बटालियनें 1 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप हैं। इसके तथा 39 ग्रुप सेन्टर, (एक का गठन

88वीं महिला बटालियन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत की राष्ट्रपति परेड का निरीक्षण करती हुई

किया जा रहा है), 14 प्रशिक्षण संस्थायें, 4 (100 बिस्तरीय) कम्पोजिट अस्पताल, 17 (50–बिस्तरीय) कम्पोजिट अस्पताल, 7 शस्त्र कार्यशालायें तथा 3 केन्द्रीय शस्त्रागार शामिल हैं। बल मुख्यालय/महानिदेशालय के अतिरिक्त इस बल के वरिष्ठ कमाण्ड/पर्यवेक्षण संघटन अर्थात 3 विशिष्ट डी जी जोन, 1 ए डी जी जोन, 18 आई जी सेक्टर और 49 डी आई जी रेंज भी हैं। उपर्युक्त के अलावा 29 बटालियनों (1 महिला बटालियन सहित), 5 ग्रुप सेंटर/डी आई जी रेंज एवं 1 डी आई जी सेक्टर, जो 01.09.2009 को स्वीकृत किए गए हैं, को 2012–13 से गठन किया जाना है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आज देश को सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल (सी ए एम एफ) बन गया है। यह बल इस समय कानून और व्यवस्था, विद्रोह–रोधी, उग्रवाद–रोधी और नक्सल–रोधी कार्रवाइयॉं जैसी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां कर रहा है। यह बल, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादी ग्रुपों की विघटनकारी गतिविधियों का सामना करने के लिए राज्यों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल की महिला टुकड़ियों में गठित तीन महिला बटालियनें भी हैं।

8.8.2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं भवनों की चौकसी भी करते हैं जिसमें जम्मू में माता वैष्णो देवी शक्तिपीठ (श्राइन) और रघुनाथ मंदिर, अयोध्या में राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तथा ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि तथा शाही ईदगाह मस्जिद और संसद भवन शमिल हैं। यह बल जम्मू और कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

श्री माता वैष्णो देवी शक्तिपीठ (श्राइन) में जांच और सुरक्षा ड्यूटी करते हुए सी आर पी एफ जवान

8.8.3 चालू वर्ष (01.04.2011 से 31.12.2011) के दौरान बल की प्रमुख राज्य–वार उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:–

(i) छत्तीसगढ़: 09 नक्सलियों/उग्रवादियों को मार गिराया गया एवं 08 शस्त्र, 07 राउंड गोला–बारुद एवं 03 बम बरामद किए गए।

(ii) झारखंड: 14 नक्सलियों/उग्रवादियों को मार गिराया गया एवं 01 शस्त्र, 07 राउन्ड गोला–बारुद, 01 वायरलेस सेट, 10 डिटोनेटर एवं 15 आई ई डी बरामद किए गए।

सी आर पी एफ द्वारा झारखंड में आई ई डी की बरामदगी

(iii) महाराष्ट्र: 06 नक्सलियों/उग्रवादियों को मार गिराया गया एवं 03 शस्त्र और 44 राउन्ड गोला बारुद बरामद किए गए।

(iv) पश्चिम बंगाल: 03 नक्सलियों/उग्रवादियों को मार गिराया गया तथा 5 शस्त्र एवं 88 राउंड गोला–बारुद बरामद किए गए।

(v) असम: 07 नक्सलियों/उग्रवादियों को मार गिराया गया एवं 07 शस्त्र एवं 158 राउंड गोला बारुद, 01 वायरलेस सेट, 04 डिटोनेंटर, 03 हथगोले एवं 08 मोबाइल फोन बरामद किए गए।

(vi) मेघालय: 03 नक्सलियों/उग्रवादियों को मार गिराया और 03 शस्त्र, 145 राउण्ड गोला बारुद, 04 वायरलेस सेंट, 01 आई ई डी एवं 02 हथगोले बरामद किए गए।

(vii) जम्मू एवं कश्मीर: 29 आतंकवादियों को मार गिराया गया और 32 शस्त्र एवं 1,038 राउन्ड गोला बारुद बरामद किए गए।

सी आर पी एफ द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में हथियारों/गोलाबारूद की बरामदगी

8.8.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, सी आर पी एफ ने 49 उग्रवादियों को मार गिराया; 2,265 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया; 1,207 शस्त्र एवं 37,635 गोला बारुद एवं विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में विविध सामान जब्त किए गए।

8.8.5 बल में व्यापक पैमाने पर ई–गवर्नेंस पहल के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने के उद्देश्य से एक आदर्श कम्प्यूटरीकरण योजना की परिकल्पना की गयी थी। इसमें महानिदेशालय से लेकर कार्यकारी इकाइयों तक बल की ऑनलाइन

कार्य प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। सभी कार्यालयी कार्यपद्धितयों के पूर्ण स्वचालन के लिए एक एकीकृत अनुपयोग सॉफ्टवेयर "सेलो" (सर्विस एवं लॉयल्टी) विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में बल की निम्नलिखित कार्यपद्धितयाँ निहित हैं और इसमें महानिदेशालय से लेकर कार्यकारी बटालियनों तक के कार्यकरण के सभी स्तर शामिल हैं:–

(i) पर्सनल इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल

(ii) इन्वेंट्री माड्यूल

(iii) फाइनेन्स माड्यूल

(iv) ऑपरेशन्स माड्यूल

(v) पे माड्यूल

(vi) मेल/मैनेजमेंट

(vii) दस्तावेज प्रबंध प्रणाली

(viii) वर्क फ्लो एप्लीकेशन

(ix) रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर

8.8.6 चालू वर्ष के दौरान, हेल्प डेस्क, केंद्रीयकृत मेल/संदेश पहुँचाने संबंधी सेवा, व्यापक सुरक्षा उपयों, क्षेत्र गठन के लिए जी आई एस सहायता तथा एम आई एस/डी एस एस सहित हार्डवेयर/साफ्टवेयर में उन्नयन किया गया है।

सी आर पी एफ में त्वरित कार्रवाई बल (आर.ए.एफ.)

8.8.7 वर्ष 1992 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया जिन्हें त्वरित कार्रवाई बल की 4–4 कम्पनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आर.ए.एफ. के कार्मिकों को साम्प्रदायिक दंगों या इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से 10 संवेदनशील स्थानों पर अवस्थित हैं ताकि इस प्रकार की घटनाएं होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें। इन सभी बटालियनों को एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धित संगठित किया गया है।

8.8.8 वर्ष 2011 के दौरान, आर ए एफ ने विभिन्न राज्य पुलिस के 3,526 कार्मिक, बी एस एफ, असम पुलिस एवं सी आई एस एफ के 720 कार्मिक को दंगा नियंत्रण/भीड़ को तितर–बितर करने के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया।

सी आर पी एफ में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा)

8.8.9 वर्ष 2008 में, सरकार ने सी आर पी एफ में कोबरा नामक एक विशिष्ट बल की वर्ष 2009–10 से 2010 11 तक की तीन वर्ष की अवधि में 10 बटालियनें गठित करने का अनुमोदन प्रदान किया था। कोबरा बटालियनों को छोटे और आसूचना आधारित शीघ्र कार्रवाई वाले कमांडो और गुरिल्ला/जंगल युद्ध कला के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है और उन्हें मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना प्रस्तावित है। आर ए एफ की ही तरह इन बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धति के रूप में किया जाएगा। बल के लिए मौके पर ही निर्णय लेना सुकर बनाने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी टीम स्तर पर उपलब्ध कराया गया है

छत्तीसगढ़ में जंगल ड्यूटी पर सी आर पी एफ जवान

और डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी कम्पनी स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। कोबरा बटालियन के कार्मिक को प्रशिक्षण देने के लिए सिल्चर (असम) और शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में 02 विद्रोह–रोधी एवं आतंकवाद–रोधी (सी आई ए टी) स्कूल हैं। बेलगाँव में एक और विद्रोह–रोधी एवं आतंकवाद–रोधी स्कूल तथा जंगल युद्धकला एवं युक्तियों के लिए 1 कोबरा स्कूल (सी एस जे डब्ल्यू टी) खोले जाने का प्रस्ताव जोर शोर से सरकार के विचाराधीन है।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल (आई.टी.बी.पी.)

दिनांक 24.10.2011 को बल के 50वें स्थापना दिवस पर श्री पी. चिदम्बरम, केन्द्रीय गृह मंत्री को मोमेन्टो देते हुए महानिदेशक, आई टी बी पी

8..9.1 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, 1962 में भारत–चीन संघर्ष के परिणामस्वरूप 4 सेवा बटालियनों के साथ गठित की गई थी। इस समय इसमें 45 बटालियनें हैं, जिनकी सहायता 4 विशेषज्ञ बटालियनों द्वारा की जाती है जिसकी कुल कार्मिक संख्या 70,523 है। इसे भारत–चीन सीमा के उत्तर–पश्चिम छोर से भारत, चीन और म्यांमार के संगम स्थल तक 3,488 कि.मी. पर्वतीय भाग में तैनात किया जाता है। बल को 9,000 फीट से 18,600 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है।

8.9.2 भारत–चीन सीमा पर मौजूद अन्तरालों को कवर करने तथा बल की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने बल के पुनर्गठन प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है जिसे निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना हैः–

चरण	वर्ष	
चरण–।	2011–12	• 20 बटालियनों का 4 कंपनी से 6 कंपनी पद्धति में परिवर्तन, 6 कम्पनी पद्धति की 23 बटालियनों को सहायता प्रदान करना। • आसूचना तंत्र की शक्ति का संवर्धन। • एफ एच क्यू, एवं एस क्यू, सीमा आउटपोस्ट एवं महानिदेशालय की शक्ति का संवर्धन • वाटर विंग, सब–डिपो एवं क्षेत्र शस्त्र कार्यशाला की स्थापना
	2012–13	• एक एफ एच क्यू, एक एस एच क्यू सहित 4 बटालियनों का गठन • प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना
चरण–।।	2013–15	• शेष 9 बटालियनों एवं 2 सेक्टर एच क्यू का गठन।

श्री पी. चिदम्बरम, केन्द्रीय गृहमंत्री दिनांक 06.07.2011 को नोएडा में रेफरल अस्पताल का शिलान्यास करते हुए

8.9.3 पहले चरण के कार्यान्वयन से बल के सभी 43 सेवा बटालियनों को 6 कंपनी पद्धति में परिवर्तित कर दिया गया है, प्रत्येक सेवा बटालियन, एस एच क्यू, फ्रंटियर मुख्यालयों एवं महानिदेशालय में शक्ति के समुचित संवर्धन सहित स्वतंत्र आसूचना व्यवस्था स्थापित की गई है। कुछ सीमा आउटपोस्ट (बीओपी) को संभार तंत्र सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र वाटर विंग मंजूर करवाया गया है। शस्त्र एवं गोला–बारूद, वाहनों, कपड़े, राशन, उपस्कर एवं अन्य भंडारों की समय पर आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सब डिपो स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 03 भर्ती प्रशिक्षण केंद्र (आर टी सी) मंजूर किए हैं जो शिवगंगा (तमिलनाडु), किमिन (अरूणाचल प्रदेश), करेरा (मध्य प्रदेश) में हैं एवं एक विद्रोह रोधी एवं जंगल युद्ध कला स्कूल मंजूर किया है जो महिडांडा (उत्तराखंड) में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

आधुनिकीकरण

8.9.4 वर्ष 2011–16 के लिए 786 करोड़ रुपए की एक भावी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण

8.9.5 बल के हाल के विस्तार के कारण, प्रशिक्षण भार में कई गुना वृद्धि हुई है और तुरंत प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए आई टी बी पी ने मौजूदा 07 नियमित प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा 20 अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इन अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 11,800 कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी (भर्ती) के लिए बुनियादी प्रशिक्षण की योजना वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान बनाई गई है। इस समय 5,200 कांस्टेबल/जी डी (भर्ती) का बुनियादी प्रशिक्षण भानु (हरियाणा स्थित) बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र सहित विभिन्न अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में चल रहा है। भर्ती हुए बल को कार्यभार ग्रहण करने के बाद, प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना की क्षमता एवं उपलब्धता के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

8.9.6 आई टी बी पी, आई टी बी पी के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए निम्नलिखित सामानों का प्रापण करने की योजना बना रहा हैः–

क) 81 एम एम सिमूलेटर जैसे आधुनिक उपकरणों का प्रापण

ख) ड्राइविंग सिमूलेटर्स

ग) अकादमी एवं अन्य गठनों के लिए डिजिटल सेंड मॉडल

घ) भर्ती बल के लिए जिम प्रदान करना

ङ) स्की एवं पर्वतारोहण प्रशिक्षण सिमूलेटर

च) बी.डी.डी. प्रशिक्षण के लिए आधुनिक उपकरण

छ) सर्च किट मैग्नीफाइंग

ज) दूरस्थ क्षेत्र रोशनी प्रणाली

झ) कमांडों एवं सी आई जे डब्ल्यू के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण हेतु आधुनिक फायरिंग टारगेट का प्रापण

ञ) अंतरंग (इंडोर) कक्षाओं के लिए आधुनिक इन्टेरक्टिव गैजिटरी

ट) इन्डोस्कोप डिजिटल कैमरा

ठ) आप्टिकल फायबरस्कोप

ड) मोबाइल पोर्टबल मिनि थियेटर

8.9.7 भारत तिब्बत सीमा पुलिस हिमाचल क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रिया कार्रवाई बल है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र स्थापित करनेवाला पहला पुलिस बल था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकडियों ने अपने दायित्व के क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में उत्पन्न सभी आपदाग्रस्त स्थितियों में कई बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भानु, हरियाणा में खोजबीन, बचाव एवं आपदा से निपटने की कार्रवाई में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है जो भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों के कार्मिक को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

8.9.8 वर्ष 2011 के दौरान, (अप्रैल से अक्टूबर तक) आई टी बी पी टुकड़ियों ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों में 23 बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं जिसमें 1,246 आई टी बी पी कार्मिक लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल से ट्रेकर्स की तलाशी करने के लिए गौमुख में एक तलाशी अभियान चलाया गया था जो वर्ष 2010 से क्षेत्र में लापता थे। आई टी बी पी ने सभी 8 लापता ट्रेकर्स के शव प्राप्त कर लिए हैं तथा शव के अवशेषों को ले आए हैं। वर्ष के दौरान बचाव अभियान उत्तराखंड (गौचर–09, पिथौरागढ़–02, मसूरी–03, अलमोड़ा–01, औली–01) हिमाचल प्रदेश (सराहन–03, कुल्लू–03), अरूणाचल प्रदेश (डिरांग–01) में और सिक्किम के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया।

सिक्किम में बचाव कार्रवाई करते हुए आई टी बी पी जवान

शवों को टांग एरिया ले जाते हुए

8.9.9 आई टी बी पी के इंजीनियरिंग विंग के पास विशेषकर सीमा चौकियों पर कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रशिक्षित इंजीनियर हैं।

8.9.10 आई टी बी पी के 14 सदस्यों एवं पटियाला पुलिस के 2 सदस्यों ने दिनांक 14.06.2011 से 17.06.2011 तक माउन्ट एवरेस्ट (7,075 मीटर ऊँचा) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह पूर्व–माउन्ट एवरेस्ट अभियान था जो वर्ष 2012 में निर्धारित है।

8.9.11 आई टी बी पी ने इस्लामाबाद, पाकिस्तान (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर) में 09.05.2011 से 13.05.2011 तक आयोजित दक्षिण एशियाई जूडो चैम्पियनशिप में 01 रजत पदक के अलावा वर्ष 2011 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी, जूडो, तायकोंडों एवं घुड़सवारी में 13 स्वर्ण, 10 रजत एवं 10 कांस्य पदक जीते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी)

8.10.1 राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा पैदा किए गए गंभीर खतरों को निष्प्रभावी करने की दृष्टि से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु सेन्ट्रल कंटीन्जैंसी फोर्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) का गठन 1984 में किया गया था। इस संगठन की स्थापना के लिए एक विधेयक संसद में अगस्त, 1986 में पुरःस्थापित किया गया था और दिनांक 22.09.1986 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का औपचारिक गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया।

शास्त्री पार्क स्थित मेट्रो टी आर जी के दौरान जी आई जी ए कमाण्डो के साथ श्री आर. के मेधेकर, आई पी एस, डी जी, एन एस जी

8.10.2 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद शत–प्रतिशत प्रतिनियुक्ति वाला बल है और इसके सभी कार्मिक सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस एवं अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमांडों को विमान अपहरण निरोधी एवं आतंकवाद–रोधी अभियान में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें अत्यधिक खतरे वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सचल सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा जाता है।

8.10.3 इस बल का बुनियादी कार्य विशिष्ट स्थितियों में आतंकवादी खतरों से निपटना एवं उनके निष्प्रभावी करना तथा विमान अपहरण एवं बंधक बनाए व्यक्तियों को छुड़ाने संबंधी अभियान चलाना हैं। शुरुआत से ही एनएसजी ने अब तक कई अभियान चलाए हैं जिनमें अक्षरधाम मंदिर, अहमदाबाद एवं नवम्बर, 2008 में आतंकवादी हमले के दौरान मुम्बई स्थित होटल ताज, होटल ओबराय ट्रिडेंट और नरीमन हाउस में चलाए गए अभियान शामिल हैं। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार एन एस जी कमांडो अभिहित घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को कवर करने के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी ड्यूटियां निभा रहे हैं। अपने प्रचालन कार्य के अतिरिक्त, बल विशेष कमांडो कार्रवाई, बम निष्क्रिय करने संबंधी तकनीक एवं सशस्त्र बलों के कार्मिक, पड़ोसी देशों के सुरक्षा बल कार्मिक, सी ए पी एफ/राज्य पुलिस को वी आई पी सुरक्षा प्रदान करता है। दिल्ली में एन एस जी को किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए नियत स्थानों पर सतर्क रखा जाता है। इन कमांडों को गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोहों जैसे राष्ट्रीय महत्व के अवसरों और राज्य प्रमुख/सरकारों एवं विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के समय भी तैनात किया जाता है।

आतंकवादी कार्रवाई–रोधी गतिविधियां

एनएसजी के अधीन राष्ट्रीय बम आँकडा केंद्र (एन बी डी सी)

8.10.4 एन एस जी का मानेसर, गुडगांव में राष्ट्रीय बम आंकड़ा केंद्र (एन बी डी सी) है जो विश्व में ऐसे छः केंद्रो में से एक है। यह केंद्र, अधिकांशतः राज्य प्राधिकरणों के अनुरोध पर देश के विभिन्न भागों में विस्फोट के बाद की स्थिति का अध्ययन करता है। यह रक्षा और पुलिस बलों के प्रयोग के लिए विस्फोटकों और विस्फोटों की घटनाओं का एक डाटा बैंक भी है। यह केंद्र, विश्व के अन्य बम आंकडा केंद्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है। एन बी डी सी, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करता है और विस्फोट से संबंधित विषयों पर 'बमशेल' नामक एक व्यावसायिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

8.10.5 एन एस जी बम विस्फोट की घटनाओं की गहराई से जाँच–पड़ताल एवं विश्लेषण करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा माँग किए जाने पर विस्फोट उपरांत अध्ययन दल भी नियुक्त करता है। गणतंत्र दिवस समारोह आदि जेसे महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान एन एस जी द्वारा तोड़फोड़ रोधी जाँच भी की जाती है वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान विस्फोट/बम खतरों (ब्लैक क्वेरी अभियान) को कवर करने के लिए निम्नलिखित आर एस पी एवं बम विस्फोट उपरांत अध्ययन एवं विश्लेषण (पी बी ओ ए) दल भेजे गए थे:।

एन एस जी क्षेत्रीय हब/क्षेत्रीय केन्द्र

8.10.6 26/11 की मुम्बई घटना के बाद, जवाबी कार्रवाई शुरू करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई एवं कोलकाता में एन एस जी के रीजनल हबों को कार्यशील किया गया है। रीजनल हबों में अवसंरचना गठन लगभग पूरा हो गया है केवल कुछ छोटे–मोटे कार्य तुरंत पूरे किए जाने हैं। इसके साथ ही, हैदराबाद में रीजनल सेन्टरों की स्थापना के लिए 600 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है और निर्माण कार्य चल रहा है।

सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी)

8.11.1 वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात विशेष सेवा ब्यूरो (एस एस बी) का गठन 1963 के प्रारंभ में सीमापार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें

भारत–भूटान सीमा पर तैनात एस एस बी महिला कांस्टेबल

क्षमता निर्माण करने के लिए किया गया था। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह वर्ष 2001 में सीमा चौकसी बल बन गया और इसके चार्टर में संशोधन करके इसका नाम सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) रखा गया। इसे भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमा पर सीमा चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

8.11.2 78,702 कम्बेटाइज्ड पदों की 2,590 स्वीकृत शक्ति में से बल की कुल तैनात शक्ति 58,571 है जबकि 2,765 की स्वीकृत शक्ति में से 2,590 सिविलयन/नॉन कम्बेटाइज्ड, कार्यरत हैं। 15 अतिरिक्त बटालियनों को चरणबद्ध तरीके से गठित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो 20.06.2012 तक पूरी कर ली जाएगी।

8.11.3 सिविलियन, क्षेत्र संगठनकर्ताओं की अध्यक्षता में उप–क्षेत्र संगठनकर्ताओं एवं सहायक स्टाफ के दल की सहायता से प्रत्यक्ष प्रबंधन के लिए 25 क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल, भारत–नेपाल सीमा पर 1751 किमी क्षेत्र में तथा भारत–भूटान सीमा पर 699 किमी0 क्षेत्र में तैनात है जिसमें 05 फ्रंटियर्स एवं 11 सेक्टर मुख्यालय हैं।

8.11.4 दिनाँक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान एस एस बी ने 14.21 करोड़ रूपए के निषिद्ध माल 29.10 करोड़ रुपए के स्पापक पदार्थ 3.63 लाख रूपए की जाली भारतीय मुद्रा, 3.77 लाख रूपए की चांदी, 3.11 करोड़ रुपए के वन उत्पाद, 16.13 लाख रूपए की भारतीय मुद्रा, 76.58 हजार की नेपाली मुद्रा, 15 हथियारों, 1,411 कारतूसों, 77 डेटोनेटरों, 03.05 किग्रा0 विस्फोटक सामग्रियों, 4.2 मीटर सेफ्टीफ्यूज, 44 जिलेटिन छड़ें 02, मैगजीन, 12 आई ई डी को जब्त किया और इसके अतिरिक्त 930 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।

8.11.5 एफ टी आर मुख्यालय पटना के अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी चंपारण एवं सीतामढ़ी जिलें के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों पर पहले ही 35.50 लाख रूपए की राशि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सोलर लाइटों, हैंड पंपों, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, खेल कूद संबंधी उपकरणों के वितरण एवं ग्रामीणों एवं उनके पशुओं दोनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने पर खर्च की जा चुकी है। एस एस बी ने सिक्किम की भूकंप प्रभावित जनता को अरितार, क्योंगसा, चाँदनी, दलापचेना, चौचेन, पोस्के एवं निमाचेन गांवों की शिविर सुविधा केद्रों में एम सी ए, वी सी ए उपलब्ध कराके राहत प्रदान करने का कार्य किया। अस्थायी शिविरों में भूकंप प्रभावित लोगों को भोजन, दवाइयां एवं कम्बल प्रदान किए गए। सिक्किम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक कार्रवाई/शांति स्थापित करने संबंधी कार्यों के लिए गुवाहाटी एवं सिलीगुडी एफ टी आर द्वारा 2.18 करोड़ रुपए की राशि ही खर्च की गई। सरकार की महिला उद्धार, स्वरोजगार योजनाओं पर भी चर्चा की गई तथा ग्रामीणों को सीमा के दोनों तरफ सक्रिय विखंडनकारी ताकतों के बचाने के लिए सतर्क किया गया।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

8.12.1 भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी,

पारदर्शी बनाने के लिए सी ए पी एफ में कांस्टेबलों की भर्ती योजनाओं को संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करके व्यक्तिपरकता के प्रभाव को कम किया जा सके। सी ए पी एफ में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार हैः–

क) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भर्ती, एस एस सी के माध्यम से एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। अभ्यर्थियों को टेलीफोन/वेबसाइट/मोबाइल फोन/एस एम एस द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही हैं।

ख) ओवदन पत्र को ओ एम आर (आप्टिकल मैग्नेटिक रिकगनिशन) शीट में केन्द्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा ताकि कम्प्यूटर के माध्यम से तीव्रता से इनकी संवीक्षा की जा सके। लिखित परीक्षा में मात्र ओ एम आर आधारित वास्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु विकल्प वाले प्रश्न होंगे।

ग) अहिंदी भाषी राज्यों में तीन भाषाओं एवं हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी रूप से (हिन्दी और अंग्रेजी) प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं।

घ) पी ई टी (फिजिकल इफिसिएन्सी टेस्ट) अब मात्र अर्हक प्रकृति का होगा और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार को रोक दिया जाना चाहिए।

ङ) भर्ती प्रक्रिया की अधिमानतः वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।

च) भर्ती के समस्त चरणों में बायोमीट्रिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए (कम्प्यूटर आधारित बायोमीट्रिक उपकरणों के अभाव में, अंगूठा के निशान वाले डिजिटल फोटोग्राफ और शरीर के किसी विशिष्ट पहचान चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है।) ।

8.12.2 सीमावर्ती राज्यों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता हैः–

(क) 60% रिक्तियों का आबंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ख) सीमा चौकसी बलों (बी जी एफ) अर्थात् असम राइफल्स, बी एस एफ, आई टी बी पी और एस एस बी में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

(ग) बी जी एफ में 20% रिक्तियां, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं। सरकार उग्रवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों को समय–समय पर अधिसूचित करती है।

(घ) सीमा चौकसी बलों (बी जी एफ) से भिन्न अन्य बलों में 40% रिक्तियां, समय–समय पर यथा अधिसूचित उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

सी ए पी एफ के लिए विमान सहायता

8.13 गृह मंत्रालय का एयरविंग दिनांक 01.05.1969 को हताहतों को निकालने के लिए सी पी एफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, उच्च स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमावर्ती चौकियों (बीओपी) के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल–रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों को पर्याप्त हवाई सहायता प्रदान करने, कार्रवाई के प्रयोजन के लिए टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को करने और सी ए पी एफ कार्मिकों की हवाई कोरियर सेवा के लिए अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग शामिल हैं अर्थात स्थायी विंग और रोटरी विंग। इन दोनों विंगों का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और अभी और भी विस्तार किया जा रहा है। इस समय बेड़े में इम्ब्रेसर 135 बीजे एक्सक्यूटिव जेट, ए वी आर ओ एच एस– 748, सुपर किंग बी–200 एयरक्राफ्ट एवं एम आई–17 ए एल एच/ध्रुव एवं चीता हेलिकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) का आधुनिकीकरण

8.14.1 बलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सरकार का मुख्य ध्यान सी ए पी एफ की कार्यात्मक क्षमता में निरन्तर वृद्धि करने पर है। बढ़ी हुई आतंकवादी एवं उग्रवादी गतिविधियों की चुनौतियों से निपटने के लिए, बल वर्धकों के रूप में शस्त्रास्त्र, मशीनरी, परिवहन, संचार, निगरानी, रात्रि अवलोकन तथा प्रशिक्षण उपस्कर के आधुनिकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय सापेक्ष योजना तैयार की गई है। सरकार ने 3,740.71 करोड़ रूपए के परिव्यय से 6 केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना (2002–07) अनुमोदित की थी। सरकार ने अप्रैल, 2005 में 444.43 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से सशक्त सीमा बल के आधुनिकीकरण के लिए एक तीन वर्षीय योजना (2005–08) भी स्वीकृत थी। चूंकि यह योजना इस अवधि के दौरान पूर्णतः कार्यान्वित नहीं की जा सकी, इसलिए इसे वर्ष 2010–11 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2011 तक 3,453.45 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च की गई है जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-XI** में दिया गया है।

नई आधुनिकीकरण योजना

8.14.2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पहली आधुनिकीकरण योजना को शुरू करने के बाद से काफी विस्तार कर लिया है। देश में सुरक्षा परिदृश्य बदल गया है और चुनौतियाँ का सामना करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उन्नत करने के लिए अगली आधुनिकीकरण "योजना आधुनिकीकरण योजना II" शुरु करना आवश्यक है। जहाँ पहली आधुनिकीकरण योजना में आधुनिक हथियार एवं उपस्कर पर ध्यान केंद्रित किया गया था, वहीं प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना II में लड़ाकू जवानों का आधुनिकीकरण करने और उनको उच्च स्तरीय युद्ध कौशलों से अवगत कराने पर जोर दिया जाएगा।

शारीरिक दक्षता जाँच में संशोधन एवं अस्त्र नीति का प्रतिपादन

8.14.3 प्रौद्योगिकीय विकास, प्रचालानात्मक जरूरत एवं वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए मौजूद शारीरिक दक्षता जाँच (शांति कालीन उपस्कर तालिका) बीपीआर एवं डी के परामर्श से समायोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार, बलों की लड़ने की क्षमता सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा बी पी आर डी के परामर्श से अस्त्र–शस्त्र नीति संशोधित/प्रतिपादित की जा रही है

भारत सरकार की सहायता के भाग के रूप में विभिन्न देशों को भंडार प्रदान करना।

8.14.4 विदेश मंत्रालय के निदेशों के अनुसार नेपाल (8.64 करोड़ रुपये), मालदीव (34.25 करोड़ रुपये), मोजम्बिक (3.87 करोड़ रुपये) एवं सेशेल्स (3.15 करोड़ रुपये) जैसे देशों को वाहन, दंगा नियंत्रण संबंधी उपस्कर एवं अन्य विभिन्न भंडार प्रदान किया गया है।

सी ए पी एफ पर व्यय

8.15 आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और देश की सीमा की रक्षा करने में सी आर पी एफ द्वारा निभाई जा रही भूमिका के उत्तरोत्तर बढ़ते महत्व और उच्च जोखिम के मद्देनजर बजट प्रावधानों में तदनुरूप वृद्धि की गई है जिसे निम्नसारणी में विगत 10 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकडों से देखा जा सकता है:–

वर्ष 2000–2001 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान (31.12.2011 तक) सी ए पी एफ पर वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपए)

वर्ष	एआर	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	कुल
2000–2001	635.32	2157.78	802.30	1653.25	416.06	90.34	322.28	**6077.33**
2001–2002	776.25	2399.02	860.55	1894.42	417.08	82.79	327.03	**6757.14**
2002–2003	711.20	2668.41	936.65	961.13	470.25	95.90	325.77	**6169.31**
2003–2004	929.15	2970.24	982.19	2087.78	468.32	113.81	315.92	**7867.41**
2004–2005	1005.64	2635.76	1061.24	2516.96	552.72	128.00	381.84	**8282.16**
2005–2006	1314.17	3560.45	1134.07	3228.03	576.25	140.28	581.97	**10535.22**
2006–2007	1478.29	3398.85	1225.59	3642.40	707.99	151.19	779.92	**11384.23**
2007–2008	1541.81	3879.00	1376.23	3911.69	1000.73	163.90	943.70	**12817.06**
2008–2009	2016.27	5398.50	2169.28	5557.82	1433.24	210.52	1241.63	**18021.86**
2009–2010	1599.02	4472.66	1978.88	5262.33	1134.05	231.70	801.31	**15479.95**
2010–2011	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	**25074.68**
2011–2012 (31.12.2011 तक)	2317.76	6375.04	2589.81	7028.12	1534.58	334.27	1390.32	**22199.41**

सरकारी–निजी भागीदारी आधार पर सी ए पी एफ आवास परियोजना

8.16.1 अर्ध–सैनिक बलों में आवास की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए 'पी पी पी' (सरकारी निजी भागीदारी) स्कीम के अन्तर्गत सी ए एम एफ कार्मिकों के लिए पूरे देश में 64,643 लाख आवास तथा 536 बैरक बनाने के लिए एक मेगा आवास परियोजना प्रारंभ की गई है। इससे बलों के 25% के प्राधिकृत स्तर तक आवास संतुष्टि के स्तर में सुधार होगा। परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और इससे बल कार्मिकों के लिए आवास निर्माण की मौजूदा स्थिति में सुधार होगा।

8.16.2 देश भर के 262 स्थलों में 5 समूहों में 64,643 घर एवं 536 बैरक निर्मित करने का प्रस्ताव है। पहले दो समूहों को सरकारी–निजी भागीदारी आधार पर शुरु किए जाने का प्रस्ताव है। शेष तीन समूहों को या तो सरकारी–निजी भागीदारी आधार पर या इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। पहले समूह के लिए आर एफ क्यू एवं आर एफ पी पूरा कर लिया गया है और दूसरे समूह के लिए आर एफ क्यू चरण, सरकारी–निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के साथ ही पूरा कर लिया गया है।

भत्ते

8.16.3 वर्ष 2004 से नई पेंशन योजना प्रारंभ किए जाने के बाद, कार्य के दौरान मृत्यु और अपंगता आदि की स्थिति में विशेष रूप से असाधारण पेंशन आदि से संबंधित अनेक लाभ सी ए पी एफ के कार्मिकों के लिए अनुपलब्ध हो गए थे। इस मामले को जी ओ एम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस मंत्रालय द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, डी ओ पी एण्ड पी डब्ल्यू ने नई पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/अपंगता के संबंध में राहत को फिर से बहाल कर दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में और विभिन्न भागों में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए तैनात सी ए पी एफ के कार्मिकों को इसी प्रकार की ड्यूटियों पर तैनात सेना के कार्मिकों के लिए स्वीकार्य भत्तों की तर्ज पर जोखिम और कठिनाई भत्ता प्रदान किया गया है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड

8.16.4 सी ए पी एफ कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। किसी आतंकवाद रोधी/नक्सली संघर्ष अथवा अन्य किसी आंतरिक सुरक्षा कार्रवाई में भाग लेने पर कभी–कभी उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोत्तम बलिदान दे देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए सी ए पी एफ ने स्वयं अपनी अंशदायी कल्याण योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई है। इन सबके अलावा सरकार केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रचुर निधि और उनके सगे संबंधी (एन ओ के) के लिए अनुग्रह राहत और परिवार पेंशन मंजूर करती है।

8.16.5 सी ए पी एफ कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी) भी स्थापित किया गया है। डब्ल्यू ए आर बी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिक के आश्रित को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता करना है। सभी केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों को जवानों के कल्याण के लिए 31.12.2011 तक विशेष कल्याण अनुदान के रूप में 700 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सी पी एफ सी एस)

8.16.6 सरकार द्वारा बाजार मॉडल पर आधारित एक केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सी पी एफ सी एस) प्रारंभ किया गया है और गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, यथासंभव कम दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित बल के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए सुदूर क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय डिपो बनाने की परिकल्पना की गई है। इस समय 124 मास्टर कैंटीन और 675 यूनिट कैंटीन चल रही हैं। सी पी एफ सी को वैट से छूट प्रदान किए जाने के लिए राज्यों को सहमत करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है और इस समय सात राज्यों – मेघालय, छत्तीसगढ, झारखण्ड, बिहार, मणिपुर, हरियाणा एवं उत्तराखंड ने सी पी एफ सी को वैट से छूट प्रदान की है। सी पी एफ सी का 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार कुल टर्न ओवर 430 करोड़ रुपए (शुरुआत से लेकर) है।

प्रधानमंत्री की छात्रवृत्ति योजना

8.16.7 सी ए पी एफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठोर और विशेष ड्यूटी वर्षों तक अपने परिवारों से दूर रह कर करते हैं और इस दौरान वे अपनी पारिवारिक वचनबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनके बच्चे पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए सी ए पी एफ के सेवारत और पूर्व कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री की मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा, इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। शैक्षिक वर्ष 2010–11 हेतु 910 विद्यार्थियों (436 लड़कियों और 474 लड़कों) को छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए डब्ल्यू ए आर बी को 148.77 लाख रुपए भेजे गए हैं।

8.16.8 एक अन्य योजना में, सी ए पी एफ कार्मिकों के बच्चों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय के प्रयोजनार्थ आबंटित सीटों में से राज्यों के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए नामित किया जाता है।

सी ए पी एफ के लिए चिकित्सा सुविधाएँ एवं शारीरिक स्वास्थ्य

8.16.9 सी ए पी एफ के कार्मिक आमतौर पर अपनी ड्यूटी असुविधाजनक वातावरण एवं कठिन परिस्थितियों में निष्पादित करते हैं। सीमाओं की रक्षा करते समय उन्हें ऊँचाई वाले स्थानों पर तैनात किया जाना होता है और नक्सलियों एवं आतंकवादियों का मुकाबला करते समय उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ कार्मिकों को मानसिक रूप से सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ कार्मिकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चुस्त–दुरुस्त रहना सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें दबाव मुक्त रखने के लिए, भारत सरकार ने व्यक्ति विकास केन्द्र, जीने की कला के पाठ्यक्रम और योग कैम्प प्रारंभ करने के साथ–साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निम्नलिखित चिकित्सा अवसंरचना उपलब्ध करायी गई हैः–

(i) सभी केन्द्रीय सशस्त्र बल यूनिटों के अतरंग सुविधाओं सहित एक चिकित्सा जॉन (एम आई) कक्ष उपलब्ध है जिसमें प्रयोज्य मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ का मानक प्राधिकरण है।

(ii) यूनिट एम आई कक्ष का शांति उपकरण टेबल (पी ई टी) का प्राधिकरण संशोधित किया गया है और कई जीवन रक्षक उपकरण, गृह मंत्रालय के दिनांक 09.02.2011 के आदेश द्वारा अधिकृत किए गए हैं।

8.16.10 बल के कार्मिक के लिए स्वास्थ्य परिचर्या एवं मेडिकल कवर में सुधार के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मेडिकल संवर्ग को गृह मंत्रालय के दिनांक 02.09.2004 के आदेश द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए चुस्त–दुरस्त किया गयाः–

(i) मौजूदा अस्तपालों को 100 बिस्तर वाले कम्पोजिट अस्पताल(6) एवं 50 बिस्तर वाले कम्पोजिट अस्पताल (32) एवं 200 बिस्तर वाले रेफरल अस्तपाल (200) में उन्नत करके विशेषज्ञताओं के विशिष्ट आधार के जरिए विशेषज्ञता वाले उपचार शुरु करना।

(ii) करियर संभावनाओं को और अधिक आकर्षक बनाकर दूर–दूराज क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना। इसलिए अपर महानिदेशक (मेडिकल) स्तर तक के पदों का एक सामान्य मेडिकल संवर्ग, निरीक्षकों (मेडिकल) के स्तर पर और अधिक पद तथा उप महानिरीक्षक (मेडिकल) का ग्रेड सृजित किया गया और इसमें एक बल की सेवा से दूसरे बल की सेवा में आने की व्यवस्था की गई है।

(iii) उपलब्ध सुविधाओं की पूलिंग, अवसंरचना एवं उपकरण का उन्नयन, जरुरतों के लिए उपयुक्त स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था करना।

परवर्ती विकास/तत्पश्चात प्रगति

(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दिनांक 12.09.2007 के गृह मंत्रालय के आदेश के तहत अशांत/हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों सहित देश भर के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किन्हीं भी कम्पोजिट अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कराने के लिए अधिकृत किया गया है चाहे वे किसी भी बल से संबंधित हों।

(ii) पचास (50) बिस्तर वाले कम्पोजिट अस्पतालों के सात विशेषज्ञों तथा 100 बिस्तर वाले कम्पोजिट अस्पतालों के नौ विशेषज्ञों को अधिकृत किया गया है और उनकी विशिष्टता का क्षेत्र दिनांक 29.01.2007 के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) अशांत भावनाओं वाले पुलिस कार्मिक को परामर्श देने एवं उनकी गहन मानीटरिंग के लिए अपेक्षित योग्यता वाले अराजपत्रित कार्मिक की पहचान करने एवं उनके प्रशिक्षण के लिए दिनांक 23.02.2007 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

(iv) ग्रेटर नोएडा में 200 बिस्तर वाले एक रेफरल अस्पताल के निर्माण के लिए दिनांक 4.3.2011 के आदेश द्वारा 120.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(v) जनरल ड्यूटी एवं विशेषज्ञ दोनों स्तरों पर मेडिकल अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए रिक्त पदों पर संविदात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए क्रमशः दिनांक 31.01.2011 एवं दिनांक 09.02.2011 के आदेश के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा एक वर्ष की अवधि के लिए एवं 60 वर्ष की आयु तक के लिए संविदात्मक अवधि से अनुदेशों को संशोधित करके विशेषज्ञों एवं सामान्य ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों के संबंध में क्रमशः दिनांक 19.01.2010 एवं 26.02.2010 के आदेश द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए संविदात्मक नियुक्ति की अनुमति दी गई है।

(vi) केन्द्रीय सशस्त्र सैनिक बलों के सभी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने एवं मानकीकृत करने के लिए 50 बिस्तर वाले (32) 100 बिस्तर वाले कम्पोजिट अस्पतालों (6) एवं 200 बिस्तर वाले रेफरल अस्पताल के लिए स्टाफ के प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इन संस्थानों के लिए पदों के सृजन/उन्मूलन के लिए आदेश गृह मंत्रालय के दिनांक 11.02.2010 एवं 09.03.2011 के आदेशों के तहत जारी किए गए हैं।

(vii) सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस), 500 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल, 300 बिस्तरों वाला सुपर–स्पेशलिटी अस्पताल एक नर्सिंग कॉलेज तथा एक पैरामेडिक्स विद्यालय की स्थापना करने साथ–साथ इन संस्थाओं के पर्यवेक्षण हेतु स्पे. डी जी (एम) का एक पद का सृजन करने के लिए "सैद्धान्तिक अनुमोदन" प्रदान किया है और दिनांक 22.12.2011 को आदेश जारी कर दिया है।

8.16.11 बल के कार्मिकों में आई वी एड्स जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए अनेक शैक्षिणक और जागरूकता पैदा करने वाले कदम उठाए गए हैं।

राज्य पुलिस भी वर्दीधारी सेवाओं में ऐसी बीमारी रोकने की रणनीति के कार्यान्वयन में लगी हुई है। इस प्रयोजन के लिए राज्य नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उन्हें एनजीओ तथा राज्य प्राधिकारियों की सहायता से एड्स नियंत्रण के संबंध में सुग्राही बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर के चार सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

सी ए पी एफ में महिलाएं

8.16.12 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे कि महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, युद्ध प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास, पाठ्य सामग्री का पुनर्विन्यास, अधिकाधिक महिलाओं को परिचालनात्मक ड्यूटी सौंपना। महिलाओं के प्रति अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व्यवस्था की मुख्य धारा में महिला अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया है। सी ए पी एफ में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) अगले तीन वर्षों के भीतर महिलाओं की प्रतिशतता को 5 प्रतिशत करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ii) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और इसके लिए शिकायत समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष काफी वरिष्ठ रैंक के महिला अधिकारी होते हैं। कथित गलत कार्य करने वाले से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अन्य संगठन के अध्यक्ष को रखने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

(iii) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पहले ही यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच–पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर लिया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वालों में अन्य अनुशासनात्मक मामलों के साथ–साथ यौन उत्पीड़न के संबंध में अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग आवधिक रिपोर्टों एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है ताकि जल्दी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

(iv) जेंडर सुग्राहीकरण एवं सरकारी सेवाओं में इसके निहितार्थ के बारे में कार्यक्रम पहले ही सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिक को शिक्षित करने के लिए चलाया गया है तथा इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है। जेंडर संवेदनशीलता के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित पूल रखने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

झारखंड में जंगलों में गश्त लगाते हुए सी ए पी एफ जवान

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती

8.16.13 लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर शांतिपूर्ण सहायता करने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों को उपलब्ध कराया जाता है। ये बल, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते और पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन बलों ने विभिन्न राज्यों में विधान सभा और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष ओर शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित कराने में भी सहायता की है।

8.16.14 वर्ष 2011–12 के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने आतंकवाद एवं उग्रवाद से निपटने में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान की है। मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में विधान सभा चुनाव–2012 के दौरान सीएपीएफ/एसएपी (राज्य सशस्त्र पुलिस)/बीडब्ल्यूएचजी (बार्डर विंग होम गार्ड)/आईआर (इण्डियन रिजर्व बटालियन) की कई बटालियनों की तैनाती के आदेश दिये गए हैं जिन्हें असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनावों तथा विभिन्न राज्यों में उप चुनावों/पंचायत चुनावों के दौरान लगाया गया था। तेलांगना मुद्दे के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में जब आंदोलनों एवं उग्र प्रदर्शनों के कारण विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सी ए पी एफ भी प्रदान किए गए हैं।

8.16.15 गृह मंत्रालय के नक्सल प्रबंधन प्रभाग की सिफारिश पर नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सी ए पी एफ को तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर विधि एवं व्यवस्था के लिए उनको सी ए पी एफ/आर ए एफ उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रशिक्षण

8.17.1 भारत सरकार पुलिस प्रशिक्षण को अत्यंत

महत्व देती है। उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में विनिर्दिष्ट सी ए पी एफ के ऐसे अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो न केवल सी ए पी एफ के कार्मिकों को बल्कि राज्य पुलिस बल के कार्मिकों को भी विशिष्ट कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

8.17.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस कार्मिकों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ताकि वे अपराध निवारण, अपराधों का पता लगाने, जांच–पड़ताल करने, आतंकवाद–रोधी मामलों आदि के बारे में आधुनिक तकनीक की जानकारी प्राप्त कर सकें। ये पाठ्यक्रम जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली आदि में आयोजित किए गए। विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों की मदद से इन पाठ्यक्रमों को भारत में दोहराया जा रहा है ताकि उनका अधिक लाभ मिल सके।

8.17.3 मंत्रालय ने पुलिस बलों को और अधिक प्रभावी ढंग से ड्यूटी निर्वहन करने में सक्षम बनाने और उनको पुलिस व्यवस्था विषयों में अन्वेषकों के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण से उनको प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण क्रियाकलाप नामक एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं, 'साइबर अपराध मामलों की जाँच–पडताल', 'अन्वेषकों के मानव दुर्व्यापार घटना के मामलों की जाँच–पड़ताल', 'हत्या/मानवहत्या के मामलों की जाँच–पड़ताल', 'विचार एवं युक्तियों पर पाठ्यक्रम', 'अति विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा पर पाठ्यक्रम', 'पूछताछ की तकनीकों एवं आर्थिक अपराध के मामलों की जाँच–पड़ताल पर पाठ्यक्रम' विषयों पर पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। जनवरी 2012 तक 151 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 2,702 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

उग्रवाद और आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) विद्यालय

8.17.4 वामपंथी उग्रवाद/आतंकवाद के खतरे से निपटने में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने 52.40 करोड़ रूपए के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उग्रवाद–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सी आई ए टी) विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने 21 सी आई ए टी विद्यालय स्थापित करने के लिए असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों को 31.50 करोड़ रूपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्रोह रोधी एवं आतंकवाद विरोधी स्कूलों के लिए उन्नयन और प्रशिक्षक शुल्कों हेतु ओडिशा, बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्यों को 5.44 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। सत्रह स्कूलों ने राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शुरु कर दिया है। शेष चार स्कूलों में प्रशिक्षण अगामी महीने में शुरु किया जाएगा। दिनांक 01.12.2009 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान सी आई ए टी स्कूलों में 13,398 (लगभग) पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सीएपीटी)

8.17.5 इस समय बीपीआर एंड डी के तत्वाधान में चंडीगढ, हैदराबाद एवं कोलकाता में तीन

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल अपराध अन्वेषण में पुलिस कार्मिक को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विदेशों में पुलिस अधिकारी भी इस पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं। अपराध अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धतियाँ पर 17 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें उप पुलिस अधीक्षक रैंक से लेकर राज्य पुलिस बलों एवं केन्द्रीय पुलिस बलों पुलिस बलों के एस आई रैंक 444 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने 15.40 करोड़ रू. की लागत से नए प्रशिक्षण ब्लॉक छात्रावास एवं व्यायामशाला का निर्माण करके सी डी टी एस, हैदराबाद की सुविधाओं के उन्नयन को अनुमोदित किया। इससे वे एक बार में 100 कर्मियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे।

8.17.6 चूंकि ये तीन स्कूल राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए दो और सीडीटीएस अनुमोदित किए गए हैं। एक सी डी टी एस गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 8.37 एकड़ भूमि आबंटित की है। गाजियाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कार्यालय के स्थल का कब्जा ले लिया गया है। प्रधानाचार्य एवं 10 अन्य कार्मिकों की नियुक्ति कर दी गई है। 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पर प्रथम पाठ्यक्रम दिनांक 16.01.2012 से 20.01.2012 तक आयोजित किया गया जिसमें 36 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अन्य सी डी टी एस की स्थापना जयपुर, राजस्थान में की जाएगी। मंत्रालय द्वारा इन सी डी टी एस में से प्रत्येक के लिए 53 पद स्वीकृत किए गए हैं।

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, (सी ए पी टी) भोपाल

8.17.7 राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 47.14 करोड़ रूपए के परिव्यय से भोपाल में एक केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि राज्य पुलिस के पास पर्याप्त प्रशिक्षक नहीं हैं जो आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष आने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दे सकें। यह कालेज सीधी भर्ती से आने वाले डिप्टी एस पी/एडीशनल एस पी को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा उन राज्यों के डिप्टी एस पी/एडीशनल एस पी को भी सेवाकालीन एवं विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिनके पास इस समय उपयुक्त स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 400 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय ने पूर्व–निर्मित कुटियों (हट्स) के लिए 7.6 करोड़ रूपए मंजूर किए। यह पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, सागर, मध्य प्रदेश के अस्थायी स्थान से दिनांक 04.09.2011 शुरु हो गया है। आबंटित भूमि पर पूर्व निर्मित कुटियों का निर्माण कार्य चल रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पाठ्यक्रम शुरु होने की संभावना है।

पुलिस प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

8.17.8 13वें वित्त आयोग ने पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण/उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2,266 करोड़ रूपए के

आबंटन की मंजूरी प्रदान की है। दिनांक 19.10.2011 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय एवं बी पी आर एंड डी राज्य सरकारों के प्रस्तावों की जाँच करेंगे और इस मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों को निधियाँ जारी करेगा।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बी) तथा विशेषीकृत इंडिया रिजर्व बटालियनों (एस आई आर बी) का गठन

8.18.1 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा स्थितियों से निपटने में राज्यों की क्षमताएं सुदृढ़ करने और सी ए पी एफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें (आई आर बी) गठित किए जाने की एक स्कीम प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को एक वर्ष के वेतन सहित गठन लागत और अवसंरचना/पूंजीगत लागत के कुछ तत्वों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य राज्यों में एक सुप्रशिक्षित सशस्त्र पुलिस बल सृजित किए जाने के अलावा यह भी है कि आई आर बी को कहीं अन्यत्र आवश्यकता पड़ने पर राज्य के बाहर भी तैनात किया जा सकेगा। मंजूर बटालियनों का वास्तविक गठन किए जाने के संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए वित्तीय सहायता के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। वर्तमान में, राज्य सरकारों को आई आर बी का गठन करने के लिए मानक गठन लागत के 75% के रूप में 17 करोड़ रूपए और 15 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के साथ अवसंरचना और पूंजीगत लागत के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

8.18.2 अब तक 145 आई आर बी स्वीकृत किए गए हैं, और 137 बटालियन गठित किए गए हैं। गठित न हुई 8 बटालियनों में से 3 बटालियनों, आध्रप्रदेश, झारखंड एवं महाराष्ट्र में एक–एक को सितम्बर, 2011 में विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन (एस आई आर बी) में परिवर्तित किया गया है। शेष 5 बटालियनों में से एक आध्र प्रदेश में, दो अरूणाचल प्रदेश में, एक असम में, और एक गोवा में गठित करने का कार्य चल रहा हैं। भारतीय रिजर्व बटालियनों की प्रगति की मॉनीटरिंग गृह मंत्रालय द्वारा गहन रुप से की जा रही है।

8.18.3 सरकार ने कमांडो कम्पनियों के रूप में वर्ष 2007–2008 के पश्चात मंजूर (और जिनका अभी गठन किया जाना है) प्रत्येक आई आर बी में 2 कंपनियां गठित किए जाने के लिए प्रति कम्पनी 3 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता के प्रावधान का भी अनुमोदन किया है। इसका उद्देश्य राज्यों को उग्रवादियों और आतंकवादियों आदि द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट कौशल और उपकरणों से युक्त बलों का गठन करने के लिए समर्थ बनाना है।

8.18.4 नक्सली क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद करने और सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आँगनवाड़ी आदि जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 10 विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन और पहले ही स्वीकृत 03 भारतीय रिजर्व बटालियनों को विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों में परिवर्तित करने का अनुमोदन किया है। विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों का राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्रम. सं.	राज्य का नाम	नए एस आई आर बटालियन	पहले से स्वीकृत आई आर बी का एस आई आर बी में परिवर्तन
1	आन्ध्र प्रदेश	–	01
2	बिहार	02	–
3	छत्तीसगढ़	02	–
4	झारखंड	01	01
5	मध्य प्रदेश	01	.
6	महाराष्ट्र	–	01
7	ओडिशा	03	–
8	पश्चिम बंगाल	01	–
	कुल	**10**	**03**

8.18.5 10 नए एस आई आर बी एवं 3 परिवर्तित एस आई आर बी के लिए वित्त पोषण की प्रणाली एक समान नहीं हैं। ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क–03 परिवर्तित एस आई आर बी के लिएः

प्रतिपूर्ति पैटर्न निम्नानुसार हैः–

(i) पांच (5) सुरक्षा कंपनियों के लिए दर उस दर के अनुसार होगी जिस पर 3 आई आर बी स्वीकृत किए गए। दो (2) इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए आवर्ती लागत की प्रतिपूर्ति, पहले पाँच वर्षों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 4.97 करोड़ रूपए होगी। छठे वर्ष के लिए अधिकतम 3.73 करोड़ रूपए (75%), सातवें वर्ष के लिए 2.49 करोड़ रूपए (50%) और 8वें वर्ष के लिए अधिकतम 1.24 करोड रूपए (25%) होगी। नौवें वर्ष से वार्षिक आवर्ती व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

(ii) केन्द्रीय सरकार इंजीनियरिंग उपकरण की लागत के रूप में प्रत्येक एस आई आर बी के लिए एक बारगी गठन लागत के रूप में अधिकतम 3.5 करोड़ रू. की प्रतिपूर्ति करेगी।

(iii) प्रतिपूर्ति, प्रत्येक एस आई आर बी के लिए अधिकतम 15 करोड़ रूपए के अध्यधीन पूँजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 50% की प्रतिपूर्ति की जानी होती है। प्रतिपूर्ति वेतन एवं भत्ते और अन्य योग्य मदों पर वास्तविक व्यय के अध्यधीन की जाएगी। गठन एवं पूँजीगत अवसरंचना की मानक लागत की प्रतिपूर्ति सहायता अनुदान के रूप में की जाएगी।

ख–10 नए एस आई आर बी के लिए

प्रतिपूर्ति पैटर्न निम्नानुसार हैः–

(i) बटालियन मुख्यालय के स्टाफ, सुरक्षा कंपनियों और 2 इंजीनिरिंग कंपनियों के लिए आवर्ती लागत की प्रतिपूर्ति पहले पाँच वर्षों के लिए 18 करोड़ रूपए, छठे वर्ष के लिए अधिकतम 13.5 करोड़ रूपए (75%), 7वें वर्ष के लिए अधिकतम 9 करोड रू. (50%) और 8वें वर्ष के

लिए 4.5 करोड़ रूपए (25%) होगी। नौवें वर्ष से वार्षिक आवर्ती व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षण, शस्त्रों, उपकरण आदि के लिए प्रत्येक एस आई आर बी के लिए एक बारगी गठन लागत के रूप में अधिकतम 19 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iii) प्रत्येक एस आई आर बी के लिए अधिकतम 25 करोड़ रूपए के अध्यधीन पूँजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 50% की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) वेतन एवं भत्ते पर वास्तविक व्यय के अध्यधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी। गठन एवं पूँजीगत अवसंरचना के मानक लागत की प्रतिपूर्ति सहायता–अनुदान के रूप में की जाएगी।

पुरस्कार और पदक

8.19 वर्ष 2011–12 के दौरान पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई सेवा के सम्मानस्वरूप और बल के कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित वीरता/सेवा पदक प्रदान किए गए:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संगठन/मंत्रालय का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी डी एस)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी एम एम एस)
1.	आंध्र प्रदेश	03	02	04	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	.	.	.	02
3.	असम	.	02	02	03
4.	बिहार	.	.	02	12
5.	छत्तीसगढ़	.	04	02	07
6.	दिल्ली	.	.	03	17
7.	गोवा	.	.	.	01
8.	गुजरात	.	.	02	11
19.	हरियाणा	.	02	01	07
10.	झारखण्ड	.	.	01	04
11.	हिमाचल प्रदेश	.	22	02	16
12.	जम्मू और कश्मीर	.	02	.	08
13.	कर्नाटक	.	02	04	19
14.	केरल	.	.	03	08
15.	मध्य प्रदेश	.	07	04	17
16.	महाराष्ट्र	.	.	03	40
17.	मणिपुर		02	01	07
18.	मेघालय	.	.	.	01
19.	मिजोरम	.	.	01	03
20.	नागालैंड	.	.	.	05
21.	ओडिशा	.	.	03	11
22.	पंजाब	.	.	02	15
23.	राजस्थान	.	.	02	16

24.	सिक्किम	.	.	01	01
25.	तमिलनाडु	.	.	03	21
26.	त्रिपुरा	.	.	01	06
27.	उत्तर प्रदेश	.	18	04	73
28.	उत्तराखण्ड	.	.	01	05
29.	पश्चिम बंगाल	.	.	02	20
	संघ राज्य क्षेत्र				
क	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	.	.	01	.
ख	चंडीगढ	.	.	.	.
ग	दमन और दीव	.	.	01	.
घ	लक्षद्वीप	.	.	.	.
ड.	पुदुचेरी	.	.	01	02
	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)/अन्य संगठन				
क	असम राइफल्स	.	06	.	13
ख	बीएसएफ	.	01	06	46
ग	सीबीआई	.	.	06	18
घ	सी आई एस एफ	.	.	02	24
ड.	सी आर पी एफ	04	14	06	57
च	एम एच ए	.	.	08	23
छ	आई टी बी पी	.	01	01	12
ज	एन एस जी	.	.	.	04
झ	एस एस बी	.	.	01	11
ञ	एस पी जी	.	.	02	03
ट	बी पी आर एंड डी	.	.	01	04
ठ	डी एफ एस एस	.	.	.	.
ड	डी सी पी डब्ल्यू	.	.	.	.
ढ़	एन सी बी	.	.	.	01
ण	एन सी आर बी	.	.	01	01
त	एन ई सी	.	.	.	.
थ	एन ई पी ए	.	.	.	01
द	एन एच आर सी	.	.	.	01
ध	एन आई सी एफ एस	.	.	.	01
न	एस वी पी एनपीए	.	.	.	02
प	नागर विमानन मंत्रालय	.	.	.	01
फ	राष्ट्रीय जांच एजेंसी	.	.	.	02
ब	एन डी आर एफ	.	.	.	04
भ	एम एच ए सचिवालय	.	.	.	02
म	संसदीय कार्य मंत्रालय	.	.	.	01
32.	रेल मंत्रालय		02	02	15
	कुल	**07**	**87**	**93**	**630**

--*

अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी)

9.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना देश में पुलिस की जरुरतों और समस्याओं का पता लगाने, समुचित अनुसंधान परियोजनाएं चलाने एवं अध्ययन करने तथा इनके समाधान हेतु क्रियापद्धति का सुझाव देने के लिए वर्ष 1970 में की गई थी। इसे पुलिस कार्यों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और विदेश, दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रखने का कार्य भी सौंपा गया था। विगत वर्षों में इस संगठन को राज्यों और केन्द्र सरकार में प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करने तथा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधारात्मक प्रशासन के कार्य में राज्यों की सहायता करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

बी पी आर एण्ड डी की मुख्य गतिविधियां

9.2 वर्ष 2011–12 के दौरान बी पी आर एंड डी द्वारा निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ चलाई गईं:

9.2.1 अनुसंधान अध्ययन (शुरू किए गए/पूर्ण किए गए)

(i) संघर्ष प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका: मणिपुर के घाटी क्षेत्र में घुसपैठ पर एक अध्ययन;

(ii) लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली और पुलिस प्रशासन: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक वृहत् अध्ययन;

(iii) समायोजन पर भावनात्मक आसूचना, कार्य अभिनिर्धारण और व्यावसायिक दबाव का प्रभाव: कश्मीर घाटी के पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों का एक अध्ययन;

(iv) चेन्नै नगर यातायात पुलिस के निष्पादन पर पेशेवर स्वास्थ्य का प्रभाव;

(v) अपराध में मनोवैज्ञानिक प्रभाव: हिसार जिला (हरियाणा) के कम एवं अधिक अपराध प्रोफाइल वाले गांवों का एक तुलनात्मक अध्ययन;

(vi) मणिपुर में न्याय के संचालन में पुलिस का सामाजिक प्रभाव: मणिपुर के इम्फाल जिला में पुलिस पब्लिक अन्तर्संबंध का एक अध्ययन;

(vii) निष्पादन पर मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पहलुओं का प्रभाव: तमिलनाडु में पुलिस अधिकारियों का एक विश्लेषण;

(viii) प्राथमिकी (एफ आई आर) का दर्ज किया जाना, इसकी दक्षता और महत्वः श्रीनगर एवं जम्मू जिले का एक आनुभविक अध्ययन;

(ix) माओवादी हिंसा का उद्भव और प्रसार तथा इससे निपटने के लिए राज्य की उपयुक्त नीति;

(x) उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की गतिकी;

(xi) रिहा गए अपराधियों का उनके सुधार एवं पुनर्वास के बाद अनुवर्ती अध्ययन;

(xii) कारागार कर्मियों के लिए मुख्य निष्पादन सूची।

9.2.2 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन

बी पी आर एण्ड डी ने देश में 35 विश्वविद्यालयों के साथ उनके सहयोग से उन्नत अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

9.2.3 आयोजित किए गए सम्मेलन/पाठ्यक्रम

(i) बी पी आर एण्ड डी ने 21.06.2011 से 23.06.2011 तक देहरादून में 41वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया।

(ii) बी पी आर एण्ड डी ने देश की विभिन्न संस्थाओं में आई पी एस एवं अन्य वरिष्ठ

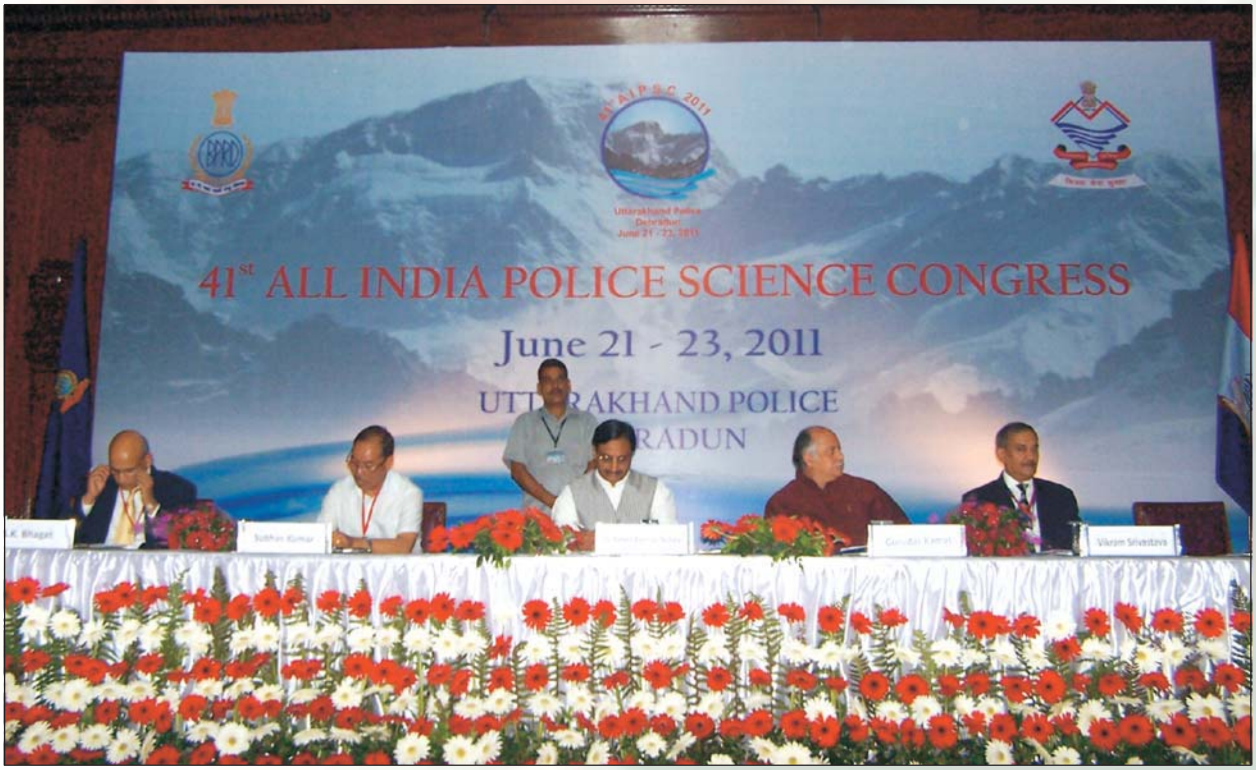

दिनांक 21.06.2011 से 23.06.2011 तक देहरादून में 41वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन

अधिकारियों के लिए निम्नलिखित विषयों पर 13 वर्टिकल इंटरएक्शन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 272 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया :–

(क) आपदा प्रबंधन

(ख) छवि निर्माण–पुलिस की व्यवहार पद्धति

(ग) विधि विज्ञान जांच–पड़ताल में उन्नत एवं नवीनतम तकनीक

(घ) देश से संबंधित रणनीतिक एवं सुरक्षा मामले

(ङ) पुलिस व्यवस्था में नेतृत्व दक्षता

(च) दक्षता में निवेश पर कार्यशाला

(छ) व्यावहारिक प्रबंधकों की सृजनात्मकता, पुनर्अन्वेषण तथा आत्म–संवर्द्धन

(ज) अपराध एवं रेलवे की सुरक्षा

(झ) अपराध एवं अपराध की रोकथाम में प्रौद्योगिकी की भूमिका

(ञ) आतंकवाद के विरोध के लिए युक्तिपूर्ण तैयारी

(ट) संगठित अपराध

(ठ) भ्रष्टाचार और शासन का भविष्य

(ड) राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ एवं पुलिस की प्रतिक्रिया

(iii) राज्यों की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए, बी पी आर एण्ड डी ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु सेना प्रशिक्षण संस्थाओं में नक्सल–रोधी प्रशिक्षण तथा आई ई डी प्रतिकूल संबंधी 15 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 2,122 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था।

(iv) इसने ए टी ए/एफ बी आई योजनाओं के तहत अमरीकी सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद–विरोधी कार्यक्रमों पर 18 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें राज्य पुलिस बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के 261 सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

(v) इसने सार्क के सदस्य देशों सहित विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए 18 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 146 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

(vi) इसने विभिन्न प्रख्यात प्रबंधन संस्थानों में आई पी एस तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए 11 लघु नेतृत्व एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 68 पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

(vii) पुलिस अधिकारियों के कौशल एवं ज्ञान को बढ़ाने के लिए, इसने केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में 37 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 1,323 मध्य–स्तरीय पुलिस अधिकारियों (इंस्पेक्टरों से कांस्टेबलों तक) को प्रशिक्षित किया गया था।

(viii) इसने प्रभावी नेतृत्व, जांच और पूछताछ तकनीकों हेतु वैयक्तिक प्रगति, आर्थिक

अपराधों के विशेष संदर्भ के साथ विधि–विज्ञान तथा साइबर अपराध पर राज्य पुलिस बलों एवं सी ए पी एफ के अपर पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उपाधीक्षकों के लिए 03 पृथक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 80 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ix) इसने 'संकटकालीन परिस्थितियों में मीडिया से संबंध' पर 05 कार्यशालाओं और 'मानव तस्करी–रोध' पर 07 कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें क्रमशः 160 और 423 अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

9.2.4 **रिपोर्टें/किए गए अध्ययन**

(i) राज्यों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के साथ परामर्श कर आई पी एस (यूनिफॉर्म) रूल्स, 1954 के संशोधन पर रिपोर्ट तैयार की गई।

(ii) उपकरण का सार तैयार किया और समस्त संबंधितों को परिचालित किया।

(iii) छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विशेष अवसंरचना योजना के असर के आकलन पर अध्ययन आयोजित किया।

(iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों हेतु 'सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के असर के आकलन पर अध्ययन' आयोजित किया।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

9.3.1 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) की स्थापना वर्ष 1986 में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों सहित अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के क्लीयरिंग हाउस के रूप में की गई थी ताकि जाँचकर्ताओं एवं अन्यों को, दुष्कर्मकर्ताओं से अपराध का संयोजन करके, अपराध के आंकड़ों एवं अंगुलिछाप का संग्रहण एवं प्रसंस्करण करके, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो को समन्वय, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सके एवं पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। एन सी आर बी भारतीय पुलिस को सूचना तकनीक एवं अपराध आसूचना से सशक्त बनाने का प्रयास करता है ताकि वे कानून का प्रभावकारी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक प्रवर्तन करने में सक्षम हो सकें और लोक सेवा प्रदान करने में सुधार किया जा सके। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों के साथ समन्वय करके, अपराध विश्लेषण प्रौद्योगिकी का उन्नयन करके और सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता एवं आई टी समर्थित समाधान का विकास करके हासिल किया जाता है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी सी टी एन एस)

9.3.2 क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी सी टी एन एस) परियोजना गृह मंत्रालय (एम एच ए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही नेशनल ई–गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना

है। यह परियोजना, समय पर अपराध तथा आपराधिक जानकारी के आदान–प्रदान के लिए देश के 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 15,000 से अधिक पुलिस थानों और लगभग 6,000 उच्चतम कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली तैयार करने और एक राष्ट्रव्यापी तंत्रीय समाधान प्रस्तुत करने के लिए लक्षित है। इस परियोजना का ब्यौरा अध्याय महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएँ) के पैरा 12.2.1 से 12.2.7 में दिया गया है।

रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली (सी पी बी एस)

9.3.3 इस सॉफ्टवेयर को पीड़ित अथवा गवाह द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अपराधियों तथा अपहृत/लापता व्यक्तियों का चित्र बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

9.3.4 एन सी आर बी ने विभिन्न क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ आंख, कान, होंठ, बाल, इत्यादि जैसी विभिन्न मुखाकृति घटकों के स्वरूपों वाले 10,000 सांचों के साथ इस सॉफ्टवेयर को समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को गहन प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही इस सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाना शुरु कर दिया है।

जाली मुद्रा सूचना प्रणाली (सी सी आई एम एस)

9.3.5 जाली मुद्रा सूचना प्रणाली (सी सी आई एम एस), जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफ आई सी एन) से संबंधित आंकड़े रखती है। देशभर में आर बी आई की 19 विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद की गई तथा राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जब्त की गई जाली मुद्रा से संबंधित जानकारी सी सी आई एम एस के डाटाबेस में रखी जाती है। इस विधि का प्रयोग करते हुए गुणक, श्रेणी तथा संख्या जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर रिपोर्टें तैयार की जा सकती हैं। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अभियुक्त से संबंधित जानकारी भी इस प्रणाली में रखी जाती है।

9.3.6 इस प्रणाली से तैयार की गई रिपोर्टें सी बी आई (एफ आई सी एन के लिए नोडल एजेन्सी), सेन्ट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (सी ई आई बी), इत्यादि को प्रस्तुत की जाती हैं। वर्तमान डाटाबेस का आकार 6,81,990 (जब्त किए गए) और 3,00,006 (बरामद किए गए) है।

मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस)

9.3.7 मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस) को चुराए गए तथा बरामद किए गए मोटर वाहनों के समन्वय के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्रयोग आम नागरिक द्वारा, किसी लेनदेन में शामिल होने से पहले एक प्रयुक्त वाहन की इस स्थिति को निर्धारित करने, कि यह चुराया गया है अथवा कुछ और है, के लिए भी किया जाता है। आम नागरिक को सेवा प्रदान करने के लिए देशभर में 32 काउंटर (एन सी आर बी मुख्यालय में एक सहित) खोले गए हैं। एन सी आर बी की वेबसाइट (http://ncrb.gov.in.) के माध्यम से भी पूछताछ की जा सकती है। इस

प्रणाली का प्रयोग करते हुए पुलिस/सरकारी विभागों/बीमा कम्पनियों से प्राप्त हुए लगभग 7,000 प्रश्नों को एन सी आर बी काउंटर पर दर्ज किया गया और उसका उत्तर दिया गया। वर्तमान डाटाबेस का आकार 8,50,089 चुराए गए/बरामद किए गए मोटर वाहनों का है।

9.3.8 वर्तमान सॉफ्टवेयर को क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी सी टी एन एस) नामक कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ दिया जाएगा। इससे सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से पुलिस को साथ–ही–साथ सिटीजन पोर्टल सर्विस के माध्यम से सरकारी विभागों, बीमा कम्पनियों तथा आम नागरिक को चुराए गए/बरामद किए गए वाहनों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध हो जाएंगे।

तलाश सूचना प्रणाली

9.3.9 तलाश सूचना प्रणाली को लापता, अपहृत, वांछित, पता लगाए गए, गिरफ्तार किए गए, अज्ञात व्यक्तियों तथा अज्ञात शवों के मिलान के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली एन सी आर बी मुख्यालय में चालू है और पुलिस से प्राप्त होने वाली पूछताछ पर कार्यवाही की जाती है। आम नागरिक द्वारा देखे जाने के लिए एन सी आर बी वेबसाइट पर फोटोग्राफों के साथ आंकड़े अपलोड कर दिए गए हैं। वर्तमान डाटाबेस का आकार 4,16,558 है।

9.3.10 एक बार सी सी टी एन एस चालू हो जाए, तो राज्य/संघराज्य क्षेत्र की पुलिस पता लगाए गए, अज्ञात व्यक्तियों तथा अज्ञात शवों के साथ लापता/अपहृत व्यक्तियों का तत्काल मिलान कर पाएगी। आम नागरिक सिटीजन पोर्टल सेवाओं पर पूछताछ कर सकेगा और लापता, अपहृत, पता लगाए गए, शवों व्यक्तियों एवं अज्ञात शवों के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त कर पाएगा।

आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली

9.3.11 आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली चोरी होने वाले तथा बरामद किए गए आग्नेयास्त्र के समन्वय में सहायता प्रदान करती है और मुख्यतः कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा चोरी/बरामदगी के बारे में दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान डाटाबेस का आकार 94,916 है। इस विधि को भी सी सी टी एन एस में शामिल करने का प्रस्ताव है।

पुलिस का प्रशिक्षण

9.3.12 इस क्षेत्र में एन सी आर बी द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर केन्द्र प्रबंधन पर तकनीकी प्रशिक्षण तथा अंगुलिछापों सहित अपराध रिकार्ड प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक गहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

9.3.13 एन सी आर बी भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1986 से और विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1990 से सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंगुलिछाप विज्ञान के संबंध में पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति

राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों की प्रतिक्रिया अत्यन्त उत्साहवर्धक रही है और प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षार्थियों की वार्षिक संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। औसतन एन सी आर बी प्रतिवर्ष लगभग 20–22 पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है।

9.3.14 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक एन सी आर बी में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थेः–

टेक्निकल कोऑपरेशन स्कीम ऑफ कोलम्बो प्लान (टी सी एस) के तहत विकासशील देशों के 682 विदेशी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

9.3.16 राज्यों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएँ एन सी आर बी के विद्यमान संसाधनों को देखते हुए इसके द्वारा पूरी की जा सकने वाली आवश्यकताओं से कहीं अधिक हैं। एन सी आर

पर्यवेक्षण स्तरीय अधिकारियों के लिए

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (सप्ताह)
1	सी सी टी एन एस आधार पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1
2	नेटवर्क तथा ई–सिक्यूरिटी	1
3	अंगुलिछाप पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2
4	भारत में सांख्यिकीय साफ्टवेयर अपराध/भारत में दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और आत्महत्या पर ऑपरेटरों का पाठ्यक्रम	1
5	विजुअल बेसिक नेट में प्रोग्रामिंग	2
6	कारागार सांख्यिकी पर ऑपरेटरों का पाठ्यक्रम	3 दिन
7	डी बी एम एस	2
8	वेब डिजाइनिंग	1
	विदेश मंत्रालय (एम ई ए) द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम	
9	कानून प्रवर्तन के लिए आई टी में उन्नत कार्यक्रम	6
10	अंगुलिछाप विशेषज्ञों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान एवं कम्प्यूटर	6
11	पुलिस कर्मियों के लिए आई टी में उन्नत कार्यक्रम	4
12	अंगुलिछाप विशेषज्ञों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	4

9.3.15 इस ब्यूरो ने स्पेशल कॉमनवेल्थ अफ्रिकन असिस्टेंस प्लान (एस सी ए ए पी)/इंडियन टेक्निकल एण्ड इकॉनामिक कोऑपरेशन (आई टी ई सी)/

बी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण के विकेन्द्रीकरण की योजना गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। इन पुलिस कम्प्यूटर

प्रशिक्षण केन्द्रों (पी सी टी सी) की स्थापना देश में चार स्थानों (कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर और हैदराबाद) में की गई थी और ये एन सी आर बी प्रशिक्षण के विस्तार के रूप में वर्ष 1990 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये केन्द्र परिचालनात्मक कार्मिकों अर्थात् सब–इंस्पेक्टर से पुलिस उपाधीक्षक तक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।

9.3.17 एन सी आर बी की सलाह पर और इसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण सामग्रियों सहित आवधिक दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं तथा रंगरुटों के लिए पुलिस प्रशिक्षण कालेजों/स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण माड्यूलों की शुरुआत की है।

9.3.18 दिनांक 31.12.2011 तक एन सी आर बी द्वारा आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की कुल संख्या तथा प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है:–

पाठ्यक्रम तथा राज्यों के सी सी टी एन एस–आई टी बेसिक्स के प्रशिक्षार्थियों हेतु प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो

9.4.1 केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो (सी एफ पी बी) कोलकाता में वर्ष 1955 में अस्तित्व में आया। सी एफ पी बी देश का एक शीर्ष निकाय है जो अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित सभी मामलों में राज्य अंगुलिछाप ब्यूरो, जाँच एजेन्सियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का समन्वय करता है, मार्गदर्शन करता है, मानीटर करता है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों का अंगुलिछाप रिकॉर्ड रखता है। यह विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त विवादित अंगुलिछापों सहित जांचाधीन दस्तावेजों की, उन पर विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत करने के लिए, जांच करता है। सी एफ पी बी वार्षिक

	एनसीआरबी में			क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में	कुल (4+5)
	भारतीय	विदेशी	कुल (2+3)		
1	2	3	4	5	6
आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	633	40	673	933	1606
भाग लेने वाले अधिकारी	11598	716	12314	21467	33781

9.3.19 इसके अतिरिक्त, यह शाखा पुलिस अधीक्षक और इससे उच्चस्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सी सी टी एन एस–आई टी बेसिक

रूप से 'अंगुलिछाप ब्यूरो के निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन' भी आयोजित करता है। अंतिम सम्मेलन दिनांक 05.01.2011 से

भोपाल, मध्य प्रदेश में अंगुलिछाप ब्यूरो के निदेशकों के 13वें सम्मेलन में पुलिस अधिकारी और प्रतिनिधिगण

06.01.2011 तक भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था।

9.4.2 सी एफ पी बी ने एक आटोमेटिड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर अंगुलिछाप के स्वाचलन में अग्रणी कार्य किया है। इस साफ्टवेयर का नाम फिंगरप्रिंट एनालिसिस एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (एफ ए सी टी एस) रखा गया है। यह रिज–करेक्टरस्टिक्स के आधार पर अंगुलिछाप की मैचिंग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है। सी एफ पी बी में ए एफ आई एस का वर्तमान वर्जन एफ ए सी टी एस वर्जन 5.0 है। ए एफ आई एस डाटाबेस में दिनांक 31.12.2011 के अनुसार दस अंक के अंगुलिछाप स्लिप के 8,31,667 रिकार्ड हैं।

9.4.3 देश के अंगुलिछाप विशेषज्ञों को मान्यता दिलाने के लिए सी एफ पी बी वार्षिक तौर पर 'अखिल भारतीय अंगुलिछाप विशेषज्ञ बोर्ड परीक्षा' का आयोजन करता है। इस ब्यूरो ने विदेशी पुलिस अधिकारियों और देश के अंगुलिछाप विशेषज्ञों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का आयोजन किया:

(i) नई दिल्ली में विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान एवं कम्प्यूटर (01.06.2011 से 30.06.2011)

(ii) नई दिल्ली में विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान एवं कम्प्यूटर (03.10.2011 से 11.11.2011)

(iii) नई दिल्ली में उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान एवं कम्प्यूटर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी चौथा पाठ्यक्रम (11.07.2011 से 22.07.2011)

(iv) कोलकाता में अंगुलिछाप विज्ञान में पांचवाँ छह मासीय दक्षता पाठ्यक्रम (03.01.2011 से 30.06.2011)

(v) कोलकाता में अंगुलिछाप विज्ञान में छठा छह मासीय दक्षता पाठ्यक्रम (01.07.2011 से 30.12.2011)

9.4.4 यह ब्यूरो 'फिंगर प्रिंट इन इंडिया' नामक एक वार्षिक प्रकाशन निकालता है जिसमें स्टेट फिंगर प्रिंट ब्यूरेक्स, सी एफ पी बी और अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित अन्य सहायक मामलों के कार्य निष्पादन और क्रियाकलापों पर गहन अध्ययन किया जाता है।

विधि विज्ञान सेवा निदेशालय

9.5.1 विधि विज्ञान विषय को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघीय सूची की क्रम संख्या 65 (केन्द्रीय सूची) के तहत निपटाया जाता है। गृह मंत्रालय के तहत विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस) देश का एक सर्वोच्च निकाय है। यह सीधे तौर पर कोलकाता, हैदराबाद और चण्डीगढ़ स्थित तीन विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (सी एफ एस एल) तथा पुणे, भोपाल और गुवाहाटी स्थित तीन नई उच्च–प्रौद्योगिकी केन्द्रीय विधि विज्ञान संस्थानों का संचालन करता है। यह संगठन देश में विधि विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2011–12 के दौरान विधि विज्ञान सेवा निदेशालय की मुख्य उपलब्धियां

9.5.2 डी एफ एस एस के तहत सी एफ एस एल ने आई पी सी, ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट तथा एक्सप्लोसिव एक्ट इत्यादि के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित अपराध के मामलों में विधि विज्ञान सेवाएँ प्रदान की हैं। वर्तमान वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान, डी एफ एस एस की प्रयोगशालाओं को 5,068 मामले प्राप्त हुए हैं और इसने अलग–अलग विषयों पर 4,044 मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

नई पहलें

9.5.3 **विधि विज्ञान विनियमन एवं विकास पर विधान** – उच्च गुणवत्ता, समय की महत्ता और विश्वसनीयता को हासिल करने तथा सुनिश्चित करने के लिए, डी एफ एस एस ने संसद के विचारार्थ विधि विज्ञान विधेयक तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिससे कि विधि–विज्ञानी साक्ष्य का विश्लेषण उच्च गुणवत्ता के साथ, समय पर और विश्वसनीयता के साथ किया जा सके।

9.5.4 **वैज्ञानिक निष्पादन लेखा–परीक्षा समिति** – वर्तमान केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा विधि विज्ञान सेवा निदेशालय की वैज्ञानिक निष्पादन लेखा–परीक्षा समिति, जिससे कि उनके अधिदेश का निपटान किया जा सके और डी एफ एस एस के तहत प्रयोगशालाओं की पुनईंजीनियरी की जा सके।

9.5.5 **डी एफ एस एस हेतु भावी योजना का सूत्रीकरण** – गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र में विधि विज्ञान को सुदृढ़ बनाने के लिए भावी योजना तैयार करने हेतु दो परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। परामर्शदाताओं की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से एम एच ए/डी एफ एस एस द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

9.5.6 **विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की नेटवर्किंग** – देश की समस्त विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को जानकारी/आंकड़े इत्यादि के आदान–प्रदान के लिए एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

9.5.7 **पूर्वोत्तर विधि विज्ञान संगठन (एन ई एफ ओ) का विकास** – डी एफ एस एस, पूर्वोत्तर तथा संघ राज्यों क्षेत्रों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधि विज्ञान के क्षेत्र में पूर्वोत्तर तथा संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए एन ई एफ ओ का गठन कर रहा है।

9.5.8 **विधि विज्ञान में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली** – डी एफ एस एस ने अपने गुणवत्ता प्रबंधकों की कार्यशाला आयोजित कर देश में विधि विज्ञान में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए पहल की है।

9.5.9 **तीन उच्च–तकनीकी सी एफ आई की स्थापना** – भारत सरकार ने भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में तीन उच्च–तकनीकी केन्द्रीय विधि विज्ञान संस्थानों (सी एफ आई) की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अस्थायी भवनों को किराए पर लिया गया है और वैज्ञानिक/प्रशासनिक कार्मिकों को नियुक्त कर दिया गया है/किया जा रहा है। नई उच्च–तकनीकी सी एफ आई हेतु भवन के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन कर लिया गया है।

9.5.10 **विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए मानक मॉडल** – डी एफ एस एस ने विभिन्न स्तरों के मॉडल विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए मानक रूपरेखाएं तैयार की हैं, जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाया जा सकेगा।

9.5.11 **नई कार्य इकाई और कार्य के मानदण्ड** – डी एफ एस एस ने केन्द्रीय/राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यान्वयन के लिए एक एकल वैज्ञानिक कार्य इकाई और वास्तविक कार्य के मानदण्डों को तैयार किया है।

9.5.12 **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** – डी एफ एस एस ने मालदीव तथा वियतनाम में एक उन्नत विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने में सहयोग प्रदान किया है। वियतनाम के एक मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए डी एफ एस एस मुख्यालय का दौरा किया। वियतनाम के हो ची मिन शहर में एक उच्च–तकनीकी साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

9.5.13 **06 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) तथा 52 जिला चल विधि विज्ञान इकाइयों की स्थापना** – गृह मंत्रालय ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 06 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा 52 जिला चल विधि विज्ञान इकाइयों की स्थापना करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपए का आबंटन किया है।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान (एन आई सी एफ एस)

9.6.1 राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान (एन आई सी एफ एस), जो प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान के उन्नयन का एक अग्रणी संस्थान है, की स्थापना 1972 में की गई थी। वर्ष 2003 में पुनः नामकरण करके इसका नाम "लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं

विधि विज्ञान संस्थान" (एल एन जे एन एन आई सी एफ एस) रखा गया है। यह अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान के दोहरे क्षेत्रों में दांडिक न्याय प्रणाली के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और इन क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान करने वाला प्रमुख संस्थान है। वर्ष 2011 से दूसरे देशों के न्यायिक अधिकारियों ने भी प्रशिक्षण के लिए आना शुरु कर दिया है।

9.6.2 यह संस्थान अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान में 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) का एम.ए. और एम.एस.सी. पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ये पाठ्यक्रम गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली की मान्यता के तहत शैक्षिक सत्र 2004–05 से शुरु किए गए। वर्ष 2006 से, जब प्रथम बैच ने स्नातक उपाधि प्राप्त की, समग्र रूप से 94 छात्रों ने एम.ए. (अपराध विज्ञान) और 126 छात्रों ने एम.एस.सी. (विधि विज्ञान) पास किया है।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

9.6.3 अप्रैल और दिसम्बर, 2011 के बीच, संस्थान ने 21 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, 06 सेमिनारों और 05 कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन सभी का आयोजन पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन अधिकारियों, नेपाल पुलिस तथा सतर्कता अधिकारियों/प्रबंधकों के लिए किया गया था। विभिन्न कार्यक्रमों में देश के लगभग सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से और विदेश से कुल 925 अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री अश्विनी कुमार, पूर्व निदेशक, सी बी आई द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी तीसरे सेमिनार का उद्‌घाटन

9.6.4 संस्थान ने नई पाठ्यचर्या के साथ दो वर्षों के एम.ए./एम.एस.सी. पाठ्यक्रम की शुरुआत की जो इस वर्ष (2011) से चालू हो गया। अपराध विज्ञान पाठ्यक्रम की (i) आर्थिक अपराध (ii) सुरक्षा प्रबंधन (iii) मानवाधिकार नामक 3 विशिष्ट धाराएँ और विधि विज्ञान पाठ्यक्रम की (i) दस्तावेज परीक्षण (ii) विधि विज्ञान कैमिस्ट्री एवं टौक्सीकोलॉजी (iii) विधि विज्ञान बैलिस्टिक्स तथा (iv) विधि विज्ञान बायोलॉजी, सेरोलॉजी एवं डी एन ए प्रोफाइलिंग नामक चार विशिष्ट धाराएँ हैं।

9.6.5 एक विलक्षण प्रयास के रूप में, एन आई सी एफ एस ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से उभरने वाले सुझावों के एक संग्रह 'अकेजनल पेपर सिरीज' को प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच इन विचारों का व्यापक प्रसार करना है। ये सुझाव किफायती हैं और बिना किसी वैधानिक परिवर्तन के निचले स्तर पर कार्यान्वित किए जा सकते हैं। इस श्रृँखला को आपराधिक जांच के शीघ्र निपटान के वर्तमान प्रबंध के साथ शुरु किया गया था।

9.6.6 संस्थान ने एस.वी.पी. नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में "एन आई सी एफ एस ट्रॉफी फॉर एक्सीलेंस इन फारेंसिक साइंस" नामक एक परिक्रामी ट्रॉफी की स्थापना की है। यह ट्रॉफी उस आई. पी.एस. प्रोबेशनर को प्रदान की जाएगी जो प्रत्येक वर्ष विधि विज्ञान के पेपर में उच्चतम श्रेणी हासिल करेगा।

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी एफ एस एल), सी बी आई

9.7.1 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी एफ एस एल), (सी बी आई) नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1968 में अपराध की जांच में वैज्ञानिक सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में की गई थी। इसकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त, सी एफ एस एल की चेन्नै में सी बी आई शाखा स्थित वैज्ञानिक सहायता इकाई है। केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सी बी आई, नई दिल्ली आज कम्प्यूटर विधि विज्ञान एवं डी एन ए प्रोफाइलिंग संबंधी पारिस्थितिक प्रयोगशालाओं सहित भौतिकी, रसायन, जैविकी, सेरोलॉजी, बैलिस्टिक्स, दस्तावेज, अंगुलिछाप, झूठ पता लगाना, फोटो, कम्प्यूटर विधि विज्ञान तथा वैज्ञानिक सहायता प्रभागों नामक 10 पूर्ण सज्जित प्रभागों के साथ देश में कुछेक वृहत प्रयोगशालाओं में से एक है।

9.7.2 प्रयोगशाला में वैज्ञानिक स्टाफ की स्वीकृत संख्या 119 है और वर्ष 2011–12 के लिए 9.10 करोड़ रुपए का आबंटित अनुदान है।

9.7.3 सी एफ एस एल, सी बी आई, नई दिल्ली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण में गृह मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में क्रियाशील एक वैज्ञानिक विभाग है। सी एफ एस एल, सी बी आई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों, राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सी एफ एस एल के विशेषज्ञ, जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा भेजे गए प्रदर्शों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। सी.बी.आई.

द्वारा अपराध स्थल पर भौतिक सुरागों का पता लगाने के लिए पूरे भारत में इन प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक/विशेषज्ञ, सी.बी.आई. के जांचकर्ता अधिकारियों और विधि विज्ञान के अन्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। यह प्रयोगशाला विधि विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कला एवं दक्षता विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

9.7.4 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान प्रयोगशाला वैज्ञानिकों ने दिल्ली तथा भारत के अन्य हिस्सों में 330 न्यायालयों में विशेषज्ञ व्याख्यान दिए और अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए दिल्ली तथा इसके बाहर अपराध के 186 मामलों की जांच की।

9.7.5 वर्ष 2011 के दौरान 1,420 मामलों की जानकारी दी गई थी। इसमें से 411 मामले दिनांक 31.12.2011 के अनुसार लंबित थे।

9.7.6 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, (सी बी आई) नई दिल्ली अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए काम के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका आई एस ओ आई ई सी 17025 और एन ए बी एल 113 के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है। इसके प्रत्येक प्रभाग द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रकार के अपराध प्रदर्शों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षा करने के लिए प्रयोगशाला ने विस्तृत गुणवत्ता नियमावली और कार्यकारी प्रक्रिया नियमावली तैयार की है। वर्ष के दौरान 996 मामलों (लगभग) में उपयुक्तता की जांच की गई। एन ए बी एल की जरुरत के अनुसार गुणवत्ता नियमावली में संशोधन किया गया। नया मानक प्रोफार्मा अर्थात् आई एस ओ आई ई सी 17025–2005 प्रयोगशाला में शुरु कर दिया गया है। अपराध प्रदर्शों के विश्लेषण कार्य के लिए प्रयुक्त उपकरणों का एन ए बी एल द्वारा प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से अंशांकन किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला प्रबंधन के साथ–साथ अभिलेखन प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए सी एफ एस एल के सभी प्रभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा, नामित आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई। वर्ष 2011 के दौरान, जहां कहीं आवश्यक था वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तर के प्रबंधन कार्मिकों द्वारा प्रबंधन समीक्षा की गई। इस समय चल रहे गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में प्रयोगशाला में जागरुकता अभियान भी चलाया गया। प्रयोगशाला, किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले की विधि विज्ञान जांच–पड़ताल करने और न्याय दिलाने से संबंधित किसी भी जटिल समस्या का प्रभावी उपचारात्मक हल निकालने के उद्देश्य से जनता और जांचकर्ता एजेंसियों तथा न्यायालयों को प्रमाणित मानकों की आश्वस्त गुणवत्ता सेवा प्रदान करने हेतु गुणवत्ता से संबंधित अपनी नीति का कड़ाई से पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

9.7.7 घटनास्थल पर विधि विज्ञान सहायता प्रदान करने के लिए सी बी आई की स्थानीय शाखाओं को सुविधा प्रदान करने हेतु चेन्नै में 1983 में वैज्ञानिक सहायता इकाई का सृजन किया गया था।

9.7.8 यह प्रयोगशाला नई–नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को अद्यतन करने पर ध्यान दे रही है। नई प्रौद्योगिकी को (1) ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग (2) टौक्सीकोलॉजी (3) एनालॉग/डिजीटल ऑडियो/विडियो एनालिसिस नामक प्रभाग के लिए खरीदा जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी उन्नयनों, अंशांकन प्रणालियों, इत्यादि के लिए पहलें की गई हैं।

9.7.9 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दो महानगरों अर्थात कोलकाता और मुम्बई में वैज्ञानिक सहायता इकाइयों (एस ए यू) की स्थापना करने और चेन्नई स्थित मौजूदा एस.ए.यू. को सुदृढ़ बनाने के लिए सी एफ एस एल (सी बी आई) के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया है। ये सभी प्रगतिशील स्तर पर हैं।

समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस (डी सी पी डब्ल्यू)

9.8.1 पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू), देश में पुलिस दूरसंचार के लिए और देश में पुलिस बलों में शामिल किए जाने वाले संचार उपकरण संबंधी तकनीकी विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए गृह मंत्रालय का नोडल सलाहकारी निकाय है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सी ए पी एफ की विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं का समन्वय करने के लिए एक नोडली एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है। डी सी पी डब्ल्यू, राज्य पुलिस संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साइफर दस्तावेजों/युक्तियों के लिए एक केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण भी है। डी सी पी डब्ल्यू, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन विंग (डब्ल्यू पी सी) के फ्रिक्वेंसी आबंटन संबंधी सलाहकारी निकाय का एक सदस्य है।

9.8.2 यह निदेशालय, कानून एवं व्यवस्था से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेशों की सुपुर्दगी के लिए समस्त राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने 31 केन्द्रों के माध्यम से चौबीसों घंटे अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलेस (आई एस पी डब्ल्यू) नेटवर्क को संचालित करता है। यह निदेशालय, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सी पी आर टी आई) नामक अपने प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से संचालनात्मक/तकनीकी/साइफर संकायों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सी ए पी एफ के विभिन्न श्रेणियों के पुलिस संचार कर्मियों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। राज्य पुलिस संगठन/सी ए पी एफ की उभरती हुई संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निदेशालय रेडियो संचार सेटों के रिजर्व स्टॉक को बनाए रखता है। इस निदेशालय की एच एफ/वी एच एफ रेडियो सेटों के आकलन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ समर्पित एक तकनीकी कार्यशाला है।

9.8.3 इस निदेशालय का समस्त राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित इसके अन्तरराज्यीय पुलिस वायरलेस (आई एस पी डब्ल्यू) स्टेशनों में एक सुस्थापित एच एफ संचार नेटवर्क है। इन स्टेशनों ने कानून एवं व्यवस्था से संबंधित आपातकालीन संदेशों को अत्यन्त दक्षता से संचालित किया है। इस निदेशालय का सम्पूर्ण

देश में फैला हुआ वीसैट का एक व्यापक नेटवर्क भी है और यह पोलनेट नामक अपने सैटेलाइट आधारित नेटवर्क के माध्यम से समस्त जिला/राज्य मुख्यालयों तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सम्पर्क प्रदान कर रहा है। इस सैटेलाइट आधारित नेटवर्क को विभिन्न राज्य पुलिस/सी ए पी एफ के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने में सक्रिय रूप से लगा दिया गया है। साथ ही, एक आपदा प्रबंधन हब को डी सी पी डब्ल्यू द्वारा सीरी फोर्ट, नई दिल्ली में संचालित किया जा रहा है।

9.8.4 डी सी पी डब्ल्यू द्वारा समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस एवं सी ए पी एफ के लिए रेडियो संचार सुरक्षा मामलों को समन्वित किया जाता है। निदेशालय ने राज्य पुलिस संगठनों को साइफर दस्तावेज प्रदान किए हैं और गृह मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के वर्गीकृत संदेशों को साइफर कवच प्रदान किया है। राज्य पुलिस/सी ए पी एफ द्वारा किए गए संचार सुरक्षा उल्लंघनों (निगरानी कृत संदेशों का) को भावी संप्रेषणों के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु संबंधित संगठनों की जानकारी में लाया गया था। निदेशालय के इस प्रयास से ऐसे उल्लंघनों में महत्वपूर्ण कमी आई है। निदेशालय ने कुछेक राज्यों में स्वचालित वन टाइम लेटर की (ओ टी एल के) साइफर प्रणाली तथा क्रिप्टो संचार नेटवर्क को कार्यान्वित किया है। साथ ही, एक स्वचालित साइनन साइफर प्रणाली परीक्षणाधीन है।

9.8.5 डी सी पी डब्ल्यू का केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों तथा सी ए पी एफ के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए संचालनात्मक/तकनीकी/साइफर विषयों में दक्षता, कौशल विकास, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कई पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न अवधियों के 36 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से 25 पाठ्यक्रम दिनांक 31.12.2011 तक आयोजित किए गए, जिसमें 385 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन पाठ्यक्रमों से रेडियो संचार के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण में प्रगति आई है।

9.8.6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु स्पेक्ट्रम/फ्रिक्वेंसी आबंटन के लिए एक समन्वय एजेन्सी के रूप में, निदेशालय ने आबंटित किए गए स्पेक्ट्रम/फ्रिक्वेंसियों की समीक्षा की। उक्त समीक्षा के आधार पर, अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम/फ्रिक्वेंसियों को वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यू पी सी) को सौंप दिया गया था। इससे स्पेक्ट्रम प्रभारों में अत्यधिक बचत हुई है।

9.8.7 पुलिस रेडियो अधिकारियों के संबंध में समन्वय को सरल बनाने, तकनीकी कुशलता को बढ़ाने, क्षमता निर्माण की वृद्धि करने तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से दिनांक 20.07.2011 से 22.07.2011 तक 28वें पुलिस रेडियो अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 20.07.2011 को श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, गृह राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा सी ए पी एफ के पुलिस संगठनों के

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री 20 जुलाई, 2011 को पुलिस दूरसंचार अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए

प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनके अतिरिक्त, आई बी, एन सी आर बी तथा बी पी आर एण्ड डी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बी एस एफ तथा उद्योग के प्रौद्योगिकी एवं उपकरण को दर्शाते हुए एक तकनीकी प्रदर्शनी भी सम्मेलन के दौरान लगाई गई थी। गृह मंत्रालय तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा पुलिस संचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और चर्चा की गई थी। सम्मेलन के दौरान उद्योग द्वारा प्रास्थितिक प्रौद्योगिकी और उपकरण का प्रदर्शन किया गया था। इस सम्मेलन का समापन श्री अनिल गोस्वामी, अपर सचिव (एफ), गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। प्रतिनिधियों ने सम्मेलन की आवश्यकता और उपयोगिता की अत्यधिक सराहना की।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी)

9.9.1 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। एन सी बी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों

एवं राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है। एन सी बी, स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों, 1961, 1971, 1988 (जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी निभाता है। यह स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने एवं उसके दमन के लिए की जाने वाली वैश्विक कार्रवाइयों को सुकर बनाने हेतु विभिन्न देशों के संबंधित प्राधिकारियों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.9.2 एन सी आर बी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक कार्यालय अर्थात दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र, मुम्बई में दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रीय और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 13 आंचलिक इकाइयाँ दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चण्डीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इन्दौर, बंगलौर और पटना में हैं, 12 आसूचना प्रकोष्ठ तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, गोवा, मन्दसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरई, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में हैं तथा 5 प्रकोष्ठ एन सी बी मुख्यालय में अर्थात इन्टरनेशनल को–ऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन के विभिन्न कार्यों के निपटान के लिए एक प्रवर्तन प्रकोष्ठ भी है।

9.9.3 एन सी बी ने इस वर्ष के दौरान कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 11 आसूचना अधिकारियों की भर्ती की है, जो इस समय सी बी आई अकादमी, गाजियाबाद में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों/संगठनों से 43 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति पर एन सी बी ज्वाइन किया है।

9.9.4 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संगठन की प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित मदें/उपकरण हासिल किए हैं:

(क) मई–अगस्त, 2011 के दौरान प्रवर्तन गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने हेतु एन सी बी फील्ड यूनिटों के लिए 15 वाहन तथा 15 मोटर साइकिलें।

(ख) अप्रैल–सितम्बर, 2011 के दौरान स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 23.57 लाख रूपए की लागत से लामा पिस्तौल के लिए 0.32 इंच कारतूसों के 6,844 चक्र, 44 बुलेट प्रूफ जैकेट, 10 दूरबीनें और 4 नाइट विजन डिवाइसें।

प्रवर्तन के प्रयास

9.9.5 वर्ष 2011–12 (अप्रैल – दिसम्बर, 2011) की अवधि के दौरान देश की विभिन्न एजेंसियों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गई जब्तियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:–

मादक पदार्थ का नाम	सम्पूर्ण भारत में जब्त मादक पदार्थ (किग्रा.)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा.)	सम्पूर्ण भारत में जब्ती की तुलना में एन सी बी द्वारा जब्त मादक पदार्थों का %
मादक पदार्थ			
हेरोइन	438	56	12.78%
अफीम	1671	127	7.6%
मार्फिन	50	01	2%
गांजा	86358	2905	3.36%
हशीश	2368	410	17.31%
कोकीन	07	2.5	35.71%
मेथाक्वालोन	40	0	0
एमफिटामिंस	02	02	100%
मन:प्रभावी पदार्थ			
मन:प्रभावी पदार्थ	515 किग्रा. +	93.6 किग्रा. +	18.17% कि.ग्रा. +
	19581893 टैबलेट +	9209966 टैबलेट +	47.03% टैबलेट +
	126291 बोतलें +	301 बोतलें +	0.23% बोतलें +
	3702 कैपसूल +	3702 कैपसूल	100% कैपसूल
	39859 इंजेक्शन	32075 इंजेक्शन	80.47% इंजेक्शन
केलामाइन	1486	09	0.60%
प्रिकर्सर रसायन			
इफेड्रिन	2078	565	27.18%

9.9.6 वर्ष 2011–12 (अप्रैल से दिसम्बर, 2011) के दौरान एन सी बी द्वारा की गई कुछ प्रमुख जब्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) दिनांक 04.04.2011 को, सीमा सुरक्षा बल, फजिल्का तथा एन सी बी, चण्डीगढ़ के अधिकारियों ने फजिल्का में एक ट्रैक्टर को रोका और 2 किग्रा. हेरोइन जब्त की। मादक पदार्थ पॉलिथीन में पैक था और ट्रैक्टर की बैटरी की ओट में छिपाकर रखा गया था। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण–पश्चिम एशिया था।

(ii) दिनांक 06.04.2011 को, एन सी बी, अहमदाबाद के अधिकारियों ने अहमदाबाद में एक पार्सल से 1.96 किग्रा. एमफिटामिन जब्त किया। मादक पदार्थ को चमड़े के चार थैलों की दो पतली परतों के बीच छिपाकर रखा गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ का गंतव्य मलेशिया था।

(iii) दिनांक 09.04.2011 को, असम राइफल्स तथा एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने 654 किग्रा. भांग के पौधे को जब्त किया। मादक पदार्थ को मणिपुर के सेनापति जिला में झाड़ियों में पतली पॉलिथीन सीट से ढंककर रखा गया था।

(iv) दिनांक 11.04.2011 को, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अहमदाबाद के अधिकारियों ने साबरकांठा में 22 किग्रा. चरस जब्त किया। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(v) दिनांक 06.05.2011 को, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली के अधिकारियों ने दिल्ली में एक नेपाली राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया और उसके पास से 32.5 किग्रा. हशीश जब्त किया। मादक पदार्थ को दो लगेज बैग में छिपाकर रखा गया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत नेपाल था।

(vi) दिनांक 31.05.2011 को, एन सी बी, मुम्बई के अधिकारियों ने थाणे जिला में एक ट्रक को रोका और 33 किग्रा. हशीश जब्त की। मादक पदार्थ को ग्यारह पैकेटों में पैक किया गया था और उक्त ट्रक के चालक की केबिन की छत में बनाई गई फॉल्स कैविटी में छिपाकर रखा गया था। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(vii) दिनांक 16.06.2011 को, एन सी बी, चेन्नै के अधिकारियों ने चेन्नै में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 48 किग्रा. इफेड्रिन जब्त किया। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध गंतव्य मलेशिया था।

(viii) दिनांक 19.06.2011 को, एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने भारत–म्यांमार सीमा पर मोरेह के पास तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से स्पडोइफेड्रिन वाले 4,93,500 त्रिपोलीडाइन एच सी एल टैबलेट जब्त किए। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध गंतव्य म्यांमार था।

(ix) दिनांक 14.07.2011 को, एन सी बी, मुम्बई के अधिकारियों ने मनःप्रभावी पदार्थ नोर्डाजीपाम के 93.6 किग्रा. के एक प्रेषण को जब्त किया। इस मनःप्रभावी पदार्थ का गंतव्य दक्षिण अफ्रीका था।

(x) दिनांक 16.07.2011 को, असम राइफस तथा एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने स्यूडोइफेड्रिन वाले 1,15,250 म्यूकोसोन एस्पेक्टोरेंट टैबलेट, 1,69,480 एक्टिफिन टैबलेट, 4,070 एक्टीफेड प्लस टैबलेट और 5,310 एक्टीफेड टैबलेट अर्थात्त कुल 2,94,110 टैबलेट को जब्त किया। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था।

(xi) दिनांक 03.08.2011 को, एन सी बी, नई दिल्ली के अधिकारियों ने 10.650 किग्रा. हेरोइन जब्त की। मादक पदार्थ को लेडीज हैण्ड बैगों और स्कूल बैगों में छिपाकर रखा गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण–पश्चिम एशिया और इसका गंतव्य नाइजीरिया था। छह विदेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था।

(xii) दिनांक 13.08.2011 को, असम राइफल्स तथा एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने स्यूडोइफेड्रिन वाले 35,400 टैबलेट जब्त किए। जब्त किए गए प्रेषण का संदिग्ध गंतव्य म्यांमार था। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि यह लावारिस जब्ती थी।

(xiii) दिनांक 24.08.2011 को, एन सी बी, इंदौर के अधिकारियों ने एक वाहन को रोका और 818 किग्रा. पोस्त जब्त किया। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि यह लावारिस जब्ती थी।

(xiv) दिनांक 25.08.2011 को, एन सी बी, जम्मू के अधिकारियों ने एक कार को रोका और 30.150 कि ग्रा. हशीश जब्त की। मादक पदार्थ को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाए गए एक बड़े सिलेण्डर में छिपाया गया था, जो होण्डा सिटी कार की डिकी में फिट था। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(xv) दिनांक 26.08.2011 को, असम राइफल्स तथा एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने स्यूडोइफेड्रिन वाले 13,20,000 टैबलेटों के प्रेषण को जब्त किया। जब्त किए गए प्रेषण का संदिग्ध गंतव्य म्यांमार था। एक म्यांमार राष्ट्रिक सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(xvi) दिनांक 15.09.2011 को, असम राइफल्स तथा एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने टेगनोपाल में एक वाहन को रोका और स्यूडोइफेड्रिन वाले 17,45,000 टैबलेटों को जब्त किया। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(xvii) दिनांक 21.09.2011 को, एन सी बी, चेन्नै के अधिकारियों ने एक अवैध इंटरनेट फार्मेसी को नष्ट कर दिया और मनःप्रभावी पदार्थ वाले 2,597 टैबलेटों/कैप्सूलों को जब्त किया। दिनांक 01.10.2011 को अनुवर्ती कार्रवाई में, मनः प्रभावी पदार्थ के 1,22,100 टैबलेट/कैप्सूल वाले तीन कार्टून बक्सों और 2,954 टैबलेट/कैप्सूल वाले 42 पार्सलों के दूसरे प्रेषण को जब्त किया गया। एक रूसी राष्ट्रिक सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध गंतव्य यू के और यू एस ए था।

(xviii) दिनांक 23.09.2011 को, एन सी बी, चेन्नै के अधिकारियों ने चेन्नै रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8.2 किग्रा. केटामाइन जब्त किया। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

(xix) दिनांक 04.10.2011 को, सीमा सुरक्षा बल, राजाताल, अमृतसर तथा एन सी बी, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने अमृतसर, पंजाब में 15 किग्रा. हेरोइन के एक प्रेषण को जब्त किया। इस मादक पदार्थ को पारदर्शी पॉलिथीन और सफेद कपड़े के साथ पैक किया गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

(xx) दिनांक 13.10.2011 को, एन सी बी, नई दिल्ली के अधिकारियों ने नई दिल्ली में एक ट्रक को रोका और 60 किग्रा. हशीश जब्त किया। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(xxi) दिनांक 13.10.2011 को, एन सी बी, इंदौर के अधिकारियों ने 34.850 किग्रा. अफीम जब्त किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

(xxii) दिनांक 11.11.2011 को, एन सी बी, कोलकाता के अधिकारियों ने कोलकाता में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे पेंटाजोकाइन लैक्टेट इंजेक्शनों के 24,300 एम्पुल्स, कोरेक्स सिरप की 62 बोतलें, बुपेनार्फिन इंजेक्शनों के 7,765 एमपुल्स और लुपिजेसिक इंजेक्शनों के 10 एम्पुल्स जब्त किए। सभी चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

(xxiii) दिनांक 23.11.2011 को, एन सी बी, मुम्बई के अधिकारियों ने 08 किग्रा. अफीम वाले एक पार्सल को रोक लिया। इस मादक पदार्थ को पेपर कैरीबैग के नीचे छुपाया गया था। इस मादक पदार्थ का संदिग्ध गंतव्य कनाडा था।

(xxiv) दिनांक 26.11.2011 को, एन सी बी, जोधपुर के अधिकारियों ने जोधपुर में एक ट्रक को रोका और 4,194.8 किग्रा. पोस्त जब्त किया। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(xxv) दिनांक 14.12.2011 को, एन सी बी, पटना के अधिकारियों ने 12.150 किग्रा. हशीश जब्त किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

(xxvi) दिनांक 19.12.2011 को, एन सी बी, अहमदाबाद के अधिकारियों ने एक ट्रक को रोका और 104.89 किग्रा. हशीश जब्त किया। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

पोस्त और भांग की अवैध खेती को नष्ट करना

9.9.7 अप्रैल, 2011 में एन सी बी, चंडीगढ़ ने राज्य एजेंसियों के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य में 78 एकड़ में पोस्त की अवैध खेती का पता लगाया और उसे नष्ट किया। आंचलिक यूनिट, जम्मू ने राज्य एजेंसियों के साथ मिल कर मई, 2011 में जम्मू और कश्मीर में 30 एकड़ में पोस्त की अवैध खेती का पता लगाया और उसे नष्ट किया। एन सी बी, लखनऊ ने मई, 2011 के महीने में उत्तराखंड राज्य में 312.45 एकड़ में पोस्त की अवैध खेती का पता लगाया और उसे नष्ट किया।

9.9.8 इसके अतिरिक्त, एन सी बी ने जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हो रही अवैध पोस्त की खेती को नष्ट करने का समन्वय कार्य किया। इसके परिणामस्वरुप, राज्यों और केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा 14365.17 एकड़ में हो रही अवैध खेती को नष्ट किया गया।

9.9.9 अवैध पोस्त का पता लगाने और नष्ट करने तथा वर्ष 2011–12 हेतु कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए दिनांक 21.09.2011 को एन सी बी मुख्यालय में केन्द्रीय एजेन्सियों के नोडल अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी।

दोषसिद्धि

9.9.10 एन सी बी द्वारा विनिर्धारित न्यायालयों के समक्ष दायर शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान 53 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया था।

मादक पदार्थों का निपटान

9.9.11 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान 64.144 किग्रा. हेरोइन, 380.170 किग्रा. हशीश, 4,132.772 किग्रा. पोस्त, 362.4 किग्रा. गांजा, 1.280 किग्रा. मेथाक्वीलोन और स्पास्मो पोसीवोन के 41,472 टैबलेटों का निपटान किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 18.590 किग्रा. अफीम को अफीम फैक्ट्री, नीमच को अन्तरित करने की सिफारिश की गई थी।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.9.12 भारत सरकार ने "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" नामक एक योजना शुरु की है जिसमें मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपकरण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों को मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2011 के दौरान (दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक) मध्य प्रदेश, पंजाब और त्रिपुरा की 3 राज्य मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 81,53,387 रूपए का केन्द्रीय अनुदान मंजूर किया गया है।

प्रशिक्षण

9.9.13 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों को मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान (दिनांक 01.04.2011 से 30.10.2011 तक) दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसे 112 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनमें राज्य पुलिस एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लगभग 3,557 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व/सहयोग

9.9.14 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार्टर में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, के अन्तर्गत दायित्वों का कार्यान्वयन शामिल है। एन सी बी, मादक पदार्थों तथा मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम करने तथा अवरूद्ध करने के लिए समन्वय एवं व्यापक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से दूसरे देशों में संबंधित प्राधिकरणों तथा संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.9.15 मादक पदार्थ की तस्करी और दुरुपयोग ने भौगोलिक आयाम हासिल कर लिए हैं। इस आम लड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एक अत्यन्त सक्षम टूल है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते, एम एल ए टी तथा जे डब्ल्यू जी हस्ताक्षिरत किए हैं। यह विभिन्न क्षेत्रीय एस ए ए आर सी (साउथ एशियन एसोशिएसन

फॉर रीजनल कोऑपरेशन) तथा एस डी ओ एम डी (सार्क ड्रग ऑफेन्सेज मानिटरिंग डेस्क) तथा अन्तर–क्षेत्रीय सी एन डी (कमीशन फॉर नार्कोटिक ड्रग्स), एच ओ एन एल ई ए (हेड्स ऑफ नेचुरल ड्रग लॉ इनफोर्समेंट एजेन्सीज), आई डी ई सी (इंटरनेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), ए डी ई सी (एशिया–पेसिफिक आपरेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), ए डी एल ओ एम आई सी (एन्टी ड्रग लायजन ऑफिसियल्स मीटिंग फॉर इंटरनेशनल कान्फ्रेंस) इत्यादि दोनों अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एक सक्रिय भागीदार भी है।

9.9.16 द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, एन सी बी/भारत सरकार ने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कम्बोडिया, चीन, क्रोशिया, साइप्रस, मिश्र, इजरायल, इटली, कुवैत, लाओस पी डी आर, मॉरिशस, म्यांमार, पोलैण्ड, कतर, रुमानिया, रूस, ताजिकिस्तान, टर्की, यू ए ई, यू एस ए तथा जाम्बिया नामक 23 देशों के साथ मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों एवं प्रिकर्सर रसायनों की मांग को कम करने और अवैध तस्करी को रोकने के लिए आपसी सहयोग करने हेतु द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

9.9.17 एन सी बी/भारत सरकार ने, 07 देशों अर्थात भूटान, इण्डोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यू एस ए तथा वियतनाम के साथ मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षिरत किए हैं।

9.9.18 इन समझौतों में मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सिंडीकेटों की रासायनिक गतिविधियों का पता लगाने, अवरूद्ध करने तथा रोकथाम करने के लिए जानकारी के आदान–प्रदान में सहायता करने पर बल दिया गया है।

मांग में कमी

9.9.19 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प में 26 जून को मादक पदार्थों का दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। इस घोषणा के अनुसरण में, पूरे संसार में इस दिन को मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरुक बनाने के रूप में मनाया जाता है। मादक पदार्थ के दुरूपयोग की कुरीतियों के संबंध में आवाम विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एन सी बी मुख्यालय तथा इसकी जोनल इकाइयों ने विभिन्न राज्य सरकारों/गैर–सरकारी संगठनों/मादक पदार्थ–रोधी कार्य बलों के साथ मिलकर दिनांक 26.06.2011 को निम्नलिखित मांग में कमी संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया:

क) मादक पदार्थ के दुरूपयोग के विरुद्ध जागरूकता दौड़

ख) पदयात्राएं/रैलियां

ग) नुक्कड़ नाटक/प्रदर्शन

घ) संगोष्ठियां/कार्यशालाएं

ङ) चित्रकारी, भाषण, नारा लेखन प्रतियोगिता

च) शपथ ग्रहण समारोह

छ) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एस एम एस का प्रसार

ज) सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठावान व्यक्तियों द्वारा पृष्ठांकित जागरूकता संदेशों के साथ पोस्टरों तथा बैनरों का प्रदर्शन

महत्वपूर्ण घटनाएं/गतिविधियां

महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो दिनांक 20.04.02011 को एन सी बी मुख्यालय, नई दिल्ली में जाम्बियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए

9.9.20 डॉ. पीटर मचुंगा, संसद सदस्य (समिति के अध्यक्ष) के नेतृत्व में नेशनल सिक्यूरिटी एण्ड फॉरेन अफेयर्स संबंधी जाम्बियाई संसदीय समिति के 7 अन्य विशिष्ट सदस्यों के साथ जाम्बिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने कानून के विशेष संदर्भ में मादक पदार्थों तथा प्रिकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी के विरुद्ध रोकथाम उपायों के क्षेत्र में आपसी विचार–विमर्श/बैठक के लिए तथा सहयोग के अवसरों को और अधिक बढ़ाने के लिए दिनांक 20.04.2011 को एन सी बी मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया।

9.9.21 भारत के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा पाकिस्तान के स्वापक–रोधी बल के बीच स्वापक से संबंधित मामलों पर दिनांक 12.09.2011 से 14.09.2011 तक इस्लामाबाद में महानिदेशक स्तरीय वार्ता हुई थी। इस बैठक में "मादक पदार्थ की मांग में कमी तथा स्वापक पदार्थ, मनःप्रभावी प्रदार्थ एवं प्रिकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम

दिनांक 13.09.2011 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में महानिदेशक स्तरीय वार्ता में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

तथा संबंधित मामलों" पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्षों ने इस समझौते का स्वागत किया और इस बात पर सहमत हुए कि इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध होगा।

--*

अध्याय – X

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

10.1 भारत, अपनी विशिष्ट भू–जलवायु और सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों की वजह से बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, भू–स्खलन, हिम–स्खलन और दावानल जैसी विभिन्न आपदाओं के प्रति विभिन्न प्रकार से संवेदनशील रहा है। देश के 35 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में से 27 आपदा सम्भावित हैं। लगभग 58.6% भू–भाग मामूली से लेकर अति तीव्रता वाले भूकम्पों से संभावित है, 12% भूमि में बाढ़ और नदी का कटाव संभावित है, 7,516 कि.मी. तटरेखा में से 5,700 कि.मी. तटरेखा तूफान और सुनामी सम्भावित है, 68% कृषि भूमि सूखे के प्रति संवदेनशील है और पहाड़ी क्षेत्र भू–स्खलन और हिम–स्खलन के खतरों से भरा है। आग की घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और रासायनिक, जैविक और रेडियो एक्टिव सामग्री का प्रयोग करके मानव जनित अन्य आपदाएं कुछ ऐसी अतिरिक्त आपदाएं हैं, जिन्होंने प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम "भारत में आपदा प्रबंधन" नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए

10.2 आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, भयंकर स्वरूप की आपदाओं के मामले में वित्तीय और संभारिकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। संभारतंत्र संबंधी सहायता में ये शामिल हैं– एयरक्राफ्टों और नावों, सैन्य बलों के विशेषज्ञ दलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) के कार्मिकों की तैनाती करना, चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना, संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवस्थापना सुविधाओं की बहाली करना तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना।

10.3 सरकार ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का है जिसमें आपदा प्रबंधन के समस्त पहलुओं को कवर करते हुए रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। नया दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक कि विकासात्मक प्रक्रिया में आपदा के प्रशमन के लिए प्रबंध न किये जायें।

आपदा प्रबंधन अधिनियम (डी एम ए), 2005

10.4 सरकार ने आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा उससे जुड़े मामलों या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों हेतु प्रावधान करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है। इसमें आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने, आपदाओं की रोकथाम और प्रशमन हेतु सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) तथा कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए) स्थापित करने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में गृह सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) का गठन करने का भी प्रावधान है। इसमें, राष्ट्रीय योजना के अनुसार संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अपनी–अपनी योजनाएं तैयार करने का भी प्रावधान है।

10.5 इसके अतिरिक्त, अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि तथा राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि तथा राज्य और जिला स्तरों पर इसी तरह की निधियों के गठन का भी प्रावधान शामिल है। अधिनियम में आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों के लिए भी विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है।

संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए)

10.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) का गठन नौ सदस्यों के प्रावधान के साथ, जिसमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना है, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समय एन डी एम ए में निम्नलिखित सदस्य हैंः– (1) श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक, उपाध्यक्ष (2) श्री जे.के. सिन्हा, सदस्य, (3) मेज0 जन0 (सेवानिवृत्त) डा. जे0के0 बंसल, सदस्य, (4) श्री टी0 नंदकुमार, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त), सदस्य (5) डा. मुजफ्फर अहमद, सदस्य (6) प्रो. हर्ष गुप्ता, सदस्य (7) श्री बी. भट्टाचार्जी, सदस्य और (8) श्री के. एम. सिंह, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य।

10.7 राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन संबंधी ऐसी नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करना है जिनका अनुपालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम अथवा इसके प्रभावों के प्रशमन संबंधी उपायों को समेकित करने के प्रयोजन से किया जाएगा। यह, राज्य प्राधिकरणों के लिए भी ऐसे दिशानिर्देश तैयार करेगा जिनका अनुपालन उनके द्वारा राज्य योजनाएं तैयार करने और आपदा की रोकथाम अथवा प्रशमन के उपाय करने अथवा भयावह आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए ऐसी तैयारी एवं क्षमता निर्माण करने के लिए किया जाएगा जो वह आवश्यक समझे।

10.8 एन डी एम ए ने अपने गठन के समय से आपदाओं में मनोवैज्ञानिक–सामाजिक और मानसिक

प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष, एन डी एम ए, डा. मनमोहन सिंह, केन्द्रीय कृषि मंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, उपाध्यक्ष, एन डी एम ए तथा एन डी एम के सदस्यों के साथ

सेवा, भूकम्प, दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली, सुनामी, सूखा, शहरी बाढ़, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और हिम–स्खलन एवं जन–हताहत प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न आपदा विशिष्ट और विषयगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए)

10.9 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में एस डी एम ए और डी डी एम ए के गठन का प्रावधान है। राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप एस डी एम ए का गठन कर लिया है।

10.10 गुजरात ने अपने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुसार गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जी एस डी एम ए) का गठन किया है।

10.11 आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का भी गठन कर दिया गया है।

10.12 अधिनियम में राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। तदनुसार, 31 राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस संबंध में कार्रवाई कर ली है।

10.13 एन डी एम ए, एन ई सी, एन आई डी एम संबंधी नियम, संसद में एन डी एम ए की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति करना और तथाकथित अपराध के नोटिस आदि को भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभिन्न 'क' और 'ग' ग्रुपों से संबंधित भर्ती नियम तैयार कर लिए गए हैं, अधिसूचित किए गए हैं और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत भी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ)

10.14 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) का गठन आपदा की स्थिति या आपदा के खतरे पर विशेषज्ञ कार्रवाई करने के लिए किया

गया है। इसकी गुवाहाटी, कोलकाता, मुंडली, अरक्कोनम, पुणे, गांधीनगर, भटिंडा, ग्रेटर नौएडा, पटना और विजयवाड़ा में 10 बटालियनें हैं। इनमें से चार बटालियनें, न्यूक्लियर, जैविक और रासायनिक (एन बी सी) आपदाओं से निपटने के लिए भी हैं। प्रत्येक बटालियन में 1,149 कार्मिक, कैनाइन स्क्वैड और ढह गए ढांचे की तलाशी और बचाव के लिए उपकरण, जल से बचाव के उपकरण (नाव और गोताखोरी के उपकरण), प्राथमिक चिकित्सा कार्रवाई टुकड़ियों के वाहक, एंबुलेंस, हजमत वाहन और पानी के टैंकर होते हैं।

10.15 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की उच्च प्रशिक्षित मानवशक्ति वाली बटालियनें आवश्यक उपस्करों सहित आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफानों/बाढ़/भू–स्खलनों/भूकम्प आदि के दौरान आपातकालीन कार्रवाई, बचाव और राहत कार्यों में तत्परता से लग गयी थीं।

10.16 वर्ष 2011 के दौरान (31.12.2011 तक) एन डी आर एफ बटालियनों ने तीव्र और उच्च कुशलता प्राप्त बाढ बचाव अभियानों में लगभग 19,442 लोगों की जान बचायी और 126 शव निकाले। एन डी आर एफ ने पश्चिम बंगाल में क्लोरीन सिलेंडरों को निष्क्रिय करने में सहायता प्रदान की। एन डी एफ आर बटालियनों द्वारा इन राज्यों में आपदा प्रभावित पीड़ितों में चिकित्सा–सहायता, दवाइयों और पेयजल सहित राहत सामग्रियां भी वितरित की गईं।

10.17 तलाशी और बचाव अभियान के अतिरिक्त, एन डी आर एफ को विभिन्न राज्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के साथ–साथ रेल दुर्घटना, इमारत गिरने, नाव पलटने, बस दुर्घटनाओं और लोगों के डूबने आदि के स्थान पर भी तैनात किया गया।

सिक्किम भूकम्प, 2011 के दौरान एन डी आर एफ द्वारा तलाशी एवं बचाव अभियान

10.18 एन डी आर एफ की 46 कार्मिकों की एक विशिष्ट टीम को दिनांक 11.03.2011 के भयंकर भूकम्प के बाद दिनांक 27.03.2011 से 07.04.2011 तक आई सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया था। जापान के ओनागावा क्षेत्र में तलाशी और बचाव अभियान चलाए गए थे। एन डी आर एफ की टीम ने 07 शव निकाले और कीमती सामानों के अलावा 50 मिलियन येन की नकदी भी बरामद की जिसे जापान के प्राधिकारियों को सौंप दिया गया।

सुनामी के दौरान ओनागावा (जापान) में एन डी आर एफ का बचाव अभियान

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)

10.19 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान दिनांक 16.10.2003 को अस्तित्व में आया। तदनंतर संस्थान ने वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 42 के अन्तर्गत सांविधिक संगठन का स्तर प्राप्त किया। एन आई डी एम को प्रशिक्षण की योजना बनाने और उसका संवर्धन करने, आपदा प्रबंधन में अनुसंधान और प्रलेखीकरण करने और आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारण तंत्र और प्रशमन उपायों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत सूचना का विकास करने का दायित्व सौंपा गया है। एन आई डी एम आपदा प्रबंधन का संवर्धन करने और उसे संस्थागत बनाने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान और सेमिनार आयोजित करता है एवं उसे सहज बनाता है और पत्रिकाओं, अनुसंधान पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के कार्य की व्यवस्था करता है। एन आई डी एम, कैम्पस के अंदर और कैम्पस के बाहर दोनों जगहों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

10.20 वर्ष 2011–12 के दौरान, संस्थान ने दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें से कुछ पाठ्यक्रम राज्य की राजधानियों में आपदा प्रबंधन केन्द्रों के सहयोग से प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किए गए। कुल 1,223 सहभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

10.21 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर 13 अलग–अलग अफ्रीकी देशों के 22 अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन नामक दो सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 19.09.2011 से 30.09.2011 तक आयोजित किया गया।

अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌घाटन सत्र

एन आई डी एम द्वारा आयोजित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं

10.22 एन आई डी एम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेन्सी (यू एस ए आई डी) और अमरीकी वन सेवा (यू एस एफ एस) के सहयोग से, प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में 'दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली' (आई आर एस) पर दिनांक 01.04.2011 से 20.12.2011 तक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 9 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य देश में दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली के लिए कोर/मास्टर प्रशिक्षक तैयार करना है।

10.23 आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय ज्ञान (ई के डी आर एम) पर दिनांक 10.05.2011 और 11.05.2011 को दो–दिवसीय कार्यशाला गिज–इनवेंट एण्ड इनफेनोज इंडिया के सहयोग से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य मौजूदा ढांचे को समझना, शक्तियों और चुनौतियों का मूल्यांकन करना, अन्तरालों की पहचान करना, रणनीतिक दृष्टिकोणों और पर्यावरण आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की मध्यस्थता के लिए उपकरणों का विकास करना था। दिनांक 12.12.2011 से 15.12.2011 तक इकोसिस्टम अप्रोच टु क्लाइमेंट चेंज एण्ड डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट पर 04 दिवसीय पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 109 अधिकारियों ने भाग लिया।

10.24 संस्थान ने व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन, विशिष्ट पाठ्यक्रम, समुदाय आधारित

आपदा जोखिम प्रबंधन, भूकम्प जोखिम, न्यूनीकरण, सुरक्षित शहर और जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन आदि जैसे आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर विश्व बैंक संस्थान, यू एस ए के सहयोग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं/चला रहा है। इन पाठ्यक्रमों में कुल 684 सहभागियों ने भाग लिया। सी–डेक (सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग) के सहयोग से दिनांक 12.10.2011 को आपदा न्यूनीकरण दिवस (डी आर डी) के अवसर पर आपदा प्रबंधन पर ई–लर्निंग कार्यक्रम शुरु किये गए थे। आपदा प्रबंधन पर ये पाठ्यक्रम विश्व भर में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी सुविधानुसार किसी भी समय निःशुल्क देखे जा सकते हैं।

10.25 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल और मैसूर के सहयोग से भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई एस आर ओ) के सामुदायिक केन्द्र (श्रव्य–दृश्य संचार प्रणाली सुविधा) के माध्यम से सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

भारतीय आपदा ज्ञान नेटवर्क

10.26 भारतीय आपदा ज्ञान नेटवर्क (आई डी के एन) एक वेब पोर्टल है, जो ज्ञान सहयोग, नेटवर्किंग, नक्शे और आपातकालीन सम्पर्क सूचना संबंधी प्रणाली तथा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित अन्य सूचना जैसे विस्तृत संसाधन और सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह साउथ एशियन डिसास्टर नालेज नेटवर्क का एक हिस्सा है, जो दिनांक 10.05.2011 से 13.05.2011 तक यू एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फार डिसास्टर रिडक्शन द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ग्लोबल प्लेटफार्म की बैठक के दौरान शुरु किया गया था।

10.27 राज्यों की ए टी आई में आपदा प्रबंधन केन्द्र – एन आई डी एम की तकनीकी सहायता से राज्य द्वारा चुने गए लक्षित समूह को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राज्यों की ए टी आई में राज्य स्तर के ऐसे 31 केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

अनुसंधान और प्रलेखन

10.28 एन आई डी एम देश में घटित होने वाली आपदाओं के दस्तावेज तैयार करता है ताकि आपदाओं के प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके और मामले के अध्ययन (केस स्टडी) का प्रयोग प्रशिक्षण कक्षाओं तथा अनुरूपण अभ्यासों के लिए संसाधन सामग्रियों के रूप में किया जा सके। हाल ही में, एन आई डी एम की टीम ने आपदा के दस्तावेज तैयार करने के लिए सिक्किम के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। एन आई डी एम ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों शहरों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं शुरु की हैं। संस्थान मुम्बई एयरपोर्ट, नवी मुम्बई के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए भी कार्यवाही कर रहा है।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

10.29 एन आई डी एम ने मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली

रामचन्द्रन की उपस्थिति में दिनांक 12.10.2011 को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया। इस अवसर पर, एन डी एम ए के सदस्य डा. मुजफ्फर अहमद और सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव, श्री ए.ई. अहमद भी उपस्थित थे। विभिन्न स्कूलों में स्कूली बच्चों के लिए व्याख्यान, पोस्टर एवं पेटिंग तथा नारा लेखन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दिवस के समारोह के दौरान, उन्हें पुरस्कार भी दिए गए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन पी डी एम)

10.30 डी एम अधिनियम, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) जारी की गई है। इसमें निवारण, प्रशमन, तैयारी और अनुक्रिया कार्रवाई की धारणा के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु–आपदोन्मुखी और प्रौद्योगिकीजन्य रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा का सामना कर सकने वाले भारत का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में आपदा प्रबंधन के उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जो संस्थागत और विधिक व्यवस्था; वित्तीय प्रबंधन; आपदा की रोकथाम, प्रशमन और तैयारी; तकनीकी–विधिक तंत्र, अनुक्रियाशील कार्रवाई, राहत और पुनर्वास; पुनर्निर्माण एवं पुनर्बहाली; क्षमता का विकास; ज्ञान प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास कार्यों से संबंधित हैं। एन पी डी एम, आपदाओं की वजह से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास संबंधी उपाय तैयार करने की दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित समूहों

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा आपदा न्यूनीकरण दिवस के दौरान पेंटिंग/नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण

सहित समाज के सभी वर्गों की चिन्ताओं का समाधान करता है। साम्यता/सहभागिता के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई), स्थानीय निकायों और सिविल सोसाइटी की भागीदारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।

वित्तीय तंत्र

10.31 राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था की योजना क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक लागू मौजूदा योजना 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि हिम–स्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकम्प, सुनामी, आग लगने, बाढ़, ओला–वृष्टि, भू–स्खलन और कीट–आक्रमण को एस डी आर एफ और एन डी आर एफ से वित्तीय सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाएं माना जाए।

13वें वित्त आयोग की सिफारिश

13.32 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन संस्थानों के सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण और कार्रवाई तंत्रों के लिए निधियां आवंटित की हैं।

राज्य आपदा कार्रवाई निधि

10.33 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को एस डी आर एफ चलाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य राहत निधियों में आबंटन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए निधियां आवंटित करते समय, जिन घटकों पर विचार किया जाता है, उनमें पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों पर किया गया व्यय, राज्य की प्राकृतिक आपदा के पति संवेदनशीलता और आर्थिक स्थिति शामिल है। इस समय, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत निधि में 33,580.93 करोड़ रूपए के आवंटन की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें केन्द्र का अंशदान 25,847.93 करोड़ रूपए और राज्य का अंशदान 7,733 करोड़ रूपए है। एस डी आर एफ योजना में केन्द्रीय अंशदान को जून और दिसम्बर में दो किस्तों में जारी करने का प्रावधान है। वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए एस डी आर एफ में राज्य–वार और वर्ष वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-XII** में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ)

10.34 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी भी चुनौतीपूर्ण आपदा प्रबंधन की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के गठन का प्रावधान है।

तदनुसार गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) के गठन के लिए दिनांक 28.09.2010 को अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्रालय ने भी राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के प्रचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

10.35 राज्य आपदा कार्रवाई निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीम गठित की जाती है और केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित अन्तर–मंत्रालयी समूह (आई एम जी) द्वारा उक्त टीम की रिपोर्ट की जांच की जाती है और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से निधियां प्रदान करने पर विचार करने और उसकी मंजूरी हेतु उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हे।

व्यय की निगरानी

10.36 गृह मंत्रालय एस डी आर एफ के प्रचालन का पर्यवेक्षण करता है और इन मार्गनिर्देशों के अनुरूप इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। सहायता की वर्तमान मदों और मानदण्डों के अनुसार व्यय की निगरानी के लिए एक प्रारूप (फार्मेट) निर्धारित किया गया है। राज्य के महालेखाकार द्वारा एस डी आर एफ के लेखों का रख–रखाव किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एस डी आर एफ की प्रति वर्ष लेखापरीक्षा की जाती है।

एस डी आर एफ के अंतर्गत वर्तमान आवंटन

10.37 वर्ष 2011–12 के लिए, एस डी आर एफ में 6,381.18 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 4,911.70 करोड़ रूपए केन्द्र तथा 1,469.48 करोड़ रूपए राज्यों का अंश है। वर्ष 2011–12 के दौरान 18 राज्यों को एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान के रूप में 1,944.38 करोड़ रूपए की राशि (जिसमें 399.33 करोड़ रूपए पिछले वर्ष की बकाया राशि+1,545.05 करोड़ रूपए पहली किस्त के हैं) जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–12 के लिए, एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की 357.47 करोड़ रुपए की राशि भूकम्प आने और बाढ़ की स्थिति की वजह से 05 राज्यों को अग्रिम रूप में जारी की गई है जिसकी उपयोगिता की रसीद और वार्षिक रिपोर्टें अभी आनी शेष हैं। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और सिक्किम राज्य को एन डी आर एफ से 1,636.64 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2011–12 के दौरान एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से निधियों का राज्य–वार आवंटन और निर्गम दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-XIII** में दिया गया है।

क्षमता निर्माण अनुदान

10.38 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, क्षमता निर्माण की गतिविधियाँ शुरू करने के लिए राज्यों को 525 करोड़ रूपए आवंटित किए गए

हैं। वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए राज्य–वार आवंटन **अनुलग्नक-XIV** में दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस निधि के उपयोग के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में वर्ष 2010–15 की सम्पूर्ण अवधि के लिए कार्य–योजना तैयार करने के साथ–साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान है। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ राज्यों में स्टेकहोल्डरों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खतरा, जोखिम और संवदनेशीलता के विश्लेषण पर आधारित आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करने और राज्यों में आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण करने की मदें शामिल होंगी।

एन डी आर एफ और एस डी आर एफ से राहत के लिए सहायता की मदें और मानदण्ड

10.39 क्रमिक वित्त आयोगों का अधिनिर्णय प्राप्त होने के पश्चात राहत निधियों से सहायता की मदों और मानदण्डों की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इन मानदण्डों में, गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन किए जाते हैं, जो इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करता है। भारत सरकार ने संशोधित मदें और मानदंड दिनांक 16.01.2012 को जारी किए हैं। राहत के लिए सहायता की वर्तमान मदें और मानदण्ड www.mha.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

विभिन्न आपदायें

वर्ष 2011 में मानसून की स्थिति

10.40 दिनांक 01.06.2011 से 30.09.2011 के दौरान देश में समग्र रूप से और चार विस्तृत समरूप क्षेत्रों के लिए दक्षिण–पश्चिम मानसूनी वर्षा के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्षेत्र	पूर्वानुमान	वास्तविक
सम्पूर्ण भारत	दीर्घकालीन औसत का 95%±4%	दीर्घकालीन औसत का 101%
उत्तर पश्चिम भारत (जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश)	दीर्घकालीन औसत का 97%±8%	दीर्घकालीन औसत का 107%
उत्तर पूर्व भारत (अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं झारखण्ड)	दीर्घकालीन औसत का 95%±8%	दीर्घकालीन औसत का 86%
मध्य भारत (गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा एवं ओडिशा)	दीर्घकालीन औसत का 95%±8%	दीर्घकालीन औसत का 110%
दक्षिण प्रायद्वीप (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप तथा अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह)	दीर्घकालीन औसत का 94%±8%	दीर्घकालीन औसत का 100%

10.41 देश में समग्र रूप से संचयी मौसमी वर्षा, सामान्य थी। मौसम (01.06.2011 से 30.09.2011) के दौरान वर्षा दीर्घकालीन औसत (एल पी ए) का 101% थी। 36 में से 26 मौसमविज्ञानी उप संभागों में सामान्य वर्षा (+19% से -19%) दर्ज की गई। 7 उपसंभागों में अधिक वर्षा (+20% या अधिक) और 3 मौसम विज्ञानी उपसंभागों में कम वर्षा (-20% से -59%) रिकार्ड की गई। 603 मौसम विज्ञानी जिले, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं, में से 453 मौसम विज्ञानी जिलों में (76%) दक्षिण–पश्चिम मानसून, 2011 के दौरान अति/सामान्य वृष्टि हुई और शेष 150 जिलों (24%) में कम/अल्प वृष्टि हुई।

वर्ष 2011 में ओडिशा में बाढ़ के दौरान बचाव अभियान

10.42 वर्ष 2011–12 के दौरान अब तक 15 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र से चक्रवातीय तूफान/भारी वर्षा/बाढ़/भू–स्खलन/भूकम्प आदि के कारण विभिन्न मात्रा में क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं:– असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल पदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र।

वर्ष 2011 के दौरान देश में क्षति की मात्रा (अनंतिम)	
मानव जीवन को हुई हानि की संख्या	1530
हताहत पशुओं की संख्या	6976
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	787290
प्रभावित फसली भूमि (लाख हेक्टेयर)	18.85

10.43 क्षति की मात्रा का राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक-XV** में दिया गया है।

दिनांक 18.09.2011 को आए भूकम्प से उत्पन्न स्थिति

10.44 दिनांक 18.09.2011 को 18:11 बजे एक भूकम्प आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गयी। तदनन्तर, 18:21 बजे और 18:42 बजे 6.1 और 5.3 की तीव्रता के दो और झटके महसूस किए गए। इस भूकम्प का अधिकेन्द्र सिक्किम में भारत–नेपाल सीमा के निकट 27.7^0 उत्तर और 88.2^0 पूर्व में था। इस भूकम्प से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्य भी प्रभावित हुए।

10.45 दिनांक 18.09.2011 को आए भूकम्प की वजह से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों ने निम्नलिखित हानियों की सूचना दी है:–

राज्य	मानवजीवन की हानि (संख्या)	पशुधन की हानि (संख्या)	मकान (संख्या)
सिक्किम	60	1333	23903
पश्चिम बंगाल	11	19	88734
बिहार	10	*एनआर	*एनआर

*** एनआरः सूचना नहीं दी।**

10.46 इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने सड़कों, पुलों, सिंचाई, बिजली आदि जैसे आधारभूत ढांचों को हुई क्षति की भी सूचना दी है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है।

पूर्वी जिला में भूकम्प प्रभावित गांवों में एस एस बी द्वारा किया गया चिकित्सा सहायता कार्य

सिक्किम के भूकम्प के दौरान तत्काल की गई आपातकालीन कार्रवाई

10.47 भारत सरकार ने सिक्किम में आए भूकम्प के संबंध में तत्काल कार्रवाई की।

क) प्रभावित क्षेत्र में दिनांक 18.09.2011 से आगे तलाशी और बचाव कार्य में सेना, एन डी आर एफ, वायुसेना और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस को तैनात किया गया था। राहत और बचाव कार्य में कुल 5,500 सेना के कार्मिक भी लगाए गए थे। सेना के जवानों की टीम ने तलाशी और बचाव कार्यों में 100 से अधिक गांवों को वास्तविक रूप से कवर किया। राहत कार्य में सेना और वायुसेना के 15 हेलीकाप्टर लगाए गए थे। दुर्घटना के बाद एक सप्ताह तक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के 700 कार्मिक भी बचाव कार्य में लगाए गए थे। इसने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए।

ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को 19 डाक्टरों की एक मेडिकल टीम, 4.5 टन दवाइयां/अन्य सामग्री, 15 लाख हैलोजेन जल शोधन गोलियां, 1 मि.टन ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराया गया।

ग) राज्य सरकार ने 103 राहत शिविर खोले।

घ) प्रभावित क्षेत्र में बांटने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग 12000 खाने के पैकेट हवाई जहाज से गिराए गए, 7200 कम्बल, 400 टेंट, 200 स्टोव, 500 तिरपाल और एक जल शोधक विभिन्न स्रोतों से जुटाकर राज्य सरकार को उपलबध कराये गए।

ड.) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग की सलाह पर अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (कारपोरेट सोशल

सिक्किम में भूकम्प के दौरान एनडीआरएफ कार्मिकों की तैनाती

रिस्पांसिबिलिटी) के रूप में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सिक्किम राज्य सरकार को लगभग 350 टन स्टील (लगभग 21,000 सीटें) उपलब्ध करायीं।

10.48 उपर्युक्त राहत सामग्री के अतिरिक्त, सिक्किम सरकार को भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के लिए राज्य आपदा कार्रवाई निधि में 50 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा स्थिति की निगरानी

10.49 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एन सी एम सी) तथा केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी) ने विशेषकर दिनांक 18.09.2011 को सिक्किम में भूकम्प से उत्पन्न स्थिति में राहत कार्यों की प्रगति की निगरानी की।

10.50 गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष, जो 24X7 आधार पर कार्य करता है, ने भारत सरकार से सहायता का समन्वय करने के अतिरिक्त, कार्रवाई की निगरानी की और दैनिक स्थिति रिपोर्टें तैयार कीं, जिन्हें समस्त संबंधितों के पास अग्रसारित किया गया और दैनिक आधार पर वेबसाइट "ndmindia.nic.in" पर भी लोड किया गया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों एवं राहत आयुक्तों के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहे।

आपदा प्रबंधन योजना (सी एम पी)

10.51 संशोधित आपदा प्रबंधन योजना – 2009 के दो भाग हैं, पहले भाग का संबंध सामान्य पहलुओं से है जो सभी आकस्मिक/आपदा की स्थितियों के लिए समान हैं और दूसरे भाग में विशिष्ट आपदा की स्थितियों से निपटने के लिए अलग–अलग मानक परिचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) हैं। गृह मंत्रालय ने इन्हें कार्यान्वित किए जाने के लिए पहले ही सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ–साथ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दिया है। सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मंत्रालय को सूचित करते हुए अपने–अपने सी एम पी और एस ओ पी तैयार करें और उन्हें अद्यतन करें। दिनांक 05.01.2012 तक कुल 25 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने सी एम पी तैयार कर लिए हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों और सचिवों का वार्षिक सम्मेलन

10.52 आगामी दक्षिण–पश्चिम मानसून, 2011 के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने और आपदा प्रबंधन संबंधी अन्य मुद्दों पर चर्चा करने हेतु राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिवों/राहत आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 26.05.2011 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, आपातकालीन सहायता कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

नई दिल्ली में दिनांक 26.05.2011 को आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिवों/राहत आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

10.53 इस सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और भारत मौसम विज्ञान विभाग जैसी पूर्वानुमान एजेन्सियों, केन्द्रीय जल आयोग, सशस्त्र बलों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की अन्य संबद्ध एजेन्सियों के साथ निकट समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया । भारत मौसम विज्ञान विभाग और केन्द्रीय जल आयोग, जो वर्षा एवं बाढ़ के पूर्वानुमान एवं सूचना प्रसार के लिए राष्ट्रीय एजेन्सियां हैं, ने देश में अपने तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए अपनी योजनाओं का विस्तार किया।

तैयारी और प्रशमन के लिए किए गए उपाय

10.54 सूचना और संचार नेटवर्क, भू–स्खलन, भूकंप, विद्यालय सुरक्षा और बाढ़ आदि से संबंधित राष्ट्रस्तरीय प्रशमन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशमन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की क्रियापद्धति, नोडल मंत्रालयों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करके एन डी एम ए द्वारा वैचारिक और परियोजनाओं तथा वास्तुकला का संबंध निर्धारित करके तैयार की गई है। वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय संसाधनों तथा अपेक्षित तकनीकी–कानूनी क्षेत्र जैसी सभी सहायक प्रणालियों का विस्तृत उल्लेख करके बहु–अनुशासनिक टीमों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की जा रही हैं। परियोजनायें निष्पादित करने का कार्य, विशिष्ट आपदाओं और/या विषयगत हस्तक्षेपों के लिए जिम्मेदार विभिन्न नोडल एजेंसियों को सौंपा जाएगा। आवधिक

निगरानी, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और एन डी एम ए में तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त मल्टी–सेक्टोरल ग्रुप के माध्यम से की जाएगी।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी)

10.55 1,496.71 करोड़ रूपए की लागत से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना का चरण–। कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि चक्रवात के प्रति तटवर्ती समुदायों की सुभेद्यता को दूर किया जा सके। परियोजना का उद्देश्य, चक्रवात के पति सुभेद्यता कम करना है और लोगों तथा अवसंरचना को आपदा–रोधी बनाना है। परियोजना का व्यापक उद्देश्य चक्रवात का पूर्वानुमान, ट्रैकिंग और चेतावनी प्रणालियों का उन्नयन करना, बहु–जोखिम आपदा प्रबंधन में चक्रवात जोखिम प्रशमन और क्षमता निर्माण करना और बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (आश्रय और संपर्क सड़कों/पुलों से होते हुए बस्तियों तक जाना शामिल) और तटबंधों का निर्माण करना है। इस परियोजना से ओडिशा के 5.60 लाख लोगों और आंध्र प्रदेश के 5.50 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। आशा है कि इससे ओडिशा में 38,296 हेक्टेयर जमीन और आंध्र प्रदेश में 12,640 हेक्टेयर जमीन बचाने में सहायता मिलेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान 79.33 करोड़ रूपए सहित अब तक आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा को 97.40 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

आपदा प्रबंधन (डी एम) संबंधी मामलों को विकासात्मक परियोजनाओं की मुख्यधारा में लाना

10.56 एन डी एम ए की पहल पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आपदा निवारण और प्रशमन उपाय, जिन्हें परियोजना प्रस्तावों को तैयार करते समय दूर किए जाने की जरूरत होगी, शामिल करने के लिए व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) और योजनेतर व्यय संबंधी समिति (सीएनई) के विचारार्थ योजना और योजनेतर, दोनों के परियोजना प्रस्तावों के फार्मेट संशोधित किए हैं। परियोजना प्रस्ताव में शामिल की जाने वाली अतिरिक्त सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ एन डी एम ए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना, जोखिम विश्लेषण करना, ढांचागत और गैर–ढांचागत प्रशमन उपाय करना, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2005 का अनुपालन करना और आपदा प्रबंधन की लागत को सम्मिलित करना आदि शामिल हैं। सभी परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इन मुद्दों पर की गई कार्रवाई की सत्यता के संबंध में अपना प्रमाण पत्र संलग्न करें।

10.57 एन डी एम ए ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए इसी प्रकार का आपदा प्रबंधन मूल्याकन करें। इस प्रकार आधार तैयार कर दिया गया है जिसके लिए आपदाओं का समग्र और समन्वित प्रबंधन करने की दिशा में राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने के वास्ते राज्य सरकारों को अनुकूल वातावरण दिया गया है।

संचार नेटवर्क

10.58 बड़ी आपदा आने पर सामान्यतया सबसे पहले संचार व्यवस्था ठप्प पड़ जाती है क्योंकि ऐसी स्थिति में परंपरागत संचार नेटवर्क प्रणाली साधारणतया काम नहीं करती है। इसलिए पर्याप्त क्षमता वाली मल्टी–मोड, मल्टी–चैनल संचार प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय आपात संचार योजना का चरण–। कार्यान्वित कर दिया गया है। यह दूर–दराज के आपदा/आपात स्थलों पर राष्ट्रीय आपात परिचालन केन्द्र (एन ई ओ सी) और मोबाइल ई ओ सी के बीच सैटेलाइट आधारित मोबाइल ध्वनि/डाटा/वीडियो संचार प्रणाली प्रदान करेगी।

10.59 राष्ट्रीय आपात संचार योजना (एन ई सी पी) चरण–। के तहत खरीदे गए उपकरणों के प्रयोग में प्राप्त अनुभव के आधार पर हर स्थान पर संबंध स्थापित करने के लिए एन आई सी द्वारा परिवहन योग्य (ट्रांसपोर्टेबल) वी एस ए टी स्थापित करके आपात संचार योजना चरण–।।। को इस वर्ष 76.76 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यान्वित किए जाने के लिए इसका विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपात परिचालन केन्द्र और एन डी आर एफ बटालियन मुख्यालय और के बीच ध्वनि/डाटा/वीडियो संचार के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की बटालियनों की संचार टीमों को अचल और चल वी एस ए टी प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

10.60 कुल 48.47 करोड़ रूपए की लागत से सरकार द्वारा इस वर्ष केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा योजना कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया है। नीति स्तरीय परिवर्तन शुरू करके, सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप करने वाले पदाधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और अन्य स्टेकहोल्डरों की क्षमता का निर्माण करके विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने, कुछ विद्यालयों में गैर–ढांचागत प्रशमन उपायों और प्रदर्शनात्मक ढांचागत रिट्रोफिटिंग को बढ़ावा देने की यह संपूर्ण परियोजना है।

नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस)

10.61 नागरिक सुरक्षा में भारत या इसके भूभाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी विरोधी के घातक हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/प्रशमन करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं है, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसे देश की सुरक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में संगठित किया जाना है। चालू वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान 41.88 करोड़ रूपए सहित अब तक कुल 68.35 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

भूमिका

10.62 युद्ध और आपातकाल के दौरान, आन्तरिक भू–भाग की चौकसी करने, सशस्त्र बलों की सहायता करने, नागरिकों को एकजुट करने और नागरिक प्रशासन की मदद करने में निम्नलिखित के संबध में नागरिक सुरक्षा संगठन की अहम भूमिका होती हैः–

क) जीवन एवं सम्पत्ति बचाना;

ख) नुकसान को न्यूनतम करना;

ग) उत्पादन केन्द्रों में निरन्तरता बनाए रखना; और

घ) लोगों के मनोबल को बढ़ाना।

10.63 अनेक वर्षों से नागरिक सुरक्षा की अवधारणा में परम्परागत हथियारों के कारण हुए नुकसान के प्रबंधन से बदलाव लाकर इसमें नाभिकीय हथियारों, जैविक एवं रासायनिक युद्धकला और प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाएगा।

अधिनियम एवं नीति

10.64 नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 पूरे देश में लागू है, किन्तु नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन केवल ऐसे क्षेत्रों एवं मण्डलों में किया जाता है जिन्हें शत्रु आक्रमण के लिए संवेदनशील समझा जाता है। राष्ट्र–विरोधी तत्वों अथवा आतंकवादियों द्वारा महत्वपूर्ण स्थापनाओं पर किए जाने वाले बाह्य आक्रमण अथवा घातक हमलों से संबंधित भावी खतरों के स्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्गीकरण संबंधी मूल मानदण्डों को छोड़कर वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा नगरों के लिए नागरिक सुरक्षा योजना के संशोधन एवं नवीनीकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। हाल में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा (2) में संशोधन किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के उपायों को इसके क्षेत्राधिकार में लाया जा सके। वर्तमान में, नागरिक सुरक्षा कार्यकलाप, राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में फैले 225 वर्गीकृत नगरों तक सीमित हैं। नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में चुने हुए 100 बहु–जोखिम संभावित जिलों को भी वर्गीकृत किया गया है।

गोवा में सिविल डिफेंस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने के संबंध में आयोजित कार्यशाला का प्रारम्भिक सत्र

संगठन

10.65 नागरिक सुरक्षा, इसके स्थायी स्टाफ एवं स्थापना के छोटे न्यूक्लियस के सिवाय, जिसका संवर्धन आपातकाल के दौरान किया जाता है, का गठन मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का वर्तमान लक्ष्य 13.08 लाख का है जिसमें से 5.64 लाख स्वयंसेवकों को पहले ही तैयार कर लिया गया है और 5.14 लाख को प्रशिक्षित कर लिया गया है।

प्रशिक्षण

10.66 शान्ति के दौरान, नागरिक सुरक्षा उपायों के प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास/प्रदर्शन करने के साथ–साथ विभिन्न रचनात्मक एवं राष्ट्र निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को भी स्वैच्छिक आधार पर तैनात किया जाता है जिनमें सामाजिक एवं कल्याण सेवाएं चलाने और प्राकृतिक/मानवनिर्मित आपदा की रोकथाम/प्रशमन और आपदा पश्चात कार्रवाई एवं राहत अभियानों में प्रशासन को सहायता प्रदान करना शामिल है। राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाए जाने वाला नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण, तीन स्तरों अर्थात स्थानीय/नगरीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता

10.67 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु नागरिक सुरक्षा उपायों को करने के लिए वर्तमान में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता केवल वर्गीकृत नगरों तक सीमित है। पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) को 50% तक और असम सहित अन्य राज्यों को 25% तक प्रतिपूर्ति की जाती है।

नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन

10.68 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नागरिक सुरक्षा पुनः स्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में 100 करोड़ रूपए के परिव्यय से केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना शुरू की गई है। योजना का समग्र उद्देश्य, देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है ताकि यह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और अपनी प्राथमिक भूमिका निभाते हुए आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था में पुलिस की सहायता कर सके। अब तक राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को 68.35 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2011–12 में जारी किए गए 41.80 करोड़ रूपए शामिल हैं।

नागरिक सुरक्षा – आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ सामुदायिक सहभागिता संबंधी तंत्र

10.69 आतंकवाद के घटक और सामाजिक एवं सामुदायिक अशांति के कुछेक रूप चिन्ता के विषय हैं जिनमें समुदाय के सदस्य असंदिग्ध रूप से शिकार होते हैं, जिसके लिए उनकी निजी

सुरक्षा के लिए लोगों की जमीन पर उच्च स्तरीय सतर्कता के साथ–साथ विधि पवर्तन एजेंसियों के साथ उनके घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। अतः नागरिक सुरक्षा संगठनों का उपयोग प्राथमिक स्तर पर आन्तरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के लिए उत्पन्न खतरों से निपटने में पुलिस की सहायता करने वाले एक प्रभावी माध्यम के रूप में किया जा सकता है।

10.70 प्रायोगिक परियोजना में मुख्य रूप से राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एनसीडीसी), नागपुर में मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, राज्य एवं जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण और स्थानीय पुलिस/प्रशासन के पूर्ण सहयोग से क्षेत्र स्तर पर ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा आवधिक कार्यकलाप करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के तहत 17 बड़े कस्बों और 23 छोटे कस्बों की पहचान की गई है। एन सी डी सी, नागपुर में 10 दिन की अवधि में अलग–अलग समूहों में बडे कस्बों से 125 और छोटे कस्बों से 89 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ये मास्टर प्रशिक्षक, अतिथि संकायों की सहायता से पहचाने गए 40 कस्बों के नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। 214 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम फरवरी, 2010 में पूरा हो गया है जिन्होंने आज की तारीख तक राज्यों में 4,018 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में 100% स्वयंसेवकों की संवीक्षा की गई है, 62,184 की छंटनी की गई है और 51,776 नए दाखिल किए गए हैं।

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा मॉक ड्रिल

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर

10.71 देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, केन्द्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भारत सरकार के आपात राहत संगठन की सहायता करने के लिए दिनांक 29.04.1957 को नागपुर में की गयी थी। इस केन्द्रीय संस्थान ने किसी प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा के संबंध में आपदा राहत कार्य करने के लिए उत्तरदायी राजस्व अधिकारियों हेतु आधुनिक एवं विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रकार दिनांक 01.04.1968 को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एन सी डी सी) के रूप में सी ई आर टी आई का पुनःनामकरण किया गया।

10.72 वर्ष 1977 में आंध्र प्रदेश में आए विध्वंसकारी चक्रवात ने एक बार फिर एन सी डी सी पर आपदा कार्रवाई एवं राहत अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपा। अभी तक, इसमें खोज एवं बचाव, अग्निशमन कार्रवाई, प्राथमिक सहायता,

संचार, कल्याण सेवाओं, आपदा प्रबंधन, दुर्घटना प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षकों का कौशल बढ़ाने का प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है।

10.73 इस महाविद्यालय को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य केन्द्र तथा विकिरण, चिकित्सीय, नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक आपात कार्रवाई प्रशिक्षण के लिए एक नोडल केन्द्र के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसे रासायनिक आपदा कार्रवाई प्रशिक्षण में एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

10.74 यह संस्थान नियमित रूप से एन डी आर एफ एवं अन्य केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों को ऐसे आतंकवादी खतरों से निपटने संबंधी दक्षता विकसित करने का प्रशिक्षण दे रहा है जिसमें जन संहारक हथियारों के प्रयोग एवं किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के परिणामों से संबंधित पशिक्षण भी शामिल है।

10.75 महाविद्यालय की प्रशिक्षण क्षमतायें और भौतिक अवसंरचना बढाने हेतु आधुनिक सुविधायें पूरी करने के लिए इसका उन्नयन किया गया है। वर्ष 1957 में इसकी स्थापना से लेकर संस्थान ने 54,388 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 8 विदेशी राष्ट्रिक भी शामिल हैं। महाविद्यालय ने नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलोर के साथ मिल कर डिसास्टर साइको–सोसल इंटरवेंशन प्रोग्राम के संबंध में तीसरा टी ओ टी सफलतापूर्वक आयोजित किया।

होमगार्ड

10.76 होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जिसकी स्थापना पहली बार भारत में दिसम्बर, 1946 में सामाजिक अव्यवस्थाओं एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड के रूप में ज्ञात एक वर्दीधारी स्वैच्छिक संगठन में विलय करने का सुझाव दिया था। कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों को करने में पुलिस के सहयोगी बल के रूप में होमगार्डों की भूमिका है। होमगार्ड ग्रामीण एवं शहरी दो श्रेणियों के होते हैं। सीमावर्ती राज्यों में बार्डर विंग होमगार्ड बटालियनें बनाई गई हैं, जो सीमा सुरक्षा बल की सहायक बटालियन के रूप में कार्य करती हैं। देश में होमगार्डों की कुल संख्या 5,73,793 है और इसकी तुलना में 4,98,131 होमगार्ड कार्यरत हैं। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

10.77 राज्यों में अठारह बार्डर विंग होमगाड्र्स (बी डब्ल्यू एच जी) बटालियनें अर्थात पंजाब में

(6 बटालियनें); राजस्थान में (4 बटालियनें), गुजरात में (4 बटालियनें) और असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में से प्रत्येक में एक–एक बटालियन बनाई गई हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/तटीय प्रदेशों में घुसपैठ रोकने, बाहरी आक्रमण के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापनों और संचार लाइनों की सुरक्षा करने में सीमा सुरक्षा बल की सहायक बटालियन के रूप में कार्य करती हैं।

10.78 होमगाड्र्स का गठन, होमगाड्र्स अधिनियम और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के नियमों के अधीन किया जाता है। इनकी भर्ती समाज के विभिन्न वर्गों यथा डाक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कालेज और विश्वद्यालय के छात्रों, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों आदि में से की जाती है जो समुदाय की भलाई के लिए अपना अतिरिक्त समय इस संगठन को दे सकें। होमगार्डों को दी जाने वाली सुख–सुविधाओं में मुफ्त पोशाक, ड्यूटी भत्ता एवं विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए वीरता पुरस्कार शामिल हैं। तीन वर्षों की सेवा वाले होमगाड्र्स के सदस्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, डकैती–निरोधी उपायों, सीमा गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटियों और समाज कल्याण की गतिविधियों के संबंध में पुलिस का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.79 गृह मंत्रालय, होमगाड्र्स संगठन की भूमिका, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित नीति तैयार करता है। सामान्य तौर पर होमगाड्र्स पर होने वाला व्यय, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 25% और 75% के अनुपात में इनके गठन, प्रशिक्षण और साजो–सामान से सुसज्जित करने के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह भागीदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में है। चालू वित्त वर्ष 2011–12 के लिए 37.39 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2011 तक राज्यों को 26.68 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

अग्निशमन सेवाएं

10.80 आग से बचाव एवं अग्नि शमन सेवाओं का गठन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन विधायन एवं प्रशिक्षण के बारे में तकनीकी परामर्श देता है।

10.81 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए 87,519 करोड़ रुपए के अनुदान के एक भाग का उपयोग उनके अपने–अपने क्षेत्राधिकार में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाए। इसके अतिरिक्त 7 राज्यों को अग्नि शमन और आपात सेवाओं को पुनः स्थापित करने के लिए 472 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

10.82 वर्ष 2009 में भी देश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना

शुरू की गई है। राज्य सरकारें भी अपने राज्यांश के रूप में इसमें 40.23 करोड़ रुपए का योगदान करेंगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रूपए आवंटित किये गये हैं। इस योजना का समग्र उद्देश्य, देश में अग्नि शमन एवं आपात सेवा को सुदृढ बनाना है और इसे धीरे–धीरे ऐसे बहु–जोखिम कार्रवाई बल का रूप देना है जो हर प्रकार की आपात स्थितियों में प्रथम कार्रवाई बल के रूप में कार्य कर सके। इस योजना के अन्तर्गत, देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में अग्नि शमन बिग्रेड में अतिरिक्त रूप में बचाव कार्य हेतु 277 एडवांस फायर टेण्डरों, वाटर मिस्ट प्रौद्योगिकी युक्त 1,146 हाई प्रेशर पम्प, 573 क्विक रेस्पांस टीम व्हीकल और 1,146 कॉम्बी टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

10.83 अग्निशमन और बचाव उपकरणों की वास्तविक जरूरत का आकलन करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने देश में अग्नि जोखिम एवं खतरों का विश्लेषण करने के लिए 5.71 करोड़ रुपए की लागत से एक अध्ययन शुरु किया है।

10.84 वर्ष 2011 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, फायर सर्विस कालेज, यू.के. में 30 अग्निशमन कर्मचारियों को उन्नत खोज और बचाव प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्राथमिक चिकित्सा सहायता कार्यकर्ताओं ने दिसम्बर 2011 तक 326 अग्निशमन सेवा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर

10.85 अग्नि शमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय (एन एफ एस सी), नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाविद्यालय ओल्ड सेटलमेंट कमिश्नरेट बिल्डिंग में स्थित है जिसमें आग से बचाने की ड्रिल और प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त स्थान है। इस महाविद्यालय के फायर इंजीनियरों को आग से बचाने और रोकने के कार्य के लिए भारत और विदेशों में काम दिया जाता है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन आदि के लिए फायर ग्राउंड आपरेशन, पैरामैडिक्स, वास्तविक जीवन की स्थिति के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। आग से बचाने और आग रोकने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकार, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, पोर्ट ट्रस्ट, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, महाविद्यालय के अतिथि संकाय के पैनल में हैं।

10.86 महाविद्यालय का उन्नयन करने की एक योजना जून, 2010 में शुरू की गई है। इस योजना को 205 करोड़ रूपए के परिव्यय से तीन वर्ष (2010–2013) की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। योजना का समग्र उद्देश्य सभी पहलुओं नामतः आग से बचाव, आग रोकने और आग बुझाने, बचाव करने, आपदा आने की स्थिति में विशेषज्ञ आपात कार्रवाई करने और साथ ही फील्ड में अनुसंधान प्रलेखीकरण और परामर्शी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ पेशेवर प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने हेतु महाविद्यालय की क्षमता में वृद्धि करना है।

--*

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.1 अपराध करने वालों अथवा सम्भावित अपराधकर्ताओं, खासकर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों की कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ–साथ तेजी से बदलाव आया है और इसने राष्ट्रपारीय एवं वैश्विक आयाम का रूप ले लिया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने आतंकवाद का सामना करने के लिए सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें की हैं और उनका अनुपालन किया है। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहलें करने में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित है।

सुरक्षा एवं पुलिस मामले

बहुपक्षीय सहयोग

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

11.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना इसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच "दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करने, आर्थिक विकास बढ़ाने, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास करने; इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन" करने के लिए वर्ष 1985 में की गई थी। वर्तमान में सार्क के आठ सदस्य देश हैं–नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस संगठन की कार्यसूची मुख्यतः सुकर व्यापार को बढ़ावा देने और 01.01.2006 से शुरू दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (एस ए एफ टी ए) को कार्यान्वित करने पर आधारित है । इसका सचिवालय काठमाण्डू (नेपाल) में है।

11.3 नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया था कि सार्क के आंतरिक/गृह सचिवों की बैठक के उपरान्त सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठक वार्षिक रूप से हुआ करेगी। अब तक सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की चार बैठकें–ढाका (11.05.2006), नई दिल्ली (25.10.2007), इस्लामाबाद (26.06.2010) और थिंपू (23.07.2011) में आयोजित की गई हैं।

11.4 पुलिस मामलों में सहयोग संबंधी 9वां सार्क सम्मेलन और आतंकवादी अपराधों पर मानीटरिंग डेस्क के मुख्य बिन्दुओं (एस टी ओ एम डी) तथा सार्क ड्रग आफेंसेज मानीटरिंग डेस्क (एस डी ओ एम डी) की चौथी बैठक कोलम्बो, श्रीलंका में दिनांक 04.04.2011 से 05.04.2011 तक हुई।

11.5 पुलिस मामलों पर दिनांक 04.04.2011 से 05.04.2011 तक कोलम्बो, श्रीलंका में हुए 9वें सार्क सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। सार्क क्षेत्र के अंदर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग करने की दिशा में यह बैठक महत्वपूर्ण कदम है। सार्क क्षेत्र में विश्व की एक–चौथाई जनसंख्या है और यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सार्क क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने और इन्हें बनाए रखने के लिए बैठक में अनुकूल वातावरण का सृजन करने का प्रयास किया गया।

11.6 सार्क के आन्तरिक/गृह मंत्रियों की चौथी बैठक और इसके पूर्व होने वाली इसकी बैठकें दिनांक 21.07.2011 से 23.07.2011 तक थिंपू में निम्नलिखित कार्यक्रमों के अनुसार आयोजित की गईं:–

(क) दिनांक 21.07.2011 को सार्क आप्रवासन प्राधिकारियों की चौथी बैठक,

(ख) दिनांक 22.07.2011 को सार्क के गृह/आन्तरिक सचिवों की चौथी बैठक; और

(ग) दिनांक 23.07.2011 को सार्क के आन्तरिक/गृह मंत्रियों की चौथी बैठक।

11.7 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय गृह मंत्री ने किया।

भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस)

11.8 अप्रैल, 2008 में आयोजित पहले भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस) का उद्देश्य अफ्रीका के साथ भारत के आबन्ध में अधिकाधिक विषयों को जोड़ना और पृथक अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक और स्थायी संबंध कायम करना था। इस शिखर सम्मेलन में की गई पहल भारत–अफ्रीका संवाद को विकसित करने में भारत की आवश्यकता के भी अनुरूप है। शिखर सम्मेलन का औपचारिक परिणामी दस्तावेज एक घोषणा और कार्य योजना था। गृह मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के विधि प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता का संवर्धन करने के अलावा उनके साथ द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की व्यवस्था के रूप में सहयोग का प्रस्ताव किया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गये:–

(i) सी बी आई अकादमी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 13.06.2011 से 19.06.2011 तक (पाठ्यक्रम में 25 सहभागियों ने भाग

लिया) साइबर अपराध सहित आर्थिक अपराधों की जांच के संबंध में पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(ii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा दिनांक 19.09.2011 से 30.09.2011 तक (पाठ्यक्रम में 25 सहभागियों ने भाग लिया) व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(iii) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क स्वापक पदार्थ संबंधी अकादमी द्वारा दिनांक 14.11.2011 से 18.11.2011 तक (21 सहभागियों ने भाग लिया) नशीले पदार्थों संबंधी कानून प्रवर्तन पर पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

द्विपक्षीय सहयोग

11.9 पारदेशीय/अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी ढांचे में आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता करना, संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार करना, आतंकवाद/अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य दल और नशीले पदार्थों और इनसे संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार करना शामिल है जिन पर भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए गए हैं कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, काले धन को वैध बनाने, भारतीय मुद्रा के जाली नोटों आदि को रोकने के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग किया जाए।

आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी)

11.10 भारत ने कई देशों के साथ आतंकवाद/अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त कार्य दल स्थापित किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और पारदेशीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए सूचना का आदान–प्रदान किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ बनाया जा सके। भारत ने अब तक आतंकवाद/अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिश्र, कनाडा, जर्मनी, युनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, क्रोशिया, उजबेकिस्तान, थाइलैंड, तुर्की, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, तजाकिस्तान, मारीशस, इंडोनेशिया, म्यांमार, पोलैंड, जापान, इटली, यूरोपीय यूनियन और बिम्सटेक के साथ संयुक्त कार्य दलों का गठन किया है।

परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी)

11.11 परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी) आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज है जिसके द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने/प्राप्त

करने से संबंधित आवश्यक विधिक रूपरेखा का प्रावधान किया जाता है। वर्तमान में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार 32 देशों नामतः आस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, ईरान, कजाखस्तान, कुवैत, मॉरीशस, मैक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, टर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उजबेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है।

11.12 इसके अलावा कर्गिस्तान गणराज्य, चीन गणराज्य में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और इंडोनेशिया नामक तीन देशों के साथ एम एल ए टी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये संधियां प्रभावी होंगी। इसके अलावा, पांच देशों नामतः नेपाल, ओमान, अजरबेजान, इजराइल और मलेशिया के साथ शासकीय स्तर पर संधियों की पहल की गई है।

11.13 भारत ने सार्क देशों के साथ वर्ष 2008 में आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी सदस्य देशों द्वारा अभिसमय का अनुसमर्थन किए जाने के बाद यह अभिसमय प्रभावी होगा। इस अभिसमय का उद्देश्य अपराधों की जांच–पड़ताल करने और अभियोजन चलाने में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।

नशीले पदार्थों और संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार

11.14 भारत ने नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुलगारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोसिया, मिस्र, इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मारीशस, म्यांमार, पोलैंड, रोमानिया, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और जांबिया के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

दंड प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार

11.15 दोषसिद्ध भारतीय/विदेशी कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें अपने देश की जेल में अंतरित किए जाने हेतु सक्षम बनाने के लिए कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2004 को अधिसूचित और प्रभावी हुआ। बाद में, कैदियों का प्रत्यावर्तन नियमावली, 2004 दिनांक 09.08.2004 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए इच्छुक देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दंड प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम संयुक्त अमीरात सरकार के उप प्रधान मंत्री और आंतरिक मंत्री, ले. जनरल सैफ बिन जाएद अल नाहयान के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर करते हुए

11.16 भारत सरकार ने अब तक यूनाइटेड किंग्डम, मारीशस, बुलगारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान की सरकारों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, इजराइल, हांगकांग ब्राजील और इटली की सरकारों के साथ संधि–वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यक्तियों के अंतरण संबंधी करार पर नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2011 को हस्ताक्षर हुए थे। भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय गृह मंत्री ने और संयुक्त अरब अमीरात सरकार की ओर से प्रधानमंत्री और आंतरिक कार्य मंत्री ने करार पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग

11.17 गृह मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बीच इंडो–यूएस सिक्योरिटी डायलॉग के लिए प्रारंभिक बैठक नई दिल्ली में दिनांक 12.01.2011 को हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन गृह सचिव श्री जी.के. पिल्लई ने किया जबकि यू एस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री जेन हॉल लुते, डिप्टी सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने किया।

11.18 गृह मंत्रालय, भारत सरकार और यू एस ए के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बीच इंडो–यूएस सिक्योरिटी डायलॉग नई दिल्ली में दिनांक 27.05.2011 को हुआ। यू एस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री जेनेट नैपोलिटानो, सेक्रेटरी, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने किया जब कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री पी. चिदम्बरम, केन्द्रीय गृह मंत्री ने किया। दोनों ही प्रतिनिधिमंडलों ने परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा की।

11.19 भारत और यू एस ए के बीच इंडो–यूएस स्ट्रेटजिक डॉयलॉग नई दिल्ली में दिनांक 19.07.2011 को हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री एस0एम0 कृष्णा, विदेश मंत्री ने किया और यू एस पक्ष का नेतृत्व सुश्री हिलेरी क्लिंटन, यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किया। उक्त बैठक में श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव ने गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

11.20 सुश्री जेन हॉल लुते, डिप्टी सेक्रेटरी, होमलैंड सिक्योरिटी, यू एस ए के नेतृत्व वाले यू एस प्रतिनिधिमंडल ने भारत और यू एस ए के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इंडो–यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग की प्रासंगिक बातों पर दिनांक 19.07.2011 को श्री आर. के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम यू एस सेक्रेटरी फार होमलैंड सिक्योरिटी, सुश्री जेनेट नैपोलिटानो से मुलाकात करते हुए

11.21 श्री हावर्ड ए. स्मिड्ट, राष्ट्रपति के विशेष सहायक और ह्वाइट हाउस साइबर सिक्योरिटी कोआर्डिनेटर के नेतृत्व वाले यू एस प्रतिनिधि मंडल ने साइबर सुरक्षा से संबंधित उप–समूह और महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण के तहत सहयोग के लिए पहचाने गए मुद्दों/क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इंडो–यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के प्रासंगिक मुद्दों पर दिनांक 19.07.2011 को श्री आर. के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।

बांग्लादेश

11.22 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। इसका पहला स्तर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बार्डर गार्ड, बांग्लादेश (बी जी एस) के स्तर पर वार्ताएं; दूसरा स्तर दोनों देशों के संयुक्त सचिव स्तरीय संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी); और तीसरा गृह सचिव स्तरीय वार्ता है।

11.23 परस्पर यह निर्णय लिया गया था कि त्रि–स्तरीय तंत्र के अतिरिक्त, भारत और बांग्लादेश के बीच बर्ष में एक बार गृह मंत्री स्तरीय वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। प्रथम गृह मंत्री स्तरीय वार्ता जुलाई 2011 में ढाका में आयोजित की गई थी जिसके दौरान दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उचित प्रबंधन के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

नवम्बर, 2011 में नई दिल्ली में भारत–बांग्लादेश की गृह सचिव स्तरीय वार्ता

11.24 दिनांक 17.11.2011 से 21.11.2011 तक नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त कार्यदल की बैठकें और गृह सचिव स्तर की वार्तायें हुईं जिनमें सीमा पार के आतंकवाद, बांग्लादेश में कथित रूप से रह रहे भारत विरोधी समूहों (आई आई जी) के नेताओं को सौंपने और उनके शिविरों/छिपने के स्थानों पर कार्रवाई करने, हथियारों/गोला बारूद की तस्करी, जाली करेंसी नोट आदि जैसे सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी) करार, दंड प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण और संगठित अपराध का मुकाबला करने संबंधी करार, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने संबंधी करारों का लागू किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत थे कि दोनों देशों की विचाराधीन प्रत्यर्पण संधि को भी शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाए।

11.25 जहां तक सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का संबंध है, भारत–बांग्लादेश के साथ लगी सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ करने और बाड़ का निर्माण करने पर भी चर्चा की गई। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत थे कि सीमापार से अवैध आवाजाही को रोकने के लिए जुलाई, 2011 में हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। अन्य मुद्दों में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार, नशीले पदार्थों की तस्करी और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण आदि के संबंध में भी चर्चा की गई। दोनों ही पक्ष सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत थे।

11.26 द्वितीय गृह मंत्री स्तरीय वार्ता 24.02.2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में, प्रत्यर्पण संधि को अंतिम रूप देने सहित सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था।

म्यांमार

11.27 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत और म्यांमार दोनों देशों में प्रत्येक वर्ष बारी–बारी से संयुक्त सचिव और गृह सचिव स्तर की वार्ताएं अयोजित की जाती हैं। अब तक भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त सचिव स्तर की अठारह बैठकें और गृह सचिव स्तर की सत्रह बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

11.28 भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त सचिव स्तर पर 18वीं सेक्टोरल स्तर की बैठक दिनांक 13.07.2011 से 14.07.2011 तक मंडलय,म्यांमार में हुई जिसमें म्यांमार में भारत विरोधी उग्रवादी समूहों (आई आई जी) की मौजूदगी, आसूचना का आदान–प्रदान करने, हथियारों की तस्करी होने, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और सीमा प्रबंधन आदि जैसे सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले नेता ने पहले किए गए प्रस्ताव को दोहराया जिसमें आई आई जी के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने के लिए म्यांमार को हर संभव सहायता देने की बात कही गई थी। दोनों पक्षों ने भारत – म्यांमार परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी) के तहत अपने–अपने नोडल बिंदुओं के बारे में सूचना का आदान–प्रदान भी किया। भारत और म्यांमार

के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले सीमित बैठक भी की।

11.29 भारत और म्यांमार के बीच गृह सचिव स्तर की राष्ट्रीय स्तर की 17 वीं बैठक दिनांक 19.01.2012 से 20.01.2012 तक न्ये प्यई टॉ, म्यांमार में हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल, म्यांमार के केन्द्रीय गृह मंत्री से मिला और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के बाद प्रथम उप–राष्ट्रपति, म्यांमार से मिला। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने भारत–म्यांमार सीमा के साथ–साथ आई आई जी की मौजूदगी, आसूचना का आदान–प्रदान करने और हथियारों की तस्करी होने जैसे सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाया और म्यांमार से सक्रिय सहयोग मांगा। म्यांमार इस बात पर सहमत था कि भारत में हथियार प्राप्त करने वालों का पता लगाने के लिए भारत की सहायता करने हेतु म्यांमार सुरक्षा पुलिस द्वारा पकड़े गए हथियारों की जांच–पडताल रिपोर्टों को साझा किया जाए तथा इसके स्रोत का पता लगाया जाए ताकि ऐसे अपराधियों का पता लगा कर उन्हें वापस भेजा जा सके। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत थे कि डी जी स्तर पर वर्ष में एक बार और डी डी जी स्तर पर वर्ष में दो बार ड्रग कंट्रोल एजेंसियों की वार्ता हो। जहां तक सीमा प्रबंधन मुद्दे का संबंध है, दोनों ही पक्ष सीमावर्ती खम्भों का संयुक्त निरीक्षण करने पर सहमत थे।

उच्च स्तरीय दौरे

11.30 अन्य चार रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ सीनेटर श्री मिच मैक्कोनल (आर–केंटुकी), सीनेट माइनारिटी लीडर के नेतृत्व में युनाइटेड स्टेट्स सीनेट के वरिष्ठ सीनेटरों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने परस्पर हित से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 20.04.2011 को केन्द्रीय गृह मंत्री से भेंट की।

11.31 मालदीव के गृह मंत्री महामहिम श्री हसन अफीफ के नेतृत्व में उनके प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 03.05.2011 से 07.05.2011 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने परस्पर हित के मुद्दों पर नई दिल्ली में दिनांक 05.05.2011 को केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की।

मालदीव के गृह मंत्री, श्री हसन अफीफ, केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम के साथ मुलाकात करते हुए

भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल की वियतनाम सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

11.32 जर्मनी के गृह मंत्री ने दिनांक 31.05.2011 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और परस्पर हित के मामलों पर चर्चा की।

11.33 केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 26.06.2011 से 30.06.2011 तक फ्रांस और रूस का दौरा किया और परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

11.34 परस्पर सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग देने पर चर्चा करने के लिए श्री जेरमी ब्राउनी, संसद सदस्य, राज्य मंत्री, विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय, यू के ने दिनांक 05.07.2011 को केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की।

11.35 सात सदस्यीय वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 23.09.2011 से 29.09.2011 तक भारत का दौरा किया। श्री आर. के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल और ले0 जनरल टो लैम, लोक सुरक्षा के उप–मंत्री के नेतृत्व वाले वियतनामी प्रतिनिधि मंडल के बीच दिनांक 28.09.2011 को सुरक्षा से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक हुई।

11.36 दस सदस्यीय इजराइली प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 31.10.2011 से 05.11.2011 तक भारत का दौरा किया। केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल और श्री यित्जक अहरोनोविच, लोक सुरक्षा से संबंधित मंत्री, इजराइल सरकार के नेतृत्व वाले इजराइली प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में दिनांक 01.11.2011 को हुई बैठक में सुरक्षा से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक हुई।

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम इजराइल के लोक सुरक्षा मंत्री, श्री यित्जक अहरोनोविच के साथ

11.37 दस सदस्यीय यू ए ई प्रतिनिधि ने दिनांक 22.11.2011 से 23.11.2011 तक भारत का दौरा किया। केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल और ले0 जनरल शेख सैफ बिन जैयद अल नह्यान, उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री यू ए ई सरकार के नेतृत्व वाले यू ए ई प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में दिनांक 23.11.2011 को हुई बैठक में सुरक्षा से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

11.38 श्री डेनिस रिचर्डसन ए ओ, सेक्रेटरी, विदेश कार्य और व्यापार विभाग, आस्ट्रेलिया सरकार ने सुरक्षा से संबंधित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 16.12.2011 को श्री आर. के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव से मुलाकात की।

क्षमता निर्माण

11.39 भारत और अन्य देशों के बीच विधि प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना एक अनवरत प्रक्रिया है। अप्रैल–दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के तहत नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और मंगोलिया के पुलिस कार्मिकों और सार्क सचिवालय के माध्यम से नेपाल, भूटान, और मालदीव के पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

11.40 संयुक्त राज्य की सरकार ने आतंकवाद–रोधी सहायता कार्यक्रम के तहत और एफ बी आई के माध्यम से भी भारत में और यू एस ए

में भी पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन/संचालन किया है। वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 11 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में 243 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

वैश्विक शांति

11.41 इस मंत्रालय ने वैश्विक शांति बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में सहयोग भी किया। जब कभी शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कहा जाता है, तो विभिन्न स्तर के अधिकारियों को भेजा जाता है और अनुरोध करने पर फॉर्म्ड पुलिस यूनिटों (एफ पी यू) की नियमित तैनाती की जाती है। दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, सी पी ओ और सी पी ए एफ के कुल 33 भारतीय सिवपोल (सिविलियिन पुलिस) अधिकारियों को सूडान, तिमोर, साइप्रस और लाइबेरिया में यू एन पीस कीपिंग मिशन के साथ तैनात किया गया है। इस समय यू एन पीस कीपिंग मिशन के साथ निम्नलिखित एफ पी यू को तैनात किया गया हैः

(i) कांगों में बी एस एफ और आई टी बी पी से एक–एक एफ पी यू

(ii) लाइबेरिया में सी आर पी एफ से दो एफ पी यू (01 पुरुष और 01 महिला)

(iii) हैती में सी आई एस एफ, असम राइफल्स और बी एस एफ से एक–एक एफ पी यू।

11.42 दिनांक 07.11.2011 से 16.12.2011 तक सी आर पी एफ अकादमी, गुड़गांव, हरियाणा में युनाइटेड नेशंस स्टैंडर्डाइज्ड एफ पी यू ट्रेन–द ट्रेनर कोर्स आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न देशों के 48 प्रशिक्षुओं और 12 प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर अनुसंधान कागजात तैयार करना

11.43 आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों/क्षेत्रों का अनुसंधान और नीति संबंधी विश्लेषण करने के उद्देश्य से रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आई डी एस ए), नई दिल्ली में स्थायी कार्यालय स्थापित किया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय वार्षिक व्यय का वित्तपोषण कर रहा है।

आपदा प्रबंधन

सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र (एस डी एम सी)

11.44 एन आई डी एम परिसर में स्थित सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका नामक आठ दक्षिण एशियाई देश हैं। दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम कम करने और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में योजनाएं और कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करने के लिए इस केन्द्र में इन देशों के व्यावसायिक लोग काम करते हैं। एस डी एम सी के शासकीय निकाय की दिनांक 05.09.2011 और 06.09.2011 को बैठक हुई और रोटेशन नीति के अनुसार भूटान द्वारा भारत को अध्यक्षता सौंपने के परिणामस्वरूप भारत ने बैठकों की अध्यक्षता की। एस डी एम सी ने 11

कार्यशालायें/प्रशिक्षण/विशेषज्ञ समूह की बैठकें आयोजित की जिनमें से एक–एक काठमांडू, श्री लंका और बांग्लादेश में आयोजित की गई।

भारत सरकार–यू एस ए आई डी सहायता प्राप्त आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना

11.45 आपदाओं के प्रति सुभेद्यता कम करने; और मुख्य भारतीय संस्थानों का क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से सितम्बर, 2003 में भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट (यू एस ए आई डी) के बीच आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना से संबंधित द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना का कुल मूल्य यू एस डी 4.715 मिलियन है (जिसमें प्रशिक्षण अध्ययन के लिए यू एस डी 4,20,000, उपस्कर के लिए यू एस डी 5,00,000 और तकनीकी सहायता के लिए यू एस डी 37,95,000 शामिल है)। इसके अलावा, द्विपक्षीय करार से बाहर वाले यू एस डी 2.5 मिलियन राशि के क्रियाकलाप यू एस ए आई डी द्वारा किए जाने हैं। इस प्रकार तीसरे और चौथे संशोधनात्मक करार के अनुसार कुल परियोजना आबंटन यू एस डी 7.215 मिलियन था। वर्तमान डी एम एस परियोजना के तहत चौथे संशोधनात्मक करार की अवधि दिनांक 31.03.2010 तक थी। कार्यान्वयन संबंधी रोड मैप में क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा अर्थात् इंसिडेंट कमांड सिस्टम (आई सी एस), प्रबंधन और शिक्षण प्रणाली की समीक्षा, नागरिक रक्षा, आपदा संचार के लिए आत्मवृत्त विकास, पूर्व चेतावनी संबंधी अध्ययन और रिट्रोफिटिंग परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को सहायता। डी एम एस परियोजना के लिए परियोजना अनुदान करार के पांचवें संशोधनात्मक करार के माध्यम से करार की अवधि दिनांक 31.03.2010 से 31.03.2015 तक बढ़ा दी गई है। करार की बढ़ी हुई अवधि के तहत एकीकृत आपदा जोखिम प्रशमन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षेत्र के क्रियाकलापों को शुरू किया जाना है जिसके लिए यू एस ए आई डी द्वारा विशुद्ध रूप से तकनीकी सहायता हेतु यू एस डी 5 मिलियन डालर का अंशदान किया जाएगा।

प्राकृतिक आपदाओं पर तुरंत कार्रवाई करने संबंधी सार्क करार

11.46 दिनांक 02.08.2008 से 03.08.2008 तक कोलम्बो में हुए पंद्रहवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों ने निर्णय लिया था कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समन्वित और नियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र, नई दिल्ली के तत्वावधान में प्राकृतिक आपदा तुरंत कार्रवाई तंत्र (एन डी आर आर एम) का सृजन किया जाएगा। तदनुसार, सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र ने संबंधित स्टेकहोल्डरों के एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया और सार्क देशों के लिए प्राकृतिक आपदा से संबंधित तुरंत कार्रवाई करार का प्रारूप विकसित किया।

11.47 करार का उद्देश्य सदस्य देशों में आपदा कार्रवाई के संबंध में क्षेत्रीय सहयोग को संस्थागत

बनाना है। इस करार का उद्देश्य सदस्यों के अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय अस्तित्व की हानि को न्यूनतम करने के लिए आपदाओं पर तत्काल कार्रवाई करने का क्षेत्रीय तंत्र प्रदान करना और ठोस राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से आपात आपदा पर संयुक्त कार्रवाई करना और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होने के नाते इसे देश में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय फोकल बिंदु नियुक्त किया जाएगा।

11.48 प्राकृतिक आपदाओं पर तुरंत कार्रवाई करने संबंधी सार्क करार पर मालदीव में दिनांक 10.11.2011 और 11.11.2011 को 17वें सार्क शिखर सम्मेलन में मंत्री स्तर पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तलाशी और बचाव सलाहकार ग्रुप (आई एन एस ए आर ए जी)–क्षेत्रीय ग्रुप भूकंप कार्रवाई प्रक्रिया

11.49 भारत ने आगरा में दिनांक 03.05.2011 से 06.05.2011 तक आई एन एस ए आर ए जी क्षेत्रीय ग्रुप भूकंप कार्रवाई प्रक्रिया की मेजबानी की। 20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 89 विदेशी सहभागियों और देश के अंतर्गत 110 सहभागियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच सहयोग और कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ स्थानीय आपात प्रबंधन प्राधिकरणों (एल ई एम ए) और अंतर्राष्ट्रीय ऑन–साइट परिचालन समन्वय केन्द्र (ओ एस ओ सी सी) के बीच संयुक्त अभियान की योजना बनाने के लिए आई एन एस ए एस आर ए जी के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समन्वय क्रिया पद्धति का अभ्यास करना था।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत–रूस–चीन के विशेषज्ञों की त्रि–पक्षीय बैठक

11.50 दिनांक 12.11.2010 और 13.11.2010 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई आई आर सी विशेषज्ञों की तीसरी त्रिपक्षीय बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इसरो (आई एस आर ओ) द्वारा दिनांक 24.05.2011 से 26.05.2011 तक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एन आर एस सी), हैदराबाद में ज्योस्पैशियल टेक्नोलाजी इन मानीटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ फलड एंड ड्रॉट डिजास्टर के उपयोग पर सूचना और विशेषज्ञता के आदान – प्रदान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें भारत, रूस और चीन के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भारत–रूस–चीन के विशेषज्ञों की चौथी त्रि–पक्षीय बैठक

11.51 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत रूस–चीन के विशेषज्ञों की चौथी त्रि–पक्षीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में दिनांक 07.09.2011 से 09.09.2011 तक हुई। गृह मंत्रालय, एन आई डी एम, एन डी एम ए, आई एम डी और एन आर एस सी के अधिकारियों और विशेषज्ञों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। भारत–रूस–चीन के विशेषज्ञों की पांचवीं त्रिपक्षीय

बैठक वर्ष 2012 के प्रथम अर्ध में चीन में होगी जिसके लिए कार्य योजना का प्रस्ताव किया गया है ताकि पांचवीं त्रिपक्षीय बैठक में होने वाली चर्चा के लिए प्रभावी और कुशल बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय आपात प्रबंधन तंत्र विकसित किया जा सके। कार्य योजना में बहु–पक्षीय आपात प्रबंधन तंत्र का विकास करने की परिकल्पना की गई है जिसका कार्यान्वयन करने से वैश्विक आपात प्रबंधन प्रणाली का रास्ता खुलेगा और कार्य योजना के बुनियादी और सहयोगी तत्वों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई घटनायें घटेंगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

11.52 यू एन पार्टनरशिप ऑफ एनवायरनमेंट और आपदा जोखिम प्रशमन (यू एन पी ई डी आर आर) के तत्वावधान में यू एन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से एन आई डी एम में दिनांक 12.12.2011 से 15.12.2011 तक आपदा जोखिम प्रशमन के प्रति इको–सिस्टम एप्रोच (इको डी आर आर) पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें भारत, नेपाल, भूटान के 19 सहभागियों और आई यू सी एन, यू एन ई पी, यू एन डी पी, जेनेवा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र (ए डी पी सी), बैंकाक के साथ सहयोग करके भारत में एच ओ पी ई और सी ए डी आर ई पाठ्यक्रमों का कार्यान्वयन

11.53 पी ई ई आर क्षेत्रीय आयोजन बैठक में भाग लेने के लिए मार्च, 2011 में श्री आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (डी एम), गृह मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मनीला, फिलीपींस यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई और एन डी आर एफ के लिए दो नए पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु अर्थात् हास्पिटल प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसी (एच ओ पी ई) और कम्यूनिटी एक्शन फार डिजास्टर रिस्पांस (सी ए डी आर ई) के लिए ए डी पी सी, बैंकाक द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसरण में एन डी एम ए, नई दिल्ली में दिनांक 04.08.2011 को एक बैठक आयोजित की गई ताकि भारत में दोनों पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित करने की योजना बनाई जा सके। बैठक में एन डी पी सी, बैंकाक, स्वास्थ्य मंत्रालय, एन डी एम ए, एन डी आर एफ और अन्य स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया।

यू एस ए आई डी और एन एस ई टी नेपाल के सहयोग से एन डी आर एफ के लिए एम एफ आर पाठ्यक्रम

11.54 युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट (यू एस ए आई डी) ने नेशनल सोसाइटी फॉर अर्थक्वैक टेक्नालॉजी (एन एस ई टी), नेपाल के साथ मिलकर तीसरी बटालियन एन डी आर एफ, मुंडाली, ओडिशा में निम्नलिखित प्रोग्राम फॉर एनहांसमेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस इंस्ट्रक्टर डिवेलममेंट कोर्स आयोजित किए:

(क) दिनांक 21.11.2011 से 03.12.2011 तक मेडिकल फर्स्ट रिस्पांडर (एम एफ आर) पाठ्यक्रम–1

(ख) दिनांक 06.12.2011 से 18.12.2011 तक मेडिकल फर्स्ट रिस्पांडर (एम एफ आर) पाठ्यक्रम–2

अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण जिनमें एन डी आर एफ के कार्मिकों ने भाग लिया

11.55 कलेंडर वर्ष 2011–12 के दौरान एन डी आर एफ के कुल 40 अधिकारियों/कार्मिकों ने केमिकल, बायोलाजिकल, रेडियोलाजिकल और न्यूक्लियर (सी बी आर एन) से संबंधित मामलों/भूकंप/व्यापक आपदा प्रबंधन/अंतर्राष्ट्रीय तलाशी और बचाव सलाहकारी ग्रुप (आई एन एस ए आर ए जी)/अंतर्राष्ट्रीय तलाशी और बचाव फोरम आदि से संबंधित विभिन्न विदेशी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

आपदा जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (डी आर आर पी) (2009–12)

11.56 20 मिलियन डालर (लगभग 100 करोड़ रुपए) से भारत सरकार (जी ओ आई)–यू एन डी पी डिसास्टर रिस्क रिडक्शन (डी आर आर) कार्यक्रम (2009–12) शुरू किया गया है। डी आर आर कार्यक्रम का उद्देश्य महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रदान कर केन्द्र और राज्य सरकारों की पहलों की सहायता करना है जिससे आपदा जोखिम प्रशमन के प्रयासों की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ेगी।

11.57 जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहे जोखिम सहित विभिन्न स्तरों पर आपदा जोखिम प्रशमन के क्रियाकलाप करने तथा बचाव की तैयारी करने हेतु संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में इस कार्यक्रम से सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम में दो संघटक शामिल हैं:

(i) आपदा जोखिम प्रशमन के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण

(ii) शहरी जोखिम प्रशमन।

11.58 सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण में डी आर आर कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 12.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 63 करोड़ रुपए) के परिव्यय से 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एन डी एम ए द्वारा संघटक (i) कार्यान्वित किया जा रहा है और 7.4 मिलियन अमरीकी डालर (37 करोड़ रुपए) के परिव्यय से 57 बहु–जोखिम संभावित शहरों में गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा संघटक (ii) कार्यान्वित किया जा रहा है।

--*

अध्याय – XII

महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना

12.1.1 राज्य 'पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना' आतंकवाद और नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा के सामने आ रही चुनौतियों से विशेष तौर पर निपटने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कुछ प्रमुख मदों को निधियां प्रदान की जाती हैं, उनमें ये शामिल हैंः सुरक्षित पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, आवाजाही, सुरक्षा, आधुनिक हथियारों का प्रावधान, सुरक्षा/निगरानी/संचार/विधि–विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि की सुनिश्चितता ।

12.1.2 राज्यों को 'क' और 'ख' श्रेणी के अन्तर्गत क्रमशः 100% और 75% केंद्रीय वित्तपोषण वाले राज्यों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा आठ पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को 'क' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष 19 राज्य 'ख' श्रेणी में आते हैं। इस योजना का निर्माण, आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या का सामना कर रहे राज्यों पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित किए जाने सहित पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के उद्देश्य से किया गया है।

12.1.3 इस योजना में नक्सलवाद से प्रभावित 76 जिलों में प्रारम्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये प्रति प्रभावित जिला प्रति वर्ष की दर से पुलिस अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए विशेष संघटक को भी शामिल किया गया था। इसी तरह, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं अर्थात भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं पर स्थित 30 जिलों के लिए प्रारम्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपये प्रति जिला प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है।

12.1.4 पिछले 11 वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि
1	2000–01	1,000.00
2	2001–02	1,000.00
3	2002–03	695.00
4	2003–04	705.27
5	2004–05	960.00
6	2005–06	1,025.00
7	2006–07	1,065.22
8	2007–08	1,248.70
9	2008–09	1,157.64
10	2009–10	1,230.00
11	2010–11	1,224.63

12.1.5 वर्ष 2010–11 में समाप्त हुई यह योजना एक और वर्ष के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2011–12 तक बढ़ा दी गई है। बजट अनुमान 2011–12 और अनुदान मागों से संबंधित प्रथम अनुपूरक में इस योजना के अन्तर्गत 1,111 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

12.1.6 वर्ष 2011–12 के लिए राज्यों की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किए जाने की प्रक्रिया मंत्रालय में पहले ही शुरू कर दी गई थी। वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं राज्यों से 17.01.2011 तक आमंत्रित की गई थीं। इन कार्य योजनाओं पर जुलाई–अगस्त, 2011 के बीच हुई बैठकों में मंत्रालय द्वारा विचार किया गया तथा कुछ आशोधनों के साथ इन्हें 'सिद्धान्त रूप में' अनुमोदित किया गया। विभिन्न राज्यों द्वारा भेजी गई संशोधित कार्य योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। राज्यों को निधियां भी जारी की गई हैं।

उद्देश्य

12.1.7 इस योजना का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2000 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) द्वारा किए गए अध्ययन में पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में पहचान की गई विभिन्न कमियों को दूर करना है। इस योजना का दूसरा उद्देश्य, राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके और अपेक्षित प्रशिक्षण देकर आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों की सेना और केंद्रीय अर्ध–सैनिक बलों पर निर्भरता कम करना है। इस योजना में सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण, पुलिस थानों को आवाजाही के अपेक्षित साधनों की उपलब्धता, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, विधि–विज्ञान स्थापना, आवास आदि उपलब्ध कराके पुलिस आधारभूत संरचना को विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है।

योजना का प्रभाव

12.1.8 इस योजना का सभी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है और इससे पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अत्यधिक जरूरी सहायता और गति मिली है। उदाहरण के लिए अपेक्षित सुविधाओं से परिपूर्ण पुलिस थानों/बाह्य चौकियों के लिए उचित भवनों में सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराया गया है, पुलिस कार्मिकों के लिए आवासों के निर्माण और आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता ने, विशेष रूप से उग्रवाद प्रभावित

क्षेत्रों में, उनके मनोबल में काफी वृद्धि की है। निश्चित स्तर पर वाहनों की संवर्धित उपलब्धता से आवाजाही में सुधार हुआ है और कार्रवाई करने के समय में कमी आई है।

बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था

12.1.9 वर्ष 2005–06 में राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत बड़े (मेगा) शहरों की पुलिस व्यवस्था(एम सी पी) की एक नवीन अवधारणा शुरू की गई थी जिसमें सात शहर अर्थात मुंबई, बेंगलूर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल हैं। संबंधित राज्यों को अपनी वार्षिक योजनाओं में महानगरीय पुलिस व्यवस्था को शामिल करना होता है। इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्यों की एम पी एफ योजना के अभिन्न संघटक के रूप में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था के विशिष्ट समस्या वाले क्षेत्रों के संबंध में किए गए अध्ययन के आधार पर योजना बनाई जानी होती है जिसमें जनसांख्यिकीय विकास की प्रवृति, बड़े शहरी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था के संबंध में सामने आ रही विशेष कठिनाइयों और अपराध जांच–पड़ताल, यातायात प्रबंधन, आधुनिक नियंत्रण कक्ष से संबंधित उपलब्ध आधारभूत संरचना, डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग, संचार प्रणाली, पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन नेटवर्क आदि से संबंधित अध्ययन शामिल हैं। इस योजना के एक भाग के रूप में बड़े शहरों को आधुनिक और नवीन उपस्कर आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। (दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्रों की एक अलग योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है)।

रेगिस्तान की पुलिस व्यवस्था

12.1.10 रेगिस्तान क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था भी एक नई अवधारणा है जिसे पुलिस आधुनिकीकरण योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 2005–06 से प्रारंभ किया गया है। रेगिस्तानी क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य मुख्यतः गुजरात और राजस्थान राज्यों में वृहत और छितरे हुए रेगिस्तानी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था से संबंधित समस्या को दूर करना है। जनसांख्यिकीय वितरण को ध्यान में रखते हुए जांच–पड़ताल, आवाजाही और संचार से संबंधित समस्याओं पर रेगिस्तान की पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत जोर दिया जाता है। इस घटक के व्यय को संबंधित राज्यों की एम पी एफ योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई निधि से वहन किया जाता है।

विशेष शाखाओं का सुदृढ़ीकरण

12.1.11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष शाखाओं/आसूचना तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने एम पी एफ के अन्तर्गत आबंटित कुल निधि का 5% तक उनकी विशेष शाखाओं को आधुनिक उपकरणों, संचार के लिए यांत्रिक उपकरणों से सुदृढ़ करने के लिए निर्धारित करने पर जोर दिया है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राज्य अपने संसाधनों से विशेष शाखाओं में मानव शक्ति में समुचित रूप से बढ़ोत्तरी करने की कार्रवाई करें। जैसा कि विगत वित्त वर्ष में किया गया था, उसी प्रकार सभी राज्यों को यह सलाह दी गई कि वे वर्ष 2011–12 के लिए भी एम पी एफ आबंटन का 5% तक अपनी विशेष शाखाओं को सुदृढ़ करने के लिए नियत करें।

योजना का अनुवीक्षण तंत्र

12.1.12 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने योजना की क्षमता का आकलन करने के लिए 16 राज्यों में वैयक्तिक निष्पादन लेखा–परीक्षा समीक्षाओं के माध्यम से एक व्यापक लेखा परीक्षा करने का कार्य प्रारंभ किया है। सी एंड ए जी ने गृह मंत्रालय को "भारत में पुलिस बल की आधुनिकीकरण की लेखा परीक्षा मूल्यांकन–निष्पादन लेखा परीक्षा समीक्षा का सार संग्रह–जनवरी, 2009" नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 16 राज्यों की रिपोर्टें हैं। इस रिपोर्ट में सी एंड ए जी ने यह संस्तुति की है कि गृह मंत्रालय को इस योजना के अन्तर्गत मंजूर और जारी की गई निधियों के समयबद्ध और उपयुक्त इस्तेमाल का अनुवीक्षण करने के लिए कोई व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तदनुसार, मंत्रालय में एम पी एफ योजना की समवर्ती लेखा परीक्षा प्रारंभ की गई है जो मार्च, 2009 से प्रभावी है। वर्ष 2010–11 की सभी तिमाहियों के लिए एमपीएफ योजना की निधियों की तिमाही समवर्ती लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है और लेखा परीक्षा रिपोर्टें, संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क पद्धति (सी सी टी एन एस)

12.2.1 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग पद्धति, गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सही समय पर अपराध एवं अपराधी की सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए देश के 28 राज्यों एवं 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों एवं लगभग 6,000 बड़े कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत पद्धति एवं एक राष्ट्र व्यापी नेटवर्क सोल्यूशन सृजित करना है। यह परियोजना XI वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई है।

12.2.2 इस परियोजना की संकल्पना 'केन्द्रीकृत आयोजना एवं विकेंद्रित कार्यान्वयन' के सिद्धांत के आधार पर की गई है। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी ए एस) को केंद्रीय स्तर पर सामान्य परिभाषाओं, योजना एवं विनिर्देशों के साथ विकसित किया जा रहा है जिसे राज्य विशेष की जरूरत के अनुरूप बनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। तथापि, ऐसे राज्यों, जिनको उनके मौजूदा एप्लीकेशनों को चलाते रहने की अनुमति दी गई है, को सी ए एस के साथ सूचना के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए उनके मौजूदा साफ्टवेयर को अनुरूप बनाना होता है।

12.2.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण प्रचालनात्मक स्वतंत्रता है। कार्यान्वयन कई सेवाओं के जरिए किया जाता है जिसमें सिस्टम इन्टीग्रेटर एजेंसी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राज्य स्तरीय करारों द्वारा यथापरिभाषित सभी आवश्यक सेवाएँ कार्यान्वित करती है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों के साथ एक सुदृढ़ शासन तंत्र भी सी सी टी

एन एस परियोजना के भाग के रूप में राज्य में सृजित किया गया है।

सी सी टी एन एस के उद्देश्य

12.2.4 सी सी टी एन एस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

क) पुलिस स्टेशनों के स्तर पर और विभिन्न स्तरों पर अन्य पुलिस कार्यालयों की प्रक्रिया एवं कार्यों को स्वचालित करके पुलिस कार्यक्रम को नागरिक हितैषी, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी एवं दक्ष बनाना।

ख) सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से नागरिक–केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के कार्य में सुधार लाना।

ग) जाँच अधिकारी द्वारा अपराध की जाँच–पड़ताल करने एवं अपराधियों का पता लगाने के कार्य को तेज एवं और अधिक सही करने के लिए उनको साधन, प्रौद्योगिकी एवं सूचना उपलब्ध कराना।

घ) कानून एवं व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, संगठित अपराधों को रोकने, संसाधन प्रबंधन आदि जैसे अन्य विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस कार्यकरण में सुधार करना।

ड.) भारत सरकार स्तर सहित पुलिस स्टेशनों, जिलों, राज्य मुख्यालयों एवं अन्य संगठनों/एजेंसियों के स्तर पर सूचना संग्रहण, संचयन, पुनः प्राप्ति, विश्लेषण, अंतरण एवं आदान–प्रदान कार्य को सुगम बनाना।

च) पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को समर्थ बनाना ।

छ) न्यायालयों में मामलों की प्रगति सहित अपराध एवं आपराधिक जाँच–पड़ताल एवं अभियोजन के मामलों की प्रगति का पता रखना।

ज) रिकार्ड रखने के मैनुअल एवं अनावश्यक तरीके में कमी करना।

12.2.5 सी सी टी एन एस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को आनलाइन सेवाएँ प्रदान करना है। इसकी संकेतात्मक सूची निम्नलिखित हैं:–

क) संबंधित पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करना/उनको सूचना प्रदान करना।

ख) पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत या दर्ज किए गए मामले की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

ग) प्राथमिकियों, शव–परीक्षा रिपोर्टों एवं अन्य अनुमेय दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करना।

घ) गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों एवं उनके गैर–कानूनी क्रियाकलापों आदि के ब्यौरे।

ड.) लापता/अपहृत व्यक्तियों के ब्यौरे एवं गिरफ्तार किए गए, बिना पहचान किए गए व्यक्तियों एवं शवों से उनका मिलान करना।

च) चोरी/बरामद किए गए वाहनों, शस्त्रों एवं अन्य संपत्तियों के ब्यौरे।

छ) विभिन्न बेबाकी प्रमाण पत्रों, स्वीकृतियों एवं अनुमतियों को जारी करने/उनके नवीकरण हेतु अनुरोध भेजना तथा ऐसे अनुरोधों की स्थिति की आनलाइन सूचना प्रदान करना।

ज) नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरणों आदि हेतु अनुरोधों का सत्यापन करना।

झ) सूचना का आदान–प्रदान एवं अपेक्षित फार्मों/प्रमाण पत्रों आदि को डाउनलोड करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए पोर्टल।

वर्तमान स्थिति

12.2.6 निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ परियोजना की वर्तमान प्रगति की स्थिति को दर्शाती हैं:–

क) यह परियोजना एक ठोस शासन ढांचा और निधियों को जारी करने, मानीटरिंग एवं समन्वय, परियोजना प्रबंधन एवं परियोजना कार्यान्वयन हेतु तंत्र की स्थापना के साथ शुरू हुई।

ख) केंद्रीय स्तर पर साफ्टवेयर विकास एजेंसियों द्वारा कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी ए एस) विकसित किया गया है और उसको परखा जा रहा है। सी ए एस को केंद्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर कार्यान्वित किया जाएगा ताकि सी सी टी एन एस परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार अपराध एवं अपराधी की ट्रैकिंग के लिए सूचना का आदान–प्रदान किया जा सके। सी ए एस को आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जाएगा और सिस्टम इन्टीग्रेटर एजेन्सियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा।

ग) राष्ट्रव्यापी नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी सोल्यूशन, नेटवर्क सोल्यूशन प्रदाता द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए तैयारी सर्वेक्षण इस समय किया जा रहा है। दिनांक 15.03.2012 की स्थिति के अनुसार इसे 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पूरा कर लिया गया है।

घ) राष्ट्रीय डाटा सेंटर एवं आपदा बचाव स्थल (साइट) के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को चालू करने का कार्य उन्नत स्तर पर है। सी ए एस की तैनाती एस टी क्यू सी द्वारा सॉफ्टवेयर के प्रमाणीकरण के पश्चात होगी।

ड.) 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिस्टम इंटीग्रेटरों को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेष राज्य अंतिम रूप दिए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

च) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रशिक्षण संस्थानों के क्षमता निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में परियोजना आरंभ करने संबंधी क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया है।

12.2.7 प्रमुख उपलब्धियाँ

जून–जुलाई 2010

(i) मैसर्स विप्रो लिमिटेड की केन्द्र में साफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्ति।

अगस्त 2010–सितंबर 2010

(i) आवश्यकता एकत्रीकरण अभ्यास। दस (10) राज्यों में विस्तृत अध्ययन।

(ii) सी सी टी एन एस परियोजना की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन यूनिट के रूप में मैसर्स प्राइसवाटरहाउस कूपर्स की नियुक्ति।

(iii) सी सी टी एन एस परियोजना के नेटवर्किंग एवं कनेक्टिविटी सोल्यूशन के विकास के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन अध्ययन।

(iv) राज्य परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करना।

(v) क्षमता निर्माण के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

(vi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बुनियादी आई टी जागरूकता प्रशिक्षण शुरू करना।

अक्टूबर–दिसंबर 2010

(i) सम्मेलन कक्ष पाइलट्स एवं सिस्टम की आवश्यकता से संबंधित विनिर्देश डेलीवरेबल्स।

(ii) सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साँचा (टेम्पलेट) जारी करना (प्रस्ताव के लिए अनुरोध)।

(iii) कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर की डिजाइन के लिए प्रक्रिया परिवर्तन रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण पद्धति रिपोर्ट।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पी आई एम रिपोर्टों का गृह मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन।

जनवरी 2011–मार्च 2011

(i) गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आबंटन।

(ii) सिस्टम की आवश्यकता संबंधी विनिर्देश प्रलेख को अंतिम रूप देना।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन की प्रक्रिया शुरू करना।

(iv) सी सी टी एन एस परियोजना के लिए नेटवर्किंग एवं कनेक्टिविटी सोल्यूशन को अंतिम रूप देना।

(v) सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन के लिए आर एफ पी तैयार करना।

अप्रैल 2011–जून 2011

(i) कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास शुरू करना।

(ii) सिस्टम इन्टीग्रेटरों के चयन के लिए आर एफ पी की तैयारी।

जुलाई 2011–सितंबर 2011

(i) सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया।

(ii) राष्ट्रीय डाटा सेंटर एवं डी आर (आपदा बचाव) स्थल को चालू करना।

(iii) सी ए एस के प्रमाणन के लिए बोर्ड पर एस टी क्यू सी (मानकीकरण, जाँच परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन)।

(iv) नेटवर्किंग एवं कनेक्टिविटी सोल्यूशन स्थापित करने के लिए बी एस एन एल द्वारा तैयारी सर्वेक्षण।

अक्टूबर, 2011–दिसम्बर, 2011

(i) कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एन सी आर बी एवं बी एस एन एल के बीच हस्ताक्षर किए गए।

(ii) सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन के लिए आर एफ पी जारी की गई है जिनमें से 07 ने संविदाएँ हस्ताक्षरित कर दी हैं जबकि 09 ने हित पत्र जारी किए हैं।

निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005

12.3.1 भारतीय और विदेशी, दोनों ही प्रकार की निजी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को जनहित में विनियमित करने के उद्देश्य से 'निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005' भारत के राजपत्र में दिनांक 23 जून, 2005 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम 15.03.2006 से प्रभावी हो गया है।

12.3.2 इन सुरक्षा एजेंसियों को अपना कारोबार चलाने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए लाइसेंस मंजूर किए जाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत एक नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति करनी है।

12.3.3 केंद्र सरकार ने "निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय मॉडल नियमावली, 2006" बनाई जिसे दिनांक 26.04.2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इन नियमों को राज्य सरकारों के पास मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है ताकि वे केंद्रीय मॉडल नियम के अनुरूप अपने नियम बना सकें। केवल मणिपुर, झारखंड, मध्यप्रदेश राज्यों एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अपने नियम अभी तक नहीं है।

पुलिस सुधार

12.4.1 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य समितियों (2004) की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की थी । वर्ष 2005 में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने 49 सिफारिशें कीं जिन्हें तत्काल कार्यान्वित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेजा गया। सरकार, पुलिस सुधार संबंधी उक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहती रही है।

12.4.2 मंत्रालय ने मॉडल पुलिस अधिनियम तैयार करने के लिए जाने–माने न्यायविद् श्री सोली सोराबजी की अध्यक्षता वाली एक समिति भी

गठित की जिसकी सहायता पुलिस अधिकारियों, प्रशासकों एवं सिविल सोसायटी द्वारा की गई। मॉडल पुलिस अधिनियम वर्ष 2006 में बनाया गया जिसके आधार पर 14 राज्यों ने अपना पुलिस अधिनियम अधिनियमित किया है।

12.4.3 इसी बीच भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार से संबंधित अनेक मुद्दों पर प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की रिट पेटिशन (सिविल) सं. 1996 की 310 में 22.09.2006 को एक आदेश भी पारित किया है। उक्त निर्णय में न्यायालय ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को 31.12.2006 तक यथानिदेशित तंत्र स्थापित करने और इसके अनुपालन के हलफनामे 03.01.2007 तक फाइल करने के लिए कुछ निदेश दिये थे। इन निदेशों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल थेः–

(i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति या सोराबजी समिति द्वारा संस्तुत किसी भी मॉडल पर राज्य सुरक्षा आयोग गठित करना।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उस रैंक में पदोन्नति के लिए पैनलबद्ध विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक का चयन राज्य पुलिस महानिदेशक के रूप में करना और एक बार चयनित हो जाने पर उसे उसकी अधिवर्षिता की तारीख पर ध्यान दिए बिना कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल प्रदान करना।

(iii) परिचालनात्मक डयूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों को न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल देना।

(iv) कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस को जांचकर्ता पुलिस से पृथक करना, इसे दस लाख या अधिक की आबादी वाले शहरों/शहरी क्षेत्रों से शुरू करके धीरे–धीरे छोटे शहरों/शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करना।

(v) राज्य स्तर पर, अन्य बातों के साथ–साथ, पुलिस उपाधीक्षक एवं उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों के सभी स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों का निर्धारण करने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित करना।

(vi) पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाना।

12.4.4 मामले की सुनवाई विभिन्न तारीखों पर उत्तरोत्तर की गई। इसकी अंतिम सुनवाई दिनांक 16.05.2008 को हुई जब दिनांक 22.09.2006 के अपने निर्णय में पहले दिए गए विभिन्न निदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के टी थामस की अध्यक्षता और अन्य दो सदस्यों की एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथानिदेशित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थेः–

(i) वास्तविक तथ्यों के संदर्भ में न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दायर किए गए शपथ पत्रों की जांच करना।

(ii) न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में कोई कमी होने पर कार्यान्वयन में प्रतिवादियों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर विचार करने के बाद प्रतिवादी को सलाह देना।

(iii) किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित विशिष्ट अवस्थाओं के मद्देनजर प्रतिवादी को हो रही किसी उचित कठिनाई को न्यायालय के नोटिस में लाना।

(iv) पुलिस के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए उन नए विधानों की जांच यह देखने के लिए करना कि क्या वे माननीय न्यायालय के निदेशों के अक्षरशः अनुपालन में बनाए गए हैं।

(v) किसी भी प्रतिवादी की ओर से की गई अनावश्यक आपत्ति अथवा विलंब से न्यायालय को अवगत कराना ताकि प्रतिवादी के खिलाफ समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

(vi) इसके अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक छह माह में माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करना।

12.4.5 समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 04.10.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही परिचालित कर दी गई है। अब यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

नेशनल पुलिस मिशन (एन पी एम)–इसके अधीन माइक्रो मिशन की स्थापना

12.5.1 पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन (06.10.2005) में अपने सम्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा एक पुलिस मिशन स्थापित किए जाने के आशय की घोषणा की । यह राष्ट्रीय पुलिस मिशन (एनपीएम) देश में पुलिस बलों को आवश्यक सामग्री, बौद्धिक और संगठनात्मक संसाधनों से युक्त करके उन्हें आतंरिक सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में परिवर्तित करेगा।

12.5.2 एक टू–टायर सिस्टम बनाया गया है जिसमें गृह मंत्री की अध्यक्षता में शक्ति सम्पन्न संचालन ग्रुप (ई एस जी) और इसके अधीन गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (ई सी) गठित की गई है।

12.5.3 एन पी एम के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निम्नलिखित छह माइक्रो मिशन स्थापित किए गए हैं:–

(i) **माइक्रो मिशनः 01 मानव संसाधन विकास**

(पुलिस जनसंख्या अनुपात–कैरियर में उन्नति–नेतृत्व–जवाबदेही–निष्पादन

मूल्यांकन–प्रशिक्षण–व्यवहार परिवर्तन, पुलिसकर्मियों का कल्याण–पुलिस विश्वविद्यालय आदि)

(ii) **माइक्रो मिशनः 02 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**

समुदाय को पुलिस व्यवस्था में शामिल करना–मीडिया, उद्योग तथा अन्य संगत क्षेत्रों के साथ पुलिस का परस्पर सम्पर्क–पुलिस की छवि आदि)

(iii) **माइक्रो मिशनः 03 संचार एवं प्रौद्योगिकी**

(पोलनेट–सीपा–साइबर तकनीक फॉरेंसिक साइन्स–डी एन ए–नारको एनालिसिस आदि)

(iv) **माइक्रो मिशनः 04 अवसंरचना**

(भवन–कार्यालयी एवं आवासीय–उपकरण तथा हथियार आदि)

(v) **माइक्रो मिशनः 05 नई प्रक्रियाएं (प्रक्रिया इंजीनियरी)**

(इस समय चल रही पुलिस प्रथायें–समीक्षा एवं परिणाम का विश्लेषण–विद्यमान बेहतर प्रथायें–भारत में एवं अन्यत्र नवोन्मेष तथा उनका अपनाया जाना–प्राप्ति की प्रक्रिया–प्रत्यायोजन एवं विकेन्द्रीकरण आदि)

(vi) **माइक्रो मिशनः 06 उपचारात्मक पुलिस व्यवस्था तथा भावी चुनौतियों का अनुमान लगाया जाना**

(उग्रवाद एवं नक्सलवाद–उत्तेजित भीड़ की हिंसा–साइबर अपराध–मनी लांडरिंग–नार्को– आतंकवाद–मानव तस्करी, आदि)।

12.5.4 माइक्रो मिशनों ने एन पी एम के अन्तर्गत विचार किए जाने के लिए 11 विशिष्ट परियोजनाओं की सिफारिश की है। एम एम की निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित की गई हैंः–

(i) **सामुदायिक परामर्श केंद्र (सी सी सी)**

यह परियोजना फिक्की के सहयोग से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी पी पी) मोड में है। प्रारंभ में इसे राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और ओडिशा में कुल पाँच सी सी सी स्थापित करने का प्रस्ताव था। तथापि, फिक्की, प्रायोजक प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और अब तक केवल तीन सी सी सी के लिए ही संबंध स्थापित किया जा सका है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और दिल्ली के साथ हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही है। मुम्बई पुलिस ने इस आधार पर सी सी सी स्थापित करने से मना कर दिया है कि वे पहले से ही सी सी सी चला रहे हैं।

(ii) **पुलिस कार्मिकों के लिए साफ्ट कौशल प्रशिक्षण माड्यूल**

सार्वजनिक–निजी भागीदारी में प्रायोगिक कार्य करने के लिए पंजाब एवं दिल्ली राज्यों की पहचान की गई है। एम डी आई गुडगाँव द्वारा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता का विश्लेषण किया गया है। फिक्की ने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में जी4एस को अभिहित किया है। पंजाब में प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए

जा रहे हैं। उप–निरीक्षकों एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल एवं सहायक उप निरीक्षकों के लिए 3 दिवसीय मॉड्यूल की परिकल्पना की गई है। पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में दिसंबर, 2010 में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक लुधियाना में 3 टी ओ टी एवं 7 नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा 250 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। दिल्ली पुलिस के 37 पुलिस कार्मिकों के लिए सॉफ्ट कौशल कार्यक्रम (दूसरा प्रायोगिक कार्यक्रम) 26.07.2011 से 28.07.2011 तक आयोजित किया गया। लुधियाना के पुलिस स्टेशनों में शत– प्रतिशत कवरेज के बाद एक प्रभाव अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

(iii) पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टीआरपी)

केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को टी आर पी कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है। बी पी आर एवं डी ने परियोजना की सी डी सहित पत्र भी सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को भेजा है। प्रगति की जाँच करने के लिए एक मानीटरिंग प्रारूप (प्रोफार्मा) भी तैयार किया गया है। कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 13.04.2011 को बी पी आर एवं डी में एक कार्याशाला आयोजित की गई जिसमें बी एस एफ, आई टी बी पी, सी आर पी एफ, सी आई एस एफ, एस एस बी, आई बी एवं आर पी एफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान प्रयुक्त तकनीकी उपकरणों, उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित कार्य करने वाले 15 वैंडरों द्वारा दी गई प्रस्तुति को देखने के लिए बी पी आर एवं डी में 02–03.08.2011 को टी आर पी पर एक बैठक आयोजित की गई। बी पी आर एवं डी ने वैंडरों की सूची राज्यों को संप्रेषित कर दी। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ अन्य बैठक बी पी आर एवं डी में दिनांक 30.09.2011 को आयोजित की गई।

(iv) घटना के प्रति प्रभावकारी कार्रवाई हेतु डायल 100 के लिए भारतीय पुलिस की जरूरतें

इसका प्रयोजन आधुनिक नियंत्रण कक्ष, कंप्यूटरीकृत प्रेषण, जी पी एस से लैस वाहन आदि प्रदान करके सक्रिय पुलिस कार्रवाई प्रबंधन शुरू करना है। चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर एवं गुवाहाटी को प्रायोगिक कार्यक्रमों के लिए चुना गया। हैदराबाद के लिए एक प्रारूप परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक यू एस आधारित कंपनी ओ एस टी को कार्य सौंपा गया है। ओ एस टी के प्रतिनिधियों ने दिनांक 17.06.2011 को बी पी आर एवं डी के समक्ष प्रस्तुति दी। एकीकृत आपातकालीन संप्रेषण प्रणालियाँ (आई ई सी एस) संकल्पनात्मक डिजाइन ब्रीफिंग पर ओ एस टी की प्रस्तुति को देखने के लिए 02.09.2011 को पुलिस मुख्यालय, हैदराबाद में विभिन्न हितधारकों की बैठक आयोजित की गई।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

12.6.1 कारागार प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार

करने और कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र की सम्पूर्ण वित्तीय सहायता से चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा, पुलिस कार्मिकों, डाक्टरों आदि के लिए भी विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

12.6.2 इसके अलावा, वेल्लूर, तमिलनाडु में भी क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (रीका), जिसका नामकरण कारागार और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (एपीसीए) के रूप में किया गया है, कार्य कर रहा है। उक्त अकादमी को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने संस्थान की स्थापना के लिए एक बारगी अनुदान उपलब्ध कराया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी से कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने 1.55 करोड़ रुपए तक का एक बारगी अनुदान प्रदान किया है।

12.6.3 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) भी कारागार प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

कैदी प्रत्यार्वतन अधिनियम, 2003

12.7.1 कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 भारत सरकार द्वारा भारतीय जेलों में कैद विदेशी राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन और विदेशी जेलों में कैद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि वे अपनी बाकी सजा अपने–अपने देशों में काट सकें। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दूसरे देशों के साथ संधि/करार पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

12.7.2 भारत सरकार ने अभी तक यूनाइटेड किंगडम, मारीशस, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और साउदी अरब सरकार के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, इजराइल, ब्राजील, इटली, तुर्की एवं बोस्निया एवं हर्जेगोविना की सरकारों के साथ भी बातचीत पूरी हो गई है। भारत, विदेश में आपराधिक सजा देने संबंधी भारत–अमरीकी अभिसमय पर भी हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है जिसमें पहले ही कई देश हैं।

सुधारात्मक सेवा पदक

12.8.1 अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1980–83) ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए पदक प्रदान किए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कारागार कार्मिकों द्वारा की गई विशेष सेवा को उचित प्रकार से मान्यता देनी चाहिए। उल्लिखित सिफारिशों का श्री आर.के. कपूर

की अध्यक्षता में गठित अधिकरियों के एक दल (1986) द्वारा भी समर्थन किया गया था।

12.8.2 इन सिफारिशों के आधार पर, गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नलिखित पदक शुरू किए गए हैं:

शौर्य पदक

(क) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम जी)

(ख) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम जी)

सेवा पदक

(क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम डी एस)

(ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम एम एस)

12.8.3 एक वर्ष में प्रदान किए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। एक वर्ष में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

12.8.4 विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय सेवा/शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक निम्नलिखित के संबंध में प्रदान किए जाते हैं:–

(i) सुधारात्मक सेवा में विशेष रूप से उत्कृष्ट रिकार्ड के लिए;

(ii) कैदियों को अत्यधिक मात्रा में दाखिल करने जैसी विशेष कठिन परिस्थितियों में सुधारात्मक सेवा आयोजित करने या प्रशासन चलाने में सफलता के लिए; और

(iii) साम्प्रदायिक दंगों का शमन करने, कैदियों को भागने से रोकने, अधिकारियों का बचाव करने, खेल भावना, लोक कार्य और सक्षमता सहित अनुकरणीय सेवा की छाप छोड़ने, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा, वफादारी, अनुशासनबद्धता और त्याग की भावना के संबंध में उत्कृष्ट योग्यता के लिए।

12.8.5 शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम जी) और शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम जी), किसी कैदी को गिरफ्तार करने अथवा उनको भागने से रोकने में विशिष्ट/असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्वों एवं कर्तव्यों तथा पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए असाधारण कार्य से किया जाता है।

12.8.6 वर्ष 2011 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा मेडल, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा मेडल, वीरता के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा मेडल (पी सी एस एम जी) और वीरता के लिए सुधारात्मक सेवा मेडल (सी एस एम जी) श्रेणी में 16 मेडल पुरस्कृत किए गए हैं।

सुधारात्मक प्रशासन के बारे में परामर्श

12.8.7 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कारागार प्रशासन के बारे में वर्ष 2011 के दौरान निम्नलिखित परामर्श जारी किए गए हैं:

(i) कारागारों में गैर सरकारी आगन्तुकों की नियुक्ति

(ii) कारागारों में भीड़–भाड़

(iii) कैदियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देशों के बारे में परामर्श।

राज्य विधायन

12.9.1 एक नोडल मंत्रालय के रूप में गृह मंत्रालय को सरकार का अनुमोदन अथवा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायी प्रस्तावों पर संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत आने वाले विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन के लिए विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 के परंतुक के अंतर्गत अध्यादेश तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विनियमन (संविधान की पांचवीं अनुसूची) इस श्रेणी में आते हैं।

12.9.2 विधायी प्रस्तावों के शीघ्र अनुमोदन के लिए, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके उनकी जांच की जाती है। मुद्दों का टेबल पर बैठकर समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/मंजूरी को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकों के माध्यम से स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

12.9.3 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 के दौरान भारत सरकार/भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन/ सहमति के लिए गृह मंत्रालय को 36 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नवत हैः–

क्र. सं.	विवरण	संख्या
I	**संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ और स्वीकृति वाले विधेयक**	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक	13
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश सहित राज्य सरकार को लौटाए गए विधेयक	01
	(iii) विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा रोकी गई स्वीकृति	01
II	**संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों के लिए अध्यादेश**	
	(i) बंद किए गए अध्यादेश	01
	(ii) लौटाए गए अध्यादेश	08
III	**संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी वाले विधेयक**	–
	कुल	**24***

* इसमें 01.04.2011 से पूर्व प्राप्त विधायी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

12.9.4 गृह मंत्रालय भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दया, परिहार एवं क्षमा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को दी गई याचिकाओं; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 188 के अधीन अभियोजन के लिए स्वीकृति और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के अधीन मामले वापस लेने के कानूनी पहलुओं से जुड़ा हुआ है।

दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

12.10.1 कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डा. (न्यायमूर्ति) वी.एस. मालीमथ की अध्यक्षता में गठित दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट 21.04.2003 को सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए 158 सिफारिशें की हैं।

12.10.2 प्रशासनिक उपायों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों को परामर्शी–पत्र जारी किए गए थे।

12.10.3 उन सिफारिशों के संबंध में, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया जाना अपेक्षित है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं क्योंकि आपराधिक कानून और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उनके विचार प्राप्त हो गए हैं और अन्य राज्यों द्वारा अभी अपनी टिप्पणियां भेजी जानी हैं।

दांडिक न्याय प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा

12.11.1 दांडिक न्याय प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए प्रो. एन.आर.माधव मेनन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 01.08.2007 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । चूंकि दांडिक न्याय प्रणाली, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है और सिफारिशों का निहितार्थ बहुत व्यापक हो सकता है, इसलिए रिपोर्ट को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों को उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए भेजा गया था। अन्तिम निर्णय उनकी टिप्पणियों की प्राप्ति के पश्चात लिया जाएगा।

12.11.2 गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 की जांच करते हुए सिफारिश की कि दांडिक न्याय प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए। समिति ने देश में दांडिक न्याय प्रणाली को पुनः स्थापित करने के लिए विधायन का संयुक्त

प्रारूप पुरः स्थापित किए जाने की भी सिफारिश की। स्थायी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने विधि और न्याय मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक वर्ष के भीतर इसकी जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए विधि आयोग से अनुरोध करे ताकि विभिन्न कानूनों अर्थात् आई पी सी, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि में विस्तृत संशोधन किए जा सकें। इस संबंध में विधि आयोग, अन्य बातों के साथ–साथ, मालीमथ समिति, माधव मेनन समिति और अन्य आयोगों/समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को भी ध्यान में रख सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका के मामले

12.12 मृत्यु दंड के दोषी 9 अभियुक्तों की दया याचिका के छह मामलों पर दिनांक 18.02.2011 से 31.12.2011 के बीच निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

क्र. सं.	दोषसिद्ध कैदियों के नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्णय
1.	सुनील बबन पिंगले	महाराष्ट्र	भारत की राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 16.03.2011 को अनुमोदित। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने का निर्णय दिनांक 31.03.2011 को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया है।
2.	जयकुमार	मध्य प्रदेश	भारत की राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 17.03.2011 को अनुमोदित। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने का निर्णय दिनांक 23.03.2011 को मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।
3.	महेन्द्र नाथ दास	असम	भारत की राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 08.05.2011 को अनुमोदित। दया याचिका को खारिज करने का निर्णय दिनांक 12.05.2011 को असम सरकार को भेज दिया गया है।
4.	देवेन्द्र पाल सिंह	दिल्ली	भारत की राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25.05.2011 को अनुमोदित। दया याचिका को खारिज करने का निर्णय दिनांक 30.05.2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है।
5.	सत्तन और गुड्डू	उत्तर प्रदेश	भारत की राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13.07.2011 को अनुमोदित। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में

क्र. सं.	दोषसिद्ध कैदियों के नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्णय
			बदलने का निर्णय दिनांक 26.07.2011 को उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।
6.	मुर्गन, संथन और अरिवू	तमिलनाडु	भारत की राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 03.08.2011 को अनुमोदित। दया याचिका को खारिज करने का निर्णय दिनांक 12.08.2011 को तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया है।

संसद द्वारा/में पारित/प्रस्तुत किए गए विधायी प्रस्ताव

12.13.1 इस मंत्रालय के निम्नलिखित विधायी प्रस्ताव 01.04.2011 से 31.12.2011 के बीच संसद में पारित किए गए थे:–

(i) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2011

(ii) ओडिशा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011

12.13.2 इस मंत्रालय के निम्नलिखित दो विधायी प्रस्ताव राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए हैं और विचाराधीन हैं:–

(i) सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011

(ii) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011

12.13.3 इस मंत्रालय के निम्नलिखित चार विधायी प्रस्ताव लोक सभा में पुरःस्थापित किए गये हैं और विचाराधीन हैं:

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011

(ii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011

(iii) आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011

(iv) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक, 2010

--*

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

13.1 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के निपटान के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशियों के प्रवेश, यहां ठहरने और प्रस्थान करने का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश तथा आवाजाही

13.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान दो प्रमुख अधिनियमों अर्थात् विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा अभिशासित किया जाता है। जहां विदेशियों को भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं भारत में विदेशियों का ठहरना तथा उनका देश से बाहर जाना, आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

13.3 वर्ष 2011 के दौरान 64,76,111 विदेशी राष्ट्रिक भारत आए जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.12% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों में सबसे ज्यादा संख्या 10 देशों नामतः यूएसए (10,34,599) उसके बाद यू.के. (8,14,431), बंगलादेश (4,10,586), श्रीलंका (3,13,983), कनाडा (2,62,382), जर्मनी (2,60,355), फ्रांस (2,43,854), मलेशिया (2,24,286), ऑस्ट्रेलिया (1,91,591) और जापान (1,95,237) की थी जो भारत आने वाले कुल विदेशियों की 62.35% थी।

13.4 वर्ष 2010 के दौरान, विदेशियों विषयक अधिनियम के विभिन्न उल्लंघनों अथवा अन्य आप्रवासन नियंत्रण नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघनों के लिए 5,286 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए और वर्ष के दौरान 7,248 विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देश वापस भेजा गया।

पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई

13.5 वर्ष 2010 के दौरान, भारत सरकार ने 130 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 163 पाकिस्तानी मछुआरों, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी और जिनके यात्रा दस्तावेज दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा जारी किए गए थे, को प्रत्यावर्तित किया। कैलेन्डर वर्ष 2011 के दौरान, 97 अन्य

पाकिस्तानी कैदियों और 121 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया गया है।

आप्रवासन नियंत्रण

13.6 आप्रवासन, सरकार का एक महत्वपूर्ण शासकीय कार्य है जिसे आप्रवासन चेक पोस्टों (आई सी पी) के माध्यम से किया जाता है। देश में 77 आप्रवासन चेक पोस्ट (आई सी पी) हैं। कुल 77 आई सी पी में से, 16 आई सी पी आप्रवासन ब्यूरो के नियंत्रणाधीन हैं और शेष 61 आई सी पी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

13.7 वर्ष 2004–05 में शुरू किए गए 33 आप्रवासन जांच चौकियों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के कार्यक्रम में कम्प्यूटर प्रणाली का उन्नयन, आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस) का सॉफ्टवेयर स्थापित करना और (सी एफ बी) और 77 आई सी पी और 7 विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर आर ओ) के बीच नेटवर्किंग स्थापित करना शामिल था। सभी 77 आई.सी.पी. का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और सभी आप्रवासन जांच चौकियों में आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली साफ्टवेयर (आईसीएस) को चालू कर दिया गया हैं।

मिशन मोड परियोजना

13.8 गृह मंत्रालय "आप्रवासन, वीजा और विदेशियों विषयक पंजीकरण और पता लगाना (ट्रैकिंग) (आई.वी.एफ.आर.टी)" शीर्षक से एक मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सुरक्षित और एकीकृत सेवा व्यवस्था उपलब्ध कराना है जो वैध यात्रियों को सुविधाएं और सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करे। इस योजनागत स्कीम का अनुमोदित परिव्यय 1,011 करोड़ रूपये है। यह योजना वैश्विक रूप से विस्तृत है क्योंकि इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में 169 मिशन, 77 आई.सी.पी. 7 एफ.आर.आर.ओ. और राज्यों तथा जिला मुख्यालयों में स्थित विदेशी विषयक पंजीकरण कार्यालय शामिल हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावी संचार, प्रशिक्षण, और क्षमता निर्माण की सहायता से योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से (आधारभूत संरचना और संयोजकता की तैयारी के समरूप) किया जा रहा है।

13.9 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) वीजा आवेदन पत्रों का मानकीकरण कर दिया गया है। विदेश स्थित 40 भारतीय मिशनों में वीजा आवेदकों के लिए एकीकृत ऑनलाइन आवेदन सिस्टम कार्यान्वित किया गया है।

(ii) आई.वी.एफ.आर.टी. अनुपालन करने वाले भारतीय मिशनों के लिए और अधिक सुरक्षित वीजा स्टिकर लागू किए गए हैं। नए वीजा स्टिकर पर निर्माण के समय बार कोड लगाने और पहचान की जानकारी देते समय फोटो लगाने जैसे अतिरिक्त सुरक्षा चिन्ह बनाए गए हैं। पुराने स्टिकरों की तरह अप्राधिकृत प्रिंटरों द्वारा इनकी पहचान करना बहुत कठिन कार्य होगा।

(iii) दिन प्रतिदिन के प्रचालनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए मिशनों की सहायतार्थ नई दिल्ली में वीजा सहायता केन्द्र की स्थापना

की गई है। यह केन्द्र प्रतिदिन तीन पारियों (शिफ्टों) में कार्य करता है। सहायता केन्द्र बी.ओ.आई. में 22.03.2011 से प्रचालन कर रहा है जो सभी आई.सी.पी./एफ.आर.आर.ओ/एफ.आर.ओ. को प्रचालन, प्रबंधन और तकनीकी (साफ्टवेयर से संबंधित मामलों सहित) सहायता प्रदान करता है।

(iv) गृह मंत्रालय स्थित वीजा सरलीकरण केन्द्र का आधुनिकीकरण किया गया है। भारत में रह रहे और वीजा–वृद्धि अथवा वीजा–परिवर्तन चाहने वाले विदेशी नागरिक गृह मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.mha.nic.in पर अपने मिलने का समय निर्धारित कर सकते हैं।

(v) मानक एफ.आर.आर.ओ. के आवेदन फार्म को अंतिम रूप दे दिया गया है। दिल्ली, बंगलौर, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई स्थित एफ.आर.आर.ओ. में एफ.आर.आर.ओ. पंजीकरण मॉड्यूल प्रचालनात्मक हो गया है।

(vi) सभी 77 आई.सी.पी. में कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाने और आई.सी.एस. साफ्टवेयर स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है।

(vii) एन.आई.सी. ने केन्द्रीकृत उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.) के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया है जिसके अंतर्गत नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के आप्रवासन पोस्ट पर 6 हवाईअड्डों की सभी उड़ानों से संबंधित ए.पी.आई.एस. डाटा प्राप्त किया जा रहा है। दिल्ली को छोड़कर, अन्य हवाईअड्डा आई.सी.पी. से संबंधित डाटा को दिल्ली से संबंधित हवाईअड्डों को भेजा जा रहा है। अभी इस मॉड्यूल का परीक्षण किया जा रहा है।

भारतीय नागरिकता

13.10 वर्ष 2010 में 'ऑनलाइन भारतीय' नागरिकता नामक एक नई सेवा शुरू की गई थी ताकि लोग भारतीय नागरिकता की मंजूरी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकें। भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही सूचित कर दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को इस नई प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण एवं अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि 01.12.2011 से भारतीय नागरिकता की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी जाए।

भारत की विदेशी नागरिकता (ओ सी आई)

13.11 भारत सरकार ने भारत में वीजामुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने और भारत में व्यवसाय एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में आवास और भागीदारी का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड और भारतीय मूल के लोग कार्ड योजना शुरू की थी। ओ सी आई योजना दिनांक 02.12.2005 से चल रही है। आवेदन–पत्र, प्रक्रिया विवरणिका और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों

(एफ ए क्यू) संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइटः http//mha.nic.in पर उपलब्ध है। इस स्कीम के बारे में भारत में विदेशी भारतीयों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। दिनांक 09.11.2011 तक 9,73,815 व्यक्तियों को भारत की विदेशी नागरिकता का पंजीकरण (ओ सी आई) प्रदान किया गया है। दिनांक 01.01.2011 से 09.11.2011 तक की अवधि के दौरान 2,27,155 ओ सी आई पंजीकरण कार्ड जारी किए जा चुके हैं। भारत सरकार ने हाल ही में इन योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की है और ओ सी आई एवं पी आई ओ कार्ड का एकल सुविधा में विलय करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा।

विदेशी आभिदाय

13.12 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 किन्हीं संस्थानों, संघों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय को विनियमित करता है। इस अधिनियम का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय का दुरूपयोग न किया जाए अथवा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधि में न लगाया जाए। यह अधिनियम राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगे कतिपय व्यक्तियों द्वारा विदेशी आतिथ्य को स्वीकार किए जाने का विनियमन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी करता है कि वे संप्रभु जनतांत्रिक गणतंत्र जैसे भारतीय मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकें।

13.13 विदेशी अभिदाय की प्राप्ति/उपयोग को 30.04.2011 तक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया जाता था। वर्ष 2010 में, विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2006 पास करने के बाद विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 27.09.2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, पुराना अधिनियम अर्थात विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 निरस्त हो गया। 29.04.2011 को गजट अधिसूचना जारी करने के पश्चात नया अधिनियम 01.05.2011 से लागू हो गया। नए अधिनियम की धारा 48 के अधीन बनाए गए विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 को भी 29.04.2011 की अन्य गजट अधिसूचना के तहत जारी कर दिया गया था। ये नियम भी 01.05.2011 से लागू हो गए हैं। नया अधिनियम स्थगित अधिनियम का संशोधित रूप है क्योंकि इसके उपबंधों को अधिक कठोर बनाया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग को रोका जा सके।

13.14 कैलेंडर वर्ष 2011 के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन विदेशी अभिदाय लेने हेतु 309 संघों को पूर्वानुमति दी गई है और 1504 संघों का पंजीकरण किया गया है। 31.12.2011 तक कुल पंजीकृत संघों की संख्या 43,033 है। वर्ष 2009–10 के दौरान 21,508 संघों द्वारा बताई गई कुल विदेशी

अभिदाय की राशि 10,337.59 करोड़ रूपए थी। वर्ष 2010–11 में 31.12.2011 तक 14,779 संघों द्वारा प्राप्त बताई गई कुल विदेशी अभिदाय की राशि 7,810.84 करोड़ रूपये है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

13.15 मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1857 से शुरू होकर 1947 तक जारी रहा जिसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम में लाखों–करोड़ों लोगों ने भाग लिया।

13.16 भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना नामक' एक योजना शुरू की थी। स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम नामक एक नियमित योजना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदारीकृत करके इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980' कर दिया गया। 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980' की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

(i) **पात्रताः**

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं:–

(क) शहीदों के पात्र आश्रित।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 6 माह से अधिक समय के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति।

(ङ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था अथवा बेच दिया गया था।

(च) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फायरिंग अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से अपंग होने वाले व्यक्ति।

(छ) ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो।

(ज) ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 10 बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए।

(ii) **आश्रित**

इस योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति/(विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिक से अधिक तीन तक) तथा माता–पिता पात्र हैं।

(iii) **महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायत**

इस योजना में पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता का मानदंड कम से कम छह माह की अवधि की जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

13.17 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:–

(i) स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवा के लिए राजधानी में II ए सी, शताब्दी में चेयरकार और अन्य गाड़ियों में प्रथम श्रेणी/ए.सी. स्लीपर का एक साथी के साथ आजीवन निःशुल्क रेलवे पास।

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं।

(iii) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

(iv) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन की सुविधा।

(v) दिल्ली में सामान्य पूल का रिहायशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)।

(vi) जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास।

(vii) पूर्व–अंडमान स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवाएं एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा के लिए भी पात्र हैं।

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए सामान्य चयन प्रक्रिया में "स्वतंत्रता सेनानी (एफ.एफ.)" श्रेणी में 2% की दर से आरक्षण का प्रावधान।

(ix) स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं को भी प्रदान की जाती हैं।

पेंशन में वृद्धि

13.18 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दर की आवधिक समीक्षा की गई है। यह वर्ष 1972 में 200 रूपए मासिक की प्रारंभिक राशि की तुलना में विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को प्रति माह देय पेंशन और महंगाई राहत की मौजूदा दर नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	मूल पेंशन (रुपयों में)	दिनांक 01.08.2011 से 143% की दर से महंगाई राहत (रुपयों में)	पेंशन की कुल राशि (रुपयों में)
i.	पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी	7330	10482	17812
ii.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी (आई एन ए को छोड़कर)	6830	9767	16597
iii.	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए सहित)	6330	9052	15382
iv.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	वही पात्रता हैं जो संबंधित मृत स्वतंत्रता सेनानी की थी		
v.	प्रत्येक अविवाहित एवं बेरोजगार पुत्री (तीन तक)	1500	2145	3645
vi.	माता और पिता प्रत्येक को	1000	1430	2430

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

13.19 पेंशन के भुगतान के लिए वर्ष 2011–12 के लिए गृह मंत्रालय के स्वीकृत बजट अनुदान में 717 करोड़ रूपये और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास के लिए 35 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

13.20 योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2011 तक 1,71,411 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों को स्वीकृत की गई सम्मान पेंशन का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15,205
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,441
4.	बिहार	24,880
5.	झारखंड	
6.	गोवा	1,504
7.	गुजरात	3,599
8.	हरियाणा	1,688
9.	हिमाचल प्रदेश	626
10.	जम्मू और कश्मीर	1,807
11.	कर्नाटक	10,100
12.	केरल	3,373
13.	मध्य प्रदेश	3,479
14.	छत्तीसगढ़	
15.	महाराष्ट्र	17,958
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)
20.	ओडिशा	4,195
21.	पंजाब	7,026
22.	राजस्थान	814
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,119
25.	त्रिपुरा	888
26.	उत्तर प्रदेश	17,999
27.	उत्तराखंड	
28.	पश्चिम बंगाल	22,513
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	चंडीगढ़	91
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमण और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,046
35.	पुडुचेरी	318
36.	आजाद हिन्द फौज (आई एन ए)	22,468
	जोड़	**1,71,411**

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

13.21 भारत की राष्ट्रपति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 09.08.2011 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्वागत (ऐट होम) समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। देश के विभिन्न भागों से आए 126 स्वतंत्रता सेनानियों ने इस समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की।

दिनांक 09.08.2011 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित ऐट होम समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों से विचार–विमर्श करती हुईं भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

13.22 वर्ष 1985 में सीमा शिविरों में यातना भोग चुके उन कैदियों, जिन्होंने 1947–48 के दौरान भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लिया, को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी संबंधी स्कीम की पात्रता शर्तों में ढील देकर पात्र बनाया गया है। श्रॉफ समिति (वर्ष 1985 से 1996 तक) ने 98 सीमा शिविरों की सूची बनाई और लगभग 7,000 मामलों की सिफारिश की। श्रॉफ समिति द्वारा संस्तुत सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई।

13.23 सी.एच. राजेश्वर राव समिति (वर्ष 1997 से 1998 तक) ने लगभग 13,500 मामलों की सिफारिश की। जुलाई 2004 में गृह मंत्रालय ने 18 अतिरिक्त सीमा शिविरों को मान्यता प्रदान की। जनवरी, 2005 में, सरकार ने लाभभोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 (वर्ष 1985 में अनुमानित) से वृद्धि करके लगभग 15,000 करने का अनुमोदन इस शर्त पर प्रदान किया कि केवल वे ही आवेदक, पेंशन के पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 15.09.1948 तक अर्थात् हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था,। यह शर्त हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन के सभी लंबित मामलों में पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अपनाई गई है।

13.24 तथापि, ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि समिति ने बोगस दावेदारों की संस्तुति की थी जिनमें ऐसे लोग भी थे जो हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के समय पैदा भी नहीं हुए थे या फिर घुटने के बल चलते थे। महानिदेशक (सतर्कता और प्रवर्तन) द्वारा की गई जांच से यह पता चला कि अनेक बोगस दावेदारों ने झूठी सूचना और दस्तावेजों के आधार पर पेंशन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अतः, यह निर्णय लिया गया था कि सी. एच. राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत सभी मामले पुनर्सत्यापन के लिए राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे। यह निर्धारित किया गया था कि पहले से स्वीकृत मामलों सहित प्रत्येक मामले की गहराई से पुनः जांच की जाएगी और तत्पश्चात पुनः जांच के परिणामों की संवीक्षा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति करेगी और यह सुनिश्चित करते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी कि कोई भी फर्जी दावेदार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है और किसी भी उचित दावेदार को उपेक्षित नहीं किया गया है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक मामले में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे दावों की जांच करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें:—

क) आवेदक की आयु मार्च, 1947 में (अर्थात् हैदराबाद मुक्ति आंदालेन प्रारंभ होने के समय) 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए;

ख) आयु का प्रमाण, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय के प्रमाण पत्र अथवा वोटर पहचान—पत्र, 1995 की अथवा उससे पहले की मतदाता सूची जैसे सरकारी रिकार्डों पर आधारित होना चाहिए; और

ग) दावे का पुनर्सत्यापन/संपुष्टि बॉर्डर कैम्प के उस कैम्प प्रभारी से जिसने आवेदक के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया था अथवा यदि बॉर्डर कैम्प प्रभारी जीवित न हो तो आवेदक के जिले के दो केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों से कराई जाय।

13.25 हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान बॉर्डर कैंप यातनाओं को झेलने वाले व्यक्तियों से संबंधित पुनः जांच किए गए मामलों की संवीक्षा के लिए मई, 2009 में श्री बोइनापल्ली वेंकट रामाराव की अध्यक्षता में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक संवीक्षा समिति गठित की गई है। समिति ने राज्य सरकारों से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा करना शुरू कर दिया है। दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार गैर—समिति मामलों सहित 3,028 पुनः जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 1,477 समिति मामलों पर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की विशेष संवीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

13.26 गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों गंभीर यातनाएं झेली थीं, को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा गया:—

चरण—।	1946 से 1953 तक
चरण—।।	1954 से 1955 तक
चरण—।।।	1956 से 1961 तक

13.27 आंदोलन के विभिन्न चरणों के उन स्वतंत्रता सेनानियों, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और जिनके मामलों में यातनाओं के रिकार्ड उपलब्ध थे, को पेंशन मंजूर की गई थी। फरवरी 2003 में, भारत सरकार ने, गोवा मुक्ति आंदोलन के चरण–।। के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्हें दिनांक 01.08.2002 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी, पेंशन प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पात्रता में छूट प्रदान की।

13.28 अक्तूबर, 2011 तक, गोवा मुक्ति आंदोलन, चरण–।। में भाग लेने वाले 2,164 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन प्रदान की जा चुकी है।

नीतिगत पहलें

13.29 सम्मान पेंशन स्कीम को सरल बनाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:–

(i) सावधानीपूर्वक जाँच के बाद सम्मान पेंशन के दावों पर विचार करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के समय 15 वर्ष और इससे अधिक निर्धारित की गई है।

(ii) जो स्वतंत्रता सेनानी/पात्र आश्रित जीवित हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और राजकोष से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनका डाटाबेस संकलित किया गया है और उसे मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर अपलोड किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को बांटी गई पेंशन के बैंकों से प्राप्त कुछ ब्यौरों का विश्लेषण किया गया है। ऐसे विश्लेषण के अनुसरण में, संबंधित बैंकों को राय दी गई है कि वे उनके द्वारा दिए गए ब्यौरों का संपूर्ण विश्लेषण करें और स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन बांटने में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करें और बैंकों से पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों के पुनः सत्यापित ब्यौरे उन्हें भेज दें। अब संबंधित बैंकों ने स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन बांटने की कमियों को दूर करने के उपयुक्त उपचारात्मक उपाय कर लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित के पुनः सत्यापित ब्यौरों के संकलन का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार राज्यों के राजकोषों से पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों के पुनः सत्यापित ब्यौरों के संकलन का कार्य भी प्रगति पर है।

(iii) जैसाकि पेंशन की फाइलों के रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटीकरण का कार्य पूरा हो गया है, पेंशन फाइलों का उपयुक्त

रिकार्ड रखे जाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित किया जा रहा है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

श्रीलंकाई शरणार्थी

13.30 श्रीलंका में जातीय हिंसा और लगातार अशांत स्थिति के कारण जुलाई, 1983 से बड़ी संख्या में श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए हैं। शरणार्थियों के आगमन की चरणवार स्थिति नीचे दशाई गई है:

है परन्तु यदि इन वर्गों से संबंधित कोई शरणार्थी आते हैं तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है। इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित किया जाना है। ऐसा प्रत्यावर्तन किए जाने तक उनको राहत प्रदान की जाती है।

13.33 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि मार्च, 1995 के पश्चात कोई व्यवस्थित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा स्वयं दूसरे देशों को चले गए हैं। दिनांक 30.08.2011 की स्थिति के अनुसार लगभग 68,634 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 114 शरणार्थी कैम्पों में और ओडिशा में एक कैम्प में

चरण	अवधि	शरणार्थियों की संख्या
चरण–I	24.7.1983 से 31.12.1987	1,34,053
चरण–II	25.8.1989 से 30.4.1991	1,22,078
चरण–III	31.7.1996 से 30.4.2003	22,418
चरण–IV	12.1.2006 से 31.08.2011	25,711
	जोड़	**3,04,260**

13.31 शरणार्थियों की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:–

(i) राज्य विहीन व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा जिन्हें अभी तक श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की गई हैं; तथा

(ii) श्रीलंकाई नागरिक।

13.32 भारत सरकार का दृष्टिकोण शरणार्थियों के रूप में लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करना

रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 34,108 शरणार्थी समीप के पुलिस थाने में अपना पंजीकरण कराने के पश्चात शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

13.34 शरणार्थियों के आगमन पर उनका संगरोधन किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के पूर्ण सत्यापन के पश्चात उन्हें राहत शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक इन्हें मानवीय आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल

और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 554.33 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि व्यय की गई है।

श्रीलंका से आए प्रत्यावासी

13.35 भारत सरकार ने वर्ष 1964, 1974 और 1986 के भारत–श्रीलंका के बीच हुए करारों के तहत व्यक्तियों की स्वाभाविक वृद्धि के साथ 5.06 लाख भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना और उनका प्रत्यावासन करना स्वीकार किया है। इन 5.06 लाख व्यक्तियों में से, 3.35 लाख व्यक्ति उनकी 1.26 लाख की स्वाभाविक वृद्धि के साथ, जिसमें 1,16,152 परिवार शामिल हैं, दिसम्बर, 2006 तक प्रत्यावर्तित कर दिए गए थे। प्रत्यावर्तित परिवारों को पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई गई है। श्रीलंका में खराब हालात के कारण वर्ष 1984 के बाद वहां से कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, भारत में अपने आप आने वाले कुछ प्रत्यावर्तियों को तमिलनाडु में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास प्रदान किया जा रहा है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आर ई पी सी ओ) (रिपको) चेन्नई

13.36 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता करने, इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002) (2002 की संख्या 39) के तहत वर्ष 1969 में समिति के रुप में रिपको बैंक की स्थापना की गयी थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए थी, जिसमें से अंशदान पूंजी की राशि 95.39 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने प्रदत्त पूंजी 76.32 करोड़ रुपए की राशि का योगदान किया है। चार दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु (3.03 करोड़ रुपए), आन्ध्र प्रदेश (1.79 करोड़ रुपए), कर्नाटक (17.47 लाख रुपए) और केरल (61.16 लाख रुपए) ने भी शेयर पूंजी में योगदान किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य शेयरधारकों ने 13.46 करोड़ रुपए का योगदान किया है।

13.37 वर्ष 2009 में सरकार ने प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ) (रिपको), चेन्नई के लिए वर्ष 2009–10 से शुरु होकर तीन वर्षों की अवधि में 74.36 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी के प्रावधान का अनुमोदन किया है। इसमें से 48 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष अर्थात् 2009–10 में जारी किए गए थे और वित्तीय वर्ष 2010–11 में 13.18 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13.18 करोड़ रुपए जारी किए गए।

13.38 इसके उपनियमों के अनुसार इस समय रिपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में

है। इस बैंक ने भारत सरकार को वर्ष 2010–11 के लिए 20% की दर से लाभांश के रूप में 11.42 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। बैंक की लेखापरीक्षा अद्यतन है। रिपको बैंक के वर्ष 2010–11 के वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः 20.12.2011 तथा 21.12.2011 को लोक सभा और राज्य सभा में रखी गई।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल) पुनालूर, केरल

13.39 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आर पी एल) भारत सरकार तथा केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.03.2011 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रुपए थी जिसमें कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रुपए तथा भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रुपए है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आर पी एल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने कर के पश्चात 1808.98 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया भारत सरकार को प्रदत्त शेयर पूंजी के 20% की दर से 26.68 लाख रुपए लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी द्वारा भारत सरकार को वर्ष 2011–12 के लिए 13.57 लाख रूपये के अंतरिम लाभांश का भी भुगतान किया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए आर पी एल का वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 20.12.2011 तथा 21.12.2011 को रखी गई है।

तिब्बती शरणार्थी

13.40 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोडने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

13.41 धर्मगुरु दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, फरवरी, 2008 में भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 1,09,015 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से या कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। इनमें से तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545), पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में हैं। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर मार्च, 2011 तक लगभग 18.72 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो

गया है और उत्तराखंड राज्य में केवल एक आवास योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

पाक–अधिकृत कश्मीर, 1947 के विस्थापित व्यक्तियों और छम्ब–नियाबत क्षेत्र, 1971 के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों को अनुग्रह भुगतान आदि

13.42 भारत सरकार ने छम्ब–नियाबत क्षेत्र के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों और पाक–अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) के विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमशः अप्रैल और अगस्त 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैंः–

(i) छम्ब–नियाबत क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रुपए की दर से अनुग्रह का भुगतान।

(ii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रुपए की दर से अनुग्रह का भुगतान।

(iii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति केनाल 25,000 रुपए की अधिकतम दर से भूमि की कमी के बदले प्रति परिवार अधिकतम 1.50 लाख रूपये नकद मुआवजे का भुगतान।

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले ही बस गए विस्थापित लोगों और जिन्हें विगत में प्लाट आबंटित नहीं किए गए हैं ऐसे लोगों को प्लाट के आबंटन के लिए दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान।

(v) विस्थापित व्यक्तियों की 46 नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को 25 लाख रुपए का भुगतान।

13.43 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान के लिए वास्तविक दावेदारों की जांच करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभभोगियों की पहचान करने का कार्य शुरु कर दिया गया है। जांच किए गए और पात्र परिवारों को संवितरित किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को कुल 6.17 करोड रुपए की राशि जारी की गई है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार राज्य को दिनांक 24.12.2008 को पाक अधिकृत कश्मीर, 1947 के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के लिए अनुग्रह राहत के भुगतान के लिए 49 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 49 करोड़ रुपए में से 23.28 करोड़ रुपए की राशि 2,262 पात्र परिवारों/लाभार्थियों को संवितरित की गई है।

13.44 जहां तक छम्ब–नियाबत क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, समिति ने प्रति पात्र परिवार को 25,000 रुपए की दर से अनुग्रह राहत के भुगतान के लिए कुल 1965

मामलों में से 1502 मामलों की जांच कर ली है। भारत सरकार ने मार्च, 2004 में जम्मू और कश्मीर को 83 लाख रुपए की राशि पात्र लाभभोगियों को संवितरित किए जाने के लिए जारी की है। राज्य सरकार ने अब तक यह राशि 1,198 पात्र लाभभोगियों को संवितरित की है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के विस्थापित व्यक्तियों (डी पी) का पुनर्वास

13.45 वर्ष 1946 और 1971 के बीच लगभग 52.31 लाख विस्थापित व्यक्ति (डी पी) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। इनमें से लगभग 41.17 लाख विस्थापित व्यक्तियों, जो दिनांक 31.03.1958 तक भारत आए थे, को 'पुराने प्रवासी' (ओल्ड माइग्रेन्ट्स) कहा जाता है और दिनांक 01.01.1964 और 25.03.1971 के बीच आए लगभग 11.14 लाख विस्थापित व्यक्तियों को 'नए प्रवासी' कहा जाता है। 41.17 लाख 'पुराने प्रवासियों' में से, लगभग 31.32 लाख व्यक्ति पश्चिम बंगाल में बस गए। शेष पुराने एवं नए प्रवासियों का भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्वास किया गया है।

13.46 पुराने एवं नए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने राहत और पुनर्वास के अनेक उपाय किए। पुराने प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य कुल मिलाकर वर्ष 1960 के अन्त तक और नए प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य 1980 के अन्त तक पूरा कर लिया गया था। तथापि, इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कुछ शेष योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन शेष योजनाओं में आबादकारों की कॉलोनियों को नियमित करना, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण डी पी कॉलोनियों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान करना और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पुराने बकाये के दावों की प्रतिपूर्ति करना शामिल है। पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 79.10 करोड़ रुपए की योजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। पश्चिम बंगाल सरकार को 5.02 करोड़ रुपए निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

शत्रु सम्पत्ति

13.47 पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला शत्रु सम्पत्ति संबंधी कार्य, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन करने के संबध में संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना सं. 1/22/4/2007–कैब के माध्यम से गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था।

13.48 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय इस समय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह अधिनियम भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में

निहित शत्रु सम्पत्ति की सतत अभिरक्षा और प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 10.09.1965 से 26.09.1977 के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से संबंधित अथवा उनकी ओर से धारित अथवा प्रबंध की जा रही पूरे भारत में सभी अचल और चल सम्पत्तियां भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं।

13.49 भारतीय शत्रु अभिरक्षक का कार्यालय मुंबई में स्थित है और उसका एक शाखा कार्यालय कोलकाता में है। इस समय अभिरक्षक 2,341 अचल सम्पत्तियों जैसे कि भूमि, भवन आदि और चल सम्पत्ति जैसे कि प्रतिभूति, शेयर, ऋणपत्र, बैंक में जमा राशि, सावधि जमा राशि और शत्रु राष्ट्रिक के बैंक खातों में जमा अन्य राशि, भविष्य निधि के शेष आदि का प्रबंधन कर रहा है।

13.50 वर्ष 1965 और 1971 के भारत–पाक युद्ध के पश्चात भारत सरकार ने उक्त अवधि के दौरान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के भारतीय राष्ट्रिकों और कंपनियों को उनकी गुम सम्पत्तियों के 25% तक अनुग्रह भुगतान मंजूर करने के लिए दिनांक 15.03.1971 को एक संकल्प संख्या 12.01.1971 ई आई एंड ई पी पारित किया। ऐसे दावेदारों को अनुग्रह भुगतान के रूप में अब तक 71.04 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

13.51 शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार अभिरक्षक में निहित सम्पत्तियों से अर्जित आय के 2% के बराबर फीस लगाई जाती है और उसे केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाता है। तदनुसार भारत की समेकित निधि में 1965 से दिनांक 31.12.2012 तक 2% लेवी के रूप में 5.90 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं।

13.52 सितम्बर 2009 में, भारत स्थित सभी अचल/चल शत्रु सम्पत्तियों की सूची तैयार करने का एक ठेका राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन आई एफ एम), फरीदाबाद को दिया गया है। एन.आई.एफ.एम. ने अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग 1,491 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है।

13.53 शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं वैधकरण) द्वितीय विधेयक, 2010 दिनांक 15.11.2010 को लोक सभा में पेश किया गया था। विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने संबंधित नियमों के अनुसरण में, राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा 30.12.2010 को शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक जांच और रिपोर्ट करने के लिए समिति को भेज दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 03.11.2011 को दे दी है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार मौजूदा विधेयक को वापस ले सकती है और समिति के विचारों और प्रेक्षणों को शामिल करके एक नया विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। सरकार आगामी कार्रवाई हेतु रिपोर्ट की जांच कर रही है।

--*

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

14.1 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त (ओ.आर.जी. एवं सी.सी.आई.) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

(i) **आवास एवं जनसंख्या की गणना :** दशकीय मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना की योजना बनाना, समन्वय तथा पर्यवेक्षण। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अधीन जनगणना परिणामों का सारणीकरण/संकलन तथा प्रसार भी इस कार्यालय की जिम्मेदारी है।

(ii) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सी.आर.एस.):** देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का सम्पूर्ण कार्यान्वयन। जन्म और मृत्यु से संबंधित जनसांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन।

(iii) **सौम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.):** राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रजननता तथा मृत्यु दर के अनुमानों को सुनिरूपित सैम्पल सर्वेक्षण के माध्यम से उजागर करना।

(iv) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.):** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकारी तथा नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार के रुप में कार्य करते है। यह कार्यालय एन.पी.आर. परियोजना लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

(v) **वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.):** यह योजना राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग की पहल पर शुरू की गई। इसे जिला स्तर पर मुख्य जनांकिकीय एवं स्वास्थ्य सूचकांकों के बेंचमार्क तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(vi) **सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना :** भारत सरकार देश भर में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना करा रही है। जहां एक ओर भारत सरकार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी

उपशमन मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय इसके लिए सम्पूर्ण संभारतंत्रीय और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।

(vii) **मातृभाषा सर्वेक्षण** : जनगणना 2001 से ज्ञात अवर्गीकृत मातृभाषाओं पर एक सर्वेक्षण कार्यान्वयाधीन है।

(viii) **भाषायी सर्वेक्षण** : भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में कार्यान्वित की जा रही भारत का भाषायी सर्वेक्षण एक सतत अनुसंधान परियोजना है।

2011 की जनगणना

14.2 भारत में 1872 से लेकर निरंतर दशकीय जनगणना कराने की एक लम्बी परम्परा रही है। 2011 की जनगणना देश में 15वीं जनगणना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की 7वीं जनगणना है।

14.3 जनसंख्या की गणना प्रशासनिक तौर पर देश का सबसे बड़ा कार्य है जिससे जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मानदण्डों के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त होते हैं। जनगणना का कार्य दो चरणों अर्थात् मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना में किया जाता है। जनगणना 2011 का पहला चरण–मकानसूचीकरण और मकानों की गणना अप्रैल–सितम्बर, 2010 में और दूसरा चरण–जनसंख्या की गणना फरवरी–मार्च, 2011 में आयोजित किया गया था। जनसंख्या की गणना 2011 के दोनों चरणों के दौरान परिवारों तथा व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय मानदण्डों जैसे आवास की मात्रा और गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधाएं, स्वामित्व में सम्पत्तियां, आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, निःशक्तता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भाषाएं/मातृभाषाएं, आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति और स्थान परिवर्तन आदि से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

14.4 मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जहां तक जनसंख्या की गणना का संबंध है जनगणना पूरी होने के तीन सप्ताह के भीतर ही भारत और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जनसंख्या के आकार, वृद्धि और वितरण, लिंग संघठन और साक्षरता की स्थिति संबंधी ब्यौरे देने वाले जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े 31.03.2011 को जारी कर दिए गए थे। ग्रामीण–नगरीय वितरण और एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों/नगरीय समूहों की जनसंख्या के आंकड़े दर्शाते हुए जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े (पीपीटी–2, भाग 1) भी जारी किए जा चुके हैं। जनसंख्या की गणना के आंकड़ों के अंतिम सेटों को संसाधित किया जा रहा है तथा सारणियों के मार्च, 2013 तक जारी किए जाने की संभावना है।

14.5 जनसंख्या की गणना 2011 के अन्तिम परिणामों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.2 मिलियन है जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 833.1 मिलियन और शहरी जनसंख्या 377.1 मिलियन

पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन में जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े (पी पी टी–2, भाग 1) जारी किए जाने के अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, श्री आर.के. सिंह, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, डा. च. चन्द्रमौलि के साथ

है। पिछले दशक के दौरान ग्रामीण जनसंख्या में पूर्ण संख्या में 90.47 मिलियन की और नगरीय जनसंख्या में 91.00 मिलियन की वृद्धि हुई है। देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में (155.11 मिलियन अर्थात् देश की ग्रामीण जनसंख्या का 18.62 प्रतिशत) है जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में (50.83 मिलियन अर्थात् देश की नगरीय जनसंख्या का 13.48 प्रतिशत) है। 2001–2011 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर 17.64 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में यह क्रमशः 12.18 प्रतिशत और 31.80 प्रतिशत है।

14.6 देश में लिंग अनुपात में 2001 के 933 की तुलना में 2011 में 940 कुल 7 अंक की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दशक के दौरान लिंग अनुपात 946 से बढ़कर 947 हो गया है जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 2001 के 900 की तुलना में 26 अंक बढ़कर 2011 में 926 हो गया है। कुल (1,084), ग्रामीण (1,077) और नगरीय (1,091) क्षेत्रों में केरल में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के समय देश में 0–6 वर्ष आयु समूह के बच्चों की 158.8 मिलियन जनसंख्या में से ग्रामीण बच्चों की जनसंख्या 117.6 मिलियन और नगरीय बच्चों की जनसंख्या 41.2 मिलियन है। जनगणना 2011 के परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या में 8.9 मिलियन की गिरावट और नगरीय क्षेत्रों में 3.9 मिलियन की वृद्धि दर्शाते हैं जिसके परिणामस्वरूप दशक के दौरान देश में बच्चों की

समग्र जनसंख्या में 5.0 मिलियन की निवल गिरावट आई है। दशक के दौरान बच्चों की जनसंख्या की वृद्धि दर (-) 3.08 प्रतिशत है ग्रामीण : (-) 7.04 प्रतिशत; नगरीय : (+) 10.32 प्रतिशत। 2001–2011 के दौरान देश में बच्चों की जनसंख्या में लगभग 3 प्रतिशत कमी देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी लगभग 3 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में लगभग 2 प्रतिशत है। जनगणना 2011 में 0–6 वर्ष के आयु समूह में लिंग अनुपात में अत्यधिक गिरावट आई है जोकि 1961 से लेकर के अब तक के सबसे कम स्तर 914 तक पहुंच गई है। 2001–2011 के दौरान देश में गिरावट 13 अंक (927–914) की रही। दशक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट 15 अंकों (934–919) तक रही और नगरीय क्षेत्रों में यह गिरावट 4 अंक (906–902) रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात सबसे कम (809) दिल्ली में तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सबसे अधिक (975) रहा। नगरीय क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात हरियाणा में सबसे कम (829) दर्ज किया गया और नागालैण्ड में सबसे अधिक (979) दर्ज किया गया।

14.7 जनगणना 2011 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 778.4 मिलियन है जिसमें से 493.0 मिलियन साक्षर ग्रामीण क्षेत्रों में और 285.4 मिलियन साक्षर नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण साक्षरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (88.4 मिलियन) में तथा नगरीय साक्षरों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र (40.8 मिलियन) में दर्ज की गई। जनगणना 2011 के अनन्तिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 68.91 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में यह 84.98 प्रतिशत है। देश के संबंध में साक्षरों की संख्या में दशकीय वृद्धि 217.7 मिलियन निकाली गई है जिसमें से 131.1 मिलियन

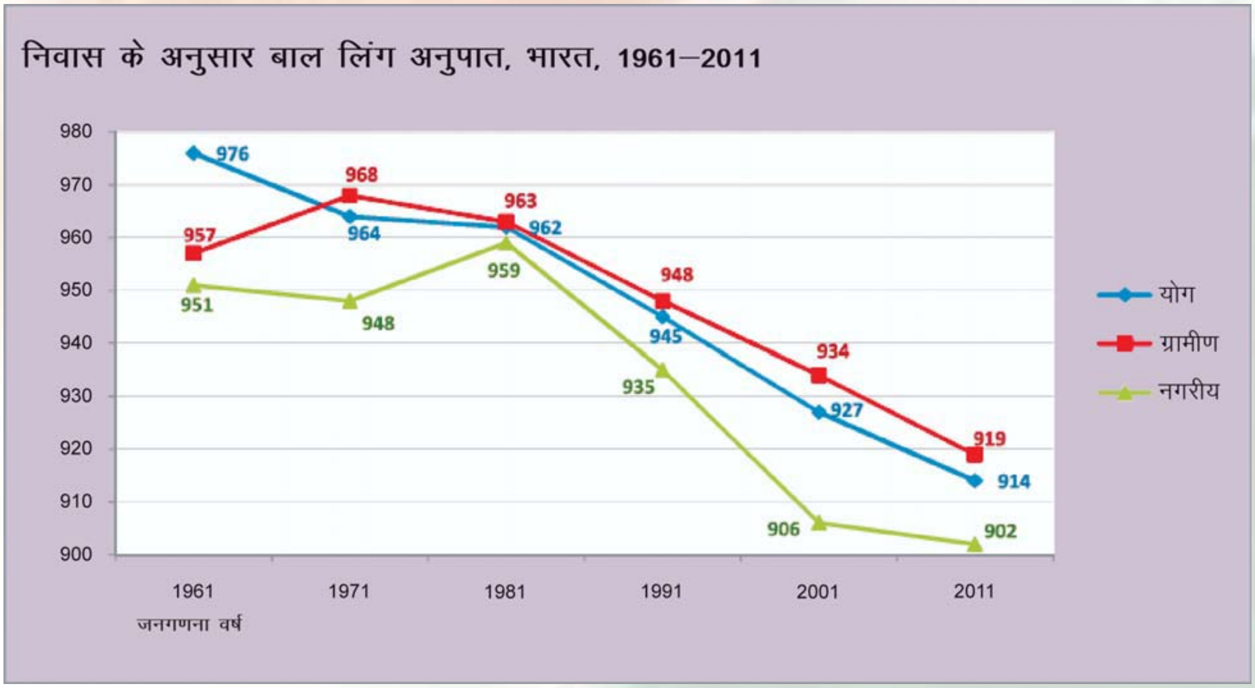

अखिल भारतीय स्तर पर 1961 से 2011 तक निवास के अनुसार बाल लिंग अनुपात

की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में और 86.6 मिलियन की वृद्धि नगरीय क्षेत्रों में हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 10.17 अंकों और नगरीय क्षेत्रों में 5.06 अंकों की वृद्धि सहित दशक के दौरान देश में साक्षरता दर में 9.21 अंकों की वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 में पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत (ग्रामीण–78.57 प्रतिशत; नगरीय 89.67 प्रतिशत) है जबकि स्त्री साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत (ग्रामीण : 58.75 प्रतिशत; नगरीयः 79.92 प्रतिशत) है। दशक के दौरान संगत पुरुष साक्षरता दर की तुलना में स्त्री साक्षरता दर उल्लेखनीय रूप से अधिक रही है। पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर के संबंध में लिंग अंतर जो कि जनगणना 2001 में 21.59 प्रतिशत अंक था जनगणना 2011 में घटकर 16.68 प्रतिशत अंक हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर 19.82 अंक और नगरीय क्षेत्रों में 9.75 अंक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के संबंध में केरल (92.92 प्रतिशत) पहले स्थान पर है जबकि नगरीय क्षेत्रों में मिजोरम (98.1 प्रतिशत) पहले स्थान पर है। जहां तक पुरुष साक्षरता दर का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में केरल (95.29 प्रतिशत) पहले स्थान पर है जबकि नगरीय क्षेत्रों में मिजोरम (98.67 प्रतिशत) पहले स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश (68.79 प्रतिशत) में है जबकि नगरीय क्षेत्रों में सबसे कम पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश (81.75 प्रतिशत) में है। जहां तक स्त्री साक्षरता दर का संबंध है ग्रामीण (90.74 प्रतिशत) और नगरीय (93.33 प्रतिशत) दोनों ही क्षेत्रों में केरल पहले स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान (46.25 प्रतिशत) में दर्ज की गई है जबकि नगरीय क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता दर जम्मू और कश्मीर (70.19 प्रतिशत) में दर्ज की गई है।

14.8 जनसंख्या की गणना 2011 के अनन्तिम परिणामों के अनुसार देश में कुल नगरीय जनसंख्या 377.1 मिलियन है जो कि कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों/नगरीय समूहों (यूएएस) में तीन मेगा

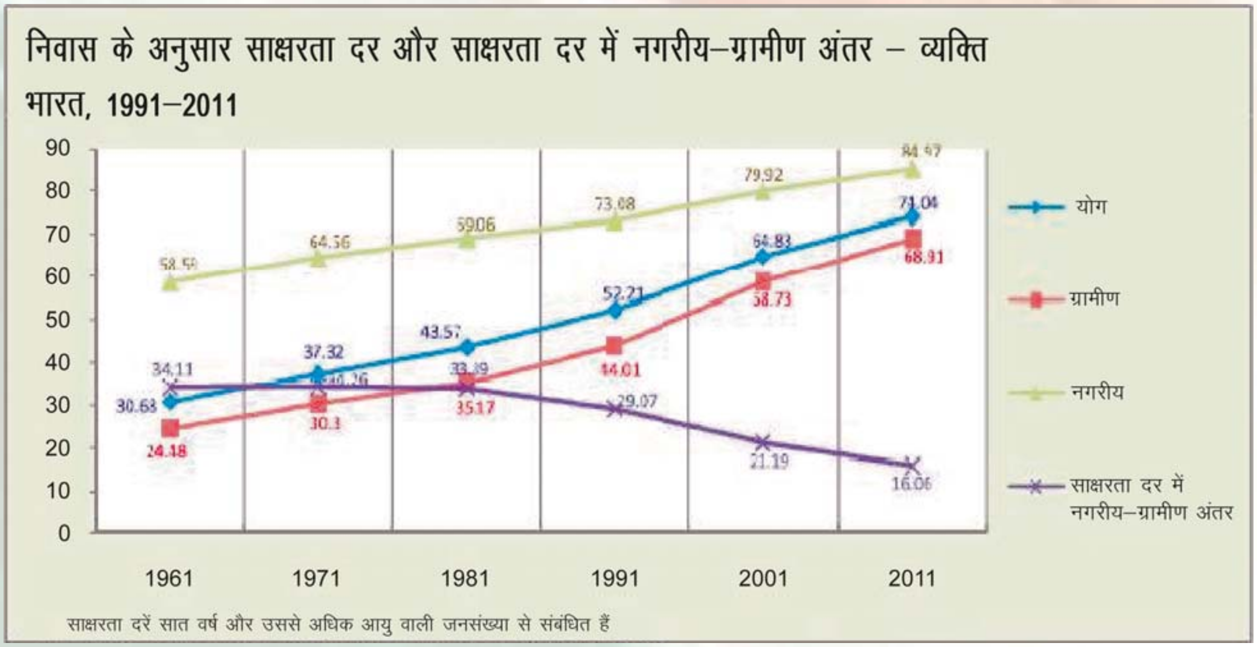

अखिल भारतीय स्तर पर 1961 से 2011 तक निवास के अनुसार साक्षरता दर

शहरों/नगरीय समूहों में से प्रत्येक में 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति हैं। ये हैं वृहत मुम्बई नगरीय समूह (18.4 मिलियन), दिल्ली नगरीय समूह (16.3 मिलियन) और कोलकाता नगरीय समूह (14.1 मिलियन)। पिछले दशक के दौरान मेगा शहरों की जनसंख्या की वृद्धि में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। वृहत मुम्बई नगरीय समूह, जिसमें कि 1991–2001 के दौरान जनसंख्या में 30.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, में 2001–2011 के दौरान मात्र 12.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार से दिल्ली नगरीय समूह (52.24 प्रतिशत की तुलना में 2001–2011 में 26.69 प्रतिशत) और कोलकाता नगरीय समूह (19.60 प्रतिशत की तुलना में 2001–2011 में 6.87 प्रतिशत) भी दशक के दौरान उल्लेखनीय रूप से कम वृद्धि दर दर्शाते हैं।

14.9 दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले/नगरीय समूहों में लिंगानुपात 912 बैठता है। लिंगानुपात की सूची में कन्नूर (केरल) का 1,168 के साथ सर्वोच्च स्थान है जहां स्त्रियों की कुल जनसंख्या कुल पुरुष जनसंख्या से कहीं अधिक है। सूरत नगरीय समूह (गुजरात) 754 के साथ लिंगानुपात की सूची में सबसे नीचे है। तीन में से दो मेगा शहरों में वृहत् मुंबई नगरीय समूह के लिंगानुपात 861 और दिल्ली नगरीय समूह के 867 में पुरुष जनसंख्या का बाहुल्य है। कोलकाता नगरीय समूह को 928 का बेहतर लिंगानुपात प्राप्त हुआ है। 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरीय समूहों/शहरों में तिरुवनंतपुरम नगरीय समूह (केरल) में सर्वोच्च शिशु लिंगानुपात (971) प्राप्त हुआ है। निम्नतम स्थिति आगरा नगरीय समूह (780) ने प्राप्त की है। तीन मेगा शहरों का शिशु लिंगानुपात 946 (कोलकाता नगरीय समूह), 900 (वृहत मुंबई नगरीय समूह) और 868 (दिल्ली नगरीय समूह) बैठता है।

14.10 जनगणना के प्रथम चरण अर्थात मकान–सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए आंकड़ा संसाधन का कार्य पूरा किया जा चुका है और अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:–

(i) जनगणना मकानों की संख्या, 2001 के 25 करोड़ की तुलना में 8 करोड़ की वृद्धि के साथ 2011 में बढ़कर 33 करोड़ हो गई है जोकि 33 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। मकानों की छत, दीवार और फर्श के लिए प्रयुक्त निर्माण सामग्री में सुधार हुआ है।

(ii) जहां तक परिवारों के पास उपलब्ध सुविधाओं का संबंध है, 87 प्रतिशत परिवार नल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प और ढके हुए कुओं का उपयोग पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में कर रहे हैं जबकि 44 प्रतिशत नल के जल का उपयोग करते हैं। 47 प्रतिशत परिवारों के पास उनके परिसरों के भीतर जल का स्रोत है और 18 प्रतिशत परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर दूर स्थित स्रोत से जल लाना पड़ता है।

(iii) 67 प्रतिशत परिवारों के प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है जबकि 31 प्रतिशत परिवार मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं।

(iv) जल निकासी से जुड़ी सुविधा 2001 के 46 प्रतिशत की तुलना में 2011 में बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई है जोकि 5 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्शाता है जिसमें से 18 प्रतिशत के पास बंद जल निकासी और शेष 33 प्रतिशत के पास खुली जल निकासी है।

(v) 47 प्रतिशत परिवारों के पास परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है जोकि दशक के दौरान 11 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्शाता है जिसमें से 36 प्रतिशत परिवारों के पास वाटर क्लोजेट हैं। कोई शौचालय नहीं के आंकड़ों में 11 अंकों की कमी आई है।

(vi) 61 प्रतिशत परिवारों के पास पृथक रसोईघर की सुविधा उपलब्ध है; 56 प्रतिशत के पास रसोईघर परिसर के भीतर और 5 प्रतिशत के पास परिसर के बाहर है।

(vii) 29 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए एलपीजी/पीएनजी/बिजली/बायोगैस का उपयोग करते हैं और 3 प्रतिशत मिट्टी के तेल का; शेष परिवार जलाऊ लकड़ी/फसल अवशेष/गोबर के उपले/कोयला आदि का उपयोग करते हैं।

(viii) टेलीविजन के उपयोग में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि 2001 के 31 प्रतिशत से 2011 में बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया है। रेडियो/ट्रांजिस्टर के उपयोग में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ix) 9 प्रतिशत परिवारों के पास कम्प्यूटर/लैपटॉप है (19 प्रतिशत शहरी और 5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में)। 3 प्रतिशत परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8 प्रतिशत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

(x) 59 प्रतिशत परिवारों के पास मोबाइल फोन और 10 प्रतिशत परिवारों के पास लैंडलाइन फोन है । 6 प्रतिशत परिवारों के पास दोनों उपलब्ध हैं।

(xi) जहां तक परिवहन के साधनों का संबंध है, 45 प्रतिशत परिवारों के पास साइकिल, 21 प्रतिशत के पास टू व्हीलर और 5 प्रतिशत के पास फोर व्हीलर वाहन हैं ।

(xii) 2001 के 36 प्रतिशत की तुलना में 59 प्रतिशत परिवार बैंक सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

14.11 कवरेज और अंतर्वस्तु संबंधी त्रुटियों के मापन हेतु गणना उपरांत सर्वेक्षण (ग.उ.स.) जनगणना 2011 के दोनों चरणों के लिए पूरा किया जा चुका है। मकानसूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित ग.उ.स. आंकड़ों के सारणीकरण और विश्लेषण का कार्य चल रहा है ।

प्रशिक्षण

14.12 जनगणना के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 2.7 मिलियन व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यापक कार्य प्रारम्भ किया गया और सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिले और स्थानीय स्तरों पर प्रशिक्षण शामिल था। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय में विशेष आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें 205 कार्मिकों को निम्न के संबंध में प्रशिक्षित किया गया :

क) अभिलेख प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम

ख) आवास संबंधी आंकड़ों को अंतिम रूप दिए जाने संबंधी कार्यशाला

ग) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समूह–घ कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण

14.13 जनगणना कराने की एक पूर्वापेक्षा के अनुसार इस संगठन द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार किए गए हैं। मानचित्रण संबंधी क्रियाकलाप जनगणना से पूर्व और जनगणना के पश्चात दोनों समय होता है। जनगणना से पूर्व किए गए मानचित्रण क्रियाकलाप में देश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों की समुचित कवरेज के लिए राज्यों, जिलों, उप–जिलों, गांवों, नगरों और नगरों के वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करना और अद्यतन बनाना शामिल है। जनगणना पश्चात मानचित्रण क्रियाकलाप में विभिन्न प्रकाशनों अर्थात् जनगणना एटलसों, अन्य प्रकाशनों तथा जिला जनगणना हस्त पुस्तिकाओं के लिए जनगणना आंकड़ों संबंधी विषयवस्तु परक मानचित्रों का बनाना शामिल है। प्रत्येक जनगणना के दौरान इस संगठन ने दस हजार से अधिक प्रशासनिक और विषय परक मानचित्र तैयार किये, जिन्हें उपयोगकर्ता अभिकरणों, विभागों, परिषदसदस्यों, योजनाकारों, अनुसंधानकर्ताओं, छात्रों और नीति निर्माताओं को उपलब्ध कराया गया। 01.01.2010 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (35), जिलों (640) और उप–जिलों (5,924) की नवीनतम प्रशासनिक सीमाएं दर्शाने वाला भारतीय प्रशासनिक एटलस–2011 पहले ही तैयार और प्रकाशित किया जा चुका है। राज्य और जिला स्तर पर मानचित्रों की श्रृंखला तैयार की जा रही है।

14.14 जनगणना की कवरेज और गुणवत्ता को सुधारने एवं जनगणना 2011 में किसी प्रकार के दोहराव या चूक से बचने के उद्देश्य से देश के 33 राजधानी शहरों के 2,132 वार्डों में पहली बार जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण शुरू किया गया। सभी वार्डों का फील्ड सत्यापन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। फरवरी, 2011 में जनसंख्या की गणना के पूर्व ही डिजिटल फाइलें भी तैयार की जा चुकी हैं। विस्तृत वार्ड मानचित्र प्रत्येक मकान/भवन, बड़ी और छोटी सड़कें, लेनों, बाई–लेनों तथा सभी प्रमुख भूचिह्न विशेषताओं को दर्शाता है। जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण की प्रमुख विशेषताओं में से एक पहले से बनाए गए गणना ब्लाकों को चिह्नित करना था जिससे कि इन शहरों के सभी क्षेत्रों की सम्पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हो सके।

भारत का मातृभाषाई सर्वेक्षण

14.15 जनगणना 2001 में बताई गई अवर्गीकृत मातृभाषाओं के सर्वेक्षण हेतु 11वीं योजनावधि के दौरान भारत के मातृभाषाई सर्वेक्षण की एक योजना कार्यान्वयनाधीन है। जनगणना 2001 में अवर्गीकृत 541 मातृभाषाओं जोकि भारत के मातृभाषाई सर्वेक्षण के अधीन सर्वेक्षण हेतु चिह्नित थीं, में से 531 मातृभाषाओं का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष 10 मातृभाषाओं की रिपोर्ट 31.03.2012 तक पूरी होने की संभावना है ।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

14.16 छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से ही भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण निरंतर चल रही एक अनुसंधान परियोजना है । भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के दो खण्डः सिक्किम (भाग– I) और

भारतीय भाषाई सर्वेक्षण राजस्थान (भाग–I) को 2011–12 के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है । एलएसआईः सिक्किम (भाग–I) खण्ड में व्याकरण सम्मत दस भाषाओं नामतः भूटिया, तिब्बती, लिपेहा, तमांग, लिम्बू, शेरपा, राय, गुरंग मगर और सुंवर का विवरण दिया गया है जोकि तिब्बत–बर्मी भाषा परिवार से हैं । एलएसआईः राजस्थान (भाग–I) का यह खण्ड 7 भाषाओं नामतः मारवाड़ी, ब्रजभाषा, मालवी, मेवाती, बुंदेली/बुंदेलखण्डी, जयपुरी (धुंधाटी) और भीली/भिलौड़ी (वागड़ी) का व्याकरण सम्मत विवरण प्रदान करता है जोकि भारतीय–आर्य भाषाई परिवार से हैं।

आंकड़ा प्रसार

14.17 प्रत्येक जनगणना निदेशालय में स्थापित आंकड़ा प्रसार केन्द्र जनगणना आंकड़ों की उपलब्धता और उसके विभिन्न विषयों में उपयोग जैसे कि जनअध्ययन, सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप, प्रवास, प्रजनन आदि में उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता करते हैं। मुद्रित खण्डों और सीडी के रूप में जनगणना डाटा उत्पाद बहुत ज्यादा संख्या में डाटा उपयोकर्ताओं के व्यापक उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें सरकारी विभाग, स्वैच्छिक संगठन और देश तथा देश के बाहर के वैयक्तिक अनुसंधानवेत्ता शामिल हैं।

14.18 जनगणना 2011 के परिणामों को मुद्रण के साथ–साथ सीडी के रूप में भी प्रसारित किया गया है और भारत की जनगणना की वेबसाइट www.censusindia.gov.in में भी उपलब्ध कराया गया है। जनगणना 2011 डाटा सेटों की सभी सारणियां और मुद्रण इस वेबसाइट पर तत्काल लोड कर दिए जाते हैं।

14.19 जनगणना 2011 के अनन्तिम परिणामों के प्रसार की ओर एक बड़े कदम के रूप में जनगणना वेबसाइट पर सेन्सस–इन्फो–डेशबोर्ड विकसित किया गया है। आंकड़ों की सहज जानकारी हेतु जनगणना परिणामों को सारणी, मानचित्र और चार्ट का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। जनगणना डाटा के प्रसार में सेन्सस इन्फो साफ्टवेयर के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग ने भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में 28.11.2011 से 30.11.2011 तक एशियाई क्षेत्र सेन्सस इन्फो कार्यशाला आयोजित की जिसमें भारत सहित 17 देश और 3 संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों ने प्रतिभागिता की। प्राथमिक जनगणना सार–जनगणना 2011 के साथ–साथ आवास तथा घेरलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों संबंधी डाटा सेन्सस इन्फो साफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।

14.20 आंकड़ा प्रसार और डाटा उपयोगकर्ताओं की सुग्राह्यता की ओर एक अन्य व्यापक तरीका फेसबुक और ट्विटर जैसे सामाजिक मीडिया नेटवर्क वेबसाइटों का उपयोग करना है। जनगणना 2011 के परिणामों के प्रसार हेतु इन दोनों सामाजिक मीडिया नेटवर्कों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया और डाटा उपयोगकर्ताओं के बीच ये बहुत लोकप्रिय हुए हैं।

14.21 वर्ष के दौरान अब तक निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं :

क) जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े–जनगणना 2011 (पीपीटी–I) (भारत तथा 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

ख) जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े–जनगणना 2011: ग्रामीण तथा शहरी वितरण (पीपीटी–II खण्ड–I) (भारत और 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

ग) जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों संबंधी डाटा शीट

घ) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण बुलेटिन

ङ) सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली बुलेटिन 2011

च) मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबधी रिपोर्ट 2006

जन्म–मृत्यु सांख्यिकी

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

14.22 देश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कार्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार सम्पूर्ण देश में रजिस्ट्रीकरण कार्यकलापों का समन्वय और एकीकरण करते हैं जबकि संबंधित राज्यों में मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं।

14.23 वर्ष दर वर्ष रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु के अनुपात में निरन्तर वृद्धि प्रदर्शित हुई है। देश का जन्म रजिस्ट्रीकरण का स्तर बढ़कर 77% हो गया है जोकि गत वर्ष की तुलना में 2008 के आंकड़ों के अनुसार लगभग तीन प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। दूसरी ओर मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण स्तर गत वर्ष की तुलना में 2008 में 0.1% गिरकर 69.2% हो गया है। गत वर्ष की तुलना में 2008 में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में सार्थक कमी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में कमी आ गई है। रजिस्ट्रीकरण के स्तर में राज्यों के मध्य व्यापक अंतर का माहौल बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, केरल, पंजाब राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने जन्म रजिस्ट्रीकरण का शत–प्रतिशत स्तर प्राप्त कर लिया है। हरियाणा, कर्नाटक मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने जन्म रजिस्ट्रीकरण का 93% से ज्यादा का स्तर प्राप्त किया है। तथापि, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य में यह 50% से कम है।

14.24 मध्य प्रदेश (+11.4%), महाराष्ट्र (+8.5%), झारखंड (+7.6%) और हरियाणा (+4.3%) राज्यों में जन्म रजिस्ट्रीकरण स्तर में सीमान्त बढ़ोतरी हुई है। पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में राजस्थान (+2.7%), कर्नाटक (+2.6%), गुजरात (+2.2%) और जम्मू और कश्मीर (+2.2%) में जन्म रजिस्ट्रीकरण के स्तर में मामूली वृद्धि हुई है।

14.25 मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के स्तर के मामलों में गोवा तथा मिजोरम राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों ने शत–प्रतिशत स्तर प्राप्त किया है। केरल, पंजाब तथा सिक्किम राज्यों में 93% से ज्यादा मृत्यु का पंजीकरण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल (+12.9%), गुजरात (+3.8%) और हरियाणा (+1.1%) राज्यों में गत वर्ष की तुलना में मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार तथा मणिपुर राज्यों में मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 35% से नीचे है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का स्तर जन्म की तुलना में कम है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का स्तर 4% से ज्यादा कम हो गया है। मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कम स्तर आंशिक रुप से महिलाओं एवं शिशुओं की मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण न कराने की वजह से हो सकता है।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण (एमसीसीडी)

14.26 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण स्कीम मृत्यु के कारणों संबंधी चिकित्सीय रूप से प्रमाणित डाटाबेस उपलब्ध कराती है जो कि जनसंख्या की स्वास्थ्य प्रवृत्तियों को मानीटर करने के लिए पूर्वापेक्षित है। 31.12.2011 तक केरल, मेघालय और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण स्कीम को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। शेष दो राज्यों नामतः केरल और मेघालय तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं।

14.27 वर्ष 2006 से संबंधित मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दर्ज की गई कुल 43,27,664 मृत्युओं में से 7,20,047 मृत्यु (4,54,348 पुरुष और 2,65,699 स्त्रियां) चिकित्सीय रूप से प्रमाणित दर्ज की गई हैं।

14.28 इस समय मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण के अधीन केवल चयनित अस्पताल हैं जो नगरीय क्षेत्रों में हैं। मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने संबंधी मामला विचाराधीन है।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सै.र.प.)

14.29 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सै.र.प.) राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रजननता तथा मृत्यु दर संबंधी अन्य संकेतकों के विश्वसनीय आकलन उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े पैमाने का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा कुछ चुने हुए राज्यों में 1964–65 से प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ की गई यह प्रणाली लगभग 3,700 सैम्पल इकाइयों को शामिल करते हुए 1969–70 में पूर्णतः प्रचालन में आ गई। जन्म मृत्यु दर में परिवर्तनों को मानिटर करने के उद्देश्य से इसके क्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों के साथ–साथ सै.र.प. सैम्पलिंग के ढ़ांचे को हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। नवीनतम प्रतिस्थापन 2001 की जनगणना पर आधारित है और 01.01.2004

से प्रभावी है। इस समय सै.र.प. में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई 7,597 सैम्पल इकाइयां (4,433 ग्रामीण और 3,164 नगरीय) हैं जिनमें लगभग 1.3 मिलियन परिवार और करीब 7 मिलियन की जनसंख्या शामिल है। सै.र.प. एक दोहरी रिकार्ड प्रणाली है जिसमें निवासी अंशकालिक प्रगणकों द्वारा जन्म और मृत्यु की निरन्तर गणना करना तथा एक पर्यवेक्षक द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्द्धवार्षिक सर्वेक्षण करना शामिल है। इन स्रोतों से प्राप्त मेल न खाने वाले आंकड़ों का फील्ड में पुनः सत्यापन किया जाता है। सै.र.प. के अन्तर्गत फील्ड सर्वेक्षण और परिणामों को जारी करने के बीच के अंतर को घटाकर एक वर्ष से कम कर दिया गया है।

14.30 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के तहत वर्ष 2011 के संबंध में सै.र.प. बुलेटिन–2011 रिलीज कर दिया गया है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग–अलग तौर पर **अनुलग्नक-XVI** पर दी गयी है। वर्ष 2010 के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए अनुसार हैं:–

i) राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर (सी.बी.आर.) प्रति हजार जनसंख्या पर 22.1 है; ग्रामीण क्षेत्रों में यह 23.7 और नगरीय क्षेत्रों में 18.0 है। बड़े राज्यों के संबंध में केरल में सी.बी.आर. सबसे कम (14.8) और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक (28.3) है।

ii) राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर (सी.डी.आर.) प्रति हजार जनसंख्या पर 7.2 है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.7 तथा नगरीय क्षेत्रों में 5.8 है। बड़े राज्यों के संबंध में दिल्ली में सबसे कम (4.2) और ओडिशा में सबसे अधिक (8.6) दर्ज की गई है।

iii) राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) (एक वर्ष) प्रत्येक 1,000 जीवित जन्म पर 47 है; ग्रामीण क्षेत्रों में यह 51 से लेकर नगरीय क्षेत्रों में 31 तक है। बड़े राज्यों के संबंध में केरल में यह सबसे कम (13) और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक (62) है।

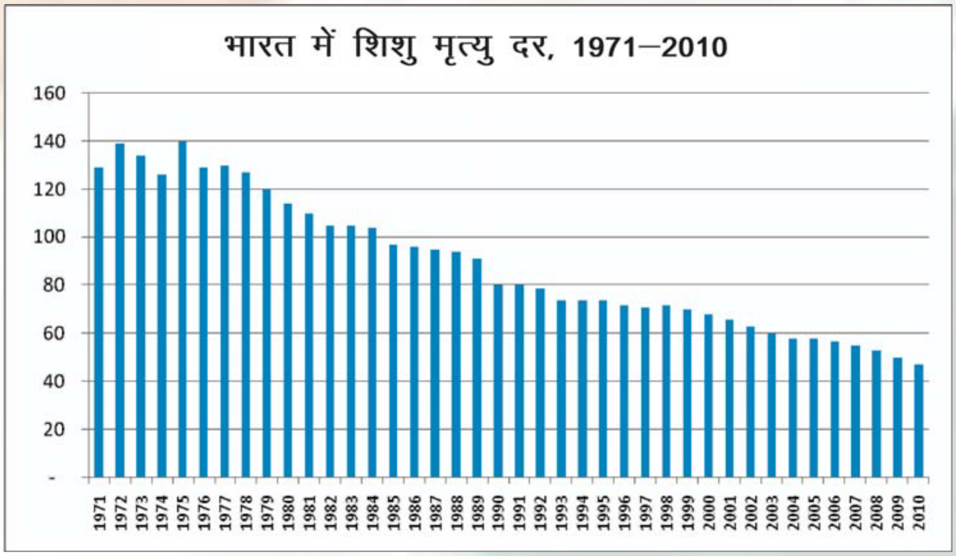

भारत में वर्ष 1971 से 2010 तक शिशु मृत्यु दर

14.31 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के तहत वर्ष 2007–09 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु संबंधी विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार हैंः–

i) भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2004–2006 में 254 से घटकर 2007–2009 में 212 रह गया है। 375 से 308 की यह कमी मुख्य रूप से अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों एवं असम में हुई है। दक्षिणी राज्यों में यह घटकर 149 से 129 और अन्य राज्यों में 174 से 149 हुई है।

ii) 2007–2009 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के मिलेनियम विकास का लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या एक के स्थान पर तीन हो गई है। 2004–2006 में केवल केरल ही ऐसा राज्य था। तमिलनाडु और महाराष्ट्र नए राज्य हैं। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा एमडीजी लक्ष्य के काफी करीब हैं ।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.)

14.32 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.) की परिकल्पना राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और योजना आयोग की पहल पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की गई है ताकि जिला स्तर पर जन्म–मृत्यु और स्वास्थ्य संबंधी मुख्य संकेतकों के मानक प्राप्त किए जा सकें और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत और साथ ही साथ स्वास्थ्य के संबंध में की गई विभिन्न पहलों की प्रभावोत्पादकता निरंतर रूप से आंक कर उनकी परिवर्तन दर का आकलन किया जा सके। ए.एच.एस. में अन्य बातों के साथ–साथ सूचकांक सृजित किए जाएंगे जैसे अशोधित जन्म दर (सी.बी.आर.), अशोधित मृत्यु दर (सी.डी.आर.), शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) कुल प्रजननता दर (टी.एफ.आर.), मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.), जन्म के समय लिंग अनुपात तथा मातृत्व एवं शिशु देख–रेख, परिवार नियोजन की पद्धति आदि के संबंध में कई अन्य सूचकांक और इनमें समूहन के उपयुक्त स्तर पर वर्षानुवर्ष आधार पर परिवर्तन शामिल हैं। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010–2011 से शुरू किया है और इस मिशन की कालावधि 2007–2012 है और यह अधिकार प्राप्त कार्य–समूह (ई.ए.जी.) राज्यों (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड) तथा असम (अब से ए.एच.एस. राज्य कहलाएंगे) के सभी 284 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण को प्रति वर्ष 18.2 मिलियन जनसंख्या और 5.6 मिलियन परिवारों को कवर करते हुए नौ (9) ए.एच.एस. राज्यों में सांख्यिकीय रूप से चयनित 20,694 सैम्पल यूनिटों (नगरीय क्षेत्रों में जनगणना गणना ब्लाक और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 से अधिक आबादी वाला गांव अथवा गांव का एक हिस्सा) में कराया जाएगा। प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के किसी गांव के मामले में औसतन 1,000 जनसंख्या और नगरीय क्षेत्रों के मामले में किसी गणना ब्लाक में 650

आबादी वाले 70 सैंपल यूनिटों को कवर किया जाएगा।

14.33 9 एएचएस राज्यों के 18 जोनों के 284 जिलों में फील्ड कार्य अप्रैल, 2011 में पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण एजेन्सी द्वारा एकत्रित आंकड़ों की गुणवता की प्रामाणिकता के लिए तीसरे पक्ष द्वारा जांच कार्य भी जून, 2011 तक पूरा कर लिया गया था। पूर्णतया सत्यापन के पश्चात जिला स्तर पर मूलभूत जन्म–मृत्यु दरों, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात आदि से संबंधित आंकड़ों का एएचएस बुलेटिन स्वास्थ्य सचिव द्वारा 10.08.2011 को जारी किया गया था। सभी मानदण्डों के आंकड़ों को शामिल करते हुए जिला–वार विस्तृत डाटा शीट जारी करने संबंधी कार्य पूरा होने वाला है।

14.34 284 जिलों में सबसे कम सीडीआर बागेश्वर (उत्तराखंड–14.7) और सबसे अधिक श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश–40.9) में दर्ज हुई है जिसमें लगभग 3 गुणा अंतर है। सीडीआर की रेंज 4.5 (धेमजी, असम) और 12.6 (श्रावस्ती, उ.प्र.) के बीच है। आईएमआर की रेंज 19 (रूद्रप्रयाग, उत्तराखंड) और 103 (श्रावस्ती, उ.प्र.) के बीच है जिसमें करीब 5 गुणा अंतर है। छह जिले अर्थात पूर्वी सिंहभूम और धनबाद (झारखंड), चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा (उत्तराखंड) पहले ही वर्ष 2015 के लिए निर्धारित एमडीजी–4 के राष्ट्रीय लक्ष्य 28 (आईएमआर के लिए) को प्राप्त कर चुके हैं। अन्य 4 जिले अर्थात बोकारो और रांची (झारखंड), बागेश्वर और नैनीताल (उत्तराखंड) इसके करीब हैं। बाल शिशुओं की अपेक्षा बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक है। 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर 24 (पिथौरागढ़, उत्तराखंड) और 145 (कंधमाल, ओडिशा) के बीच है जिसमें करीब 7 गुना अंतर है। सात जिलों अर्थात पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और बतेश्वर (उत्तराखंड) और पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) पहले ही 42 (यू5एमआर के लिए) के एमडीजी राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। पहली बार सभी 9 एएचएस राज्यों में जिलों के समूह अर्थात प्रशासनिक प्रभाग (आयुक्त) के लिए एमएम अनुपात प्रकाशित किए गए हैं। इसकी रेंज 183 (कुमाऊं मुख्यालय, उत्तराखंड) और 451 (फैजाबाद मंडल, उ.प्र.) के बीच है। जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात पिथौरागढ़ (764) और सबसे अधिक मुरादाबाद (1,030) में दर्ज हुआ है।

14.35 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और तत्पश्चात फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण के बाद वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के फील्ड कार्य का दूसरा चरण सभी 9 एएचएस राज्यों में शुरू हो चुका है और अप्रैल, 2012 तक इसके पूरा होने की संभावना है। सर्वेक्षण एजेंसी के चयन और उपकरण तथा उपयोज्य की खरीद का कार्य पूरा होने के बाद अल्पपोषित और अति पोषित, रक्ताल्पता और अत्यधिक तनाव, खाली पेट शर्करा स्तर की असामान्यताएं और परिवार में आयोडाइज्ड नमक की उपलब्धता के संबंध में जिला स्तरीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए सभी एएचएस जिलों के परिवारों के चयनित उप–सैम्पल में क्लीनिकल,

एन्थ्रोपोमेट्रिक और बायो–केमिकल (सीएबी) परीक्षण किया जाएगा।

तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.36 तटों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के एक उपाय के रूप में सभी 9 समुद्रवर्ती राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों के 3,331 तटीय गांवों में एनपीआर तैयार करना शुरू किया गया है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी नगरों को भी कवर किया गया है। इन क्षेत्रों में सीधे आंकड़ा एकत्रण की पद्धति का सहारा लिया गया है और इन गांवों के सभी सामान्य निवासियों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) के फोटोग्राफ और अंगुलियों की छाप लेने का कार्य भी आरंभ किया गया है। 120 लाख से अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष आंकड़ा एकत्रण और 70 लाख से अधिक व्यक्तियों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों) के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र कर लिए गए हैं। शुद्धियों और आपत्तियों के लिए सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर को स्थानीय क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया है। ग्राम सभा द्वारा संवीक्षा के पश्चात शुद्धियों को एलआरयूआर में शामिल किया गया है। पहचान (स्मार्ट) कार्ड तैयार करने और उनके वैयक्तीकरण की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, जो इन क्षेत्रों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 'सामान्य निवासियों' को जारी किए जाएंगे तथा 31.12.2011 तक 3,11,369 कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.37 सरकार ने प्रत्येक 'सामान्य निवासी' की विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करके देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री जितेन्द्र सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव, श्री आर.के. सिंह और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, डा. च. चन्द्रमौलि के साथ दिनांक 30.09.2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए

(एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। एनपीआर में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के 'सामान्य निवासियों' की फोटो, 10 अंगुलियों की छाप और आइरिस की जानकारी भी होगी।

14.38 देश में एनपीआर तैयार करने के लिए जीवन से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने का फील्ड कार्य सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पूरा कर लिया गया है। इन भरी हुई एनपीआर अनुसूचियों (लगभग 27 करोड़) की स्कैनिंग भी पूरी कर ली गई है।

14.39 देश के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य के अन्तर्गत डिजिटाइजेशन और बायोमेट्री प्राप्त करने का कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के संघ और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग(डीआईटी) को सौंपा गया है। स्कैन किए हुए इमेजों में से 53 करोड़ से अधिक रिकार्ड की डाटा प्रविष्टि की जा चुकी है। मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और लक्षद्वीप में बायोमेट्रिक एकत्रित करने का कार्य चल रहा है और 13.03.2012 तक 1.42 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का बायोमेट्रिक नामांकन किया जा चुका है।

एन.पी.आर. के अन्तर्गत अपना बायोमेट्रिक नामांकन देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी

14.40 एनपीआर डाटाबेस को डि–डुप्लीकेशन और यूआईडी संख्यांक (आधार) प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई को भेजा जाएगा। 'सामान्य निवासियों' की सूची को आधार के साथ स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशित किया जाएगा ताकि दावे तथा आपत्तियां (यदि कोई हों) मंगवाई जा सकें और तदनुसार उनपर निर्धारित प्रक्रियानुसार निर्णय लिया जा सके। देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी 'सामान्य निवासियों' को पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव है। भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एनपीआर डाटाबेस का अनुरक्षण करेगा और इसे अद्यतन बनाएगा।

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011

14.41 केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार देशभर में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) कराई जा रही है। भारत सरकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जून, 2011 से चरणबद्ध रूप से एस.ई.सी.सी. को पूरा कर लिया जाएगा। इस संयुक्त कार्य के लिए क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नोडल मंत्रालय होंगे। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त पूर्ण लॉजिस्टिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

14.42 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की तकनीकी एवं लाजिस्टिक सहायता में प्रत्यक्ष मदद शामिल है जैसे चार्ज रजिस्टर, ले–आउट मैप और संक्षिप्त मकानसूचियां प्रदान करना जिसका जनगणना 2011 के दौरान उपयोग किया गया था, राज्य निदेशालयों के अधिकारी सभी स्तरों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क कार्यकर्ताओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ–साथ प्रशिक्षण और फील्ड गतिविधियों के दौरान पर्यवेक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

14.43 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आंकड़ा एकत्र करने के प्रयोजन हेतु अलग–अलग अनुदेश पुस्तिका और प्रश्नावली तैयार की गई हैं। इस प्रश्नावली में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं को कवर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रश्नावली में 37 घटक हैं जैसे दीवार और छत में प्रयोग की गई कच्ची सामग्री, परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, रोजगार और आय संबंधी विशेषताएं, परिवार की आय का मुख्य स्रोत, भू–स्वामित्व, अन्य परिसम्पत्तियों का स्वामित्व, परिवार की सम्पत्तियां इत्यादि। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रश्नावली में 32 घटक शामिल हैं जिसमें मुख्य हैं–आय का स्रोत, अशक्तता, दीर्घकालिक बीमारी, मकान में प्रयोग की गई सामग्री, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान में सुविधाएं, परिसम्पत्तियां इत्यादि। दोनों प्रश्नावलियों में धर्म और जाति पर प्रश्न जोड़े गए हैं।

14.44 आंकड़ा प्रविष्टि के लिए मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर और हैण्डहेल्ड डिवाइस का प्रयोग करते हुए हरियाणा के सोनीपत (नगर परिषद) के दो गांवों–भट्टगांव और रतनगढ़ में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का एक प्रायोगिक सर्वेक्षण कराया गया।

14.45 इस प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली कार्य–पद्धति निम्नानुसार है :

क) प्रगणक प्रत्येक परिवार का दौरा करेंगे और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रश्नावली भरेंगे।

ख) व्यक्तियों के उत्तर नोट कर लिए जाएंगे। उत्तरदाताओं से कोई प्रमाण अथवा दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

ग) एस.ई.सी.सी. की अनुसूची हैण्डहेल्ड डिवाइस (एच.एच.डी.) का प्रयोग करते हुए भरा जा रहा है, प्रगणक (सरकारी कर्मचारी) प्रश्न पूछेगा जबकि मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बी.ई.एल.) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर द्वारा हैण्डहेल्ड डिवाइस में उत्तरों की प्रविष्टि की जाएगी।

घ) जनगणना 2011 के पहले चरण के दौरान भरे गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) फार्मों का उपयोग एस.ई.सी.सी. के आधार के रूप में किया जाएगा। इन फार्मों को पहले ही स्कैन किया जा चुका है और चित्रों (इमेज) को हैण्डहेल्ड डिवाइसों में लोड किया जा चुका है जिनका उपयोग एस.ई.सी.सी. प्रश्नावली भरने के लिए किया जाएगा। यदि वही परिवार जिसकी गणना एन.पी.आर. के दौरान की जा चुकी है उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में उनसे केवल अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि परिवार नया है अथवा परिवार में नए सदस्य हैं, तो उनके सम्पूर्ण ब्यौरे नए सिरे से लिए जाएंगे।

ड.) गणना के बाद प्रत्येक परिवार को पावती रसीदें दी जाएंगी।

14.46 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया है। एस.ई.सी.सी. को औपचारिक रूप से त्रिपुरा राज्य में 29.06.2011 को शुरु किया गया था। एस.ई.सी.सी. फील्ड कार्य दादरा एवं नगर हवेली, चण्डीगढ़ एवं पुदुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों और त्रिपुरा राज्य में पूरा किया जा चुका है। यह कार्य तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और उत्तर प्रदेश राज्यों को छोड़कर, जहां एस ई सी सी को अभी शुरु किया जाना है, अन्य 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रहा है। उपर्युक्त 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 18,67,802 गणना ब्लाकों (ई.बी.) में से 8,25,678 ई.बी. में 10.03.2012 को फील्ड सर्वे पूरा कर लिया गया है।

14.47 फील्ड से हैण्डहेल्ड डिवाइसों में आंकड़े एकत्र कर लेने के पश्चात भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय जाति के

आंकड़ों को संसाधित करेगा और जातियों/जनजातियों के ब्यौरे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित विशेषज्ञ समूह को श्रेणीकरण और वर्गीकरण हेतु सौंप देगा।

--*

विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

15.1.1 भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की दिशा में की गई विशिष्ट सेवा तथा उच्चकोटि की लोक सेवा के सम्मान स्वरूप देने हेतु वर्ष 1954 में शुरू किया गया। अब इस पुरस्कार का दायरा बढ़ा दिया गया है। दिनांक 16.11.2011 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना जारी करके यह निर्णय लिया गया है कि यह अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा/निष्पादन में उच्चतम मानव प्रयत्नों के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार से अब तक 41 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। अंतिम बार वर्ष 2009 के लिए यह पुरस्कार पंडित भीमसेन गुरूराज जोशी को प्रदान किया गया था।

पद्म पुरस्कार

15.1.2 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

15.1.3 पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

15.1.4 ऐसा प्रचलन है कि प्रति वर्ष, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त किए जाते हैं। उनके अतिरिक्त, कई केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, निजी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं अपनी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं। इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता

है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

15.1.5 भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2012 के अवसर पर 109 पद्म पुरस्कार (एक दोहरे मामले सहित) दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें 5 पद्मविभूषण, 28 पद्म भूषण और 76 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं शामिल हैं। इन पुरस्कारों का अलंकरण मार्च/अप्रैल, 2012 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

वीरता पुरस्कार

15.1.6 प्रत्येक वर्ष, रक्षा मंत्रालय की देखरेख में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

15.1.7 राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2011 पर वीरता पुरस्कार के लिए एक नागरिक और गणतंत्र दिवस, 2012 पर तीन नागरिकों के नामों को अनुमोदित किया है।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

15.1.8 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली द्वारा जान जाने, प्राकृतिक आपदा आदि से जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

15.1.9 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों, अर्थात्–सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के अंतर्गत दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है; उत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है।

15.1.10 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

15.1.11 इन पुरस्कारों के लिए अलंकरण समारोह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की

राजधानियों में आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षिरत एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1 लाख रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 60,000 रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 40,000 रूपए की दर पर एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

15.1.12 वर्ष 2011 के लिए, राष्ट्रपति ने 43 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन किया है। इसमें 2 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 6 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 35 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं।

सतर्कता तंत्र

15.2.1 गृह मंत्रालय का सतर्कता तंत्र संयुक्त सचिव (प्रशासन) के अधीन कार्य करता है जो मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। इनके कार्यों में सहायता करने के लिए एक निदेशक और एक अवर सचिव हैं। सतर्कता अनुभाग न केवल गृह मंत्रालय (मुख्य) के सभी अनुशासनिक मामलों बल्कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है और मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कि केन्द्रीय सशस्त्र सैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों आदि में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

15.2.2 निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय में किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः–

क) मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता से संबंधित विभिन्न कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से निकट संपर्क बनाए रखता है।

ख) गृह मंत्रालय सतर्कता/भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक कार्य योजना को कार्यान्वित करता है। इस मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को इस योजना को कारगर रूप से कार्यान्वित करने और इस बारे में हुई प्रगति की सूचना, प्रत्येक तिमाही में मंत्रालय को देने के लिए कहा जाता है। मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता संबंधी कार्यों की नियमित रूप से समीक्षाएं की जाती हैं और प्रत्येक तिमाही के अंत में रिपोर्टें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी जाती हैं।

ग) केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजे जाने के लिए अपेक्षित सभी रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारियों को निर्धारित आवधिक अन्तरालों पर भेजी जाती हैं।

घ) मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग, विदेशी प्रभाग और पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग का प्रापण विंग जैसे कुछ प्रभाग ऐसे हैं जिनका जनता के साथ काफी अधिक संबंध होता है, अतः इन प्रभागों पर गहन नजर रखी जाती है।

ङ) संवेदनशील अनुभागों/प्रभागों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक विशेष सुरक्षा प्रश्नावली आवधिक रूप से भरनी होती है जिसका पुनरीक्षण आसूचना एजेंसियों द्वारा अनिवार्यतः कराया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रभावी हथियार के रूप में कार्य करता है ताकि मंत्रालय में संवेदनशील स्थानों पर केवल वे व्यक्ति ही तैनात हों जिनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो।

च) जिन प्रभागों को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा जाता है ताकि ऐसे प्रभागों में कार्य करने वाले कार्मिकों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

छ) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निपटान की प्रगति रिपोर्टें और लंबित अनुशासनिक/सतर्कता मामलों की मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित रूप से निगरानी करता है।

ज) निहित स्वार्थों को विकसित होने से रोकने के लिए मंत्रालय में स्टाफ की विभिन्न प्रभागों के बीच अदला–बदली की जाती है। स्टाफ की अदला–बदली को सुगम बनाने के लिए पदों को संवेदनशील और गैर–संवेदनशील श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

झ) संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाती है और आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान केन्द्रीय गृह सचिव, श्री आर. के. सिंह गृह मंत्रालय के अधिकारियों को शपथ दिलाते हुए

15.2.3 दिनांक 31.10.2011 से 05.11.2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस संबंध में गृह सचिव ने दिनांक 31.10.2011 को गृह मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई। "विलंब भ्रष्टाचार को जन्म देता है" विषय पर दिनांक 02.11.2011 को एक खुला मंच भी आयोजित किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी मनाया गया।

15.2.4 मंत्रालय अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित पड़े मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित मामलों पर नजर रखता है ताकि ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है और सम्बंधित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के साथ समुचित अंतरालों पर उनके द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

15.2.5 वर्ष 2011–2012 (दिनांक 31.12.2011 तक) के दौरान गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में निपटाए गए सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित आंकड़े **अनुलग्नक-XVII** में दिए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

15.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत इस मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:–

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदनों को एकत्रित और उन्हें केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/संबंधित लोक प्राधिकारियों को अंतरित करने के लिए तथा आर टी आई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति एवं निपटान से संबंधित वार्षिक विवरणी केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रेषित करने के लिए एक आर टी आई अनुभाग स्थापित किया गया है।

(ii) अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिकारियों आदि के साथ–साथ मंत्रालय के कार्यों के ब्यौरे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के आर टी आई पोर्टल पर डाले गए हैं।

(iii) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत सभी उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

(iv) अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार सभी संयुक्त सचिवों को उनके अधीन कार्यरत एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित सभी उप सचिवों/निदेशकों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

(v) वर्ष 2010–11 से गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और गृह मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन अपनी–अपनी विवरणी केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से अपलोड करते हैं।

(vi) आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस मंत्रालय के तीन भवनों अर्थात् नार्थ ब्लॉक, लोक नायक भवन और जैसलमेर हाउस स्थित प्रत्येक भवन के स्वागत काउंटर पर आवेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह प्राप्त आवेदनों को इसके बाद आर टी आई अनुभाग द्वारा संबंधित सी पी आई ओ/ लोक प्राधिकारियों को स्थानांतरित किया जाता है।

(vii) वर्ष 2010–11 के दौरान गृह मंत्रालय (मुख्य) में 7,478 आवेदन प्राप्त हुए और इन्हें मांगी गई सूचना देने हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को भेज दिया गया।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

15.4.1 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवच के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एस एस ओ) एक नोडल एजेंसी है। इस समय मंत्रालय के सुरक्षा कवच में आने वाले ऐसे 51 भवन हैं जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ये भवन दिल्ली में 16 कि.मी की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व सरकारी भवनों की सुरक्षा से संबंधित नीतियां बनाना और निम्नलिखित के माध्यम से उनका कार्यान्वयन करना है:–

(i) स्वागत संगठन; और

(ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)/सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ)।

15.4.2 स्वागत संगठन में 120 कार्मिक हैं जो 37 सरकारी भवनों में स्थित 53 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश का विनियमन विभिन्न स्वागत अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जहां आगन्तुक पास जारी किए जाते हैं और उनका रिकार्ड रखा जाता है। आगन्तुक पास पूर्व निर्धारित स्तर के अधिकारियों की इस संपुष्टि के बाद कि आगन्तुक को अंदर आने दिया जाए या नहीं, जारी किए जाते हैं।

15.4.3 सीआईएसएफ और एसएसएफ की जी बी एस यूनिट को भवनों और उनके परिसरों की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया जाता है। इन दोनों बलों को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं:–

(क) **प्रवेश नियंत्रण** – यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्रधारी वास्तविक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पासधारी आगन्तुकों को उनके बैगों/ ब्रीफकेसों सहित उनकी जांच/जामा तलाशी के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

(ख) **आतंकवाद–रोधी उपाय** – इन बलों का प्राथमिक दायित्व इन भवनों में आतंकवाद–रोधी उपाय करना है।

(ग) **बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण** – इन भवनों में किसी भी बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) **अनधिकार प्रवेश** – भवन में किसी भी प्रकार के अनधिकार प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ङ) **निकास नियंत्रण** – भवनों से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना ।

राजभाषा

15.5.1 वर्ष 1967 में यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम 1963, वर्ष 1987 में यथासंशोधित राजभाषा नियम 1976 और समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय में एक राजभाषा प्रभाग कार्य कर रहा है जो गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

15.5.2 मंत्रालय के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए, प्रभाग स्तर पर 20 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं और प्रत्येक समिति के अध्यक्ष संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं। संबंधित प्रभाग के अनुभाग अधिकारी रैंक और इससे ऊपर निदेशक रैंक तक के सभी अधिकारी संबंधित समिति के सदस्य हैं। संबंधित प्रभागों के अनुभागों/डेस्कों से प्राप्त हिन्दी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन समितियों की बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए उपचारी उपायों के सुझाव दिए जाते हैं।

वर्ष 1967 में यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्र व्यवहार

15.5.3 वर्ष 1967 में यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षिरत सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। केद्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में आम जनता के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

15.5.4 वर्ष के दौरान, दिल्ली से बाहर स्थित मंत्रालय के 07 कार्यालयों में राजभाषा संबंधी

निरीक्षण किए गए। संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति ने भी वर्ष के दौरान मंत्रालय के 07 कार्यालयों का निरीक्षण किया । इसके अलावा, राजभाषा प्रभाग के कार्मिकों द्वारा मंत्रालय के 43 अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया।

हिन्दी दिवस/हिन्दी माह

15.5.5 मंत्रालय में 14 सितम्बर से 13 अक्टूबर, 2011 तक हिन्दी माह का आयोजन किया गया । विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी के प्रख्यात विद्वान श्री सुभाष चन्द्र लखेड़ा, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डी.आर.डी.ओ, नई दिल्ली के शिक्षाप्रद व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बड़ी संख्या में मंत्रालय के कार्मिकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों में मंत्रालय के हिन्दी भाषी एवं गैर–हिन्दी भाषी कार्मिकों ने भारी संख्या में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा दिनांक 08.02.2012 को आयोजित वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्रालय के 100 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

15.5.6 कुल 68 अवर श्रेणी लिपिकों में से इस समय 58 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसी तरह, कुल 135 आशुलिपिकों में से 71 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिन्दी कार्यशाला

15.5.7 कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने और हिन्दी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु 11.05.2011, 12.05.2011, 13.05.2011 और 26.09.2011 को चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 80 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिन्दी सलाहकार समिति

15.5.8 इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक दिनांक 21.02.2012 को आयोजित हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री ने की।

लोक शिकायतों का निवारण

15.6.1 इस मंत्रालय में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (आई जी आर एम) सभी शिकायतों पर कार्रवाई करता है। वर्ष 2011–12 (29.02.2012) तक की अवधि के दौरान 6,466 शिकायतें प्राप्त हुई और उन सभी पर कार्रवाई की गई।

15.6.2 संयुक्त सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) को निदेशक, लोक शिकायत के रूप में नामित किया गया है। निदेशक, लोक शिकायत का नाम, पदनाम, कमरा संख्या, दूरभाष संख्या इत्यादि स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं।

15.6.3 प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो अपने संबंधित प्रभाग के संबंध में लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

संसदीय कार्य

15.7.1 गृह मंत्रालय ऐसे व्यापक विषयों को निपटाता है जिनकी प्रकृति जटिल और संवेदनशील होती है और जिन पर सतत् संसदीय ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है। यह संसद में चलने वाले गृह मंत्रालय के विधायी और गैर विधायी कार्य से भी परिलक्षित होता है। मंत्रालय ने विभिन्न संसदीय समितियों, यथा सरकारी आश्वासन संबंधी समिति आदि की इस मंत्रालय को भेजी गई सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई भी की है और उन पर समेकित प्रतिक्रिया भी भेजी है। मंत्रालय ने परामर्शदात्री समिति की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की हैं।

15.7.2 इस मंत्रालय ने वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित विषयों पर परामर्शदात्री समिति की पांच बैठकें आयोजित कीं :

(i) 15.04.2011 को अपराध और अपराधी खोजी नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)

(ii) 03.06.2011 को आपदा प्रबंधन

(iii) 02.09.2011 को संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन

(iv) 25.11.2011 को सामुदायिक पुलिस

(v) 28.02.2012 को जांच–पड़ताल, अभियोजन तथा विचारण–पुनरुद्धार की आवश्यकता

15.7.3 गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विधायी मामलों और साथ ही आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की आवधिक बैठकें आयोजित की गईं।

विभागीय लेखा संगठन

लेखा–परीक्षा आपत्तियां/पैरा

15.8.1 गृह मंत्रालय के आन्तरिक वित्त प्रभाग के रूप में कार्यरत गृह मंत्रालय का विभागीय लेखा संगठन (डी ए ओ) गृह मंत्रालय एवं इसके समस्त संबद्ध कार्यालयों के भुगतान, लेखांकन एवं आन्तरिक लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विभागीय लेखा संगठन मंत्रालय से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणियां तैयार करता है और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करता है जो सम्पूर्ण भारत सरकार के लिए समेकन का कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक होता है जो मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आन्तरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग के रूप में, मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की सक्षम प्रणाली को

बनाए रखने में सहायता करता है। विभागीय लेखा संगठन अपने भुगतान एवं लेखा कार्यों को संचालित करने के लिए कम्पैक्ट नामक व्यय लेखा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करता है। कम्पैक्ट से आँकड़ों को ई–लेखा नामक वेब–आधारित एप्लीकेशन पर डाला जाता है, जिसमें समय पर रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है जो मंत्रालय के लिए व्यय सूचना प्रणाली के एक अंग के रूप में कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन बजट को तैयार करने, बजट को निष्पादित करने तथा बजट की रिपोर्टिंग करने में आन्तरिक वित्त प्रभाग की भी सहायता करता है।

15.8.2 लेखा महानियंत्रक के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखा–परीक्षा स्कंध ने इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा की है। संशोधित आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली, 2009 में मंत्रालय के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जोखिम आधारित एवं निष्पादन लेखा परीक्षा करने के लिए आन्तरिक लेखा–परीक्षा कार्य को पुनर्गठित करने पर भी जोर दिया गया है। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है जो मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेगी। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार इस समिति के उपाध्यक्ष हैं और मुख्य लेखा नियंत्रक, जो मुख्य लेखा परीक्षा कार्यपालक भी हैं, इसके सदस्य सचिव हैं। आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए तिमाही और विभिन्न राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए अर्धवार्षिक समवर्ती लेखा परीक्षा करता है। साथ ही, इसे स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के अनुरोध पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के संवितरण की लेखा परीक्षाएं करने का कार्य भी सौंपा गया है। मंत्रालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कन्ध द्वारा क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की योजना की भी लेखापरीक्षा की जा रही है। आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध मंत्रालय के कार्यकारी स्कंधों द्वारा दिए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार विशेष लेखा परीक्षा दायित्वों का भी निवर्हन करता है।

15.8.3 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, विभिन्न केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बगैर), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। 10 अनुदान मांगें इन सभी एजेन्सियों की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। आन्तरिक लेखा–परीक्षा के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के कार्यों एवं वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) द्वारा किया जाता है।

15.8.4 प्रारंभ में व्यय की लेखा–परीक्षा करने के पश्चात लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण रिपोर्ट की अभ्युक्तियां निपटान हेतु संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराई जाती हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के माध्यम से लेखा

परीक्षा पैरा तैयार करते हैं जिन पर गृह मंत्रालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणियां तैयार करनी होती हैं। लेखा परीक्षा पैरा का तत्परता से समाधान करने हेतु लम्बित पैरा की स्थिति लेखा परीक्षा पैरा की प्राप्ति और परिसमापन एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 21 लेखा परीक्षा पैरा लंबित थे। दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, 33 नए पैरे प्राप्त हुए थे जिससे इनकी कुल संख्या 54 हो गई। इनमें से, इस अवधि के दौरान 25 पैराओं का समाधान कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार ऐसे 29 पैरे शेष हैं।

15.8.5 गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया पैरा की संख्या 4,420 थी। दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान निपटाए गए और प्राप्त निरीक्षण नोटों/पैरा की कुल संख्या क्रमशः 1,060 और 1,518 थी। इस प्रकार दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण नोटों/पैरा की संख्या 4,878 थी। इन पैराओं के निपटान की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस मंत्रालय में तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक संगठन के संबंध में ब्यौरे **अनुलग्नक-XVIII** में दिए गए हैं।

15.8.6 पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति **अनुलग्नक-XIX** में दी गई है। गृह मंत्रालय से संबंधित और सी एंड ए जी द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार और उनकी अद्यतन स्थिति क्रमशः **अनुलग्नक-XX** और **XXI** में दी गई है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण

15.9.1 गृह मंत्रालय ने मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा कार्यस्थल पर यौन–शोषण के संबंध में की गई शिकायतों, यदि कोई हों, का निवारण करने के लिए एक पांच सदस्यीय शिकायत निवारण समिति गठित की है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरूष और चार महिला सदस्य हैं तथा एक गैर–सरकारी संगठन के सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की एक सदस्य भी समिति में शामिल हैं। इस समिति की नियमित तौर पर तिमाही बैठकें होती हैं।

15.9.2 इस समिति को वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विकलांग व्यक्तियों को लाभ

15.10.1 सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण (नेत्रहीन अथवा कमजोर नजर, बहरेपन और चलने–फिरने (लोकोमीटर) की

अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरेब्रल पालसि) प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत) निर्धारित किया है।

15.10.2 गृह मंत्रालय में 11 नेत्रहीन, 01 बधिर और 15 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं।

15.10.3 काम के स्वरूप के कारण, केंद्रीय पुलिस बलों में 'वर्दीधारी कार्मिकों' की सभी श्रेणियों के पदों को अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्राप्त है।

लिंग सापेक्ष बजट प्रावधान

15.11 महिलाओं के लाभ के लिए गृह मंत्रालय में की गई पहलों के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

केन्द्रीय औद्यागिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ)

15.11.1 सी आई एस एफ ने विशेषकर महिलाओं के लाभ के लिए रिजर्व बटालियनों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। आर.टी.सी अराकोनम में परिवार कल्याण केन्द्र का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहले ही पूरा हो गया है और आरटीसी बहरोड़ का कार्य प्रगति पर है और वित्त वर्ष 2011–12 के अंत तक पूरा होने की आशा है तथा आरटीसी देवली का कार्य वर्ष 2012–13 में पूरा हो जाएगा। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण विशेषतया महिलाओं के लिए नए कौशल सीखने तथा सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्रियों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से उपार्जन करके अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

15.11.2 पुलिस समस्याओं संबंधी अध्ययन करने और पुलिस प्रशिक्षण आदि हेतु नीतियां और कार्यक्रम बनाने और उसका समन्वय करने वाले बी पी आर एंड डी ने पुलिस में महिलाओं के लाभ, कल्याण और विकास के लिए कई कार्य किए हैं। महिलाओं को लाभ प्रदान करने की निम्नलिखित स्कीमों के लिए बजट अनुमान 2010–11 में 1.18 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है:–

i) अनुसंधान अध्ययन (56 लाख रूपए);

ii) यू जी सी द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार पुलिस विज्ञान और अपराध शास्त्र में विशेषज्ञ (डाक्टोरल) कार्य के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति पुरस्कार (13 लाख रूपए);

iii) बी पी आर एंड डी के अधीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में उपाधीक्षक से ए एस आई रैंक तक की महिला पुलिस अधिकारियों के लिए आत्म विकास और संघर्ष प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम (11 लाख रूपए);

iv) बी पी आर एंड डी के तहत केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में महिलाओं के प्रति अपराध की तुलना में मानवाधिकार, किशोर न्याय और

मानवाधिकार तथा महिला भ्रूण की जांच पर पाठ्यक्रम (7 लाख रूपए);

v) व्यक्तियों के अवैध व्यापार और देश में पुलिस की भूमिका के संबंध में सेमिनार और कार्यशाला (15 लाख रूपए);

vi) लिंग और अ.जा./अ.ज.जा. से संबधित मुद्दों पर आईपीएस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वर्टिकल अन्योन्य पाठ्यक्रम (15 लाख रूपए);

vii) पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत पुरस्कार योजना–हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन (84,000 रूपए)।

15.11.3 महिलाओं के लाभ के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान बी पी आर एण्ड डी द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की गई हैं:

(i) "सिलिकान वैली ऑफ इंडिया, बेंगलूर में आई टी ई एस और वस्त्र उद्योगों में महिलाओं के लिए कार्य के दबाव, संवेदनशीलता और तदनन्तर सुरक्षा की आवश्यकता के तुलनात्मक सामाजिक विश्लेषण" के संबंध में अनुसंधान अध्ययन के लिए डा. सुदेशना मुखर्जी प्रवक्ता, बेंगलूर विश्वविद्यालय को 83,000 रूपए की तीसरी और अन्तिम किस्त वर्ष 2011–12 में प्रदान की गई।

(ii) "इनफ्लूएंश ऑफ सर्टन साइकोलॉजिकल वैरिएबल ऑन आकुपेशनल स्ट्रेस एण्ड वेलबींग एमंग वूमन पुलिस" के संबंध में अनुसंधान अध्ययन के लिए डा. एस. करूणानिधि को 2,61,667 रूपए की दो किस्तें प्रदान की गईं।

(iii) "पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराध" पर एक अनुसंधान अध्ययन 19.80 लाख रूपये के कुल परिव्यय से दिल्ली यूनिवर्सिटी के मानवशास्त्र विभाग के परियोजना निदेशक डॉ. आर.पी. मित्रा को सौंपा गया था जिसका समन्वय भोपाल की प्रोफेसर डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव ने किया। 6.60 लाख रुपए की पहली किस्त वर्ष 2011–12 में निर्मुक्त कर दी गई है।

(iv) "पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराध" पर एक अनुसंधान अध्ययन 19,79,800 रुपए के कुल परिव्यय से महिला मंच छत्तीसगढ़ की परियोजना निदेशक डॉ. श्रीमती शताब्दी पाण्डेय को सौंपा गया था जिसका समन्वय भोपाल की प्रोफेसर डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव ने किया। 6,59,933 रुपए की पहली किस्त वर्ष 2011–12 में निर्मुक्त कर दी गई है।

(v) "उत्तरी क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराध" पर एक अनुसंधान अध्ययन 19,78,900 रुपए के कुल परिव्यय से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल के परियोजना निदेशक डॉ. राका आर्य को सौंपा गया था जिसका समन्वय भोपाल की प्रोफेसर डॉ. दीप्ति श्रीवास्तव ने किया। 6,59,634 रुपए की पहली किस्त वर्ष 2011–12 में निर्मुक्त कर दी गई है।

(vi) वर्ष 2011–12 के दौरान 5 लाख रूपए के अनुमानित व्यय से करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन द्वारा प्रस्तावित महिला पेशेवरों द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में दो अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी ।

(vii) वर्ष 2011–12 के दौरान 2.24 लाख रूपए के व्यय से बी पी आर एण्ड डी के अन्तर्गत केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में महिलाओं के प्रति अपराध की तुलना में मानवाधिकार, किशोर न्याय और मानवाधिकार के संबंध में छः (06) पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

(viii) वर्ष 2011–12 के दौरान 3 लाख रूपए के व्यय से बी पी आर एण्ड डी के अन्तर्गत केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में अनन्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक से ए एस आई रैंक तक की महिला पुलिस अधिकारियों के लिए आत्म विकास तथा संघर्ष प्रबंधन के संबंध में दो (2) पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

(ix) वर्ष 2011–12 के दौरान 15,56,000 रूपए के व्यय से देश में व्यक्तियों के अवैध व्यापार तथा पुलिस की भूमिका के संबंध में दस (10) सेमिनार–सह–कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(x) वर्ष 2011–12 के दौरान 1.60 लाख रूपए के व्यय से लिंग सापेक्षता तथा अनु.जा./अनु.ज.जा. से संबंधित मुद्दों के संबंध में आई पी एस एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो (02) वर्टिकल इन्टरएक्शन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

(xi) वर्ष 2011–12 के दौरान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का एक (01) पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिए आयोजित किया गया जिस पर 4 लाख रूपए व्यय हुए।

(xii) वर्ष 2011–12 के दौरान पंडित गोविन्द बल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों के लिए महिलाओं को कुल 84,000 रूपए के तीन पुरस्कार प्रदान किए गए।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ)

15.11.4 सरकार ने प्रारंभ में वर्ष 1985 के दौरान सी आर पी एफ में महिला बटालियन गठित करने का अनुमोदन प्रदान किया था। अल्प समयावधि के अन्दर दो अन्य महिला बटालियनों का गठन किया गया है और इस समय सी आर पी एफ में तीन महिला बटालियनें कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, बल ने अनन्य रूप से महिलाओं के लिए तीन सी आर पी एफ इकाइयों के लिए महिला कार्मिकों की भर्ती की है और देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात आर ए एफ इकाइयों/जीसी सहित इन इकाइयों में उनकी तैनाती की है।

15.11.5 बल ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं को नए कौशल सीखने और सिलाई,

हस्तशिल्प तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन इत्यादि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार के आयोपार्जन को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

15.11.6 सी आर पी एफ में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:–

(i) महिला हॉस्टल।

(ii) मनोरंजन/सामूहिक कर्मचारी कक्षों में महिलाओं से संबंधित पुस्तकें तथा जर्नल।

(iii) महिलाओं हेतु अनन्य रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं।

(iv) महिला विश्राम कक्ष में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी एवं डी वी डी आदि का प्रावधान।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा के साथ डे केयर सेंटर/क्रेच।

(vi) अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पृथक रूप से कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

15.11.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए, सी आर पी एफ ने क्षेत्रीय स्तर पर एक चार सदस्यीय शिकायत समिति का गठन किया है। इस समिति ने शिकायत, यदि कोई हो, को तीव्रता से निपटाने के लिए नियमित तौर पर तिमाही बैठकें आयोजित करनी शुरू कर दी हैं।

15.11.8 सी आर पी एफ में महिलाओं को पृथक रूप से विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चल प्रसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तैनाती के दौरान महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। साक्षात्कारों, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श के अतिरिक्त महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

15.11.9 सी आर पी एफ में तीन विशिष्ट महिला बटालियनें शामिल हैं– एक दिल्ली में, दूसरी गांधीनगर (गुजरात) में है और तीसरी बटालियन अजमेर, (राजस्थान) में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इन बटालियनों की महिला कार्मिकों को विभिन्न कानून एवं व्यवस्था ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है। इनके अलावा विभिन्न स्तरों पर ग्रुप सेंटरों तथा आर ए एफ में तैनात महिला कर्मचारी पूरे देश में विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटियां कर रही हैं । प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

राजपत्रित	अराजपत्रित	कुल
153	4476	4629

15.11.10 महिला कर्मचारियों की अनुमानित वार्षिक वेतन लागत 121.94 करोड़ रूपए है।

15.11.11 125 महिला पुलिस अधिकारियों से युक्त पहली महिला फार्म्ड पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू) दिनांक 30.01.2007 को मोनोविया, लाइबेरिया पहुंची और दिनांक 02.02.2007 से 05.02.2007 तक तैनाती पूर्व प्रशिक्षण के पश्चात इस दल ने दिनांक 08.02.2007 को यूनिटी कान्फ्रेंस सेंटर पर अपनी पहली तैनाती प्रारंभ की।

15.11.12 एफ एफ पी यू की तैनाती आज तक जारी है और बाद के बैचों को वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में तैनात किया गया है। वर्तमान बैच, अर्थात 125 महिला अधिकारियों/पुरूषों की एफएफपीयू की पांचवीं टुकड़ी को 10/22.02.2011 से यू.एन.एम.आई.एल. के अधीन मोनरोविया, लिवेरिया में तैनात किया गया है। इस टुकड़ी को फरवरी, 2012 में अन्य टुकड़ी से प्रतिस्थापित किया जाना है जिसकी चयन प्रक्रिया आर.ए.एफ के महानिदेशक की समग्र निगरानी में चल रही है।

15.11.13 केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान प्रत्येक के लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैः

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्कीमों के ब्यौरे	आबंटन	
		2011–12	**2012–13**
1.	डे केयर सेन्टर	06.00	08.00
2.	महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण	02.00	03.00
3.	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	08.00	08.00
4.	तात्कालिक सेवा	10.00	10.00
5.	पोषाहार देखभाल केन्द्र	07.00	08.00
6.	महिला हास्टल/पारिवारिक आवास	42.00	40.00
	कुल	**75.00**	**77.00**

सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)

15.11.14 केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान प्रत्येक के लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्कीमों के ब्यौरे	आबंटन	
		2011–12	2012–13
1.	डे केयर सेन्टर	00.16	00.56
2.	महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण	00.03	00.10
3.	स्वास्थ्य एवं पोषाहार देखभाल केन्द्र	00.21	00.34
4.	महिला हास्टल	01.50	00.00
5.	महिला कर्मचारियों के लिए अलग आवास	01.00	00.00
	कुल	**02.90**	**01.00**

क) डे केयर सेन्टर (क्रेच) और बॉडी केयर सेंटर चलाने के लिए सेक्टर हेडक्वाटर रानीडंगा के अंतर्गत कार्यरत यूनिटों द्वारा 2.94 लाख रूपये का उपयोग किया गया।

ख) डे केयर सेन्टर (क्रेच) और बॉडी केयर सेंटर चलाने के लिए एफ.टी.आर. पटना के अंतर्गत कार्यरत यूनिटों द्वारा 2.99 लाख रूपये का उपयोग किया गया।

ग) बटालियन हेडक्वाटर, नरकटियागंज में महिला घटक के लिए 1 बैरक (72 महिला कांस्टेबल) के निर्माण के लिए 20.38 लाख रूपये व्यय किए गए। 31.03.2012 तक निधियों का उपयोग कर लिया जाएगा।

सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ)

15.11.15 महिलाओं को अनन्य रूप से लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के नाम और वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान उनमें से प्रत्येक के लिए किया गया प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(लाख रूपए में)

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	वर्ष–वार आबंटन	
		2010–11	2011–12
1.	पंजाब फ्रंटियर, बी एस एफ की 86 बीओपी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास	250.00	264.40
2.	साउथ बंगाल फ्रंटियर, बी एस एफ की 06 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास	5.00	0.00

(लाख रूपए में)

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	वर्ष–वार आबंटन	
		2010–11	2011–12
3.	नार्थ बंगाल फ्रंटियर, बी एस एफ की 04 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास	10.00	0.00
4.	एस टी सी, बी एस एफ, खारकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए महिला हास्टल	150.00	0.00
5.	एस टी सी, बी एस एफ, खारकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रसाधन ब्लाक	2.00	0.00
6.	एस टी सी, बी एस एफ, खारकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में लेक्चर पोस्ट	5.00	0.00
7.	एस टी सी, बी एस एफ, खारकन कैम्प, होशियारपुर पंजाब में प्रसाधन ब्लाक	5.00	0.00
8.	25 बटालियन बी एस एफ, चावला कैम्प, नई दिल्ली में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित महिला आवास	40.00	16.00
	कुल बजट/आबंटन	**467.00**	**280.40**

(i) वर्ष 2011–12 के दौरान पंजाब फ्रंटियर की बीओपी में प्रसाधन, कुक हाउस सहित 15 महिला आवास के निर्माण के लिए 264.40 लाख रूपये उपयोग किए गए।

(ii) वर्ष 2011–12 के दौरान, 25 बटालियन, बीएसएफ, छावला कैम्प, नई दिल्ली में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हॉल सहित महिला आवास के निर्माण के लिए 56 लाख रूपये उपयोग किए गए।

(iii) उपलब्ध आवास में से सभी बी ओ पी में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी देखभाल की सुविधाएं सृजित की गई हैं।

(iv) उपलब्ध आवास में से बटालियन मुख्यालयों, सेक्टर मुख्यालय, फ्रंटियर मुख्यालय और प्रशिक्षण संस्थाओं में डे केयर और महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण की सुविधाएं सृजित की गई हैं।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी)

15.11.16 आई टी बी पी ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं को नए कौशल सीखने और सिलाई, हस्तशिल्प तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन इत्यादि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार के आयोपार्जन को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

15.11.17 अन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई थीं:–

(i) महिला हॉस्टल।

(ii) मनोरंजन/सामूहिक कर्मचारी कक्षों में महिलाओं से संबंधित पुस्तकें तथा जर्नल।

(iii) महिलाओं हेतु अनन्य रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं।

(iv) महिला विश्राम कक्ष में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी एवं डी वी डी आदि का प्रावधान।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा के साथ डे केयर सेंटर/क्रेच।

(vi) अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पृथक रूप से कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

15.11.18 महिलाओं को पृथक रूप से विश्राम कक्ष, चल प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तैनाती के दौरान महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। साक्षात्कारों, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श के अतिरिक्त महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

15.11.19 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैं:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
31	66	803	900

15.11.20 इस समय 05 महिला आई टी बी पी कार्मिक कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

15.11.21 केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान प्रत्येक के लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	योजनाओं के ब्यौरे	आबंटन	
		2011–12	2012–13
1.	32 स्थानों पर महिलाओं के लिए क्रेच, डे–केयर सेन्टर खोलना, महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, पोषाहार देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष (फर्नीचर एवं फिक्सचर) तथा वाशिंग/ड्राइंग/महिला लांड्री	0.17	0.21
2.	स्टाफ स्थिति (मजदूरी)	0.05	0.06
	कुल	**0.22**	**0.27**

--*

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वर्ष 2011–12 के दौरान (दिनांक 16.03.2012 की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	राज्य मंत्री
श्री गुरूदास कामत (12.07.2011 तक)	
श्री जितेन्द्र सिंह (12.07.2011 से)	
श्री जी. के. पिल्लै (30.06.2011 तक)	गृह सचिव
श्री राज कुमार सिंह (30.06.2011 से)	
श्री ए. ई. अहमद	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री यू. के. बंसल (31.10.2011 तक)	सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री विश्वपति त्रिवेदी (25.11.2011 तक)	विशेष सचिव
श्री डी. आर. एस. चौधरी (13.10.2011 तक)	
श्री अजय चड्ढा (29.12.2011 से)	
श्री अनिल गोस्वामी	अपर सचिव
श्रीमती बी. भामती	
श्री एस. सी. पांडा (22.12.2011 से)	
श्री भगवान शंकर (01.08.2011 से)	संयुक्त सचिव
श्री डी. दिप्तीविलास (22.12.2011 तक)	
श्री धर्मेन्द्र शर्मा	
श्री जी. वी. वेणुगोपाल शर्मा	
श्री कमल कांत मित्तल (20.04.2011 से)	
श्री के. सी. जैन (30.09.2011 तक)	
श्री के. के. पाठक	
श्री के. स्कन्दन	

जारी

अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2011–12 के दौरान (दिनांक 16.03.2012 की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री एल. डी. झा	
श्री एम. गोपाल रेड्डी	
श्री एम. ए. गणपति (15.04.2011 से)	
डा. निर्मलजीत सिंह कलसी	
श्री आर. के. श्रीवास्तव	
श्री राकेश सिंह (28.02.2012 से)	
श्रीमती रश्मि गोयल	
श्री आर. पी. नाथ	
श्री राधा रमण झा	
श्री सतपाल चौहान (18.10.2011 से)	
श्री शंभू सिंह	
श्री एस. सुरेश कुमार	
श्री एल. विश्वनाथन (29.02.2012 तक)	संयुक्त सचिव (इन–सीटू)
डा. (सुश्री) प्रफुल्ल करकेटा	
श्री ओम प्रकाश माहे (30.11.2011 तक)	
श्री जगदीश लाल चुघ	
श्रीमती सरस्वती रामराज (30.08.2011 से)	
डा. संजीव मिश्रा	मुख्य लेखा नियंत्रक
(संदर्भ : अध्याय I, पैरा 1.4)	

अनुलग्नक-II

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 16.03.2012 की स्थिति के अनुसार)

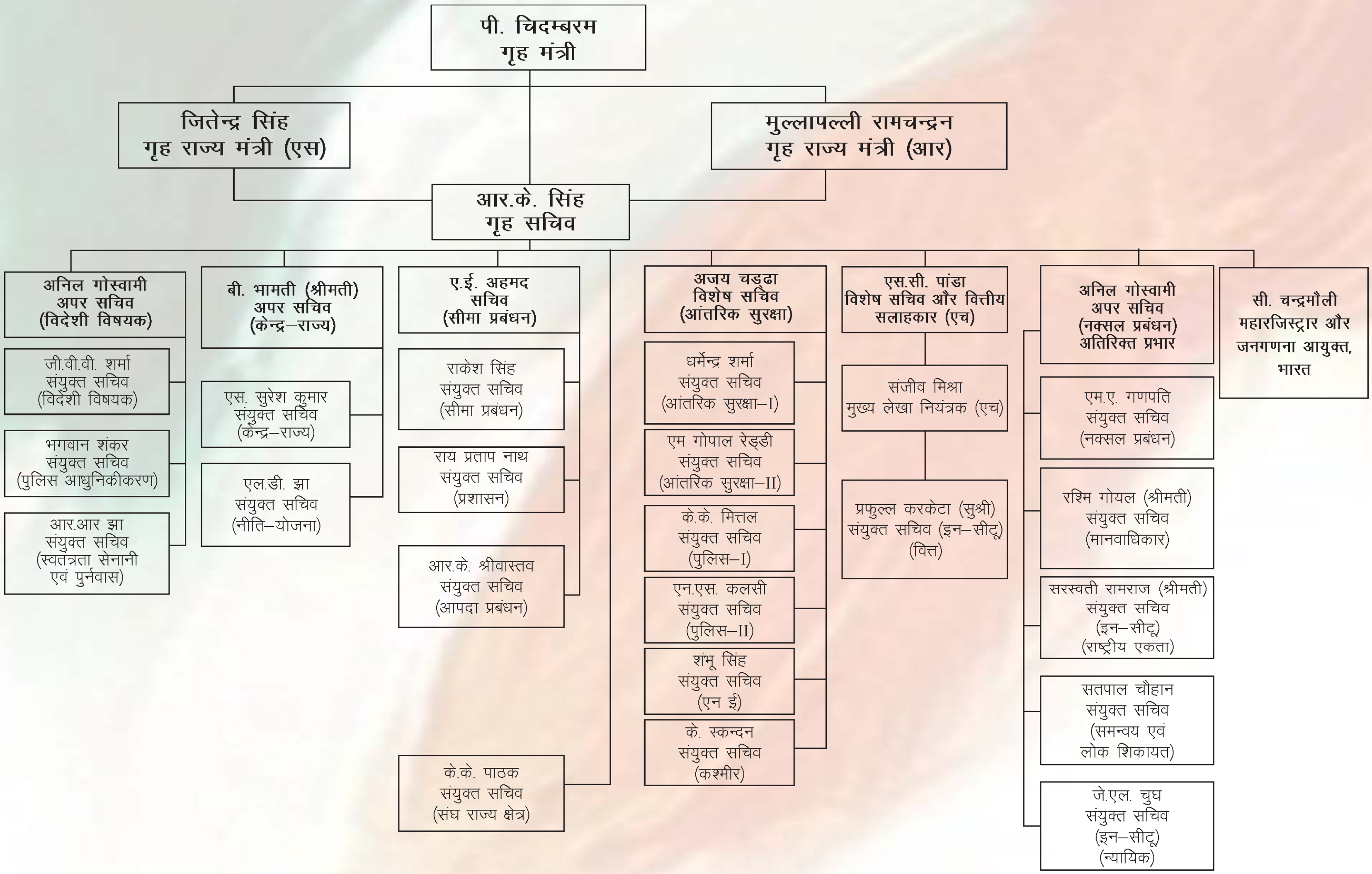

(संदर्भ : अध्याय I, पैरा 1.4)

अनुलग्नक-III

जे एंड के पंचायत चुनावों में चरण–वार मतदान की स्थिति

क्रम सं.	चरण	चुनाव की तारीख	मतदान का %
1.	प्रथम	13.04.2011	78.12
2.	दूसरा	17.04.2011	81.82
3.	तीसरा	21.04.2011	78.95
4.	चौथा	25.04.2011	80.55
5.	पांचवां	30.04.2011	81.09
6.	छठा	04.05.2011	80.52
7.	सातवां	08.05.2011	80.39
8.	आठवां	12.05.2011	77.65
9.	नौवां	16.05.2011	82.13
10.	दसवां	21.05.2011	77.14
11.	ग्यारहवां	25.05.2011	70.61
12.	बारहवां	29.05.2011	74.00
13.	तेरहवां	02.06.2011	73.15
14.	चौदहवां	06.06.2011	67.32
15.	पंद्रहवां	11.06.2011	78.29
16	सोलवां	18.06.2011	79.83
17.	सत्रहवां	27.06.2011	65.35
मतदान का औसत %			**76.87**

(संदर्भ : अध्याय II, पैरा 2.7.36)

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2007–2011 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य–वार सुरक्षा की स्थिति

असम					
शीर्ष	2007	2008	2009	2010	2011
घटनाएं	474	387	424	251	145
गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	759	1237	1259	1026	*1084
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	27	18	22	12	14
मारे गए नागरिक	287	245	152	53	18
* दिनांक 14.12.2011 को राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले यूपीडीएस सहित					
मेघालय					
घटनाएं	28	16	12	29	56
गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	85	88	67	119	107
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	1	02	-	-	08
मारे गए नागरिक	9	01	3	04	12
त्रिपुरा					
घटनाएं	94	68	19	30	13
गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	303	382	307	155	44
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	6	03	1	02	-
मारे गए नागरिक	14	10	08	02	01
अरुणाचल प्रदेश					
घटनाएं	35	28	53	32	53
गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	53	26	108	116	95
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	5	-	-	-	-
मारे गए नागरिक	12	03	03	02	06

(जारी)

अनुलग्नक-IV (जारी)

वर्ष 2007–2011 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य–वार सुरक्षा की स्थिति

नागालैंड					
शीर्ष	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
घटनाएं	272	321	129	64	61
गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	211	460	206	264	275
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	1	3	-	-	-
मारे गए नागरिक	44	70	16	-	07
मिजोरम					
घटनाएं	2	1	1	-	1
गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	21	13	-	-	6
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	0	4	-	-	-
मारे गए नागरिक	2	-	1	-	-
मणिपुर					
घटनाएं	584	740	659	367	298
गिरफ्तार/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	1443	2112	1896	1626	1677
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	39	16	19	6	10
मारे गए नागरिक	130	137	81	33	26

(संदर्भ : अध्याय II, पैरा 2.8.2)

अनुलग्नक-V

पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी/विद्रोही गुटों की राज्य–वार सूची

	असम
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)
(iii)	दीमा हलम दाओगा (जोइल गरलोसा) – डी एच डी (जे)
	मणिपुर
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पी आर ई पी ए के)
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी)
(v)	कांगलेई याओल कांबा लुप (के वाई के एल)
(vi)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)
(vii)	रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ)
	मेघालय
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कांउसिल (एच एन एल सी)
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए)
	त्रिपुरा
(i)	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ)
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी)
	नागालैंड
(i)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (इजाक मुइवाह) – [एन एस सी एन(आई/एम)]
(ii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एन एस सी एन(के)]
	अरुणाचल प्रदेश
(i)	नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम/इसाक–मुइवाह(एनएससीएन/आईएम)
(ii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एन एस सी एन(के)]
(iii)	युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
(iv)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)

* नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के दो गुटों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित सभी आतंकवादी गुटों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 3) के अन्तर्गत "विधिविरुद्ध" संघ के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त असम, मणिपुर और त्रिपुरा (एन एस सी एन के दो गुटों को छोड़कर) के संबंध में ऊपर उल्लिखित गुटों को भी उक्त अधिनियम की अनुसूची में "आतंकवादी संगठन" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

** इसके अतिरिक्त, दीमा हलम दाओगाह (डी एच डी) और यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी (यू पी डी एस); कारबी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ) और नागा नेशनल काउन्सिल (एन एन सी) आदि जैसे अन्य उग्रवादी समूह भी पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं।

(संदर्भ : अध्याय II, पैरा 2.8.13)

अनुलग्नक-VI

विगत दस वर्षों के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

राज्य	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (31.12.2011) तक
असम	92.86	68.01	50.80	75.40	63.91	90.86	75.61	108.60	60.56	92.04	130.96
नागालैंड	12.71	22.42	19.17	26.49	24.83	25.55	21.97	33.13	41.23	79.81	17.88
मणिपुर	7.75	7.64	4.00	9.44	33.65	13.60	14.45	21.58	27.26	27.28	11.17
त्रिपुरा	27.70	29.85	34.33	36.17	27.00	18.24	16.47	45.04	11.85	21.12	28.44
अरुणाचल प्रदेश	1.90	0.95	2.47	1.35	1.35	1.28	3.02	5.45	7.17	16.57	
मेघालय	0.60	8.35	1.92	1.56	13.17	3.91	5.88	6.24	1.93	3.16	11.53

(संदर्भ : अध्याय II, पैरा 2.8.25)

अनुलग्नक-VII

वर्ष 2001–02 से 2011–12 (दिनांक 31.12.2011 तक) के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) की योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

राज्य का नाम	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
अरुणाचल प्रदेश	6.53	5.21	10.61	8.06	9.13	7.00	11.53	11.71	14.72	11.50	10.52	0.2274
असम	59.03	58.80	32.11	36.89	41.37	56.68	52.18	88.12	68.12	60.79	48.11	0.3790
मणिपुर	10.61	8.57	12.22	17.52	15.24	16.97	14.09	32.06	39.24	27.44	26.48	22.659
मेघालय	7.89	8.43	5.43	5.32	7.58	6.57	8.59	15.41	10.82	9.73	8.33	0.0758
मिजोरम	9.31	9.15	13.64	8.51	7.45	6.00	10.48	10.98	12.69	11.48	19.40	10.9392
नागालैंड	9.35	19.39	25.83	23.29	13.09	17.52	22.68	30.72	38.43	31.50	33.61	0.1516
सिक्किम	3.89	3.76	1.83	0.95	5.90	2.43	3.46	4.42	6.12	4.72	2.09	0.0758
त्रिपुरा	20.20	13.92	15.92	19.89	11.17	11.83	11.34	8.85	20.66	22.92	23.00	0.0758
कुल	**126.81**	**125.23**	**117.63**	**120.43**	**110.93**	**125.00**	**134.35**	**202.27**	**210.80**	**180.08**	**171.54**	**34.5836**

(संदर्भ : अध्याय II, पैरा 2.8.29)

अनुलग्नक-VIII

संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल और जनसंख्या

क्रम सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनसंख्या (2001 की जनगणना)	जनसंख्या (2011 की जनगणना–अनंतिम)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,56,152	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	9,00,635	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली	491	2,20,490	3,42,853
4.	दमन और दीव	112	1,58,204	2,42,911
5.	लक्षद्वीप	32	60,650	64,429
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,38,50,507	1,67,53,235
7.	पुदुचेरी	479	9,74,345	12,44,464
	कुल	**10,960**	**1,65,20,983**	**2,00,82,522**

(संदर्भ : अध्याय VII, पैरा 7.1.2)

अनुलग्नक - IX

विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के बजट का सारांश

(करोड़ रूपए में)

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
अं. और नि. द्वीपसमूह							
योजना	1087.85	1534.77	1536.81	1518.35	954.36	934.24	1430.45
गैर–योजना	800.00	1086.42	1148.37	1192.32	1106.25	1223.81	1173.90
कुल	**1887.85**	**2621.19**	**2658.18**	**2710.67**	**2060.61**	**2158.05**	**2604.35**
चंडीगढ़							
योजना	304.65	488.54	319.22	449.13	450.91	461.31	661.89
गैर–योजना	890.00	949.09	1449.00	1467.03	1466.00	1648.90	1646.53
कुल	**1194.65**	**1437.63**	**1768.22**	**1916.16**	**1916.91**	**2110.21**	**2308.42**
दादरा और नगर हवेली							
योजना	86.03	111.00	153.68	188.64	195.82	256.95	334.14
गैर–योजना	65.00	326.09	91.42	97.86	89.34	92.87	97.30
कुल	**151.03**	**437.09**	**245.10**	**28.65**	**285.16**	**349.82**	**431.44**
दमन और दीव							
योजना	82.25	104.95	154.34	164.81	169.23	167.01	324.95
गैर–योजना	66.00	163.53	83.21	112.33	98.54	101.40	105.40
कुल	**148.25**	**268.48**	**237.55**	**277.14**	**267.77**	**268.41**	**430.35**
लक्षद्वीप							
योजना	263.68	270.16	296.86	267.02	322.08	321.88	388.79
गैर–योजना	252.35	371.53	379.97	396.39	388.06	444.26	385.76
कुल	**516.03**	**641.69**	**676.83**	**663.41**	**710.14**	**766.14**	**774.55**
विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता (गैप ग्रांट)							
पुदुचेरी							
योजना	136.37	150.35	264.19	245.21	172.29	177.28	396.56
गैर–योजना	439.00	941.57	755.00	860.67	565.00	565.00	565.00
कुल	**575.37**	**1091.92**	**1019.19**	**1105.88**	**737.29**	**742.28**	**961.56**
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली							
योजना	1240.02	808.22	2435.68	2435.69	1228.81	943.48	1192.73
गैर–योजना	25.00	25.00	25.00	24.87	25.00	2.55	3.00
कुल	**1265.02**	**833.22**	**2460.68**	**2460.56**	**1253.81**	**946.03**	**1195.73**

(संदर्भ : अध्याय VII, पैरा 7.1.2)

अनुलग्नक-X

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के लिए जारी की गई निधियां

(लाख रूपए में)

क्रम सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल धनराशि	जारी धनराशि
1.	दिल्ली	10240.00	10240.00
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2647.28	2647.28
3.	पुदुचेरी	1320.00	660.00
4.	दादरा और नगर हवेली	520.00	446.25
5.	लक्षद्वीप	329.22	195.95
6.	चंडीगढ़	140.00	116.60
7.	दमन और दीव	450.00	375.51
	कुल	**15196.50**	**14306.08**

(संदर्भ : अध्याय VII, पैरा 7.11)

अनुलग्नक-XI

वर्ष 2002–03 से 2011–12 (31.12.2011 तक) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपगत व्यय के ब्यौरे

बल का नाम	कुल परिव्यय	व्यय										कुल	व्यय का %
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
एआर	485.00	0.00	52.31	40.50	65.69	69.06	7.76	32.19	37.60	86.41	57.25	448.77	92.53
बीएसएफ	2281.00	419.61	141.42	154.33	236.27	182.58	177.16	87.95	136.10	70.80	149.10	1755.32	76.95
सीआईएसएफ	112.00	43.81	20.97	20.05	1.95	15.66	2.83	0.90	0.41	0.00	0.00	106.58	95.16
सीआरपीएफ	543.00	153.76	90.07	89.80	53.43	47.46	5.08	1.95	26.90	60.27	4.10	532.82	98.13
आईटीबीपी	238.00	89.25	21.96	36.74	11.70	9.76	0.28	5.64	8.76	6.78	51.40	242.27	101.79
एनएसजी	82.00	2.96	1.24	2.79	9.72	1.89	14.74	3.03	10.99	12.32	6.20	65.88	80.34
एसएसबी	444.00	0.00	0.00	0.00	91.78	82.61	56.54	19.90	33.13	7.05	10.80	301.81	67.98
कुल	**4185.00**	**709.39**	**327.97**	**344.21**	**470.54**	**409.02**	**264.39**	**151.56**	**253.89**	**243.63**	**278.85**	**3453.45**	**82.52**

(संदर्भ : अध्याय VIII, पैरा 8.14.1)

अनुलग्नक-XII

वर्ष 2010–2015 के दौरान राज्य आपदा राहत निधि

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	राज्य	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल 2010–15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	508.84	534.28	560.99	589.04	618.49	2811.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.74	38.58	40.51	42.54	44.67	203.04
3.	असम	263.77	276.96	290.81	305.35	320.62	1457.51
4.	बिहार	334.49	351.21	368.77	387.21	406.57	1848.25
5.	छत्तीसगढ़	151.32	158.89	166.83	175.17	183.93	836.14
6.	गोवा	2.96	3.11	3.27	3.43	3.60	16.37
7.	गुजरात	502.12	527.23	553.59	581.27	610.33	2774.54
8.	हरियाणा	192.90	202.55	212.68	223.31	234.48	1065.92
9.	हिमाचल प्रदेश	130.76	137.30	144.17	151.38	158.95	722.56
10.	जम्मू और कश्मीर	172.46	181.08	190.13	199.64	209.62	952.93
11.	झारखंड	259.45	272.42	286.04	300.34	315.36	1433.61
12.	कर्नाटक	160.96	169.01	177.46	186.33	195.65	889.41
13.	केरल	131.08	137.63	144.51	151.74	159.33	724.29
14.	मध्य प्रदेश	392.75	412.39	433.01	454.66	477.39	2170.20
15.	महाराष्ट्र	442.69	464.82	488.06	512.46	538.08	2446.11
16.	मणिपुर	7.22	7.58	7.96	8.36	8.78	39.90
17.	मेघालय	14.65	15.38	16.15	16.96	17.81	80.95
18.	मिजोरम	8.55	8.98	9.43	9.90	10.40	47.26
19.	नागालैंड	4.97	5.22	5.48	5.75	6.04	27.46
20.	ओडिशा	391.58	411.16	431.72	453.31	475.98	2163.75
21.	पंजाब	222.92	234.07	245.77	258.06	270.96	1231.78
22.	राजस्थान	600.66	630.69	662.22	695.33	730.10	3319.00
23.	सिक्किम	22.75	23.89	25.08	26.33	27.65	125.70
24.	तमिलनाडु	293.52	308.20	323.61	339.79	356.78	1621.90
25.	त्रिपुरा	19.31	20.28	21.29	22.35	23.47	106.70
26.	उत्तर पदेश	385.39	404.66	424.89	446.13	468.44	2129.51
27.	उत्तराखंड	117.66	123.54	129.72	136.21	143.02	650.15
28.	पश्चिम बंगाल	304.83	320.07	336.07	352.87	370.51	1684.35
	कुल	**6077.30**	**6381.18**	**6700.22**	**7035.22**	**7387.01**	**33580.93**

(संदर्भ : अध्याय X, पैरा 10.33)

अनुलग्नक-XIII

दिनांक 21.01.2012 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2011–2012 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आबंटित और जारी की गई निधियां

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आंवटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	400.71	133.57	534.28	100.355 #	—	257.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	34.72	3.86	38.58	17.36	—	—
3.	असम	249.26	27.70	276.96	124.63	—	—
4.	बिहार	263.41	87.80	351.21	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	119.17	39.72	158.89	116.330 (56.745 @ + 59.585)	—	—
6.	गोवा	2.33	0.78	3.11	2.275 (1.11 @ + 1.165)	—	—
7.	गुजरात	395.42	131.81	527.23	—	—	—
8.	हरियाणा	151.91	50.64	202.55	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	123.57	13.73	137.30	61.785	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	162.97	18.11	181.08	—	—	—
11.	झारखंड	204.32	68.10	272.42	102.16	—	—
12.	कर्नाटक	126.76	42.25	169.01	63.38	63.38	—
13.	केरल	103.22	34.41	137.63	51.61	—	—
14.	मध्य प्रदेश	309.29	103.10	412.39	77.3225 #	—	—
15.	महाराष्ट्र	348.62	116.20	464.82	—	—	—
16.	मणिपुर	6.82	0.76	7.58	3.25 @	—	—
17.	मेघालय	13.84	1.54	15.38	6.60	—	—
18.	मिजोरम	8.08	0.90	8.98	3.85 @	—	—
19.	नागालैंड	4.70	0.52	5.22	—	—	—
20.	ओडिशा	308.37	102.79	411.16	154.19	154.185	678.65
21.	पंजाब	175.55	58.52	234.07	171.37 (83.595 @ + 87.775)	—	—
22.	राजस्थान	473.02	157.67	630.69	461.76 (225.25 @ + 236.51)	—	—
23.	सिक्किम	21.50	2.39	23.89	20.99 (10.24 @ + 10.75)	10.75	200.38
24.	तमिलनाडु	231.15	77.05	308.20	115.757	—	500.00
25.	त्रिपुरा	18.25	2.03	20.28	17.815 (8.69@+9.125)	9.125	—
26.	उत्तर प्रदेश	303.50	101.16	404.66	151.75	—	—
27.	उत्तराखंड	111.19	12.35	123.54	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	240.05	80.02	320.07	120.025	120.025	—
	कुल	**4911.70**	**1469.48**	**6381.18**	**1944.38**	**357.47**	**1636.64**

(संदर्भ : अध्याय X, पैरा 10.37)

वर्ष 2011–12 के लिए एसडीआरएफ का हिस्सा वर्ष 2010–11 के दौरान अग्रिम रूप में पहले ही जारी किया गया।

* वर्ष 2012–13 के लिए एसडीआरएफ का हिस्सा वर्ष 2011–12 के दौरान अग्रिम रूप से जारी किया गया।

@ वर्ष 2010–11 के लिए केन्द्रीय हिस्से की बकाया राशि जारी की गई।

टिप्पणी: - शेष राशि और वर्ष 2011–12 के लिए एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त राज्य सरकार द्वारा मार्गनिर्देशों के पैरा 11 में यथा उल्लिखित अपेक्षित पुष्टिकरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने की वजह से जारी नहीं की गई है [अर्थात् राज्य के महालेखाकार (ए एण्ड ई) द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपष प्रस्तुत करना, राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) का गठन, वार्षिक रिपोर्ट और एसडीआरएफ का सृजन आदि] ।

अनुलग्नक-XIV

वर्ष 2010 से 2015 की अवधि के लिए क्षमता निर्माण हेतु अनुदान का राज्य–वार आबंटन

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
3.	असम	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
4.	बिहार	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
5.	छत्तीसगढ़	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
6.	गोवा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
7.	गुजरात	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
8.	हरियाणा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
10.	जम्मू और कश्मीर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
11.	झारखंड	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
12.	कर्नाटक	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
13.	केरल	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
14.	मध्य प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
15.	महाराष्ट्र	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
16.	मणिपुर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
17.	मेघालय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
18.	मिजोरम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
19.	नागालैंड	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
20.	ओडिशा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
21.	पंजाब	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
22.	राजस्थान	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
23.	सिक्किम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
24.	तमिलनाडु	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
25.	त्रिपुरा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
26.	उत्तर प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
27.	उत्तराखंड	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
28.	पश्चिम बंगाल	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
	कुल	#105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	525.00

(संदर्भ : अध्याय X, पैरा 10.38)

यह राशि वर्ष 2010–11 के दौरान सभी राज्य सरकारों को 'लेखागत' और अनंतिम आधार पर आपदा से संबंधित करर्वाई के लिए क्षमता निर्माण हेतु अनुदान सहायता के रूप में 11 अक्तूबर, 2010 को जारी की गई है।

अनुलग्नक-XV

वर्ष 2011–12 के दौरान (23.01.2012 की स्थिति के अनुसार) चक्रवातीय तूफान/तेज बाढ़/बाढ़/भू–स्खलन/बादल फटने/भूकम्प आदि के कारण हुई क्षति के राज्य–वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(अनंतिम)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए लोगों की संख्या	मारे गए मवेशियों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	13	—	277	4.17
2.	बिहार	37	—	1603	—
3.	गोवा	1	—	134	neg
4.	गुजरात	53	175	4734	—
5.	हिमाचल प्रदेश	51	2374	10838	1.56
6.	कर्नाटक	84	51	419	—
7.	केरल	152	531	14222	1.18
8.	महाराष्ट्र	106	—	—	—
9.	ओडिशा	87	1493	290780	4.19
10.	पंजाब	14	4	26	—
11.	सिक्किम	*77	1333	23903	0.14
12.	तमिलनाडु	57	669	99904	2.10
13.	उत्तर प्रदेश	692	268	22858	5.25
14.	उत्तराखंड	19	10	107	—
15.	पश्चिम बंगाल	*79	33	317481	0.09
16.	पुदुचेरी	8	35	4	0.17
	कुल	**1530**	**6976**	**787290**	**18.85**

(संदर्भ : अध्याय X, पैरा 10.43)

*** इसमें दिनांक 18.09.2011 के भूकम्प की वजह से सिक्किम में हुई 60 लोगों की मृत्यु, पश्चिम बंगाल में हुई 11 लोगों की मृत्यु और बिहार में हुई 10 लोगों की मृत्यु शामिल है।**

अनुलग्नक-XVI

अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर, 2010

भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	**22.1**	**23.7**	**18.0**	**7.2**	**7.7**	**5.8**	**14.9**	**15.9**	**12.2**	**47**	**51**	**31**
बड़े राज्य												
1. आंध्र प्रदेश	17.9	18.3	16.7	7.6	8.6	5.4	10.2	9.7	11.3	46	51	33
2. असम	23.2	24.4	15.8	8.2	8.6	5.8	14.9	15.8	10.1	58	60	36
3. बिहार	28.1	28.8	22.0	6.8	7.0	5.6	21.3	21.8	16.4	48	49	38
4. छत्तीसगढ़	25.3	26.8	18.6	8.0	8.4	6.2	17.3	18.4	12.4	51	52	44
5. दिल्ली	17.8	19.7	17.5	4.2	4.6	4.1	13.6	15.0	13.4	30	37	29
6. गुजरात	21.8	23.3	19.4	6.7	7.5	5.5	15.1	15.8	14.0	44	51	30
7. हरियाणा	22.3	23.3	19.8	6.6	7.0	5.6	15.7	16.3	14.3	48	51	38
8. जम्मू और कश्मीर	18.3	19.5	13.5	5.7	5.9	4.7	12.6	13.6	8.8	43	45	32
9. झारखण्ड	25.3	26.7	19.3	7.0	7.4	5.4	18.3	19.3	13.9	42	44	30
10. कर्नाटक	19.2	20.2	17.5	7.1	8.1	5.4	12.1	12.1	12.1	38	43	28
11. केरल	14.8	14.8	14.8	7.0	7.1	6.7	7.8	7.7	8.1	13	14	10
12. मध्य प्रदेश	27.3	29.2	20.5	8.3	9.0	6.0	18.9	20.2	14.5	62	67	42
13. महाराष्ट्र	17.1	17.6	16.4	6.5	7.5	5.3	10.6	10.2	11.1	28	34	20
14. ओडिशा	20.5	21.4	15.2	8.6	9.0	6.6	11.9	12.4	8.6	61	63	43
15. पंजाब	16.6	17.2	15.6	7.0	7.7	5.8	9.6	9.5	9.8	34	37	28
16. राजस्थान	26.7	27.9	22.9	6.7	6.9	6.0	20.0	20.9	16.9	55	61	31
17. तमिलनाडु	15.9	16.0	15.8	7.6	8.2	6.9	8.3	7.8	8.9	24	25	22
18. उत्तर प्रदेश	28.3	29.2	24.2	8.1	8.5	6.3	20.2	20.7	17.9	61	64	44
19. पश्चिम बंगाल	16.8	18.6	11.9	6.0	6.0	6.3	10.7	12.6	5.6	31	32	25
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	20.5	22.1	14.6	5.9	6.9	2.3	14.6	15.2	12.3	31	34	12
2. गोवा	13.2	12.6	13.7	6.6	8.1	5.7	6.6	4.5	8.0	10	10	10
3. हिमाचल प्रदेश	16.9	17.5	11.5	6.9	7.2	4.2	10.0	10.3	7.3	40	41	29
4. मणिपुर	14.9	14.8	15.3	4.2	4.3	4.0	10.7	10.5	11.3	14	15	9
5. मेघालय	24.5	26.6	14.8	7.9	8.4	5.6	16.6	18.2	9.2	55	58	37
6. मिजोरम	17.1	21.1	13.0	4.5	5.4	3.7	12.5	15.7	9.3	37	47	21
7. नागालैंड	16.8	17.0	16.0	3.6	3.7	3.3	13.2	13.3	12.7	23	24	20
8. सिक्किम	17.8	18.1	16.1	5.6	5.9	3.8	12.3	12.3	12.3	30	31	19
9. त्रिपुरा	14.9	15.6	11.5	5.0	4.8	5.7	9.9	10.8	5.8	27	29	19
10. उत्तराखंड	19.3	20.2	16.2	6.3	6.7	5.1	13.0	13.5	11.1	38	41	25
संघ राज्य क्षेत्र												
1. अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमूह	15.6	15.5	15.8	4.3	4.8	3.3	11.3	10.7	12.6	25	29	18
2. चंडीगढ़	15.6	21.6	15.0	3.9	3.7	3.9	11.6	17.9	11.0	22	20	23
3. दादरा और नगर हवेली	26.6	26.0	28.6	4.7	5.1	3.3	21.9	20.9	25.3	38	43	22
4. दमन और दीव	18.8	19.1	18.3	4.9	4.9	4.8	13.9	14.2	13.6	23	19	29
5. लक्षद्वीप	14.3	15.5	13.2	6.4	6.1	6.7	8.0	9.5	6.5	25	23	27
6. पुदुचेरी	16.7	16.7	16.7	7.4	8.2	7.0	9.3	8.5	9.6	22	25	21

(संदर्भ : अध्याय XIV, पैरा 10.30)

टिप्पणी: छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की शिशु मृत्यु दरें तीन वर्ष की अवधि 2008–10 पर आधारित हैं।

अनुलग्नक-XVII

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मद	राजपत्रित		गैर–राजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	249	268	813	880
2.	दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 तक प्रारंभ किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलें	115	119	2534	2634
3.	दिनांक 31.12.2011 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	125	136	2562	2653
4.	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अुनशासनिक मामले (1+2-3)	239	251	785	861
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के सदंर्भ में) :				
	(क) बर्खास्तगी	3	3	548	551
	(ख) निष्कासन	1	1	348	350
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	5	5	100	102
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	11	12	110	112
	(ङ) वेतन वृद्धि रोकना	2	2	417	426
	(च) पदोन्नति रोकना	–	–	4	4
	(छ) वेतन से वसूली के आदेश	–	–	94	122
	(ज) निंदा	6	6	353	360
	(झ) चेतावनी	40	40	140	148
	(ञ) असंतोष	12	15	10	10
	(ट) दोषमुक्ति	18	23	39	47
	(ठ) मामले का स्थानांतरण	–	–	5	5
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	7	8	75	75
	(ढ) पेंशन में कटौती	14	15	1	1
	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	–	–	19	19
	(त) यूनिट में परिबद्ध	–	–	145	148
	(थ) क्वार्टर गार्ड में परिबद्ध	–	–	137	146
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	2	2	4	4
	(ध) प्रास्थगन	–	–	10	8
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	–	–	3	3
	(प) न्यायालय आदेश के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	3	3	3	3
	(फ) ड्यूटी/पूर्व सेवा एवं पेंशन की जब्ती	1	1	9	9
	कुल (क से फ)	**125**	**136**	**2574***	**2653**

(संदर्भ : अध्याय XV, पैरा 15.2.5)

*** गैर–राजपत्रित मामलों में क्रम सं. 3 और 5 में अंतर इस कारण से है कि संलिप्त व्यक्तियों की संख्या और एक एकल मामले में दिया गया दंड एक से अधिक है और इसलिए उसे क्र.सं. 5 के विभिन्न दंडों के कालम में बार–बार दर्शाया गया है।**

अनुलग्नक-XVIII

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण नोटों/पैराग्राफों का ब्यौरा

क्रम सं.	संगठन का नाम	दिनांक 31.12.2010 तक की स्थिति के अनुसार बकाया पैरा	दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 के दौरान प्राप्त पैरा	दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 तक निपटाए गए पैरा	दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया पैरा
1.	गृह मंत्रालय (मुख्य)	32	0	0	32
2.	राजभाषा विभाग	33	5	1	37
3.	भारत के महापंजीयक	49	547	178	418
4.	सीमा सुरक्षा बल	335	104	12594	314
5.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)	181	74	107	148
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)	06	0	2	4
7.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	267	132	161	238
8.	आसूचना ब्यूरो (आई बी)	73	41	35	79
9.	एस वी पी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (एन पी ए)	20	0	1	19
10.	असम राइफल्स	40	79	33	86
11.	भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)	54	47	37	64
12.	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी)	12	1	2	11
13.	राष्ट्रीय अपराध और विधि–विज्ञान संस्थान	23	0	0	23
14.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	34	0	0	34
15.	लक्षद्वीप	324	102	12	414
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1206	296	242	1260
17.	दमन और दीव	171	40	6	205
18.	दादरा और नगर हवेली	92	0	16	76
19.	चंडीगढ़	1468	50	102	1416
	कुल	**4420**	**1518**	**1060**	**4878**

(संदर्भ : अध्याय XV, पैरा 15.8.5)

अनुलग्नक-XIX

पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति (दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	वर्ष	उन पैराओं/पीएसी की सं. जिनके संबंध में लेखा–परीक्षा के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद की गई कार्रवाई की टिप्पणी पीएसी को प्रस्तुत की गई	उन पैरा/पीए रिपोर्टों का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया।	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया किन्तु जिन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और लेखा–परीक्षा उन्हें मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।	उन एटीएन की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1.	2008-09	(i) (वर्ष 2008–09 की रिपोर्ट संख्या सी ए 14 का पैरा संख्या 11.1)	—	—	—

(संदर्भ : अध्याय XV, पैरा 15.8.6)

अनुलग्नक-XX

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अद्यतन एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

क्रम सं.	पैरा संख्या	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय/विभाग	वर्तमान स्थिति
1.	**वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का 9.1**	**अप्राधिकृत व्यय–** गृह मंत्रालय ने संसद द्वारा राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी खण्ड के अन्तर्गत आबंटित निधियों में से 2.53 करोड़ रुपए की राशि अन्य प्रयोजन में लगा दी।	प्रशासन प्रभाग	महानिदेशक (लेखा परीक्षा) के कार्यालय को संशोधित कृत कार्रवाई की टिप्पणी पुनरीक्षण के लिए भेजी गई है।
2.	**वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का 9.2**	**बिना योजना के प्रापण–** गृह मंत्रालय द्वारा 125.29 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए 6 एम आई–17 हेलीकाप्टर सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में पार्क किए गए थे।	पुलिस–।। प्रभाग	महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के कार्यालय को कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है।
3.	**वर्ष 2011 12 की रिपोर्ट संख्या 16 का 9.3**	**1.32 करोड़ रुपए की निधियां अवरूद्ध करना–** सी आर पी एफ द्वारा जनवरी, 1999 में अधिक राशि की वापसी स्वीकार न करना और मामले में आवश्यक कार्रवाई की कमी के कारण 1.32 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहे।	पुलिस–।। प्रभाग	महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के कार्यालय को कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है।
4.	**वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का 9.4**	**निरर्थक व्यय–** मंत्रालय द्वारा 94.57 करोड़ रुपए व्यय करने के बावजूद, पुलिस नेटवर्क (पोलनेट) स्थापित करने की परियोजना शुरू करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। मंत्रालय द्वारा अप्रयुक्त/गैर–स्थापित मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोनों के लिए दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम प्रभारों के भुगतान के रूप में 13.08 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिससे बचा जा सकता था।	पी एम प्रभाग	महानिदेशक (लेखा परीक्षा) के कार्यालय को संशोधित कृत कार्रवाई की टिप्पणी पुनरीक्षण के लिए भेजी गई है।
5.	**वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का 9.5**	**राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण** (एनडीएमए) द्वारा अपने नए भवन में नवीकरण और आन्तरिक सज्जा कराने में अनियमितताएं।	डी एम प्रभाग	कृत कार्रवाई की टिप्पणी का मसौदा प्रक्रियाधीन है।

(संदर्भ : अध्याय XV, पैरा 15.8.6)

अनुलग्नक-XXI

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां/पैरा और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

अद्यतन एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियां/पैरा

I. अप्राधिकृत व्यय–गृह मंत्रालय ने संसद द्वारा राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी खण्ड के अन्तर्गत आबंटित निधियों में से 2.53 करोड़ रुपए की राशि अन्य प्रयोजन में लगा दी।

गृह मंत्रालय ने संसद द्वारा राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी खण्ड के अन्तर्गत आबंटित निधियों में से 2.53 करोड रुपए की राशि अन्य प्रयोजन में लगा दी। जून, 2008 में गृह मंत्रालय के प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य लेखा नियंत्रक (सी सी ए) से कम्प्यूटर, पेरीफेरल और साफ्टवेयर के प्राप्ण के लिए पूरक अनुदान मांग की पहली बैच में 2.7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता को उप–शीर्ष 2052.03.99.52–मशीनरी और उपकरण (आई टी) के अंतर्गत राजस्व खंड में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय ने अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किए बिना ही 2.53 करोड़ रुपए मूल्य के कम्प्यूटरों और साफ्टवेयर की आपूर्ति का आदेश (सितम्बर, 2008) दे दिया। मंत्रालय ने नार्थ ब्लॉक में इलैक्ट्रानिक एक्सेस कन्ट्रोल (स्मार्ट कार्ड) सिस्टम लागू करने के लिए पूंजी खण्ड के अन्तर्गत आबंटित अप्रयुक्त निधियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। मंत्रालय द्वारा कम्प्यूटर और साफ्टवेयर की खरीद का व्यय इस आबंटन से पूरा कर लिया गया, जबकि यह व्यय राजस्व खण्ड से सम्बन्धित था।

(वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का पैरा संख्या 9.1)
लेनदेन सम्बन्धी लेखापरीक्षा टिप्पणियां

II. बिना योजना प्रापण–गृह मंत्रालय द्वारा 125.29 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए 6 एम आई–17 हेलीकाप्टर सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में पार्क किए गए थे।

वर्ष 2003 में गृह मंत्रालय द्वारा 125.29 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए 6 एम आई–17 हेलीकाप्टर पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में प्रचालनात्मक आवश्यकता पूरी करने के लिए लिए उपयोग करने के बजाय नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर पार्क किए गए थे। इसी दौरान, इन राज्यों में सात वर्ष के बाद भी निर्धारित स्थानों पर हेलीकाप्टर पार्क करने के लिए हैंगर के रूप में आधारभूत ढांचे तैयार नहीं किए गए जबकि इस प्रयोजन के लिए 7.00 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली से इन क्षेत्रों के लिए उड़ानों पर 9.18 करोड़ रुपए व्यय किए गए जिससे बचा जा सकता था और बी एस एफ भी अपने प्रचालनों के लिए आई ए एफ पर निर्भर रहा।

(वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का पैरा संख्या 9.2)
लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां

III. 1.32 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध करना– सी आर पी एफ द्वारा जनवरी, 1999 में अधिक राशि की वापसी स्वीकार न करना और मामले में आवश्यक कार्रवाई की कमी के कारण 1.32 करोड़ रुपए अवरुद्ध रहे।

अगस्त 1989 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) को एक ट्रांजिट कैम्प के निर्माण हेतु पप्पनकलां, नई दिल्ली में 20 एकड़ भूमि आवंटित की थी। चूंकि भूमि की कीमतों में संशोधन पर विचार हो रहा था, इसलिए सी आर पी एफ ने मार्च, 1991 में डी डी ए को उनके द्वारा प्रभारित अन्तरिम दर से 3.84 करोड़ रुपए अदा कर दिए। तथापि, डी डी ए ने मई, 1991 में सी आर पी एफ को केवल 9.72 एकड़ भूमि का कब्जा इस आधार पर सौंप दिया कि भूमि की कीमतें बढ़ गई हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि सी आर पी एफ ने डी डी ए को मार्च 2002, अप्रैल, 2004, अगस्त 2005 और मई 2007 में अतिरिक्त भूमि के आबंटन के लिए लिखा था, लेकिन 1991 में जमा की गई अपनी राशि वापस नहीं मांगी थी। दूसरी ओर इसने दो अवसरों पर डी डी ए

द्वारा वापस की गई राशि स्वीकार नहीं की थी। सी आर पी एफ ने केवल जुलाई, 2007 में ब्याज सहित 1.32 करोड़ रू. की वापसी की मांग की थी। यह मामला अक्टूबर, 2010 तक अनिर्णीत ही रहा। वास्तविकता यह है कि वापस की गई राशि अस्वीकार करने और सी आर पी एफ द्वारा धन वापसी के दावे के लिए पर्याप्त कार्रवाई न करने से 1.32 करोड़ रुपए की राशि 10 वर्ष तक अवरुद्ध रही, जिसका ब्याज भारत सरकार के औसत उधार की दर से परिकलित करने पर 1.05 करोड़ रुपए था।

(वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का पैरा संख्या 9.3)
लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां

IV. निरर्थक व्यय–मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय राष्ट्रीय पुलिस संचार सिस्टम की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक पुलिस नेटवर्क (पोलनेट) स्थापित करने की योजना शुरू करना जिसमें अपनाई गई प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता का अध्ययन नहीं किया गया ।

सुरक्षा से सम्बन्धित मंत्रिमण्डल समिति ने देश में पुलिस दूरसंचार के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सैटेलाइट प्रौद्योगिकी पर आधारित पुलिस नेटवर्क (पोलनेट) स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय, डायरेक्टोरेट आफ को–आर्डिनेशन पुलिस वायरलेस (डी सी पी डब्ल्यू) के प्रस्ताव को अनुमोदन (सितम्बर 1998) प्रदान किया था। इस परियोजना का उद्देश्य देश के सभी पुलिस स्टेशनों को सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और राष्ट्रीय राजधानी के साथ कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना था। दिये गये उत्तर से लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि मंत्रालय, पुलिस स्टेशनों के मौजूदा स्थानों के संदर्भ में मार्ट प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक अध्ययन कराने में असफल रहा और उसने तैयार स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही परियोजना प्रारम्भ कर दी। परिणामतः कार्य शुरू होने के 8 वर्ष बाद भी और 94.57 करोड़ रुपए व्यय होने के बावजूद देश में सभी पुलिस स्टेशनों को राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और राष्ट्रीय राजधानी के साथ कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पुलिस नेटवर्क की परियोजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने स्थापित न किए गए बी एस यू और आर एस यू मार्ट के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में 13.08 करोड़ रुपए भी व्यय किए जिससे बचा जा सकता था।

(वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का पैरा संख्या 9.4)
लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां

V. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन डी एम ए) द्वारा अपने नए भवन में नवीकरण और आन्तरिक सज्जा कराने में अनियमितताएं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सचिव ने जी एफ आर के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए 4.48 करोड़ रुपए की अलग–अलग स्वीकृतियां प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त, एन डी एम ए के प्रारम्भिक स्तर पर आंबटित भवन में मरम्मत और आन्तरिक सज्जा के कार्य की आवश्यकता का मूल्यांकन करने में असफल रहने के कारण निर्माण कार्य के क्षेत्र और मात्रा में लगातार परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। इसके परिणामस्वरूप इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हुआ और लम्बे समय तक किराए के भवन में रहने से किराए के रूप में 3.77 करोड़ रुपए व्यय हुए जिससे बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, चूंकि एन डी एम ए ने मंत्रालय की स्वीकृति के बिना 2.90 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य कराया, इसलिए एन डी एम ए द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का अतिक्रमण भी किया गया।

(वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 16 का पैरा संख्या 9.5)
लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां

(संदर्भ : अध्याय XV, पैरा 15.8.6)

--*

बंगाल ऑफसेट वर्क्स द्वारा मुद्रित